'ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका'

(उ. प्र. में झांसी जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विषय में

पी-एच. डी. की उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी

निर्देशक :

डॉ. श्रीराम अग्रवाल

उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष

प्रस्तुतकर्ता :

सन्तोषकुमार अग्रवाल

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी
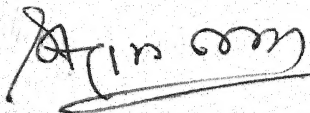
डॉ. श्रीराम अग्रवाल
उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष

दिनांक 3/6/92

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल ने ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका' (उ. प्र. में झांसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन) विषयक शोध प्रबन्ध इस विभाग में २५० दिनों से अधिक उपस्थित रह कर पूरा किया है।

यह शोध प्रबन्ध एक मौलिक सामाजार्थिक अध्ययन है तथा मेरे निर्देशन व परिवेक्षण में पूर्ण लगन व निष्ठा के साथ सम्पन्न किया गया।

डॉ. श्रीराम अग्रवाल

घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि "ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका" (उ. प्र. में झांसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन) विषयक शोध प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। इसमें प्रस्तुत आंकड़ों का संकलन मैंने स्वतः किया है। उन आंकड़ों पर आधारित मानचित्रों व चित्रों की रचना भी मैंने स्वयं की है।

Sagrawal

शोधकर्ता

सन्तोष कुमार अग्रवाल

एम. ए. अर्थशास्त्र समाज विज्ञान

७, झारखड़िया झांसी उ० प्र०

:: आभार ::

पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि - "देश की सच्ची प्रगति तभी होगी जब गांव में रहने वाले लोगों में चेतना आये । देश की प्रगति का सीधा सम्बन्ध गांव की प्रगति से है यदि गांव प्रगति करेंगे तो भारत एक सबल राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा । आपको पारस्परिक सहयोग रखना चाहिए । आज के भारत में किसी को दूसरे से ऊँचा नहीं समझना चाहिए । पंचायतों को यह समझना चाहिए कि सभी बराबर हैं चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला, ऊँचा हो अथवा नीचा । एकता और भाईचारे की ऐसी सम्भावना होने पर हम साहस और आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे" ।

- नागौर राजस्थान 2अक्टूबर 1959

प्रस्तुत शोध कार्य "ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका" मेरा शोध कार्य का प्रथम अनुभव है । प्रस्तुत शोध कार्य को मैने सात अध्याय में विभक्त किया गया ।

प्रस्तुत शोध कार्य को मैं तब तक अधूरा मानता हूँ जब तक कि इस कठिन कार्य को पूरा करने में प्राप्त सहयोग के लिये अपने गुरुजनों व सहयोगियों का आभार व्यक्त नहीं करता ।

सर्व प्रथम मैं श्रद्धेय गुरु डॉ० श्रीराम अग्रवाल विभागाध्यक्ष ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय का ऋणी हूँ । जिनके निर्देशन में यह शोध कार्य पूरा हो सका ।

इस कार्य के लिए मैं अपनी बहिन कु० संध्या मिश्रा व रश्मि सिंघल का आभारी हूँ जिन्होंनें समय-समय पर मेरी सहायता की ।

शोध कार्य पूरा करने में मुझे मेरे मित्र प्रमोद अग्रवाल, सुन्दर लाल बाजपेई उमाशंकर मिश्रा, हेमन्त श्रीवास्तव का सहयोग प्राप्त हुआ । जिसके लिये मैं इनका धन्यवाद करता हूँ ।

यह कार्य पूरा करने में मुझे मेरे मम्मी पापा व भाइयों का सहयोग मिला साथ ही श्री पी० एन० शर्मा व श्री आर० डी० वर्मा के परिवारों का सहयोग मिला अतः हम इनके भी आभारी हैं ।

श्री राशिद अली पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय

श्री वी० पी० सिंह स्वागत अधिकारी यू० जी० सी०, श्री के० डी० गौर डायरेक्टर एन० सी० एस० एस० आर० दिल्ली, श्रीमती सविता शर्मा, श्री पांडे लाइब्रेरियन योजना आयोग । भी इस कार्य में सहयोग केक लिए धन्यवाद के पात्र हैं ।

जिला सांख्यिकी अधिकारी निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सहायक संचालक उत्तर प्रदेश अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम झांसी तथा श्री हुकुम सिंह ए० डी० एम० तथा सम्बन्धित बैंक अधिकारियों का सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता है ।

मेरे मामा श्री आर० के० गर्ग व मामी श्रीमती ममता गर्ग का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे विशेष प्रेरणा दी ।

निर्देशक गिरि इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी लखनऊ का सहयोग भी इस कार्य में सहायक हुआ है ।

अन्त में मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार से मेरी सहायता की है ।

इस कार्य में उन लाभार्थियों का सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने सर्वेक्षण के समय अपनी अमूल्य व गोपनीय जानकी मुझे दी है । मैं सभी सर्वेक्षित लाभार्थियों का भी धन्यवाद करता हूँ ।

मैं इस शोध प्रबंध के सुन्दर टंकण के लिये श्री अशोक कुमार खरे का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

Sagrawal

सन्तोष कुमार अग्रवाल

स्थान :- झाँसी

दिनांक :- 3.6.92

:: आमुख ::

भारत एक कृषि प्रधान देश है । भारत में राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है । देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि करती है तथा गांव में निवास करती है परन्तु राष्ट्रीय आय में बड़ा योगदान करने के बाद भी भारतीय किसान सुखी व खुशहाल नहीं है । भारत में कृषि अत्यधिक रोजगार प्रदान करने वाला मौसमी व्यवसाय है । भारतीय कृषि की मौसमी प्रवृत्ति के कारण यहां वर्ष में कृषक व कृषि मजदूरों को बहुत थोड़ा रोजगार मिल पाता है जिससे वे वर्ष भर अपनी उदर पूर्ति नहीं कर पाते ।

राष्ट्रीय आय में दूसरा बड़ा भाग उद्योग धन्धों का है । सदियों की दासता ने भारतीय उद्योगों को पूर्णता समाप्त कर दिया था परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पुनः उद्योग धन्धों के महत्व को समझा गया तथा इस ओर विशेष प्रयास किये गये । इस काल में भारत में जहां एक ओर बड़े और भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया वहीं छोटे व लघु घरेलू उद्योगों के विकास को भी महत्व दिया गया । देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी ने बड़े व भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देते हुए इन्हें आधुनिक तीर्थों की संज्ञा दी थी ।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ0 लकड़ावाला ने महसूस किया था कि आधुनिक संगठित उद्योग प्रति वर्ष रोजगार के 5 लाख अवसर प्रदान करवाता है । जबकि देश में बढ़ती हुई आबादी के लिये प्रति वर्ष 50 लाख रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है ।

देश में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने में लघु व कुटीर उद्योगों का अपना महत्व है । ये उद्योग कम पूंजी में अधिक रोजगार प्रदान करते हैं । भारत की अर्थव्यवस्था में लघु तथा कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है । साथ ही एक अन्य बात और भी स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है । पूंजी और तकनीकी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एक विकट समस्या है । रोजगार के अभाव में सभी ग्रामीण कृषि पर निर्भर है तथा कृषि में जनाधिक्य की स्थिति बनी हुई है । यही कारण है कि कृषि मौसम के बाद अधिकांश ग्रामीण शहरों की ओर पलायन करते हैं ।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी गांव में रोजगार के अवसरों के अभाव का परिणाम

है । ग्रामीणों की आय का बड़ा भाग ऋण का ब्याज चुकाने में चला जाता है । तथा उनका जीवन स्तर अत्यन्त निम्न बना रहता है ।

उपर्युक्त कारणों को दूर करने के लिये तथा ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ऐसे प्रयासों में संलग्न है कि ग्रामीणों को अपने उद्योग धन्धे स्थापित करने में सहयोग मिले अथवा गांव में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार अपने साधनों से ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को उद्योग अथवा व्यवसाय आरम्भ करने हेतु सहायता व अनुदान दे रही है । ताकि ये लोग अपने प्रयत्नों से जीवन स्तर में सुधार कर सकें ।

भारत सरकार ऐसे लोगों के लिए भी कई योजनायें चला रही है । जो मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित हैं । गांव में किसान फसल के बाद बेरोजगार हो जाता है । ऐसे समय में वह रोजगार हेतु या तो शहरों की ओर पलायन करता है अथवा गांव में ही श्रम शक्ति को बरबाद करता है । ऐसे समय के लिए भी सरकार कुछ योजनायें चला रही है । इन योजनाओं को तब चलाया जाता है जबकि गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है ।

इन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ योजनायें अनुसूचित जाति/जन जाति तथा दरिद्रतम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भी चलाई जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में झाँसी जिला एक उद्योग विहीन जिला हैं । झाँसी में सम्भाग व जिला मुख्यालय होने के बावजूद रोजगार उत्पन्न करने वाले अवसरों का अभाव है । यद्यपि जिले में बहुत न्यून मात्रा में घरेलू व लघु उद्योग विद्यमान हैं परन्तु रोजगार के मामले में इनका प्रभाव नगण्य है । बड़े उद्योगों का जिले में आभाव हैं ।

उपर्युत परिस्थितियो के कारण झाँसी जिले में इन योजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है । इन योजनाओं से जहां एक ओ गांव से शहरों की ओर पलायन रुका है वही गांव में लोगों को अपने उद्योग व्यवसाय स्थापना में सफलता मिली हैं । रोजगार के अवसरो में वृद्धि होने से लोगों की आय में वृद्धि हुई है तथा उनकी ऋणग्रस्तता कम हुई हैं ।इन्हे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हे सम्मान मिला हैं ।

आज पंडित नेहरू के निम्न शब्द अक्षरतः सत्य सिद्ध हो रहे हैं .

"वास्तव में भारत गरीब नहीं है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक सम्पदा होती है वहाँ के लोग। देश के लोग ही तो सम्पत्ति पैदा करते हैं।"

:: विवरणिका ::

:: सारणी सूची ::

अध्याय प्रथम

भारत में अनुसूचित जाति वर्ग की संवैधानिक, सामाजार्थिक एवं जनांकिकी स्थिति

आज के समय में जाति प्रथा भारत की एक दुर्भाग्य पूर्ण विशेष है। आदिम काल में मनुष्य जंगलों में रहता था। वह शिकार करके अपना पेट भरता था तथा पेड़ों के पत्तों व छालों को पहनता था। पहाड़ी गुफायें तथा पेड़ों के खोह उसका घर थे। ऐसे समाज में सभी स्वतंत्र थे। कोई न तो ऊँचा था और न नीचा। समाज में जंगली राज्य कायम था।

धीरे-धीरे मनुष्य ने शिकार की जगह कृषि करना आरम्भ किया कृषि के कारण मनुष्यों को एक स्थान पर रहना पड़ा तथा उसके कार्यों व आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। यह आवश्यकतायें मनुष्य स्वयं पूरी नहीं कर पा रहा था, अतः समाज में यह निर्णय लिया गया कि सभी लोग एक काम न करके भिन्न-भिन्न कार्य करेंगे तथा एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। उस समय समाज में सभी लोगों ने अपनी इच्छानुसार कार्य चुन लिया तथा इसी समय से विश्व में श्रम विभाजन का उदय हुआ।

वैदिक काल में जाति प्रथा :- भारत में वेद सबसे प्राचीन तथा स्वयं ईश्वर द्वारा लिखित ग्रन्थ माने जाते हैं। वेदों की संख्या चार है। भारतीय समाज में वेद पवित्र ग्रन्थ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋगवेद स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है। ऋगवेद में ऐक स्थान पर एक श्लोक का वर्णन है, जिसके द्वारा यह भी समझा जाता है कि ये जाति प्रथा स्वयं ईश्वर द्वारा बनायी गयी है।

श्लोक :- ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद्बाहू राजन्य कृता,
उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यास शूद्रो अजायत।
(ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मण्डल, 10, सूत्र 90, मंत्र 11-12)

इस श्लोक में ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति सीने से तथा वैश्य की उत्पत्ति कमर से मानी गयी है। अन्त में शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। शायद ब्रह्मा ने जातियों की उत्पत्ति संसार की उन्नति हेतु की थी।

इस प्रकार प्रारम्भ से ही इस बात का संकेत है कि शूद्र की समाज में स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, समाज में यह वर्ग सेवा कार्य करता था तथा बदले में इसे सामाजिक तिरस्कार प्राप्त होता था।

121

यदि हम इस श्लोक को सत्य मान लें तथा इसमें लिखी बात यदि सत्य है तो क्या ईश्वर ने अपने ही चारों पुत्रों में अन्तर किया है। यदि ईश्वर सभी को समान नहीं मानता, यदि उसने ही समाज में भेदभाव उत्पन्न किया है तो क्या कारण होगा कि उसने अपने एक पुत्र को इतना दयनीय बना दिया।

एक स्थान पर ऋग्वेद में लिखा है -

" न दासों नार्या महित्वा व्रतं मिमाय"

अर्थात मैं किसी को जन्म से दास या आर्य नहीं समझता। मैं उनका मूल्यांकन उनके कर्मों के आधार पर करता हूँ। यहाँ यह कहा गया कि वर्ण व्यवस्था में केवल गुण व कर्म को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुणों के आधार पर ही समाज को चार वर्णों में विभक्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख गीता में भगवान कृष्ण ने किया है-"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः"।

अर्थात चारों वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण कर्मों के आधार की है। गीता के अनुसार ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन प्रवृत्तियों से मुक्त हो अतः ब्राह्मण,क्षत्री, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण देवकृत कर्मों के संस्कार स्वका स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर हैं।[1]।

<u>मनु के अनुसार :-</u> महाराज मनु इससमाज के पिता माने जाते हैं वे एक अच्छे राजा तथा समाज शास्त्री थे। अपनी पुस्तक मनु स्मृति में उन्होंने समाज की व्याख्या की है। उन्होंने समाज को चार वर्णों में विभाजित किया। प्रथम स्थान उन्होंने ब्राह्मणों को दिया इनका काम समाज में शिक्षा देना, धार्मिक कार्य करवाना तथा न्याय करना है। दूसरा स्थान क्षत्री को दिया गया। इस वर्ण का कार्य समाज को शत्रुओं से रक्षा करना है। तीसरा स्थान समाज में वैश्य को दिया गया। मनु के अनुसार इस वर्ण का कार्य व्यापार तथा कृषि करना है। अन्त में सबसे नीचा स्थान शूद्रों को दिया गया। तथा इस वर्ण का काम समाज की सेवा करना है।

---

1. महाड़िया, बी० एन०, पारिवारिक समाजशास्त्र, सतीड़, इन्दौर 1979 पेज27

॥3॥

शतपथ ब्राह्मण :- शतपथ ब्राह्मण में जाति की उत्पत्ति के बारे में निम्न बातें बतायीं हैं ।

॥अ॥ जाति की उत्पत्ति "भू: भुव: स्व:" से हुई है ।

॥ब॥ देवताओं और असुरों के संघर्ष से वर्णों की उत्पत्ति हुई जो आगे चलकर जाति के नाम से जानी जाने लगी ।

महाभारत :- महाभारत में शांति पर्व में भृगु ने जाति की उत्पत्ति के बारे में लिखा कि जातियों को कोई अन्तर नहीं है । गुरु ने ब्राह्मण की सृष्टि की रचना की और सभी लोग जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में अपने भिन्न-भिन्न कर्मों के आधार पर अलग-अलग जातियों में बट गये ।[2]

ऋग्वेद के अनुसार समाज कर्मों के आधार पर बट गया परन्तु कार्य करने के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था, सभी व्यक्ति समान रूप से पृथ्वी को अपनी माता मानते थे और सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार चुने हुये कार्यों को करते थे ।

परन्तु दुर्भाग्यवश समुदाय के सभी सदस्यों में समानता की यह स्वस्थ परम्परा बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और उसका स्थान जाति प्रथा ने ले लिया । एक विशेष प्रकार का कार्य करने वाले वर्ग के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति पारम्परिक तौर पर अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाते चले गये । इस प्रकार गुण एवं कार्य के स्थान पर व्यक्ति की पहचान कर्म एवं जाति के आधार पर होने लगी ।

प्रो० रिज्ले ने भारत में जातियों का जन्म निम्न कारणों से बताया है ।

॥1॥ मूल निवासी और बाहर से आयने वाले व्यक्तियों में अन्तर होने के कारण जातियों का जन्म हुआ ।

2, दोल डी० एस० समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, पुष्पराज रीवा इलाहाबाद 1986, पेज 83, 84

....4

।4।

।2। आर्थिक आधार भी जातियों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। व्यवसायों में भिन्नता के कारण जाति प्रथा का जन्म हुआ।

।3। धर्म में भिन्नता के कारण रहन सहन और विचारों में भिन्नता आई, जिससे अनेक जातियों का जन्म हुआ।

।4। कुछ विशेष प्रकार के प्रतीक चिन्हों में विश्वास के कारण भी जातियों का जन्म हुआ।

।5। एक स्थान से दूसरे स्थान में निवास करने के कारण भी जातियों का जन्म हुआ।

।6। रीति रिवाजों में अन्तरों के कारण भी जाति व्यवस्था का जन्म हुआ।

एक अन्य विद्वान अबे दुबोस का कहना है कि भारत में जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ब्राह्मणों की राजनैतिक चाल महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण किया, जिसके द्वारा वे अन्य वर्गों का शोषण कर सके। यह संगठन स्थाई रहे इसलिए उन्होंने क्षत्रियों का सहारा लिया तथा शूद्रों का शोषण किया गया। यही सामाजिक संगठन जाति के रूप में परिवर्तित हो गया।

होकार्ट के अनुसार भारत वर्ष में देवताओं को चढ़ायी जाने वाली बलि जाति प्रथा की उत्पत्ति का मूल कारण है। समाज का प्रत्येक व्यक्तियों, पशुओं की हत्या करना उचित नहीं समझता अतः इस कार्य के लिये दासों की सेवायें ली जाती थी। प्राचीन भारत में अनेक कार्यों को सम्पादित करने के लिये अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे पुरोहित, माली नाई, धोबी आदि। और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर इसमें अनेक व्यक्ति अपनी सेवायें देते थे। इन्हीं सेवाओं के आधार पर समाज में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित होती थी जो आगे चलकर जातियों में बदल गयी।

1907 में तत्कालीन जनगणना आयुक्त रिसले ने हिन्दू समाज को जाति के आधार पर सात भागों में बांटा गया। इसके पश्चात सन् 1911 में यह निश्चित करने के लिये कि धार्मिक तथा सामाजिक सन्दर्भ में ऐसे कौन-कौन से कबीले या जातियाँ हैं, जिनके साथ भेदभाव किया गया है, एक जाँच कराई

गयी, तथा 1921 में सर्वप्रथम ऐसी जातियों को दलित वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। सन् 1931 में हट्टन द्वारा दलित वर्गों को क्रमबद्ध रूप से श्रेणी बद्ध किया गया।

सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया और अधिकृत तौर पर 1935 में इस शब्द को सम्मिलित किया गया। इसके पूर्व तक इन्हें अछूत दलित अथवा बाहरी जाति के रूप में जाना जाता था। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ विशेष जातियों, प्रजातियों तथा कबीलों को अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख करते हुए भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 निर्गत किया।[3]

ब्रिटिश शासन काल और अनुसूचित जाति :-
-----x-----x-----x-----x-----x-----x----- अनुसूचित जातियों को सर्वप्रथम मैन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार समिति 1919 द्वारा राजनीतिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता मिली। तब उनके लिये साम्प्रदायक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया। केन्द्रीय विधान सभा में 14 मनोनीत गैर सरकारी स्थानों में से एक सीट सदद् द्वारा हरिजनों हेतु सुरक्षित कर दी गयी है। संघीय प्रान्तों बम्बई, बिहार बंगाल, केन्द्रीय प्रांत और मद्रास में भी कुछ स्थान मनोनयन द्वारा इस वर्ग के लिये सुरक्षित कर दिये गये। बाद में वैधानिक कमीशन ।1930। ने कुल जनसंख्या में उनका अनुपात 3:4 बढ़ाने के लिए ।वैधानिक स्थानों में। आरक्षण के लिये उनकी सिफारिश की।

ब्रिटेन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भारत की राजनैतिक गुत्थी को सुलझाने के लिये 12 नवम्बर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरम्भ हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। एक ब्रिटिश पत्रकार मिस्टर ब्रिलसफोर्ड ने लिखा- "सेंट माल ने भारतीय नरेश हरिजन, सिक्ख, मुसलमान, हिन्दू, ईसाई, जमीदार, मजदूर सँघ सभी के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। परन्तु भारत माता वहाँ उपस्थित न थी।

---

3. मदोल डी0 एस0 समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, पुष्पराज इलाहाबाद सन् 1996 पेज 85, 86

गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये ब्रिटिश इण्डिया प्रतिनिधि मण्डल में स्टार्टिंग कमीशन 1930 के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया गया । सम्मेलन का कार्य 9 समितियों में विभाजित किया गया । इसमें एक समिति को अल्प संख्यक समिति कहा गया ।

इस समिति को डॉ0 अम्बेडकर द्वारा जो अस्पृश्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अस्पृश्यताओं द्वारा मांगा गया निर्दिष्ट आवश्यक सुरक्षित मांगों का ज्ञापन पेश किया । अल्प संख्यक समिति ने विचार विमर्श के बाद सिफारिश की - "उनकी सभी असुविधाओं एवं कठिनाइयों के साथ अलग चुनाव में नये संविधान के अन्तर्गत चुनावी व्यवस्था के आधार में सुरक्षित रहेगा ।" समिति ने यह भी कहा कि प्रारम्भिक सम्भावनों के रूप में यह सहमत हुआ कि प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों सेवाओं की भर्ती को लोक सेवा आयोग को सौंपना चाहिए, निर्देशों के साथ विभिन्न समितियों के दावों के समाधान के लिये सार्वजनिक सेवाओं में स्वच्छ एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व को जबकि यह दक्षता का उचित मापदण्ड बनाये रखने के लिये आवश्यक हो, प्रदान किया जायेगा ।

संघीय रचना समिति में अन्य समिति गोलमेज सम्मेलन द्वारा नियुक्त। केन्द्रीय सरकार के प्रकार एवं कार्य की बहस के लिए संघीय विधान सभाओं की रचना के बारे में भी अस्पृश्यताओं के सवाल पर विचार किया गया ।

गोलमेज सम्मेलन ने अपने पहले अधिवेशन में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों को पास किया । कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने में व्यस्त रही । [4]

प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटकर सर तेज बहादुर सप्रू व डॉ0 जयकर भारत आये तो उन्होंने गांधी को परामर्श दिया कि यदि वे सरकार के साथ वार्ता में शामिल नहीं होंगे तो सरकार देशी रियासतों के नरेशों तथा

---

4. दी इम्पेक्ट ऑफ कन्सटीट्यूशनल प्रावीजन्स ऑन दी अपलिफ्ट ऑफ हरिजन पेज 16-17 द्वारा रस्तोगी प0 पी0 प्रकाशित दीप ग्रंथ एन0 सी0 एस0 एस0 आर0 देहली ।

:7:

मुसलमानों के साथ मिलकर कोई ऐसा समझौता कर सकती है, जो भारतीय जनता के हितों के प्रतिकूल हों।

इन नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितम्बर 1931 को लंदन में प्रारम्भ हुआ, गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिये इंग्लैंड रवाना हुये। कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। सम्मेलन में एक ओर ब्रिटिश सरकार थी जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देकर भारतीयों को कुछ देना नहीं चाहती थी। सम्मेलन में दूसरी शक्ति कांग्रेस थी जिसके एक मात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे, जो अधिक से अधिक स्वाधीनता चाहते थे। तीसरी शक्ति राजा महाराजा, साम्प्रदायिक नेता थे, जिनके अपने हित प्रधान थे तथा स्वतंत्रता गौण थी।

सरकार ने जानबूझ कर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया सम्मेलन में हरिजनों के लिये पृथक निर्वाचन की मांग की गयी। इस सम्मेलनमें डॉ० अम्बेडकर ने इस ओर से भाग लिया था। डॉ० अम्बेडकर बराबर अपनी बात पर डटे रहे। गांधी जी ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का कड़ा विरोध किया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दो सिद्धान्त आगे आये। इसमें कहा गया कि कुछ व्यवस्थायें दलित वर्ग की सुरक्षा के लिये बनायी जानी चाहिए तथा उन पर विचार किया जाये जो अल्प संख्यक है एवं अपनी ही जाति के द्वारा पीड़ित है। यदि ब्रिटिश सरकार हिन्दुओं को बहुसंख्यक में ऊपर उठाना चाहती है तो उसे दलित वर्ग के लिए कुछ व्यवस्थायें बनाना चाहिए अन्यथा ऐसा न हो कि ये कौन मक्खी की तरह उपद्रव कर दे।

इसके लिये सरकार ने इनके लिये अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। सरकार द्वारा देश की केन्द्रीय असेम्बली में इस वर्ग के लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये। गांधी जी ने इसे अन्य दृष्टिकोण से देखा कि दलित वर्ग। इस विशेष प्रतिनिधित्व के लिये राजी नहीं होंगे, क्योंकि यह उनकी दबी हुई दशाओं को स्थायी कर देगा, इससे अछूतों को उच्च हिन्दू समुदाय में सम्मिलित किया जाना असम्भव हो जायेगा, उनको तो अल्पसंख्यक

....8

स्तर से निकालकर सामाजिक वर्ग में विशेष मान्यता देना थी जो परिस्थितियों और अन्ध विश्वास के दुर्भाग्यवश संयोग द्वारा उत्पन्न होती थी । एक बार अल्पसंख्यकों की सब कमेटी में गांधी जी ने कहा था, इस प्रकार इसमें सिक्ख, मुस्लिम तथा कई यूरोप वासी इस स्थिति में रह सकते हैं परन्तु क्या अछूत भी निरन्तर अछूत रहेंगे । मैं सोचता हूँ कि यदि अस्पृश्यता जिन्दा रही तो हिन्दू धर्म मर जायेगा ।[5]

इस तरह गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के आरक्षण के विरुद्ध रहे । वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अस्पृश्यों के बारे में इनके अलग अस्तित्व के पक्ष में नहीं थे । वास्तव में गांधी जी हिन्दू समुदाय के विघटन को रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे थे । उनके अनुसार अलग चुनाव की अनुमति देकर सव-कालने अस्पृश्यता को अमर कर दिया जायेगा ।

अल्पसंख्यक समिति कोई भी समझौते करने में असफल रही है । अतः जब गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय सम्मेलन भंग किया गया तो ब्रिटिश प्रधान-मंत्री ने इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में उनकी इच्छा से प्रतिनिधित्व देने के लिये प्रस्ताव पास किया । पृथक राजनीतिक मान्यतायें प्राप्त करने का हरिजनों का दावा तब मजबूत हुआ जब 1932 की फेन्चाइज कमेटी ने उनकी जनसंख्या शक्ति के रूप से सब 10 प्रतिशत अस्पृश्यों के चुनाव की सिफारिश की और अवधि 1932 में अगस्त में साम्प्रदायिक अवार्ड बनाया गया ।

71 विशेष स्थान प्रान्तीय विधान मण्डलों में अस्पृश्यों को प्रदान किये गये एवं आम निर्वाचित क्षेत्रों में उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ तब जबकि यह अवार्ड आरम्भ किया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि ब्रिटिश मंत्री मण्डल इसे वापिस नहीं लेगा न ही इसे बदलेगा । परन्तु जब हिन्दू और अस्पृश्य दोनों समझौता चाहेंगे तो इसके रूप में परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

---

5 स्रोत:- रस्तोगी एस०पी० द इम्पैक्ट आफ कन्स्टीट्यूशनल पोजीशन अप ऑन द अपलिफ्ट ऑफ हरिजन अप्रकाशित शोध ग्रन्थ एम० टी० एस० साऊ दिल्ली पेज 17, 18

(9)

साम्प्रदायिक अवार्ड में मुख्य बातें इस प्रकार थीं ।

(1) अल्प संख्यकों के लिये अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गयी । अल्पसंख्यकों के अन्तर्गत मुसलमान, सिक्ख तथा भारतीय ईसाई थे ।

(2) हरिजनों को भी एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय मानकर अलग निर्वाचन में रखा गया इसे हिन्दुओं से अलग कर दिया गया ।

(3) आसाम प्रान्तों को छोड़कर अन्य प्रान्तों में विधान मण्डलों में स्त्रियों के लिये तीन प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये ।

गांधी जी को साम्प्रदायिक निर्णय से गहरा दुख हुआ । जब 16 अगस्त 1932 को साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा हरिजनों को हिन्दुओं से अलग कर दिया गया तो 18 अगस्त को गांधी जी ने आमरण अनशन का निर्णय लिया । गांधी जी ने कहा, "हम नहीं चाहते कि हरिजनों को एक पृथक वर्ग की स्थिति प्रदान की जाये । गांधी जी ने 20 अगस्त को पूना जेल में आमरण अनशन आरम्भ कर दिया । 5 सितम्बर को एक नयी योजना तैयार की गयी । गांधी जी ने इसे स्वीकार करके आमरण अनशन समाप्त कर दिया । इसे पूना समझौता कहा गया । इस समझौते के अनुसार हरिजनों का पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया । परन्तु हरिजनों के लिये कुछ विशेष व्यवस्थायें की गयीं ।

(1) हरिजनों को साम्प्रदायिक निर्णय में दी गयी सीटों से सीटें प्रदान की गयी साम्प्रदायिक निर्णय ने उन्हें 71 सीटें दी थीं परन्तु अब उनके लिये 148 सीटें सुरक्षित कर दी गयी हैं ।

(2) केन्द्रीय विधान मण्डल में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी वहाँ 18 प्रतिशत सीटें उनके लिये सुरक्षित कर दी गयी ।

(3) इन स्थानों के लिए चुनाव दो भागों में होगा । सर्वप्रथम हरिजन ही सुरक्षित स्थानों के लिए 4 प्रत्याशी चुनेंगे तथा दूसरे दौर में हरिजन और सवर्ण मिलकर इनमें से एक का निर्वाचन करेंगे ।

(4) हरिजनों को स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

(5) हरिजनों की शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

... 10

महोदय क्या आप इन प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं -
इस प्रकार पूना समझौते के आधार पर हरिजनों व दलित वर्ग को विशेष स्थान प्राप्त हुआ तथा उन्हें कुछ जिम्मेदारियां मिली । इस समझौते से यह बात स्पष्ट हुई है कि सरकार हिन्दू समाज को दो भागों में बांटना चाहती है । गांधी जी चाहते थे कि हिन्दू एक रहे तथा पिछले व दलितों को अपनाया जाये ।

स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति :- भारतीय संविधान सभा के एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सलाह देने के लिए एक समिति सरदार बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में नियुक्त की गयी । इस समिति को अल्पसंख्यकों की समस्याओं का अध्ययन करके अपने सुझाव संविधान सभा को देने थे ताकि ये प्रावधान नये संविधान के अन्तर्गत जोड़े जा सकें ।

27 अगस्त 1947 को सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को दी । रिपोर्ट की प्रतियाँ को अल्पसंख्यकों के राजनीतिक संरक्षकों में बांटा गया 27 एवं 28 अगस्त को इस रिपोर्ट पर संविधान सभा में चर्चा हुई सभा ने रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यत: निम्न बातों की सिफारिस की थी ।

(1) अल्पसंख्यकों का विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व
(2) लोक सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण
(3) केबिनेट में अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण
(4) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को निश्चित करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था

समिति ने यह स्वीकार किया कि इस वर्ग से प्रतिनिधित्व हेतु अलग से निर्वाचन मण्डल का आधार भारतीय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के लिये एक बड़ी भूल है । फिर भी यह सिफारिस की गयी कि 10 वर्ष के लिए अल्पसंख्यकों को विधान परिषदों में स्थानों का आरक्षण दिया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो 10 वर्ष के बाद भी इसे चालू रखा जा सकता है । अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया । प्रथम समूह में उन जातियों को सम्मिलित किया गया जिनकी जन संख्या किसी भारतीय राज्य में कुल जनसंख्या की 5 प्रतिशत से कम थी । दूसरे समूह में उन जातियों को शामिल किया गया जिनकी संख्या किसी भारतीय राज्य की 5 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक थी इसमें भारतीय ईसाई तथा सिक्ख सम्मिलित किए गए । तीसरे समूह में मुस्लिम तथा

अनुसूचित जातियों को सम्मिलित किया गया । समिति ने सिफारिश की कि अनुसूचित जाति के लिये केन्द्रीय एवं राज्यों की विधान परिषदों में स्थानों के आरक्षण का आधार उनकी जनसंख्या होगी । आगे यह भी सिफारिश की गयी कि व्यवस्थापिका सभा में इस वर्ग के लिये कानून द्वारा आरक्षण न दिया जाये, यदि यह करने योग्य हुआ तो सर्व सम्मति से महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व को जोड़ दिया जाये । जब केन्द्र एवं राज्य लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ करे तो उन्हें चाहिए कि वे अल्पसंख्यकों के दावों को ध्यान में रखे । जिस समय व्यवस्थापिका सभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी । श्री के० एम० मुंशी ने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया कि अनुसूचित जाति एक कठोर शब्द है । अल्पसंख्यक अल्प संख्यक कौन है, क्या संघीय अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक निःसन्देह धार्मिक अल्पसंख्यक (व्यवस्थापिका) द्वारा यह भी निर्णय दिया गया कि यदि वे अल्पसंख्यक नहीं भी हो तो केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों में उनका आरक्षण का आधार उनकी जनसंख्या होगी । समिति ने यह भी सिफारिश की कि सर्वसम्मति से एक आयोग बैठाया जाना चाहिए जो पिछड़े वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर शोध करे, उन कठिनाइयों का भी पता लगाया जाये जो श्रमिक वर्ग के सामने हैं । यह भी सिफारिश की गयी कि संघीय सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके । राष्ट्रपति द्वारा अल्पसंख्यकों के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए । जो उनकी सुरक्षा से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति व राज्यपाल को दे । समिति की सिफारिशों को संविधान सभा द्वारा 27 एवं 28 अगस्त 1947 को स्वीकार कर लिया गया ।

संविधान सभा के इन निर्णयों को भारतीय संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 292 से 299 तक तथा 301 से भाग 14 में संविधान का निर्माण समिति ने सम्मिलित किये । सभा द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में लिये गये निर्णय संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 292, 294 में सम्मिलित किये गये ।

सदन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्यकी विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे । 25 अगस्त 1949 को विधान मंडल द्वारा यह नया उपबंध जोड़ा गया जिसके द्वारा अनुसूचित जाति

के लिये लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में 10 वर्ष के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए।

14 अक्टूबर 1949 को विधान मण्डल ने निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति के दावों के आधार पर तथा प्रशासन में उनकी क्षमता बनाये रखने के लिये सरकारी सेवाओं में केन्द्र तथा राज्यों में उनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये। [8]

यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जिसका कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जाति के लिये संविधान में उपलब्धित सभी रक्षोपायों से राष्ट्रपति को अवगत करायेगा। यह अधिकारी राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखेगा। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में संविधान में अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए कई रक्षोपायों की व्यवस्था की गई है।

संविधान की धारा 25 अगस्त 1949 को अनुसूचित जाति के लिए लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में जो स्थान सुरक्षित किए गए थे, उनकी अवधि 10 वर्ष रखी गई थी। इन 10 वर्षों की समाप्ति पर संविधान में आठवें संशोधन द्वारा 1960 में इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिये पुनः बढ़ा दिया गया था।

सन् 1969 में भारतीय संविधान में तेईसवाँ संशोधन कर संसद में तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति के दावों को पुनः दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार सन् 1980 में 45 वें संशोधन से अनुसूचित जाति के लोगों को पुनः एक बार 10 वर्षों के लिये संसद व विधान सभाओं में आरक्षण मिला।

सन् 1984 में तत्कालीन सरकार ने संविधान में 51 वें संशोधन किया इसके द्वारा धारा 330 में संशोधन कर संसद में मेघालय, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। धारा 332 में भी संशोधन कर इस प्रकार की व्यवस्था इन राज्यों की विधान सभाओं में की गई।

---

8. रस्तोगी एस० पी० प्रोत- द इम्पेक्ट आफ कान्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन आफ अप लिफ्ट आफ हरिजन अनुसूचित और जन जाति एन.सी.एस.एस.आर. दिल्ली पेज 26

संविधान के 64 वें संशोधन के द्वारा वर्ष 1990 में इस वर्ग के संसदीय तथा विधान सभाई प्रतिनिधित्व को 10 वर्षों के लिये पुनः बढ़ा दिया गया है।

गांधी जी एवं हरिजन :-

अंग्रेजों के भारत आगमन का उद्देश्य यहाँ व्यापार करना तथा अंग्रेजी सामान को भारत में खपाना था। जब अंग्रेज प्रथम बार भारत आये तो उन्होंने यहां सब नहीं पाया जो यहां उन्होंने सुना था। भारत आगमन पर अंग्रेजों ने देखा कि यहां पर भाई-भाई से पड़ोसी-पड़ोसी से तथा राजा-महाराजे एक दूसरे से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इस आपसी बैर का फायदा उठाया तथा उन्होंने अपनी नीति फूट डालो, राज्य करो को क्रियान्वित किया।

अंग्रेज भारत में न केवल हिन्दू को मुसलमान से, मुसलमान को हिन्दू से लड़ाना चाहते थे बल्कि वे तो भाई को भाई से भी लड़ाना चाहते थे। इस नीति के अन्तर्गत उन्होंने सर्वप्रथम भारत में हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाया तथा उनके बीच जाति सम्प्रदाय की खाई खोद दी है।

इस नीति के अन्तर्गत अंग्रेजों ने हिन्दू को हिन्दू से लड़ाना चाहा। इस हेतु उन्होंने हिन्दू जाति को कई भागों में बाँट दिया। अंग्रेज चाहते थे कि जिस प्रकार मुसलमान अपने को हिन्दू से पृथक तथा उनका दुश्मन मानते हैं उसी प्रकार अल्पसंख्यक तथा अछूत भी अपने को हिन्दू समाज में अलग तथा उन्हें अपना शत्रु मानें। इस कार्य हेतु अंग्रेजों ने समय-समय पर विभिन्न कार्य किये। मुस्लिम समुदाय के साथ इस वर्ग के लिये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर उन्होंने सम्प्रदायिकता को सम्पूर्ण हवा दी। साइमन कमीशन द्वारा इस वर्ग की अलग गणना की गई तथा इसे अनुसूचित जाति नाम दिया गया।

गांधी जी चाहते थे कि किसी प्रकार से इस वर्ग में चेतना आये तथा यह वर्ग समझे कि वे हिन्दू समुदाय का ही एक अंग है। अंग्रेज सरकार उन्हें हिन्दू समुदाय से अलग कराना चाहती है।

गांधी जी कहते रहे कि - "भाई आग्रह का रास्ता आत्मघाती है। अपना हित किसमें है यह तो समझ लो। हिन्दू मुसलमानों को अंग्रेज लड़ाने में कामयाब रहे तो यह झगड़ा यहीं रुकने वाला नहीं है हिन्दुस्तान में जितने भी धर्म सम्प्रदाय एवं जातियां है, सब को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहेंगे।"

अस्पृश्यता के बारे में वे कहते रहे कि - "इसके लिए न तो धर्मों

का आधार है न विवेक बुद्धि का जन्म के कारण किसी को नीचा मानना मानवता का द्रोह है। हिन्दू धर्म का यह अंग कभी नहीं हो सकता। यह हिन्दू धर्म पर लगा हुआ कलंक है। उसे तो धो ही डालना होगा।"[9]

गांधी जी यह समझते थे कि देश में अछूतों पर अत्याचार हो रहा है। तथा अछूत इसका विरोध नहीं कर पा हे हैं। उन्हें समाज में निम्नतम स्थान प्राप्त है। लोग उनके साथ खाना, पीना, बैठना तो ठीक उनकी छाया से भी बचना चाहते हैं। उन पर इसलिये अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि वे हिन्दू जाति का एक निम्नवत हिस्सा है। उन्होंने महसूस किया कि यह धर्म धर्म परिवर्तन कर जो ईसाई तथा मुस्लिम धर्म ग्रहण कर रहे हैं। उसका कारण उन पर होने वाला अत्याचार है। इसीलिये गांधी जी ने कहा था कि जब तक हिन्दू समुदाय छुआछूत का प्रश्रय देगा लोगों को हिन्दू समुदाय के बाहर जाने के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया। इस सम्मेलन में अंग्रेज सरकार चाहती थी कि साम्प्रदायिक समस्या हल न हो ताकि ये कहा जा सके कि जब तक सम्प्रदायिक समस्या हल नहीं होती किसी भी तरह के संविधान में सुधार नहीं किये जा सकते हैं।

इस सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि डॉ० अम्बेडकर थे जो अपनी मांगों पर अड़े रहे। गांधी जी का दावा था कि वे हिन्दू मुसलमानों पारसियों तथा अछूतों का कांग्रेस के ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परन्तु अम्बेडकर का मानना था कि गांधी जी केवल सवर्ण हिन्दुओं के प्रवक्ता हैं। इस प्रकार यह सम्मेलन बिना किसी ठोस निष्कर्ष के समाप्त हो गया।

इस सम्मेलन से गांधी जी ने एक बात समझी कि जो सरकार अभी तक मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन की बात कर रही थी। अब अछूतों के लिये पृथक निर्वाचन की योजना बनाने लगी थी। ताकि हिन्दू समाज भी दो भागों बंट जाये गांधी जी ने विरोध करते हुए इस वर्ग से पूछा "दुनिया के अन्त तक मुसलमान, मुसलमान ही रहना चाहते हैं, वैसे ही अनन्त काल तक क्या अछूत, अछूत ही रहना चाहेंगे"।

---

9. स्रोत- महात्मा गांधी एक जीवनी, रविन्द्र केलेकर करुणा शाही, यूनीवर्सल प्रेस सर्विस निमार्ति, मार्ग दिल्ली 1985 पेज 102

उन्होंने शपथ ली कि इस कुटिल चाल का मैं डटकर विरोध करूँगा। विरोध में मैं अकेला पड़ गया तो जान की बाजी लगाकर लड़ूँगा।

अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम में उन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि - "अस्पृश्यता बनी रहने से तो अच्छा है कि हिन्दू धर्म का अन्त हो जाये।" [10]

गाँधी जी ने अछूतों को "हरिजन" कहना शुरू किया वे कहते हैं कि जिसका कोई अभिभावक नहीं होता, उसका अभिभावक भगवान होता है। सभी धर्मों का यही कहना है। कहते हैं कि भगवान दीनों की मदद करता है, दुर्बलों की रक्षा करता है। अब बताइये भारत के चार करोड़ अछूतों के समान निःसंग असहाय और दुर्बल और कोई है। अगर किसी को भगवान की संतान कहा जा सकता है तो अछूत ही है। इसीलिये मैंने अछूतों के लिए "हरिजन" शब्द प्रयोग करने का निश्चय किया।

हरिजन उद्धार के कार्यक्रम को संगठित रूप देने के लिये उन्होंने हरिजन सेवक संघ नाम एक संस्था की स्थापना की। इस कार्य के लिये पच्चीस लाख रू० की निधि इकट्ठा करने की घोषणा की कार्यकर्ताओं से कहा कि दूर-दूर गाँवों में फैल जाओ। सवर्णों से कहा अछूतों से भाई जैसा व्यवहार करें। अछूतों से कहा तुम्हारे पाँव की बेड़ियाँ अब कट गयी हैं, स्वाभिमानी मानव की तरह अपने को पेश करो।

देश में बाईस सितम्बर से 2 अक्टूबर तक अस्पृश्यता निवारण सप्ताह मनाया गया। हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के कार्यक्रम को महत्व का कार्यक्रम माना गया।

फरवरी 1935 में गाँधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला अब वे हरिजन में अपनी प्रभावी कलम से कट्टरपंथी हिन्दुओं के तर्कों का खण्डन करने लगे। उन्होंने लिखा छुआछूत के रोग ने राष्ट्र की बुनियाद को कमजोर कर दिया है। हिन्दू धर्म यदि जीवित रहना चाहता है तो वह छुआछूत के विचार को जमीन में गाड़ दे। छुआछूत को जिन्दा रखकर हिन्दू धर्म जिन्दा नहीं रह सकता।

---

10. रविन्द्र केलकर, महात्मा गाँधी एक जीवनी, यूनीपब्लि, दिल्ली 1985पृष्ठ 102

हरिजनों के बारे में आम तौर पर यही शिकायत रहती थी, कि वे गन्दे हैं, मैला उठाते हैं, खाल निकालने का काम करते हैं, गांधी जी पूछते हैं कि गंदे कौन हैं ? जो गंदगी उठाते हैं वे या जो गंदगी करते है वे । क्या हर एक महिला अपने बच्चे का मैला नहीं उठाती, वह भंगी का काम करती है इसलिए उसे हम अछूत क्यों नहीं मानते ? और जो डाक्टरी विद्या सीखते हैं क्या वे मुर्दों की चीरफाड़ नहीं करते ? मैला उठाने तथा खाल निकालने का दोनों काम ऐसे हैं जो साफ सुथरा तथा वैज्ञानिक ढंग से किये जा सकते हैं । पर क्या हिन्दू समाज ने हरिजनों को साफ सुथरे रहने के लिए कोई सुविधा दी है ।

गांधी जी भंगी का काम भंगी से छीन लेना चाहते थे ताकि वे भी साफ सुथरे रह सकें, और दूसरी साफ सुथरी आदतें अपना सकें । गांधी जी ने इस उद्देश्य से एक आन्दोलन भी चलाया जो "भंगी-मुक्ति आन्दोलन" कहलाया ।

गांधी जी से प्रेरणा पाकर हजारों कार्यकर्ता गांवों में गये । अछूतों की बस्ती में रहने लगे उनके बच्चों को पढ़ाना बालिकाओं को साक्षर करना आदि कार्यक्रमों के साथ-साथ वे उनके रहन-सहन में साफ सुथरे पर लाने की कोशिश करने लगे । उन्होंने गंदगी ढोने का वैज्ञानिक तरीकों का विकास किया ।

छुआछूत की बीमारी युगों-युगों से चली आ रही थी । भगवान ने इसे मिटाने की कोशिश की कबीर नानक जैसे संतों ने भी इस पर प्रहार किये । आधुनिक काल में राजाराम मोहन राय से स्वयं गांधी जी ने इस बुराई को मिटाने के लिये प्रयत्न किया ।

गांधी जी जानते थे कि इस सदियों पुरानी समस्या को चुटकी बजाकर नहीं मिटाया जा सकता । एक समस्या यह भी कि अछूतों को अन्याय सहन करने की आदत सी पड़ गयी थी उनकी प्रवृति इस तरह की हो गयी थी । कि अन्याय उन्हें खलते नहीं थे ।

हिन्दू समाज की अन्तरात्मा को जगाने के लिये गांधी जी ने 8 मई 1933 को इक्कीस दिन का उपवास रखा । नमक सत्याग्रह के लिये जब वे आश्रम से निकले तो उन्होंने घोषणा की कि जब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा, मैं आश्रम में नहीं जाऊँगा । अतः साबरमती का आश्रम उन्होंने हरिजन सेवक संघ को सौंप दिया ।

7 नवम्बर 1933 को वे भारत दौरे पर निकले । इस दौरे का उद्देश्य छुआछूत के रोग को मिटाने के लिये लोगों को तैयार करना, दूसरे हरिजन कार्य के लिये धन जमा करना था । जहां पर भी वे गये लोगों को हरिजन कार्य का महत्व समझाने लगे । इस दौरे से गांधी जी ने आठ लाख रुपया एकत्र किया ।

गांधी जी के इस कार्य से सनातनी हिन्दू घबराये तथा वे गांधी जी के विरोधी बन गये । उनकी सभाओं में काले झण्डे दिखाये तथा धमकियां दी गईं ।

उनके इस अभियान के कारण अस्पृश्यता समाप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं कहता परन्तु इस प्रथा की जड़ें काफी हिल गईं । सबसे बड़ी बात यह हुई कि अस्पृश्यता के समर्थकों का नैतिक साहस टूट चुका था । सवर्णों के लिए जागृत हुए थे । और हरिजनों में भी चेतना बढ़ गयी थी ।

डा० भीमराव अम्बेडकर एवं दलित वर्ग :-
==========================

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में डा० भीमराव अम्बेडकर को सदैव याद किया जाता रहेगा । आपने अछूतों की दशा सुधारने के लिये वास्तविक प्रयत्न किया । उस वक्त भारत गोरी सरकार के शिकंजे में था । भारत में उनका एक छत्र राज्य था । अंग्रेज हिन्दुओं में इस छुआछूत रूपी बीज को डालकर "फूट डालो राज्य करो" की फसल को काट रहे थे । हिन्दू बंटे थे ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, चमार कोरी अर्थात इन भेद भावों की तुच्छ व निम्नी भेदभाव की दलदल में ।

प्रारम्भ में अम्बेडकर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, परन्तु संस्कृत के शिक्षक ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे अछूत थे। अध्यापक उनकी कापी तथा कलम तक नहीं छूते थे । उन्हें पूरे दिन स्कूल में प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि वे अछूत थे तथा वे वहां पानी नहीं पी सकते थें ।

1916 में पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वे स्वतंत्रता आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता बने तथा उन्होंने दलित वर्ग के उद्धार की ओर ध्यान दिया । उन्होंने हिन्दू समाज के इस कलंक छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष का बीड़ा उठाया । सन् 1920 में डा० अम्बेडकर ने "मूक नायक" पत्रिका का प्रकाशन कर अपने समाज की सोचनीय दशा का वर्णन किया । एक बार उन्होंने लिखा, -

"मैं अछूत हूँ, यह पाप है लोग अछूतों को पशुओं से भी गया बीता समझते हैं। वे कुत्ते,बिल्ली को छू सकते हैं, परन्तु महार जाति के लोगों को नहीं, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था ? किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊँच ? भगवान ने हर्गिज नहीं। वह ऐसा नहीं करता क्योंकि वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई तो मनुष्य न बनाई है और मैं इसे समाप्त करके ही रहूँगा।"

उन्होंने हिन्दू समाज व्यवस्था पर तीखे व्यंग किये, क्योंकि हिन्दू अंग्रेजों की पराधीनता रूपी पिंजड़े में पराधीन मैंटी की तरह फड़फड़ा रहे थे। डा० साहब ने हिन्दुओं को जगाते हुए उनमें चेतना रूपी प्रकाश भरकर कहा - "स्वतन्त्रता दान में मिलने वाली वस्तु नहीं है इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा"।

1927 में डा० अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम मराठी पत्रिका का प्रकाशन किया। शोषित समाज को अपना अस्तित्व व सम्मान दिलाने के लिये इस पत्रिका द्वारा इन्होंने इस वर्ग में जान डाली। उनकी इस गर्जना से समाज में उथल-पुथल मच गयी। उनकी इस समाजिक सेवाओं के सम्मानार्थ 1927 में उन्हें बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इस पद पर रहते हुए डाक्टर साहब ने शासन तथा जनता के समक्ष दलित समाज की अन्याय पूर्ण स्थिति को ध्वनित किया।

सामाजिक अछूतोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना कर बम्बई में सिद्धार्थ कालेज का प्रारम्भ तथा औरंगाबाद में मिलिन्द कालेज का पुनरोद्धार किया।

गोलमेज सम्मेलन में आपने अछूत वर्ग का प्रतिनिधित्व किया तथा अपनी आवाज को लंदन में भी ऊँचा किया। यद्यपि तीनों सम्मेलन असफल रहे परन्तु ब्रिटेन सरकार का ध्यान इस वर्ग की ओर आकर्षित कराने में आप पूर्ण सफल रहे।

इण्डिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कर अपने इस अभियान को आपने कानूनी एवं राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया इस पार्टी ने बम्बई विधान सभा का चुनाव लड़ा तथा 17 में से 15 स्थान प्राप्त किये। विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में अनेकानेक सुधारक कानून बनाकर समाज के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किये।

1942 में आपको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में श्रमिकों के प्रतिनिधि

के रूप में चुना गया । 1946 में बंगाल विधान सभा हेतु आपको चुना गया । जहाँ आपने भारत एक हो का नारा दिया । संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति का 1947 में आपको अध्यक्ष चुना गया । भारतीय संविधान सभा के निर्माण में आपका योगदान महत्वपूर्ण है । एतद् द्वारा आपको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाने लगा ।

स्वतंत्रता बाद वे पं० नेहरू की सरकार में कानून मंत्री बने परन्तु श्री नेहरू से मतभेद के कारण उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया । सरकार से अलग होने के पश्चात वे पूरी शक्ति से अछूतों की सेवा में लग गये । उनकी मान्यता थी कि इस धरा पर न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा तब छुआछूत और नफरत शब्द कहाँ से आये ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्होंने इस वर्ग हेतु सरकारी नौकरियाँ तथा विधान परिषदों में अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करवाई । यह व्यवस्था 20 जनवरी सन् 2000 तक (संविधान का 64 वाँ संशोधन) लागू रहेगी ।

जीवन के अन्तिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वे हिन्दू धर्म के विरोधी नहीं थे धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक है यह बात वे स्वयं मानते थे । उनकी लड़ाई हिन्दू धर्म से नहीं बल्कि लड़ाई तो छुआछूत तथा नफरत से थी ।

14 अप्रैल 1990 को इस महामानव को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं तथा दलित वर्ग के उद्धार हेतु किये गये प्रयासों के लिये भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया । [11]

वर्ष 1991 में इनका जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । ऐसे थे दलितों के उद्धारक "बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर" और उनके कृत्य ।

---

11. स्रोत:- पी० एस० रावत बंधु, प्रतियोगिता दर्पण उपकार आगरा मई 1990 अंक

विश्व की जनसंख्या :- सन् 1991की जनगणना के अनुसार विश्व की जन संख्या की 16 प्रतिशत जन संख्या भारत में निवास करती है । विश्व की जनसंख्या एक अरब पैंतीस अरब आँकी गई । विश्व में जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 1.1 A

देश/महाद्वीप	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
चीन	21.6
भारत	16.0
सोवियत संघ	5.5
संयुक्त राज्य अमेरिका	4.7
यूरोप	9.4
अफ्रीका	12.1
अन्य	30.7
योग	100.00

स्रोत- भारतीय जनगणना पुस्तिका, सीरीज 1, 1991 पेज 20

भारत में जन संख्या :- सन् 1901 से अब तक प्रत्येक दस वर्ष बाद भारत की जन गणना की जा रही है । भारतीय जनगणनाकी प्रगति लगातार बढ़ने की रही है । यद्यपि समय - समय पर जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के काफी प्रयास किये गये हैं । परन्तु भारत में इनका असर बहुत कम रहा है ।

वृद्धि दर 1901 से 1991 :- सन् 1901 से लेकर 1991 तक जनसंख्याकी वृद्धि दर निम्न प्रकार रही ।

सारणी क्रमांक 1.1 B

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1901	23.5 करोड़	-
1911	24.9	5.8
1921	24.9	-0.4
1931	27.6	11.0
1941	31.5	14.0
1951	37.5	13.4

Jhansi Distt In INDIA

1961	43.9	21.5
1971	54.7	24.8
1981	68.4	25.75
1991	84.39	23.5

स्रोत - सिन्हा वी0 सी0, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल नई दिल्ली, 1984 पेज 303

देश में 1971 से 1991 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश में रही । यह वृद्धि दर 1971 से 1981 के मध्य 16.661 तथा 1981 से 1991 के मध्य 17.37 प्रतिशत रही ।

सबसे कम वृद्धि दर सिक्किम में रही यहां 1971 से 1981 के मध्य यह दर 0.08 प्रतिशत तथा 1981 से 1991 के मध्य 0.05 प्रतिशत रही । स्वतन्त्रता के बाद भारत में सन् 1951 में प्रथम जनगणना की गई । स्वतंत्र देश की यह पहली जनगणना थी अतः इस कार्य हेतु भारत में जनगणना आयुक्त की स्थापना की गई । भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किये जाने से अनु0 जाति एवं जन जातियों को छोड़कर जाति धर्म व वर्ण आदि के संबंध में प्रश्न आदि पूछना छोड़ दिया गया

1961 की जन गणना भारत की दसवीं तथा स्वतंत्र भारत की दूसरी जनगणना थी यह जनगणना 10 फरवरी 1961 से 1 मार्च 1961 तक पूर्ण की गई । इस जनगणना में जम्मूकश्मीर तथा अन्य नफेलि एवरेस्टों को शामिल किया गया ।

इस जनगणना में दो प्रकार की पर्चियां प्रयोग की गई । परिवार पर्ची , व्यक्तिगत पर्ची ।

व्यक्तिगत पर्ची में अनु0 जाति तथा अनु0 जन जाति से संबंधित सूचनायें भी एकत्र की गई । सन् 1961 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 43.92 करोड़ आंकी गई । इस जनसंख्या में 22.63 करोड़ पुरुष तथा 21.29 करोड़ स्त्रियां थी । देश की 82 प्रतिशत जनसंख्या गांव में तथा 18 प्रतिशत शहर में रहती थी ।

1971 की जनगणना में चार प्रकार की सूचियों द्वारा सूचनायें एकत्र की गई प्रथम सूची गृह सूची थी इस सूची में गृह स्वामी का नाम मकान की स्थिति तथा यदि वह अनु0 जाति का है तो वह भी लिखा गया । इस गणना में खाली गृहों का विवरण तथा उनका कारण भी लिखा गया।

1971 की जनगणना की व्यक्तिगत पर्ची की ग्यारहवें प्रश्न में अनु0 जाति के सदस्यों का विवरण रखा गया।

भारतीय जनगणना 1971 के अनुसार भारत की जनसंख्या 53 करोड़ 35 लाख चौतीस हजार पांच सौ थी। इस जनसंख्या में सात करोड़ नब्बे लाख बानवे हजार आठ सौ इकतालीस सदस्य अनु0 जाति के थे। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में 14.82 प्रतिशत जन संख्या अनु0 जाति वर्ग की थी। अनु0 जाति वर्ग की जनसंख्या का 51.66 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में तथा 48.33 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। कुल पुरुषों में अनु0 जाति के पुरुषों का प्रतिशत 14.79 था। जबकि इस वर्ग की महिलाओं का कुल महिलाओं में प्रतिशत 14.86 था।

1961 की जनगणना में देश की कुल जनसंख्या 66करोड़ 52 लाख 87 हजार आठ सौ उनन्चास थी। इसमें 10,37,54,623 व्यक्ति अनु0 जाति के सदस्य थे। इस प्रकार इन दस वर्षों में 11,17,53,349 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 1981 की जनगणना मे अनु0 जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 15.75 हो गया था।

1981 की जनगणना में कुल महिलाओं में अनु0 जाति की महिलाओं का प्रतिशत 14.86 से बढ़कर 15.75 हो गया था। इस प्रकार 1971 से 1981 के मध्य के 10 वर्षों में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसमें कुल पुरुषों में 6,76,05,387 पुरुषों की वृद्धि हुई जबकि अनु0 जाति के पुरुषों में यह वृद्धि 1,33,43,550 रही इसी प्रकार जहां कुल महिलाओं में यह वृद्धि 6,41,57,962 महिलाओं की हुई वही अनु0 जाति की महिलाओं में यह वृद्धि 1,23,18,232 की रही।

स्वतंत्र भारत की चौथी जनगणना 1981 की थी। जो 1 फरवरी से 28 फरवरी 81 की अवधि में पूरी की गई। बेघर लोगों की गणना 28 फरवरी की रात कोठ की गई।

1981 की जन गणना में सूचनायें चार आधारों पर एकत्र की गई।
(क) मकान अनुसूची (ख) उद्यम अनुसूची (ग) व्यक्तिगत पर्ची (घ) परिवार अनुसूची।

परिवार अनुसूची का प्रयोग गांव शहर तथा कस्बों में गृहों तथा परिवार के बारे में सूचनायें प्राप्त करने के लिए किया गया। उद्यम अनुसूची के अन्तर्गत मकान नम्बर, उद्यम की कुल संख्या, उद्यम के कार्यकलाप का विवरण

संकाय का स्वरूप, स्वामी का सामाजिक वर्ग, कार्य कलाप के लिये प्रयुक्त ईंधन शक्ति तथा कार्यरत व्यक्तियों की संख्या आदि लिखी गयी है ।

व्यक्ति गत पर्ची में पूर्व जनगणना की भाँति व्यक्ति के बारे में सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक जनांकिकी सूचनायें एकत्र करने के उद्देश्य से इस पर्ची का प्रयोग किया गया । व्यक्तिगत पर्ची के अन्दर 16 प्रश्न सम्मिलित किये हैं । ।1। नाम, ।2।परिवार के मुखिया से संबंध ।3। लिंग, ।4। आयु , ।5। वैवाहिक स्थिति ।6।मातृभाषा, ।7। दो अन्य भाषायें जिनका ज्ञान हो ।8। धर्म ।9। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति ।10। साक्षरता, ।11। शैक्षणिक स्थिती ।12। स्कूल कालेज जाते हैं ।13। काम करने वाले पूर्व ।14। मुख्य काम गौण काम ।15। कार्य की खोज या कार्य के इच्छुक ।

परि परिवार अनुसूची 1981 की जनगणना में परिवार का प्रकार, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का धर्म, क्या परिवार अनुसूचित जाति का है यदि हो तो जाति का नाम, परिवार में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा तथा मकान में क्या सामग्री लगी है इस सम्बन्ध में प्रश्न किये गये ।

इस प्रकार 1981 की जनगणना में अन्य बातों के अलावा देश में अनु०सू० जाति तथा जन जाति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न किये गये ।

सारणी क्रमांक - 1.2

जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन

विवरण	1961	1971	1981	1991
कुल जनसंख्या ।करोड़ में।	43.92	54.79	68.38	84.39
अनु०जाति जनसंख्या।करोड़ में।	5.75	7.90	10.47	-
कुल पुरूष	22.63	28.39	35.34	-
अनु० जाति पुरूष	2.93	4.13	5.42	-
कुल स्त्रियाँ	21.29	26.40	33.04	-
अनु० जाति स्त्रियाँ	2.83	3.86	5.05	-
ग्रामीण जनसंख्या कुल	35.98	43.89	76.7	-
अनु० जाति	5.76	7.04	8.79	-

शहरी जनसंख्या कुल (करोड़ में)	7.88	10.90	23.8	-
अनु0जाति	-	0.95	16.75	-
कुल जनसंख्या में अनु0 जाति का प्रतिशत	10.7	14.82	15.75	-
दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि कुल प्रतिशत	21.64	24.80	24.75	23.50
अनु0 जाति वृद्धि प्रतिशत	-	13.9	13.0	-
प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियां	941	930	935	929
अनु0 जाति	966	935	932	-
साक्षरता कुल प्रतिशत	24.03	29.46	36.17	52.11
अनु0 जाति	10.27	14.67	21.37	-
पुरुषों में कुल प्रतिशत	34.44	39.45	46.74	63.86
अनु0 जाति	16.96	22.36	31.11	-
स्त्रियों में कुल प्रतिशत	12.95	18.72	24.88	39.42
अनु0 जाति प्रतिशत	3.29	6.44	10.93	-
जन्मदर अनु0 जाति	41.7	39.9	30.9	27.5
मृत्युदर	22.8	18.1	14.8	9.4
घनत्व प्रति किलोमीटर	138	178	211	267
जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)	42	48	53	-
पुरुष	41.9	47.0	54.0	-
स्त्रियां	40.60	45.60	53.0	-

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 14.67 प्रतिशत अनु0 जाति वर्ग की जनसंख्या थी । इसी जनगणना में यह पाया गया कि इस वर्ग की मात्र 10.7 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती थी । शेष जनसंख्या ग्रामीण थी ।

इस वर्ग की जनसंख्या में मात्र 10.27 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी । इसमें 16.96 प्रतिशत पुरुष तथा मात्रतथा 3.29 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित थीं । ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल 8.89 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी । इसमें 15.06 प्रतिशत पुरुष

तथा 2.52 प्रतिशत महिलायें थीं । इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में 21.81 प्रतिशत इस वर्ग की जनसंख्या साक्षर थी । शहरी अनु0 जाति वर्ग के 32.27 प्रतिशत पुरुष तथा 10.04 प्रतिशत महिलायें साक्षर थीं ।

इसी प्रकार सन् 1961 की गणनानुसार इस वर्ग जनसंख्या की 47.66 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक वर्ग की तथा शेष 52.34 प्रतिशत जनसंख्या अश्रमिक वर्ग की है । श्रमिक वर्ग की जनसंख्या में 59.23 प्रतिशत पुरुष तथा 34.35 प्रतिशत महिलायें थीं । इस वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या में 59.98 प्रतिशत पुरुष तथा 35.86 प्रतिशत महिलायें तथा शहरी क्षेत्र में 53.24 प्रतिशत पुरुष एवं 21.07 प्रतिशत महिलायें श्रमिक वर्ग की थीं ।

ग्रामीण क्षेत्र में 51.87 प्रतिशत जनसंख्या 140.02 प्रतिशत पुरुष तथा 64.14 प्रतिशत महिलायें । अश्रमिक वर्ग की थी । इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 61.85 प्रतिशत जनसंख्या 146.76 प्रतिशत पुरुष तथा 78.93 प्रतिशत महिलायें । अश्रमिक थीं ।

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनसंख्या के कुल 5,75,47,669 व्यक्ति रहते थे कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 89,3 था । इसमें 2,92,70,115 पुरुष तथा 2,82,77,554 स्त्रियां थीं ।

इस जनसंख्या में श्रमिक वर्ग में 1,75,56,627 पुरुष तथा 1,01,48,752 स्त्रियां थीं । इस संख्या में 59,88 प्रतिशत पुरुष तथा 35.86 प्रतिशत स्त्रियां श्रमिक वर्ग की थी । 1961 की जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्र में अनु0 जाति के 59.98 प्रतिश पुरुष श्रमिक थे । इन श्रमिकों में 25.98 प्रतिशत कृषक 19.42 प्रतिशत पुरुष कृषि श्रमिक तथा 2.57 प्रतिशत पुरुष शिकार, मछली पालन खनन, पौधशाला आदि में लगे थे । 4.05 प्रतिशत पुरुष गृह उद्योग में 0.94 प्रतिशत पुरुष अन्य उद्योग ।गृह उद्योग के अलावा । में 0.55 प्रतिशत पुरुष निर्माण में, 0.49 प्रतिशत पुरुष व्यापार में, 0.36 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट एवं संचार में तथा 6.19 प्रतिशत पुरुष अन्य सेवाओं में थे । इसके अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत पुरुष मरे पशु उठाने तथा खाल निकालने में लगे थे ।

इसी प्रकार अनु0 जाति की ग्रामीण महिलाओं में कुल 35.86 प्रतिशत महिलायें श्रमिक वर्ग की थी । इन महिलाओं में 13.06 प्रतिशत कृषक, 15.95

प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 0.60 प्रतिशत महिलायें शिकार, मछली पालन, लकड़ी पाठशाला आदि कार्यों में लगी थी । इन महिलाओं में 2.09 प्रतिशत महिलायें गृह उद्योग, 0.29 प्रतिशत अन्य निर्माण उद्योग, 0.10 प्रतिशत निर्माण0 0.19 प्रतिशत महिलायें व्यापार, 0.01 प्रतिशत महिलायें ट्रांसपोर्ट एवं संचार तथा 3.55 प्रतिशत महिलायें अन्य कार्यों में लगी थी । इनके अतिरिक्त 0.11 प्रतिशत महिलायें मरे पशु उठाने में तथा इनकी खाल निकालने में लगी थी ।

सन् 1961 की ही गणनानुसार शहरी क्षेत्र में इस वर्ग के 86,69,697 व्यक्ति थे इनमें 36,47,319 पुरुष तथा 32,22,378 स्त्रियां थी ।

शहरी क्षेत्र में 53.23 प्रतिशत पुरुष तथा 21.06 प्रतिशत महिलायें श्रमिक वर्ग की थीं ।

पुरुष श्रमिकों में 2.82 प्रतिशत कृषक 3.72 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 2.36 प्रतिशत पुरुष खनन, जंगली लकड़ी, मछली पालन आदि में लगे थे इनके अतिरिक्त 3.89 प्रतिशत गृह उद्योग 11.37 प्रतिशत अन्य निर्माण गृह उद्योग के के अतिरिक्त 3.08 प्रतिशत पुरुष निर्माण कार्य में संलग्न थे । व्यापार में 3.18 प्रतिशत यातायात एवं संचार में 4.70 प्रतिशत तथा 18.14 प्रतिशत पुरुष अन्य सेवाओं में लगे थे । कुल अनु0 जाति पुरुष वर्ग की जनसंख्या का 46.76 प्रतिशत पुरुष वर्ग आश्रित थे । 1.35 प्रतिशत पुरुष मरे पशु उठाने तथा उनकी खाल आदि निकालने के व्यवसाय में लगे थे ।

शहरी क्षेत्र में स्त्री श्रमिकों में 1.48 प्रतिशत कृषक, 3.73 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 0.89 प्रतिशत महिलायें खनन, पाठशाला आदि में लगे थे । इसके अतिरिक्त 2.19 प्रतिशत स्त्रियां गृह उद्योग में, 0.86 प्रतिशत अन्य निर्माण में गृह उद्योग के अतिरिक्त। 0.98 प्रतिशत व्यापार में 0.23 प्रतिशत यातायात एवं संचार में तथा 8.95 प्रतिशत महिलायें अन्य सेवाओं में संलग्न थी । 78.93 प्रतिशत महिलायें आश्रित थी । इनके अतिरिक्त 0.26 प्रतिशत महिलायें मरे पशु उठाने तथा इनकी खाल निकालने के काम में संलग्न थी ।

तालिका क्रमांक - 1.3

भारत की जनसंख्या 1961

कुल 43,86,08,104 अनुसूचित जाति

	अनुसूचित जाति		
	कुल	पुरुष	स्त्री
	6,45,11,313	3,29,63,779	3,15,47,534

प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियां

कुल	941
ग्रामीण	963
शहरी	845

भारत कुल जनसंख्या में	व्यक्तित	पुरुष	स्त्री
कुल	43,92,35,082	22,62,93,620	21,29,41,462
अनु० जाति		3.29.63,779	3,15,47,534
शिक्षित		7,78,28,163	2,75,05,118
कुल श्रमिक I I-I x I		12,90,15,653	5,94,01,709
कृषक		6,64,06,765	3,31,03,198
कृषि मजदूर		1,73,11,474	1,41,70,831
खनन, ओपनिंग लिव स्टाक, फोरस्ट्री			
मछली शिकार, पौधशाला अन्य		40.03.058	11,87,241
गृह उद्योग		73,65,650	46,65,437
अन्य निर्माण गृह उद्योग के अतिरिक्त		71,68,015	7,88,599
निर्माण		1812,830	2,42,610
व्यापार		68,24,799	8,15,246
यातायात		29.38.441	64,749
अन्य सेवायें		1,51,84,621	43,65,789
आश्रित		9,68,27,914	15,30,64,975

स्रोत :- फाइनल जनगणना पुस्तिका 1962 भारत सरकार

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना 54.19 करोड़ आंकलित की गयी । इस जनसंख्या 14.60 प्रतिशत जनसंख्या अनु० जाति वर्ग की थी । इस जनसंख्या में 14.58 प्रतिशत पुरुष तथा 14.66 प्रतिशत महिलायें थीं ।

कुल ग्रामीण जनसंख्या में 16.05 प्रतिशत जनसंख्या अनु0 जाति की थी । इसमें 16.10 प्रतिशत पुरुष तथा 16.00 प्रतिशत महिलायें थी । 1971 की जनगणना के अनुसार कुल अनु0 जाति की 88.06 प्रतिशत जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र में तथा 11.94 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती थी ।

जनगणना के अनुसार 1971 में देश में 7,99,95,896 व्यक्ति थे । इनमें 4,13,38,035 पुरुष तथा 3,86,57,861 स्त्रियाँ थीं । इनमें 7,04,42,368 व्यक्ति गाँव में निवास कर रहे थे तथा 95,54,508 व्यक्ति शहरी क्षेत्र के निवासी थे । गांव में 3,62,61,548 पुरुष तथा 3,41,79,840 महिलायें एवं शहरों में 50,78,487 पुरुष तथा44,78,021 महिलायें इस वर्ग की थी ।

सारणी क्रमांक -1.4

1971 की जनगणना

	कुल जनसंख्या । करोड़ में ।			अनु0जाति जनसंख्या । करोड़ में ।		
	व्यक्ति	पु0	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
कुल	54.794	28.393	36.401	7.9995	4.1338	3.865
ग्रामीण	43.885	22.521	21.363	7.0442	3.6261	3.417
शहरी	10.909	5.871	5.037	0.9554	0.5078	4.478

स्रोत :- भारतीय जनगणना 1971 सीरीज । पार्ट बी0ए0 ।।। पेज xx-xxx

1971 की जनगणना के समय देश में कुल साक्षरता 29.46 प्रतिशत थी । इस जनसंख्या में 39.45 प्रतिशत पुरुष तथा 18.72 प्रतिशत महिलायें थीं । देश में अनु0 जाति के मध्य साक्षरता 14.67 प्रतिशत थी । इसमें 22.36 प्रतिशत पुरुष तथा 6.44 प्रतिशत महिलायें साक्षर थीं ।

अनुसूचित जाति के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का 12.77 प्रतिशत था । इसमें 20.04 प्रतिशत पुरुष तथा 5.06 प्रतिशत महिलायें साक्षर थीं । इसके विपरीत नगरीये क्षेत्र में साक्षरता 28.65 प्रतिशत थी इसमें 38.93 प्रतिशत पुरुष तथा 16.99 प्रतिशत महिलायें साक्षर की श्रेणी में थीं ।

भारतीय जनगणना सीरीज प्रथम पार्ट बी.ए. ।।। पेज 38 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति वर्ग की 36.34 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक वर्ग की थी । इस

जनसंख्या में इस वर्ग के 54.06 प्रतिशत पुरुष तथा 17.39 प्रतिशत महिलायें श्रमिक वर्ग की थी। इसके विपरीत 45.94 प्रतिशत पुरुष तथा 82.61 प्रतिशत महिलाओं सहित 63.66 प्रतिशत जनसंख्या अश्रमिक वर्ग की थी।

ग्रामीण क्षेत्र में 49.94 प्रतिशत पुरुष तथा 18.01 प्रतिशत महिलाओं सहित 37.02 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक थी। जबकि 45.06 प्रतिशत पुरुषो एवं 81.99 प्रतिशत महलाओं सहित इस वर्ग की 62.98 प्रतिशत जनसंख्या अश्रमिक थी

नगरीय क्षेत्र में पुरुषो तथा महिलाओं का प्रतिशत श्रमिक वर्ग में क्रमशः 47.73 एवं 12.62 सहित 37.27 एवं अश्रमिक वर्ग का प्रतिशत क्रमशः 52.27 एवं 87.38 सहित 68.73 था।

भारतीय जनगणना 1971 सीरीज फस्ट पार्ट बी०ए० III के अनुसार भारत में कुल मुख्य श्रमिक, अनुसूचित जाति वर्ग के 2,90,71,323 श्रमिक थे। इन श्रमिको में 1,99,25,730 पुरुष तथा 61,56,948 स्त्री ग्रामीण क्षेत्र के तथा 565404 स्त्रियाँ सहित 24,23,241 पुरुष नगरीय क्षेत्र के थे।

अनुसूचित जाति वर्ग की 32 प्रतिशत पुरुषो एवं 14.1 प्रतिशत महिलाओं सहित 27.9 प्रतिशत जनसंख्या कृषक 51.8 प्रतिशत जनसंख्या। 45.8 प्रतिशत पुरुष तथा 71.6 प्रतिशत स्त्रियाँ। कृषि श्रमिक थी। 1.8 प्रतिशत महिलायें तथा 23 प्रतिशत पुरुषों सहित इस वर्ग की 2.2 प्रतिशत जनसंख्या मछली पालन शिकार, जंगल आदि पर निर्भर थी। 0.6 प्रतिशत जनसंख्या खान निर्माण सेवा आदि पर निर्भर थी।

जनगणना 1971 के अनुसार अनुसूचित जाति की 3.3 प्रतिशत जनसंख्या गृह उद्योग में लगी थी। इसमें 3.4 प्रतिशत पुरुष तथा 3.0 प्रतिशत महिलायें थी। इनके अतिरिक्त 3.6 प्रतिशत जनसंख्या, 4.0 प्रतिशत पुरुष तथा 2.0 प्रतिशत महिलायें अन्य उद्योग पर निर्भर थी। इस वर्ग की 1.3 प्रतिशत जनसंख्या व्यापार में लगी थी जबकि 1.7 प्रतिशत जनसंख्या परिवहन एवं संचार में संलग्न थी। इन सबके अतिरिक्त इस वर्ग की 6.8 प्रतिशत पुरुष तथा 5.2 प्रतिशत महिला जनसंख्या सहित, 6.4 प्रतिशत जनसंख्या अन्य सेवाओं में लगी थी।

1981 की जनगणना में अनुसूचित जाति की स्थिति:- 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,99,68,270 अनुसूचित जाति के परिवार थे। इनमें

5,42,10,594 पुरुष तथा 5,05,44,029 महिलाओं सहित 10,47,54,623 व्यक्ति निवास कर रहे थे ।

ग्रामीण क्षेत्र में 16832351 परिवारों में 4,53,54,781 पुरुष तथा 4,26,42,211 महिलाओं सहित कुल 1,68,32,351 सदस्य थे ।

शहरी क्षेत्र में 31,53,919 परिवारों में 88,55,813 पुरुष तथा 79,01,818 महिलाओं सहित 1,67,57,631 अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य निवास कर रहे थे । 1981 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में था ।

जनगणना के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 1,67,88,915 थी । इसमें 45,11,708 व्यक्ति अनु0जाति के थे, इस प्रकार पंजाब की कुल जनसंख्या का 26.87 प्रतिशत जनसंख्या अनु0जाति वर्ग की थी ।

पंजाब की अनु0जाति वर्ग की जनसंख्या में 53.53 पुरुष तथा 46.45 प्रतिशत महिलायें थी । इस प्रकार प्रति हजार पुरुषो के पीछे 867 महिलायें थी । 1971 से 1981 के मध्य पंजाब में कुल जनसंख्या वृद्धि 11.5 प्रतिशत रही तथा अनु0 जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 13.4 प्रतिशत रही । यह जनसंख्या वृद्धि पुरुषो के बीच 13.5 प्रतिशत तथा महिलाओं के बीच 11.5 प्रतिशत रही ।

देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जाति के परिवार उ0प्र0 में निवास करते हैं । उ0प्र0 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हैं । देश की कुल 21.16 प्रतिशत अनु0जाति की जनसंख्या उ0प्र0 में निवास करती हैं । अर्थात देश का हर पांचवा व्यक्ति जो अनु0जाति वर्ग का है उ0प्र0 में निवास करता हैं ।

1971 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 83 लाख 41 हजार एक सौ चवालीस थी । इसमें 1 करोड़ 85 लाख 48 हजार 916 व्यक्ति अनु0जाति के थे । 1971 की जनगणना में 21 प्रतिशत जनसंख्या अनु0जाति वर्ग की थी ।

1981 की जनगणना से पता चलता है कि उ0प्र0 की कुल जनसंख्या 11 करोड़ 8 लाख 62 हजार तेरह थी । इस जनसंख्या में 2 करोड़ 34 लाख 53 हजार 339 व्यक्ति अनु0जाति वर्ग के थे । उ0प्र0 में 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषो के पीछे 884 स्त्रियां थी । अनु0जाति वर्ग में प्रति हजार पुरुषों के

बीच 891 स्त्रियां थी ।

1971 से 1981 की बीच उ0प्र0 में कुल जनसंख्या वृद्धि 12.5 प्रतिशत रही जबकि अनु0जाति वर्ग के पुरुषों की बीच यह वृद्धि 12.6 प्रतिशत रही । प्रदेश में अनु0जाति के पुरुषों के बीच जनसंख्या वृद्धि 12.6 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं के बीच जनसंख्या वृद्धि 12.6 रही ।

भारत में सबसे कम अनु0जाति वर्ग की जनसंख्या मेघालय में है जहां कुल जनसंख्या की 0.41 प्रतिशत जनसंख्या अनु0जाति वर्ग की है । यहां पर प्रदेश में कुल इस वर्ग में 3068 । 55.86 प्रतिशत । पुरुष तथा 2424 । 44.13 प्रतिशत । महिलायें हैं । प्रदेश में कुल अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 5492 हैं ।

सारणी क्रमांक 1.5

विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति

। अनु0जाति वर्ग का कुल जनसंख्या में प्रतिशत ।

विवरण	1981 व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	1971 व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
भारत	15.75	15.16	15.13	14.82	14.79	14.86
आंध्र	14.87	14.90	14.84	13.27	13.30	13.25
बिहार	14.51	14.36	14.67	14.11	13.92	14.31
गुजरात	7.15	7.15	7.15	6.84	6.78	6.90
हरियाणा	19.07	19.13	18.99	18.89	18.85	18.94
हिमांचल	24.62	24.79	24.44	22.24	22.34	22.14
जम्मूएवं क0	8.31	8.13	8.45	8.26	8.06	8.48
कर्नाटक	15.07	15.03	15.11	13.14	13.14	13.14
केरल	10.02	10.66	9.97	8.30	8.32	8.28
मध्य प्रदेश	14.10	14.16	14.04	13.09	13.10	13.09
महाराष्ट्र	7.14	7.09	7.18	6.00	5.95	6.06
मणिपुर	1.25	1.26	1.24	1.53	1.58	1.47
मेघालय	0.41	0.45	0.37	0.38	0.39	0.87
नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध6	अनुपलब्ध
उड़ीसा	14.66	14.61	14.71	15.09	15.09	15.13
पंजाब	26.87	27.03	26.69	24.71	24.82	24.58

राजस्थान	17.04	17.10	16.98	15.82	15.79	15.85
सिक्किम	5.78	5.54	6.06	4.53	4.58	4.47
तमिलनाडु	18.35	18.32	18.38	17.76	17.70	17.92
त्रिपुरा	15.12	15.15	15.09	12.39	12.41	12.37
उ0 प्र0	21.16	21.08	21.24	21.00	20.81	21.21
प0 बंगाल	21.99	21.82	22.17	19.9	19.52	20.31
केन्द्र शासित प्रदेश						
अंडमान नि0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अरुणांचल	0.46	0.54	0.37	0.07	0.07	0.07
चंडीगढ़	14.09	14.14	14.02	11.30	11.38	11.19
दादरा व नगर हवेली	1.97	1.82	2.12	1.80	1.58	2.01
देहली	18.03	17.98	18.09	16.64	15.64	15.63
गोवा दमन दीप	2.16	2.15	2.16	1.93	1.93	1.92

भारत में कुल जनसंख्या में अनु0जाति की जनसंख्या

सारणी क्रमांक 1.6

भारत व्य॰स्त्री पुरुष	1971 कुल जनसंख्या	अनु0जाति जनसंख्या	प्रतिशत	1981 कुल जनसंख्या	अनु0जाति जनसंख्या	प्रतिशत
कुल	53,35,34,500	7,90,92,881	14.82	66,52,67849	104754623	15[illegible]
पु0	27,63,35,036	4,08,67,044	14.79	34,39,30,423	554210594	[illegible]
स्त्री	25,71,99,464	3,82,25,797	14.86	32,13,57,426	50544029	15.7[illegible]

स्रोत- भारतीय जनगणना पुस्तिका पार्ट II बी IIII 1981 पेज IxxIIII IxIxI

सम्पूर्ण भारत सहित जब हम विभिन्न राज्यों में अनु0 जाति की जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन करते हैं तो यह बात ध्यान में आती है कि सम्पूर्ण भारत

में 1971 से 1981 के दस वर्षों के बीच इस वर्ग की जनसंख्या में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1971 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनु0 जाति वर्ग का प्रतिशत 14.82 था। यह प्रतिशत सर्वाधिक पंजाब का रहा, यहाँ कुल जनसंख्या प्रतिशत 24.71 था। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रतिशत पुनः पंजाब का रहा, यहाँ कुल जनसंख्या की 26.87 प्रतिशत जनसंख्या अनु0 जाति वर्ग की थी म इन दस वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि सिक्किम में 19.23 प्रतिशत रही। जबकि न्यूनतम वृद्धि मणिपुर में 10.8 प्रतिशत रही।

1971 में देश में कुल जनसंख्या में 14.82 प्रतिशत जनसंख्या अनु0 जाति वर्ग की थी। अगली जनगणना में इस वर्ग का प्रतिशत बढ़कर 15.75 हो गया। इस प्रकार दो जनगणनाओं के मध्य इस वर्ग का कुल जनसंख्या में हिस्सा 0.93 प्रतिशत बढ़ा है।

1971 में इसी प्रकार देश में कुल पुरुषों में अनु0 जाति के 14.79 प्रतिशत पुरुष थे। जबकि 1981 में कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत बढ़कर 15.76 हो गया था।

स्त्रियों में दोनों जनगणनाओं के बीच 14.86 से 15.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

साक्षरता :- जनगणना 1981 के अनुसार देश में अनु0जाति वर्ग के कुल 2,29,33,308 सदस्यों में 75.32 प्रतिशत पुरुष तथा 24.67 प्रतिशत महिलायें साक्षर थीं।

ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ग के साक्षरों में 77.85 प्रतिशत पुरुष तथा 22.14 प्रतिशत महिलायें साक्षर थी। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में 68.64 प्रतिशत पुरुष तथा 31.35 प्रतिश त महिलायें पढ़ने लिखने में सक्षम थीं।

स्त्री पुरुष अनुपात :- भारत में 1981 की जनगणना में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 934 स्त्रियां थीं जबकि प्रति हजार अनु0 जाति के पुरुषों के पीछे 938 स्त्रियां इस वर्ग की थीं।

देश में प्रति हजार मूल श्रमिकों के पीछे 327 स्त्रियां थीं। कृषि में 164 कृषि श्रमिकों में 533 तथा गृह उद्योग एवं निर्माण कार्य में अथवा सेवा कार्य में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 371 स्त्रियां थीं। देश में प्रति हजार अनु0 जाति के पुरुषों के पीछे 175 स्त्रियां ऐसी थीं उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में

तारणी क्रमांक - 1.7

नाम	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र
मूल श्रमिक	346	219
कृषि श्रमिक	534	508
कृषक	165	142
गृहणी, उद्योग, उत्पादन, सेवा	375	352
अन्य व्यवसाय	181	169

स्रोत :- भारतीय जनगणना 1981 पार्ट II बी III पेज xxxxvII

जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियाँ थीं, वहीं शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या 892 थी 1981 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 1022 स्त्रियाँ थी, केरल में ग्रामीण क्षेत्र में 1023 स्त्रियाँ थीं, केरल में ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में 1917 स्त्रियों का प्रति हजार पुरुषों से अनुपात था यह अनुपात भारत में सर्वाधिक है।

स्त्री पुरुष का न्यूनतम अनुपात मेघालय में था जहाँ प्रति हजार पुरुषों के पीछे 790 स्त्रियाँ थी। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 852 स्त्रियाँ तथा नगरीय क्षेत्र में 723 स्त्रियाँ थीं।

उ0 प्र0 में प्रति हजार अनु0 जाति के पुरुषों के पीछे 892 स्त्रियाँ इस वर्ग की थीं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार अनु0 जाति पुरुषों के पीछे 898 स्त्रियाँ थीं जबकि शहरी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या 844 थी।

उत्तर प्रदेश में अनु0 जाति के 1000 पुरुषों के पीछे क्रमशः 157 मुख्य श्रमिक, 88 कृषि कार्य में, 297 कृषि श्रमिक, 182 गृह उद्योग, उत्पादन, सेवाओं तथा मरम्मत आदि कार्यों में तथा 96 स्त्रियाँ अन्य कार्यों में लगीं थीं।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 163 मुख्य श्रमिक 88 कृषक, 304 कृषि श्रमिक, 185 गृह उद्योग, तथा 103 स्त्रियाँ अन्य क्षेत्रों में लगीं थीं। शहरी क्षेत्र में अनु0 जाति वर्ग की प्रति हजार पुरुषों के पीछे क्रमशः 101 मुख्य श्रमिक, 60 कृषक, 150 कृषि श्रमिक, 173 गृह उद्योग निर्माण सेवा तथा 89 महिलायें अन्य कार्यों में लगीं थीं।

<u>ग्रामीण एवं नगरीय वितरण :-</u> सन् 1981 की जनगणना के अनुसार भारतीय

जनसंख्या में 15.75 प्रतिशत व्यक्ति अनु0 जाति वर्ग के थे । भारत में अनु0 जाति वर्ग की 284 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है । जिसमें 83.56 प्रतिशत प्रतिशत पुरुष तथा 84.87 प्रतिशत महिलायें हैं । इसके विपरीत 16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती ह । कुल अनु0 जाति की 15.63 प्रतिशत महिलायें तथा 16.34 प्रतिशत पुरुष शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं ।

भारतीय प्रदेशों में सबसे अधिक अनु0 जाति वर्ग की जनसंख्या हिमांचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवार करती है । हिमांचलप्रदेश मेंप्रदेश की कुल अनु0 जाति जनसंख्या की 90.04 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है । प्रदेश में कुल अनु0 जाति वर्ग की पुरुषों की संख्या का 94.27 प्रतिशत पुरुष तथा 95.02 प्रतिश महिलायों ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं ।

इसके विपरीत कुल प्रदेश की अनु0 जाति वर्ग की जनसंख्या की 5.36 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है । शहरी क्षेत्र में प्रदेश के कुल अनु0 जाति वर्ग की क्रमशः 5.73 एवं 4.98 प्रतिशत पुरुष एवं महिलायें शहरी क्षेत्र में निवास करतीं हैं ।

देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कुल अनु0 जाति की 91.52 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। प्रदेश में इस वर्ग के 91.05 प्रतिशत पुरुष तथा 92.60 प्रतिशत महिलायें ग्रामीण क्षेत्र में निवास करतीं हैं ।

सारणी क्रमांक - 1.8

ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की सापेक्ष वृद्धि

	जनसंख्या लाखों में		प्रतिशत		नगर/ग्राम
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	नगरीय	जनसंख्या अनुपात
1901	2100	260	89.0	11.0	1:82
1911	2260	260	89.7	10.3	1:87
1921	2230	280	88.8	11.2	1:85
1931	2450	340	87.8	12.2	1:72
1941	2740	450	85.9	14.1	1:62
1951	2990	620	82.8	27.2	1:48
1961	3600	790	82.0	18.0	1:46

1971	4380	1090	80.1	19.9	1:40
1981	5200	1600	76.7	23.3	-
1991	-	--	-	-	-

स्रोत - सिन्हा वी0 सी0, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल दिल्ली 1984, पेज 306

बिहार में अनु0 जाति वर्ग की केवल 8.48 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, इसमें 8.94 प्रतिशत पुरुष तथा 8.00 प्रतिशत महिलायें निवास करतीं हैं। ।

1981 की जनगणनानुसार उत्तरप्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां कुल प्रादेशिक अनु0 जाति की 89.54 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है इस संख्या में प्रदेश की इस वर्ग की 89.85 प्रतिशत महिलायें तथा 89.27 प्रतिशत पुरुष हैं। इसके विपरीत इस वर्ग की 10.46 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। प्रदेश में इस वर्ग की 10.15 प्रतिशत महिलायें तथा 10.73 प्रतिशत पुरुष शहरों के निवासी हैं।

कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या :- सन् 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में अनु0 जाति वर्ग की 39.58 प्रतिशत जनसंख्या श्रम कार्य में लगी है। देश में 60.42 प्रतिशत अनु0 जाति की जनसंख्या या अन्य कार्यों में लगी है अथवा आश्रित है।

अनु0 जाति वर्ग की श्रमिक जनसंख्या में 53.67 प्रतिशत जनसंख्या पुरुष वर्ग की तथा 24.47 प्रतिशत जनसंख्या स्त्री वर्ग की है। देश में कुल अनु0 जाति वर्ग की श्रमिक जनसंख्या की 36.13 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमिक जनसंख्या है, इसके विपरीत 3.45 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त श्रमिक वर्ग की है। मुख्य श्रमिक वर्ग की जनसंख्या में 52.60 प्रतिशत पुरुष तथा 18.46 प्रतिशत स्त्रियां हैं। सीमान्त श्रमिक जनसंख्या पुरुषों तथा स्त्रियों का प्रतिशत क्रमशः 1.07 तथा 6.01 है।

इस वर्ग की शेष जनसंख्या अश्रमिक वर्ग की है। जनगणना में यह जनसंख्या 46.33 प्रतिशत पुरुष तथा 75.53 प्रतिशत महिलाओं से युक्त थी।

1981 की जनगणना के अनुसार देश में आंध्र प्रदेश में अनु0 जाति जनसंख्या

के 54.26 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक वर्ग की थी इस जनसंख्या में 50.34 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमिक तथा 3.92 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त श्रमिक वर्ग की थी। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में 45.74 प्रतिशत जनसंख्या अश्रमिक वर्ग की थी। देश में कुल श्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत आंध्र में सर्वाधिक था।

सारणी क्रमांक- 1.9

भारत में अनुसूचित जाति श्रमिक वर्ग की स्थिति 1981, प्रतिशत में

भारत	कुल अनु0 जाति	कुल श्रमिक	मुख्य श्रमिक	सीमान्त श्रमिक	अश्रमिक
कुल	100.00	39.58	36.13	3.45	60.42
पुरुष	100.00	53.67	52.60	1.07	46.33
महिलायें	100.00	24.47	18.46	6.01	75.53

स्रोत- भारतीय जनगणनापुस्तिका 1981 पार्ट II बी IIII पेज xxIx

देश में त्रिपुरा में कुल अनु0 जाति वर्ग की 29.84 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमिक वर्ग की थी। जो देश में सबसे कम है। इसमें 27.94 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमिक वर्ग की थी तथा 1.90 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त श्रमिक वर्ग की थी।

त्रिपुरा में कुल अनु0 जाति वर्ग के पुरुषों में 51.22 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक वर्ग की थी।

स्त्रियों में 7.16 प्रतिशत स्त्रियां श्रमिक वर्ग की थीं। प्रदेश में 70.16 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कार्यों में लगी है। इसमें 48.78 प्रतिशत पुरुष तथा 92.84 प्रतिशत महिलायें हैं।

उत्तर प्रदेश में अनु0 जाति की 33.67 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक वर्ग की है इसमें 31.65 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमिक जनसंख्या तथा 2.02 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त श्रमिक वर्ग की है।

आंध्र प्रदेश में कुल श्रमिक जनसंख्या पुरुष वर्ग में 59.13 प्रतिशत मुख्य श्रमिक तथा 0.58 प्रतिशत पुरुष सीमान्त श्रमिक वर्ग की श्रेणी के थे।

इसी प्रकार 41.28 प्रतिशत स्त्रियां मुख्य श्रमिक तथा 7.36 प्रतिशत स्त्रियां सीमान्त श्रमिक वर्ग की थीं।

तारणी क्रमांक - 1.10

कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या 1981 प्रतिशत में

राज्य/व्यक्ति	कुल अनु0 जाति जनसंख्या	कुल श्रमिक मुख्य, सीमा.	मुख्य श्रमिक	सीमान्त श्रमिक	आश्रित
आंध्र, व्यक्ति	100.00	54.26	50.34	3.92	45.74
पुरूष	100.00	59.71	59.13	0.58	0.29
स्त्रियाँ	100.00	48.64	41.28	7.36	51.36
त्रिपुरा, व्य0	100000	29.84	27.94	1.90	70.16
पुरूष	100.00	51.22	49.66	1.56	48.78
स्त्रियाँ	100.00	7 .16	4.90	2.26	92.84
उ0प्र0, व्यक्ति	100.00	33.67	31.65	2202	66.35
पुरूष	100.00	52.22	51.47	0.48	47.78
स्त्रियाँ	100.00	12.88	9.13	3.75	87.12

स्रोत- भारतीय जनगणना पुस्तिका 1981, पार्ट II बी0 IIII पेज xxIx, xxxI

श्रमिक :- 1981 की जनगणना के अनुसार देश में अनु0 जाति के 3,78,44, 568 व्यक्ति थे। इसमें 2,85,15,377 पुरूष तथा 93,29,191 महिलायें थीं। कुल अनु0 जाति पुरूष श्रमिकों में ग्रामीण क्षेत्रो में 86.63 प्रतिशत जनसंख्याश्रमिक हैं तथा 13.36 प्रतिशत शहरी जनसंख्या श्रमिक है। ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ग की 90.25 प्रतिशत महिलायें तथा 85.45 प्रतिशत पुरूष श्रमिक हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में उनका प्रतिशत कम था 9.74 तथा 14.54 है।

उत्तर प्रदेश में अनु0 जाति वर्ग के 74,23,736 श्रमिक निवास करते हैं। इसमें 67,22,343 श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में तथा 701,393 श्रमिक शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। अनु0 जाति की मुख्य श्रमिक महिलाओं में 93.60 प्रतिशत महिलायें गांवों में तथा 6.40 प्रतिशत महिलायें शहरों में निवास करती हैं।

इस वर्ग के पुरूषों में 90.07 प्रतिशत पुरूष ग्राम वासी हैं। इसके विपरीत 9.92 प्रतिशत पुरूष शहरी क्षेत्र में मजदूरी करते हैं।

कृषि :- भारत में 1981 की जनगणना के अनुसार अनु0 जाति के कुल 10,66,128 कृषक है इनमें 91,57,641 पुरुष तथा 15,03,487 स्त्रियां हैं । पुरुष कृषकों की 98.12 प्रतिशत तथा महिला कृषकों की 98.36 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है ।

देश में अनु0 जाति वर्ग के 1,82,49,360 सदस्य कृषि मजदूर हैं । इनमें 65.23 प्रतिशत पुरुष तथा 34.76 प्रतिशत महिलायें हैं । ग्रामीण क्षेत्र में इनकी प्रतिशत क्रमश: 65.18 तथा 34.81 है । शहरी क्षेत्र में क्रमश: 66.31 तथा 33.68 प्रतिशत अनु0 जाति के कृषि मजदूर हैं । यह वर्ग पूर्णतया कृषि पर निर्भर है ।

कुटीर उद्योग :- देश में अनु0 जाति वर्ग का एक ऐसा भी वर्ग है जिनका प्रमुख कार्य गृह एवं कुटीर उद्योग सेवा कार्य अथवा मरम्मत कार्य है । भारत में अनु0 जाती वर्ग के सदस्यों का एक बड़ा भाग इसमें संलग्न है। 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या 12,52,502 थी । इसमें 80.52 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 19.50 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं ।

सीमान्त श्रमिक :- भारतीय जनगणना 1981 के अनुसार देश में अनु0 जाति वर्ग के सीमान्त श्रमिकों की संख्या 36,14,104 थी इसमें 15.98 प्रतिशत पुरुष तथा 84.01 प्रतिशत महिलायें थीं । इन श्रमिकों का 94.97 प्रतिशत भाग गांव में तथा 5.02 प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है । इस वर्ग के पुरुषों में 90.07 प्रतिशत पुरुष गांव में तथा शेष 9.98 प्रतिशत पुरुष शहर में निवास करते हैं । इस वर्ग की महिलाओं की संख्या 30,36,319 है जिसमें 95.91 प्रतिशत महिलायें गांव की तथा 4.08 प्रतिशत महिलायें शहर की निवासी हैं ।

अश्रमिक वर्ग :- जनगणना के अनुसार भारत में 62.4 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है । इसमें मुख्य रुप से बच्चे तथा वृद्ध हैं । इस अश्रमिक वर्ग की जनसंख्या का 81.8 प्रतिशत भाग गांव में तथा 18.2 प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है । इस वर्ग के पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात क्रमश: 39.6 प्रतिशत तथा 60.31 प्रतिशत है । इस प्रकार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक अनुपात में हैं तथा दूसरों पर आश्रित हैं ग्रामीण तथा शहरी पुरुषों का इस वर्ग के पुरुषों में अनुपात क्रमश:81.48 तथा

18.57 है। शहरी पुरुषों की अपेक्षा ग्रामीण पुरुष अधिक अनुपात में आश्रित हैं।

अश्रमिक ग्रामीण शहरी महिला अनुपात देखा जाये तो यह अनुपात क्रमशः 82 तथा 18 है। आंकड़ों के अनुसार गांव में पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ही अधिक संख्या में आश्रित हैं।

अन्य श्रमिक :- देश में श्रमिकों का एक बड़ा उपर्युक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगा है। इस वर्ग में प्रमुख रूप से या तो वे श्रमिक हैं, जो प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करते हैं, अथवा जो छोटे-छोटे धंधों में लगे हैं। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार देश में अनु0 जाति वर्ग के ऐसे श्रमिकों की संख्या 3,34,683 थी। इनमें 82 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, जबकि 17.9 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। इस वर्ग की कुल जनसंख्या में 70.22 प्रतिशत पुरुष तथा 29.77 प्रतिशत महिलायें हैं।

आर्थिक स्थिति :- प्रत्येक स्थिति एवं काल में निर्धनता मानव जाति के लिए कटु श्राप रही है। निर्धनता की दुरुह अवस्था में मनुष्य कोई भी अनैतिक अवैधानिक एवं निकृष्टतम कार्य कर सकता है। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता ॥ यदि किसी राष्ट्र की जनसंख्या निर्धन है तो वह राष्ट्र न केवल पिछड़ा होगा बल्कि सामाजिक, राजनैतिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा होगा। सदियों तक विदेशी दासता की बेड़ियों में जकड़ा होने तथा विदेशी साम्राज्य द्वारा शोषित होने के कारण भारत निर्धनता के अभिशाप से ग्रसित रहा है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीबों के उत्थान के लिए अनेक आकर्षक योजनायें बनायीं गयी। गरीबों की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए विशुद्ध विचार विमर्श व आश्वासन दिये गये परन्तु गरीब की स्थिति में सुधार के आसार नजर नहीं आये। गरीब, गरीब होता गया तथा धनाढ्य और भी धनाढ्य होता गया। मानव ने मानव का शोषण कर एक ओर जहां गगन चुम्बी अट्टालिकायें खड़ी कर ली हैं, वहीं झोपड़ी का निवासी सड़क पर आ गया है। एक तरफ लोग अधिक खाने से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ मानव भूख से मर रहा है।

निर्धनता की अवधारणा :- सर्वप्रथम हमें निर्धनता या गरीबी की अवधारणा का विश्लेषण करना है ॥ यहां हमें यह निश्चत करना है, कि कौन गरीब है और कौन नहीं। गरीबी शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी और

निरपेक्ष गरीबी । सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य दूसरे देशों की तुलना में पायी जाने वाली गरीबी है । संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदनानुसार उन देशों को गरीब देश माना जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति सकल आय 300 डालर प्रति व्यक्ति वार्षिक से कम है ।

योजना आयोग के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में 83 रु० तथा देहाती क्षेत्रों में 76 रु० प्रतिमाह से कम प्रति व्यक्ति खर्च करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना गया है ।

निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए गरीबी की माप से है । इसके माप हेतु प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली कैलोरी या न्यूनतम उपभोग स्तर द्वारा गरीबी को मापने का प्रयत्न किया जाता है । खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति को कम से कम 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है । किन्तु लज्जा की बात यह है कि भारत में लोगों को इतने पोषक तत्वों की आवश्यकता होने के उपरांत उसे मिल नहीं पाते । जिन्हें ये पोषण तत्व नहीं मिल पाते वे सब गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 190 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिए । अन्यथा वह निर्धन की श्रेणी में आयेगा । भारत में एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति वर्ष में अनाज का उपभोग मात्र 178 किलोग्राम है ।

भारत में छठवीं योजना 1980 – 85 के प्रारम्भ में लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। सातवीं योजना के आरम्भ में यह प्रतिशत कम होकर 37 रह गया था । ऐसा अनुमान किया गया था कि सातवीं योजना की समाप्ति पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 23 हो जायेगा । वह परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में 6400 रु० से कम तथा शहरी क्षेत्र में 7200 रु० से कम आय प्राप्त कर पाते हैं, वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है ।

अनु० जाति के उन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं जो परिवार उपर्युक्त आय की 75प्रतिशत से कम आय प्राप्त कर पाते हैं अर्थात यदि इस वर्ग का परिवार 4800 रु० वार्षिक से कम आय प्राप्त कर पाता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जायेगा । जिन परिवारों की आय 3500 से

4800 रु0 वार्षिक है । उन परिवारों को अत्यन्त गरीब परिवार माना गया है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम में गरीबी पर प्रहार :- सर्वप्रथम 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा । जुलाई सन् 1975 को की गई । तथा इस कार्य क्रम को चालने के लिए व्यापक स्तर पर प्रबन्ध किये गये । इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों की दशा में सुधार करना तथा लाखों लोगों के रहने-सहन के स्तर को शहरी स्तर पर लाना था । ताकि ये लाखों लोग जो गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे थे, उन्हें जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करना था ।

नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 20 अगस्त 1986 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गाधी द्वारा की गई । सुधरे हुए इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था -

1. गरीबी उन्मूलन विशेषकर ग्रमीण निर्धनता उन्मूलन पर व्यापक प्रहार डालना ।
2. पूर्व योजनाओं में प्राप्त अनुभव के आधार पर और विशेष रूप से छठी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखना ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रथम बिन्दु पर ही गरीबी और विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी पर प्रहार किया गया । इस कार्यक्रम के लिए सन् 1967-68 में 2 2408 करोड़ रुपया तथा सरकार द्वारा 957.6 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था

यद्यपि भारत में गरीबी बहुत पहले से ही विभिन्न रूपों में विद्यमान है, परन्तु यह भारतीय अर्थव्यवस्था में चर्चा का विषय ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान काफी बाद में बनी । एक अनुमान के अनुसार यहां 62 प्रतिशत लोग 19 वीं शताब्दी के मध्य में गरीबी में जिन्दा थे । इसका एक प्रमुख कारण आर्थिक विकास की धीमी गति का होना बताया गया था । द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज युद्ध में संलग्न थे तब भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक कार्यक्रम जोड़ें गये । 1947 में गरीबी का प्रतिशत 59 अनुमानित किया गया । यह विकास विगत एक सौ वर्षों में हुआ ।

भारत में सर्वप्रथम 1876 में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी की समस्या पर चर्चा की, उन्होंने गरीबी की विशेषता पर प्रकाश डाला । उनकी

गणनानुसार सम्पूर्ण भारत में प्रति व्यक्ति 20 रू० प्रतिवर्ष का अनुमान बताया। उन्होंने कहा कि इस गरीबी और दरिद्रता के लिए अंग्रेज सरकार दोषी है।

सारणी क्रमांक 1.11

जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे

। संख्या मिलियन ।

	1989-90	1984-85	1983-84	1977-78	1972-73
ग्रामीण	168.6	222.2	22.15	25.31	24.42
नगरीय	42.2	50.5	49.5	53.7	47.3
योग	210.8	272.7	271.0	306.0	291.3

सन् 1989-90 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 28.8 था। ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या अत्यन्त उग्र रूप में थी, इस काल में ग्रामीण क्षेत्र की 28.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही थी। यह जनसंख्या वह थी जिसके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन सुलभ नहीं थे।

सरकार द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाली जनसंख्या की हालत सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं में ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी, जिनके द्वारा उक्त समस्या के समाधान की आशा थी यही कारण है कि सन् 1972-73 में इस वर्ग का प्रतिशत जहाँ 51.5 था वहीं विभिन्न वर्षों में लगातार कम हुआ है। सन् 1989-90 में इस वर्ग में केवल 28.8 प्रतिशत व्यक्ति रह गये थे।

एक बात और जो स्पष्ट दिखती है वह यह है कि नगरों की अपेक्षा गाँवों के लोग इस बीमारी के शिकार ज्यादा है। इसका कारण शायद है कि गाँव के लोगों के पास रोजगार के अवसरों व अतिरिक्त आय प्रदान वाले साधनों का अभाव है। दूसरी तरफ गांव में अशिक्षा का साम्राज्य है जिससे योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ इस वर्ग को प्राप्त नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सन् 1989-90 में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या में इस वर्ग का प्रतिशत क्रमशः 28.2तथा 19.3 था।

भारत सरकार का लक्ष्य सन् 2000 तक गरीबी की रेखा सेनीचे रहने वालों का प्रतिशत 5 तक लाने की योजना है ।

भारत सरकार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्षों के बाद करवाया जाता है । ऐसा ही एक सर्वेक्षण सन् 1983-84 में किया गया । इस सर्वेक्षण का आधार 1973-74 की कीमतों को माना गया । सन् 1973-74 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 49.09 रु0 प्रति व्यक्ति जिन्हें प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त होता है । शहरी क्षेत्र में 56.64 रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से कम खर्च वाले अथवा 2100 कैलोरी से कम प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने गये हैं ।

राष्ट्रीय आदर्श संगठन के 38 वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार, जो जनवरी 1983 से दिसम्बर 1986 तक किया गया, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या निम्नानुसार थी ।

सारणी क्रमांक - 1.12

क्र0	क्षेत्र	व्यक्ति संख्या (लाख)	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	2215.00	40.0
2.	शहरी	495.00	28.1
	सम्पूर्ण भारत	2710.00	37.0

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संस्थान के 38 वें चक्र की गणना के अनुसार भारत में कुल 27.10 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं । कुल जनसंख्या का यह 37.4 प्रतिशत है । इस आधार पर हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में गरीबी की समस्या कितनी विकराल है । देश में एक तिहाई से भी अधिक जनसंख्या ऐसी है जिसे न्यूनतम आवश्यक भोजन नहीं मिलता ।

यदि 38 वे चक्र की इस गणना के विवेचन को ग्रामीण नगरीय आधार पर देखें तो एक बात स्पष्ट है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की समस्या कितनी विकराल है । देश में एक तिहाई से भी अधिक जनसंख्या ऐसी है कि जो गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं । नगरों में नगरीय जनसंख्या के मात्र 28.1 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण

जनसंख्या के 40.4 प्रतिशत लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं।

38 वें सर्वेक्षण के ही अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या समान नहीं है। किसी भी प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम है तो कहीं बहुत अधिक है। 1983-84 में विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी क्रमांक - 1.13

क्र0	राज्य	ग्रामीण		नगरीय		संयुक्त	
		नम्बर लाख	प्रतिशत	नम्बर लाख	प्रति0	नम्बर लाख	प्रतिशत
1.	आंध्र	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	27.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमांचल प्र0	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मूकश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.8	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9
12.	मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	36.5	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्र0	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	प0 बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2

21. नागालैण्ड, सिक्किम, तथा सभी केन्द्र शासित प्रदेश	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1

सारणी के आधार पर भारत में सर्वाधिक संयुक्त रूप से (ग्रामीण तथा नगरीय) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का प्रतिशत 49.5 विहार में है, अर्थात विहार की आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत विहार में ही है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का 51.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है। नगरीय गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। कुल नगरीय जनसंख्या की 40.3 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के अभिशाप से ग्रसित है।

देश में सर्वाधिक गरीब उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इसमें 4.40 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 90 लाख व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।

प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालों की संख्या का अनुमान न्यादर्श सर्वेक्षण संस्थान द्वारा अपने सर्वेक्षण के 43 वे चक्र में 1987-88 में लगाया गया। इस सर्वेक्षण में। मार्च 1988 की जनसंख्या को आधार माना गया है।

गरीबी रेखा का निर्धारण 1973-74 की कीमतों के आधार पर लगाया गया तथा 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय अथवा 2400 कैलोरी वाला भोजन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में तथा 56.64 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अथवा 2100 कैलोरी वाला भोजन प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में से कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में 43 वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 19.597 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 4.17 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इस प्रकार कुल 23.767 करोड़ व्यक्ति भारत में गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। यह संख्या कुल संख्या की 29.9 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेशानुसार गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वालों की संख्या निम्नानुसार है ।

सारणी क्रमांक - 1.14

क्र0	प्रदेश/केन्द्रशासित प्रदेश	ग्रामीण संख्या	ग्रामीण प्रतिशत	नगरीय संख्या	नगरीय प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
1.	आन्ध्र	153.1	33.8	42.6	26.1	195.70	31.7
2.	असम	50.4	24.5	2.5	9.4	52.89	22.6
3.	बिहार	300.3	42.7	36.1	30.1	336.54	40.8
4.	गुजरात	56.2	21.2	17.1	12.9	73.25	18.4
5.	हरियाणा	13.5	11.7	4.7	11.7	18.15	11.6
6.	हिमांचल प्र0	4.4	9.7	0.1	2.4	4.52	9.2
7.	जम्मू कश्मीर	8.4	15.5	1.4	8.4	9.79	13.9
8.	कर्नाटक	102.8	35.9	33.7	24.2	136.46	32.1
9.	केरल	37.4	16.4	11.6	19.3	48.98	17.0
10.	मध्यप्रदेश	194.0	41.5	13.9	21.3	224.97	36.7
11.	महाराष्ट्र	166.9	36.7	47.2	17.0	214.10	29.2
12.	उड़ीसा	124.2	48.3	10.9	24.1	135.12	44.7
13.	पंजाब	9.6	7.2	4.3	7.2	13.88	7.2
14.	राजस्थान	80.6	26.8	19.0	19.4	99.54	24.8
15.	तमिलनाडु	138.4	39.5	38.5	20.5	176.85	32.8
16.	उ0 प्र0	373.1	37.2	75.2	27.2	448.34	35.1
17.	प0बंगाल	137.2	30.3	36.3	20.7	173.95	24.6
18.	छोटे राज्य संघ शासित क्षेत्र	9.3	11.8	4.9	4.7	14.2	7.7
	सम्पूर्ण भारत	1956.7	33.4	417.0	20.1	2376.7	29.9

43 वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालों का संयुक्त रूप से प्रतिशत उड़ीसा में था, यहाँ कुल जनसंख्या की 44.7 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में जन संख्या का 48.3 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे था जबकि शहरी क्षेत्र में बिहार में 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। जो सर्वाधिक है।

तुलनात्मक अध्ययन :- भारत में 1983-84 में 38 वें चक्र की सर्वेक्षण तथा 1987-88 में 43 वें चक्र के सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में निम्न निष्कर्ष निकाले।

सारणी क्रमांक - 1.15

। संख्या करोड़ में ।

सर्वेक्षण वर्ष	सर्वेक्षण	संख्या ग्रामीण	प्रतिशत	संख्या नगरीय	प्रतिशत	संख्या संयुक्त	प्रतिशत
1983-84	38 वाँ	22.15	40.4	4.95	28.1	2710	37.4
1987-88	43 वाँ	19.59	33.4	4.17	20.1	2376	29.9

सर्वेक्षण के दोनों ही चक्रों में प्रति व्यक्ति व्यय आधार 1973-74 की कीमतों को माना गया है। 38 वें चक्र में सर्वेक्षण में । मार्च 1984 की जनसंख्या तथा 43 वें चक्र में । मार्च 1988 की जनसंख्या को आधार माना गया है।

दोनों ही चक्रों में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने व्यक्तिगत उपभोग का प्रयोग किया है।

इस प्रकार दोनों ही चक्रों के सर्वेक्षण के निष्कर्ष देखने से ज्ञात होता है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में कमी आयी है। 1983-84 से 1987-88 के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में 7 प्रतिशत की कमी आयी है। अर्थात गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों में 7 प्रतिशत लोगों ने इस रोखा को पार कर लिया है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में यह कमी 8 प्रतिशत रही है। अर्थात 8 प्रतिशत लोग इन वर्षों के बीच गरीबी रेखा के ऊपर आ गये हैं।

1983-84 से 1987-88 के मध्य भारत में 7.5 प्रतिशत लोग ऐसे रहे हैं।

जो गरीबी रेखा को पार कर गये हैं ।

अनुसूचित जाति में गरीबी :- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के 38 वें चक्र में 1983-84 के अनुसार भारत में । मार्च 1984 को ग्रामीण क्षेत्र में अनु0 जाति जनसंख्या की 53.10 प्रतिशत जनसंख्या तथा नगरीय क्षेत्र में इस वर्ग में जनसंख्या की 40.40 प्रतिशत जनसंख्या न्यूनतम उपभोग स्तर 12400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2100 कैलोरी नगरीय क्षेत्र में । से निचले स्तर पर अपना जीवन यापन कर रही थी ।

सारणी क्रमांक 1.16

प्रदेशानुसार विवरण

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत

क्र0	राज्य	ग्रामीण	नगरीय
1.	आन्ध्र प्रदेश	51.00	43.30
2.	असम	21.90	42.80
3.	बिहार	75.10	52.20
4.	गुजरात	39.90	19.30
5.	हरियाणा	27.90	40.10
6.	हिमांचल प्रदेश	23.50	11.70
7.	जम्मू कश्मीर	32.90	27.50
8.	कर्नाटक	54.10	36.60
9.	केरल	43.90	42.20
10.	मध्य प्रदेश	59.30	45.80
11.	महाराष्ट्र	55.90	44.80
12.	उड़ीसा	54.90	40.30
13.	पंजाब	21.80	33.00
14.	राजस्थान	44.90	33.70
15.	तमिलनाडु	59.40	54.50
16.	उत्तर प्रदेश	57.30	46.30

17.	प० बंगाल	52.00	41.30
18.	सम्पूर्ण भारत	53.10	40.40

देश में अनुसूचित जाति वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही, ग्रामीण क्षेत्र बिहार में रहती है। इस वर्ग की जनसंख्या की 71.10 प्रतिशत जनसंख्या बिहार में ऐसी है जिसे न्यूनतम मात्रा में 2400 कैलोरी भोजन उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत शहरी अनु० जाति वर्ग में सर्वाधिक गरीबी की रेखा से नीचे रने वालों का प्रतिशत तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अनु० जाति वर्ग की 54.5 प्रतिशत जनसंख्या न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के उपभोग स्तर 56.64 रु० से भी कम का उपभोग कर पाती है।

31 अक्टूबर 1991 तक 43 वें चक्र के इस वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित नहीं किये गये हैं। परन्तु ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ग की हालत में सुधार अवश्य हुआ होगा। यदि हम यह मान लें कि सम्पूर्ण भारत की भाँति इस वर्ग की गरीबी में भी 7 से 10 प्रतिशत सुधार हुआ है तो भी यह मात्रा अभी भी बहुत अधिक है। अभी देश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं। अनु० जाति वर्ग में यह स्थिति और भी खराब है। बिहार में जहाँ इस वर्ग की 3/4 जनसंख्या न्यूनतम भोजन नहीं प्राप्त कर पाती है ऐसे में यदि इस वर्ग की थोड़ी सी जनसंख्या इस रेखा से ऊपर आ भी जाती है तो भी अभी इस वर्ग की जनसंख्या की आर्थिक सुधार के लिए बहुत अधिका कार्य करने की आवश्यकता है।

देश में बड़े राज्यों में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ अनु० जाति वर्ग की जनसंख्या की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। सात बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ 20 से 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति के व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं।

अध्याय - 2

ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग हेतु विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विशिष्ट प्रावधान

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भारत वासियों में बार-बार यही बात याद दिलाई कि भारत तो उसके गांवों में बसा है। उन्होंने कहा कि "भारत की सेवा का मतलब है लाखों दीन हीनों की सेवा, इसका अर्थ यह है कि गरीबी अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। जब तक हम समाज से प्रत्येक आंख के आंसू नहीं पोंछ लेते, उनके दुखों को दूर नहीं कर देते तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा"।

कृषि प्रधान देश भारत सदियों तक विदेशी गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा है। विदेशी शासकों ने भारतीय उघोग धंधों को समाप्त कर यहां अपना माल खपाया है इन शासकों ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उन्नति हो, बल्कि उन्होंने अपने माल को खपाने के लिये भारतीय कारीगरों व कारीगरी को नष्ट कर दिया। विदेशियों के आगमन से पूर्व भारत की गणना विकसित राष्ट्रों में की जाती थी। यहां से बहुत से देशों को कच्चा व निर्मित माल निर्यात किया जाता था परन्तु बाद में यह स्थिति बनी कि भारतीय निर्यात समाप्त कर दिये गये तथा छोटी बड़ी सभी वस्तुयें आयात की जाने लगीं।

यह देश जो विदेशियों के आगमन से पूर्व खुशहाल व सम्पन्न राष्ट्र था बाद में विपन्न व दरिद्र हो गया। विदेशी शासकों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की जगह और दयनीय बना दिया। सन् 1947 में भारत जब विदेशियों के हाथों से मुक्त हुआ तो यहां का नागरिक दरिद्र व बीमार था। लोगों के पास खाने को नहीं था तथा उघोग धंधे एवं व्यापार रसातल में समा चुके थे। शहरों की अपेक्षा गांवों में स्थिति और भी दयनीय थी।

उन लोगों, जिनकी एक लम्बे अर्से से अनदेखी की गई थी, के उत्थान के लिये गहन प्रयासों की आवश्यकता थी। स्वतन्त्रता के बाद प्रारम्भिक चरणों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विशेष रूप से कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को विकसित करने की मुख्य आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में आरम्भ किये गये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जीवन में सम्पूर्ण सुधार लाने के लिये क्रमबद्ध ग्रामीण विकास की नीति अपनाई गई।

इस प्रकार प्रथम योजना काल से ही नियोजित विकास की प्रक्रिया

अपनाई गई । भारत सरकार ने विकास के कार्यक्रम यद्यपि समस्त भारत में पूरे प्रयासों से आरम्भ किये परन्तु उन्होंने ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा गांवों में स्थिति ज्यादा भयावह थी । विकास की प्रक्रिया में एक बात और दृष्टिगोचर हुई कि समाज में एक वर्ग ऐसा (अनुसूचित जाति वर्ग) भी है जो सदियों से दबा रहा है तथा बुरी तरह गरीबी से कराह रहा है ।

नियोजित विकास की प्रक्रिया में योजनाकारों ने न केवल ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया बल्कि इस वर्ग विशेष की उन्नति के लिये भी कुछ विशेष योजनायें बनाईं व सामान्य योजनाओं में विशिष्ट प्रावधान रखे ।

इस काल में सरकार ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का सफल संचालन किया । आज देश में कई ऐसी संस्थायें हैं जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को चला रही हैं, जबकि कुछ संस्थायें अनुसूचित जाति वर्ग की उन्नति हेतु विभिन्न योजनायें चला रही है । ऐसी ही एक संस्था ग्रामीण विकास विभाग है जिसने ग्रामीण विकास के समग्र कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व वहन कर रखा है, जबकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु सतत प्रयास रत है ।

इस अध्याय में हम प्रथम उन योजनाओं का परिचय दे रहे हैं जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं तथा बाद में उन योजनाओं का परिचय है जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है ।

(अ) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें :-

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम)
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
4. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
5. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम
6. मरुभूमि विकास कार्यक्रम
7. जवाहर रोजगार योजना

(अ) इंदिरा आवास योजना

(ब) दस लाख कुँओं की योजना

8. ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम

सातवीं योजना 1985-90 में यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि 1994-95 तक गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की 10 प्रतिशत से भी कम रह जायेगी । यही उद्देश्य 1986 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के पुर्ननिर्धारण के समय भी ध्यान में रखा गया तथा बात स्पष्ट कर दी गयी कि गरीबी के विरूद्ध संघर्ष हमारा प्रथम लक्ष्य है ।

(1) समन्वित ग्रामीर्ण विकास कार्यक्रम :-

समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम से हमारा सर्वप्रथम परिचय भारत सरकार के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में संसद में 1976 में कराया । यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो स्थानीय लोगों द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय साधनों से करेगा । भारत सरकार ने यह कार्यक्रम मार्च 1976 में देश के 20 चुने हुए विकास खण्डों से प्रारम्भ किया । सन् 1978-79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पुर्नस्थापना की गयी तथा इसमें पूर्व चलित तीन कार्यक्रम लघु विकास अभिकरण, कमाण्ड एरिया डवलपमेंट, प्रोग्राम तथा सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सम्मलित कर दिया गया । वृहद रूप से इन कार्यक्रमों का विलय तब हुआ जबकि 1978-79 में समन्वित ग्रामीर्ण विकास कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश के 2300 विकास खण्डों में लागू किया गया । इनमें से 2000 विकास खण्ड किसी एक अथवा अधिक कार्यक्रमों में पहले से ही संलग्न थे और 300 विकास खण्ड किसी विशेष प्रोग्राम से बाहर थे । यह भी प्रस्ताव था कि प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में 800 नये विकास खण्ड सम्मिलित किए जायेंगे । 2 अक्टूबर 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में देश के सभी विकास खण्डों को सम्मिलित कर लिया गया एवं लघु कृषक विकास अभिकरण को इस योजना में सम्मिलत कर लिया गया ।

उद्देश्य :-

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी प्रयत्नों के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था । इस कार्य हेतु लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग देना था ।

व्यूह रचना :-

योजना के लिए वित्त प्राथमि एवं द्वितीयक क्षेत्र में बैंक ऋण एवं अनुदान द्वारा प्रदान की जायेगी । अनुदान की राशि छोटे कृषकों के लिए 25 प्रतिशत $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत सीमान्त कृषकों के लिए कृषि श्रमिक, दस्तकार भी $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं । जबकि जनजातीय परिवारों के लिए अनुदान की राशि 50 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं । वैयक्तिक परिवार 3000 रु0 तक की अधिकतम राशि अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकते है । जबकि वे सामान्य क्षेत्र के निवासी हों, अनुदान के रूप में 4000 रुपये तक की राशि सूखा तथा पहाड़ी क्षेत्र में तथा अधिकतम 5000 रुपये की राशि जन जातीय परिवारों को अनुदान के रूप में दी जा सकती है । छोटी सिंचाई योजनाओं में अनुदान की मात्रा में कोई सीमा नहीं है चाहे वे नये परिवार हो अथवा पुराने । योजना के व्ययका निर्धारण एवं शर्तें ऋण प्रदान करने वाली शाखा द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

यह भी निर्धारित किया गया कि लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों में महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्धारित किया गया कि 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला वर्ग की होनी चाहिए । तथा 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के होंगे ।

ऐसी कोई भी गतिविधि । व्यवसाय । जो लाभार्थी की आय स्तर में वृद्धि करने वाली हो, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा अपनाई जा सकती है । वास्तव में लाभार्थी द्वारा वही योजनायें अपनाई जानी चाहिए जो स्थानीय साधनों पर आधारित हों तथा लाभार्थी के परिवार की जिसमें रूचि हो साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्पादित वस्तु का बाजार स्थानीय हो तो अति उत्तम है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्रमुख व्यवसाय निम्न प्रकार हैं, जिन्हें लाभार्थी अपना सकते हैं । जैसे दुधारू पशु पालन, छोटी सिंचाई योजनायें ।व्यक्तिगत एवं सामुदायिक। मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर पालन आदि । द्वितीयक क्षेत्र में अपनाये जा सकने वाले प्रमुख व्यवसायों में मुर्गी पालन, बढ़ई गिरी मरम्मत, मरम्मत वर्कशाप चमड़े का कार्य रिक्शा बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी आदि लिये जा सकते हैं ।

संरचना :-

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वित्त की व्यवस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर करती है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

एवं निर्देशन का काम जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाती है। इस समिति में कुछ सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त जिले के सांसद विधायक एवं उस बैंक का एक प्रतिनिधि होता है, जो ऋण प्रदान करती है। यह समिति प्रभावशाली योजनाओं को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है।

न्यून स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन विकास खण्ड द्वारा किया जाता है। यहां कुछ विकास अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है। विकास खण्ड कार्यक्रम के क्रियान्वयन की एक प्रमुख संस्था है, जो योजना के क्रियान्वयन एवं इसके परिशोधन के प्रभाव का अध्ययन करता है।

राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक समन्वयक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। यह अधिकारी कार्यक्रम की प्रगति के लिए एवं इसके क्रियान्वयन के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देशित करता है।

केन्द्र स्तर पर कार्यक्रम का कियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग करता है। इसके लिए केन्द्र में एक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समिति इसकी पूरक योजना ट्राइसेम तथा ग्रामीण महिला एवं बच्चा विकास कार्यक्रम का भी निर्देशन करती है। यह समिति सचिव ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है। इसका प्रमुख कार्य नीतियों को प्रभाव पूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराना है।

ऋण प्रक्रिया :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक छोटे स्तर तक के लिए विकास कार्यक्रम है। यहां यह निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार की परिसम्पत्तिगत सहायता प्रदान की जानी है। सहायता गत परि सम्पत्तियां प्रदान करने का निर्णय करने से पूर्व लाभार्थी की रुचि का ध्यान रखा जाता है। परिसम्पत्ति प्रदान करने का निर्णय प्रशासन के निचले स्तर पर ही लिया जाता है। प्रारम्भ में गृह सर्वेक्षण के द्वारा ऐसे परिवारों का पता लगाया जाता है जिनकी वार्षिक आय रु0 4800 से कम है। इन लोगों की सूची जो सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, पहले ग्राम सभा द्वारा सत्यापित करवा ली जाती है। इन सहायता प्राप्त करने वालों में सर्व प्रथम सहायता उन परिवारों को दी जाती है। जो

अत्यधिक गरीब हैं, तथा जिनकी वार्षिक आय 3500 रु0 वार्षिक से भी कम है। लाभार्थी के चयन के बाद उनकी सूची बैंक को दे दी जाती है, ताकि वे इनमें समन्वय उत्पन्न कर इन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान कर सके क्योंकि सम्पत्ति के मद का आधार एवं कार्यक्रम का प्रभाव आय वृद्धि में निर्णायक है।

बैंकों से प्रभावशाली समन्वय के लिए एक उच्च समिति केन्द्र स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य समन्वय के लिए समिति, जिला सलाहकार समिति एवं ब्लाक सलाहकार समिति नियुक्त की गई है। यह समितियां कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं सम्पत्ति के बीमें की व्यवस्था करती है। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है इसका सम्पूर्ण लाभ लाभार्थी को प्राप्त हो, इसके लिए विकास खण्ड एवं पंचायत स्तर पर एक लाभार्थी सलाहकार समिति नियुक्त की जानी चाहिए। कार्यक्रम के प्रभावशाली समन्वय के लिये यह आवश्यक है कि इन समितियों के विभिन्न विभागों में समन्वय बना रहे। यह एक ऐसी स्कीम भी है, जिसके द्वारा लाभार्थी में सादा भाव में वृद्धि हो सके।

कार्यक्रम के सफल संचालन में स्वयं सेवी संस्थायें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे संगठनों स्वए अलग से वित्त की व्यवस्था प्रदान की गयी है सरकार द्वारा क्यार्ट माध्यम से इस उद्देश्य हेतु वित्त की व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए ऐसे संगठनों का प्रबन्ध करती है। वहां जहां ऐसी संस्थायें नहीं हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना का वित्तीय पोषक एक क्रियान्वयन किया जाता है।

साख :-

योजना का क्रियान्वयन वित्तीय संस्थाओं की साख पर पूरी तरह निर्भर है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सहकारी एवं व्यावसायिक बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिए ग्रामीण विकास विभाग वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग से रिजर्व बैंक से एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से एवं अन्य बैंकों से सहायता प्राप्त कर सकता है।

बैंकों से सुविधाजनक समन्वय के लिए एक यांत्रिक समन्वय समिति है। उच्च स्तर पर एक साख समर्थन समिति है, जो समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम

हेतु साख समर्थन करती है । ग्रामीण विकास विभाग का सचिव इसका अध्यक्ष होता है । इस समिति में रिजर्व बैंक का, नाबार्ड का, व्यावसायिक बैंकों का, राज्य सरकार का, योजना आयोग का, वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग एवं बीमा विभाग का एवं उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व शामिल होता है । यह समिति विभिन्न कठिनाइयों का अध्ययन करती है, तथा साख का प्रबन्ध भी करती है । और क्रियान्वयन तथा बदलाव के लिए सिफारिशें प्रदान करती है । यह समिति क्रियान्वयन समिति तथा साख समिति को आमने सामने बातचीत का मौका प्रदान करती है ।

इसी प्रकार निचले स्तर पर, राज्य एवं जिला, साख की निरन्तरता एवं विशेष समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार है । इस कार्य हेतु अन्तिम संस्था विकास खण्ड है । जो ये समन्वय समितियाँ अपने स्तर पर बैंकों एवं अपने कार्यालयों के मध्य समन्वय उत्पन्न करती है । कोई भी क्रिया जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार को आर्थिक परियोजना स्थापित करने हेतु ली जाती है, बैंक इस कार्य हेतु आर्थिक निर्णायक जिम्मेदारी लेते हैं गरीब परिवारों को समर्थ एवं उन्हें पंजीकृत मौका प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी इकाई की परियोजनागत लागत प्रदान कर दी जाती है । नाबार्ड एक क्षेत्रीय लागत निर्धारण समिति की स्थापना करता है, जो वर्ष में दो बार क्षेत्रीय आधार पर परियोजनाओं की लागत तय करती है । लिखित दस्तावेज ही इस कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं । इस ऋण प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को साख शिविरों के आयोजन की सलाह दी गई है । साख शिविरों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य लाभार्थी को अतिशीघ्र ऋण उपलब्ध कराना है, तथा उसे अन्य कठिनाइयों से बचाना है । शिविरों में लाभार्थियों से सम्बन्ध स्थापित कर उनसे ऋण वसूली एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करना है । ताकि वे पूँजीगत सम्पत्तियों का लाभ प्राप्त कर सकें ।

<u>कार्यक्रम की प्रगति :-</u> समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से सितम्बर 1988 तक 289.0 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जोड़ा गया । इनमें 55.1 लाख परिवार पुराने लाभार्थी थे । इन परिवारों कलए अब तक इस योजना में 10120.12 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया । वर्ष 1987-88 के अन्तर्गत इस योजना द्वारा 42.47 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाया गया, इस

वर्ष योजना पर 1902 करोड़ रुपये विनियोग किये गये तथा 1175 करोड़ रुपये की साख का निर्माण किया गया ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनागत प्रगति (छठवीं योजना 1980-85)

सारणी क्रमांक 2.1

वर्ष	लक्ष्य (लाख परिवार)	प्रगति	प्राप्त राशि रु0 करोड़ में	उपयोग रु0 करोड़ में	साख रु0 करोड़ में	विनियोग रु0 करोड़ में
1980-81	30.07	27.27	250.55	158.64	289.05	447.69
1981-82	30.07	27.13	300.66	264.65	467.54	732.24
1982-83	30.07	34.55	400.88	359.59	713.98	1073.57
983-84	30.54	36.85	407.36	406.09	773.57	1179.60
984-85	30.27	39.82	407.36	472.20	857.48	1329.68
योग -	151.02	165.62	1766.81	1661.17	3101.61	4262.78

स्रोत- इण्डिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार सन् 1991 पेज 449

छठवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 151.02 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, इसके विपरीत इस योजना काल में 165.62 लाख परिवारों को योजना गत सहायता प्रदान की गयी । इस हेतु 4262.78 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया । इस योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 39.02 लाख लाभार्थी परिवार अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के थे ।

समन्वित ग्रामीण विकास
कार्यक्रम
के
लाभार्थी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति ।अप्रैल 1980 से सितम्बर 1988 तक ।

सारणी क्रमांक 2.2

वर्ष	लक्ष्य ।लाख परिवार।	प्रगति ।लाख परिवार।	अनुसूचित जाति जन जाति।	महिला लाख परिवार।	उपयोग ।करोड़ रुपये में ।	साख	विनियोग ।करोड़ रुपये में।
1980-85	150.00	165.62	39.02	अनुपलब्ध	1661.17	3101.61	4762.78
1985-86	24.70	36.60	43.22	9.89	441.10	730.16	1171.26
1986-87	35.00	37.47	44.83	15.13	613.38	1014.88	1628.26
1987-88	39.64	42.47	44.71	19.53	727.44	1175.35	1902.79
1988-89	31.94	12.89	44.10	20.12	255.30	399.72	655.02
योग	281.28	289.03	215.88		3698.39	6421.72	10120.11

स्रोत :- आई० आर० डी० पी० स्ट्राटेजी फोर सेल्फ इम्पलायमेंट आपरचुनीटीज, इन्डूजी न्यू जनरल आफ रूरल डिवलपमेंट वॉलियम-9 ।1। एन० आई० आर० डी० हैदराबाद 1990 पेज 35

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल 1980 से सितम्बर 1988 तक 281.28 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था इस लक्ष्य के विपरीत इस अवधि में 289.03 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया । इन लाभार्थियों में 215.88 लाख परिवार अनुसूचित जाति वर्ग के थे ।

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सातवीं योजना (1985-90) में प्रगति

सारणी क्रमांक 2.3

वर्ष	भौतिक लक्ष्य (लाख)	प्रगति (लाख)	आवंटन (रु0 करोड़)	उपयोग (रु0करोड़)	साख (रु0करोड़)	विनियोग (रु0करोड़)
1985-86	24.70	30.61	407.86	441.10	730.15	1171.25
1986-87	35.00	87.47	543.83	613.38	1014.89	1628.26
1987-88	39.64	42.47	613.38	727.44	1175.35	1902.79
1988-89	31.94	37.72	687.95	768.47	1231.62	2009.09
1989-90	20.09	31.74	742.75	800.00	1350.00	2150.00
योग -	160.38	180.00	3000.27	3350.39	3502.00	8852.00

स्रोत :- इण्डिया 1991 पेज 449

सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा 160.38 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य था । जबकि इस अवधि में देश में 180 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ पहुँचाया गया । योजना के पाँच वर्षों में 8852.00 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया । इस योजना में प्रारम्भ से सितम्बर 1988 तक 176.86 लाख अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उनकी दशा सुधारने के लिए सहायता प्रदान की गयी ।

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य बिहार ‖ 13.77 प्रतिशत‖, मध्य प्रदेश ‖16.28 प्रतिशत‖, राजस्थान ‖15.35 प्रतिशत‖, तथा उत्तर प्रदेश ‖16.19 प्रतिशत‖ प्रमुख हैं । [1]

कार्यक्रम के प्रभाव :-
------------------ चालू वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न संगठनों ने इसके विभिन्न अध्ययन किये । भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक ‖नाबार्ड‖ इन्स्टीट्यूट आफ फाइनेन्शीयल मैनेजमेन्ट एवं रिसर्च ने 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । कार्यक्रम विकास समिति जो योजना आयोग का एक अंग है, ने 1985 में इसके विकास से संबंधित अध्ययन किया । इन सभी एवं इनके अतिरिक्त किये गये अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया कि संग्राविका का एक स्वस्थ ‖बेहतर‖ कार्यक्रम है । यदि हम यहाँ कार्यक्रम विकास समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं । [2]

1. चुने हुए लाभार्थियों में से लगभग 90 प्रतिशत लाभार्थियों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है ।
2. लगभग 97 प्रतिशत लाभान्वित परिवारों को उनकी आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुसार लाभ प्रदान किया गया ।
3. संग्राविका के क्रियान्वयन से लगभग 90.7 प्रतिशत लाभार्थी परिवारों के रोजगार में वृद्धि हुई है ।
4. 88 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि संग्राविका के क्रियान्वयन से उनकी आय में वृद्धि हुई है ।
5. 77 प्रतिशत चुने गये लोगों के अनुसार संग्राविका से जुड़ने के बाद उनके उपभोग स्तर में वृद्धि हुई है ।
6. 64 प्रतिशत लाभार्थियों के अनुसार योजना में चुने जाने के बाद गांव में उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई है ।

---

1. स्रोत:- विभिन्न राज्यों की दी गई सहायता 1987-88, जनरल आफ रूरल डवलपमेंट वॉलियम-9 ‖1‖ पेज 36 एन० आई० आर० डी० हैदराबाद
2. स्रोत :- रिपोर्ट समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रगति संगठन योजना आयोग नई दिल्ली मई 1985

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को उपलब्ध अनुदान की मात्रा को भी 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। चुने गये अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान की अधिकतम सीमा 5000 रुपये तक कर दी गई है। इस निर्णय से चालू वर्ष में लगभग 8.5 लाख अनुसूचित परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान की बड़ी मात्रा मिल सकती। [3]

सारणी क्रमांक २.५

सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	परिवारों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य लाख में	उपलब्धि लाख में	पूर्व परिवार लाख में	कुल आवंटन करोड़ रु0 में	धन का उपभोग करोड़ रु0 में	साख मूवलाइज्ड करोड़ रु0	कुल रु0 करोड़ [6+7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1985-86	24.71	30.60	9.25	407.36	441.10	730.16	1171.26
1986-87	35.00	37.47	15.46	543.83	613.38	1014.88	1628.26
1987-88	39.64	42.47	18.00	613.38	727.44	1175.35	1902.79
1988-89	31.94	37.72	8.00	687.95	768.44	1231.62	2000.06
योग	131.29	148.26	50.71	2252.52	2550.36	4152.01	670237

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 पेज 23, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

3. स्रोत- ग्रामीण विकास न्यूज लेटर मई 1990 कृषि मंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन पेज नं0 2

योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति का एवरेज

सारणी क्रमांक 2.5

वर्ष	भौतिक प्रगति रु0 लाख में	प्रतिशत में	अनुदान वितरण रु0 करोड़ में	ऋण वितरण रु0 करोड़ में
1985-86	13.23	43.22	161.08	269.00
1986-87	16.80	44.83	289.92	385.35
1987-88	18.91	44.71	279.75	451.52
1988-89	17.50	46.39	298.63	481.83

सारणी क्रमांक 2.6

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्षेत्रवार प्रगति (प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1985-86	48.62	17.18	34.20
1986-87	45.30	18.55	351.15
1987-88	41.16	18.54	40.30
1988-89	41.81	19.32	38.87

सारणी क्रमांक 2.7

1989-90 की प्रगति दिसम्बर 89 तक

लक्ष्य	लक्ष्य 1989-90	उपलब्धि	प्रतिशत
भौतिक प्रगति (लाख में)			
कुल लाभान्वित परिवार	29.09	19.96	68.60
अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार	30.00%	9.00	45.09
वित्तीय प्रगति रु0 करोड़ में			
कुल आवंटन	747.75	455.51	60.92
केन्द्रीय अंश एवं रिलीज	375.00	714.76	61.38
योग	1164.40	714.76	61.38

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90, पेज 23, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

सामूहिक बीमा योजना :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए

सामूहिक जीवन बीमा योजना । अप्रैल 1988 से सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से लागू की गई है । सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को तुरन्त राहत सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 30 से 40 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे इस योजना का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि बीमा योजना में लाभार्थी को प्रीमियम का भुगतान बिल्कुल नहीं करना होता है इसका भुगतान केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार बराबर के अंशदान के आधार पर करती है ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का वित्तीय पोषण

सारणी क्रमांक २.७
।लाख रुपये में ।

योजना का नाम	अनुमोदित व्यय 1988-89	अनुमोदित व्यय 1989-90	अनुमोदित व्यय 1990-91
ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता			
।1। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	410.00	410.00	423.00
।2। स्वच्छता	20.00	20.00	20.00
ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम			
।1। सामुदायिका	355.00	390.00	390.00
।2। ट्राइसेम	6.60	8.00	8.00
।3। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम	51.26	51.26	51.26
।4। रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
।1। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	730.00	-	-
।2। रा0 दीप ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	529.43	-	-
।3। जवाहर रोजगार योजना	-	2100.00	2100.00

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90, पेज 57, के अंश ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

छठवीं योजना काल में सगोपिका के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धियां

सारणी क्रमांक २.9 । राशि लाख रुपयों में ।

क्र०	राज्य संघ राज्य	कुल आवंटन 1980-85	उपयोग 1980-85	जुटाया गया सावधिऋण
1.	आन्ध्र	11436.00	13322.31	24395.94
2.	आसाम	4690.00	4220.28	6117.85
3.	बिहार	20545.00	17078.81	30018.40
4.	गुजरात	7630.00	7469.55	13004.10
5.	हरियाणा	3141.00	3353.00	4829.70
6.	हिमांचल प्रदेश	2415.00	2318.57	2861.93
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3233.00	2005.35	25.42.47
8.	कर्नाटक	6125.00	7922.67	14935.81
9.	केरल	5152.00	5176.89	14489.05
10.	मध्य प्रदेश	16046.00	15125.49	33579.29
11.	महाराष्ट्र	10360.00	10445.87	22539.00
12.	मणिपुर	910.00	00406.24	22.38
13.	मेघालय	936.00	261.41	-
14.	नागालैण्ड	735.00	624.00	-
15.	उड़ीसा	10990.00	8751.86	12952.04
16.	पंजाब	4111.00	4591.38	7399.57
17.	राजस्थान	8184.00	8982.84	13305.74
18.	सिक्किम	140.00	101.90	11.11
19.	तमिलनाडु	13211.00	14662.02	25725.46
20.	त्रिपुरा	595.00	658.01	1179.90
21.	उत्तर प्रदेश	30836.00	31173.46	73049.52
22.	पश्चिमी बंगाल	11725.00	5393.45	8818.91
23.	अण्डमान निकोबार	175.00	10.49	14.28
24.	अरुणाचल प्रदेश	1680.00	761.67	-
25.	चंडीगढ़	35.00	2.97	-
26.	दादरा नगर हवेली	35.00	28.94	36.33

27.	दिल्ली	175.00	202.00	405.65
28.	गोआ	420.00	415.45	591.85
29.	लक्षद्वीप	175.00	99.85	-
30.	मिजोरम	700.00	410.15	6.80
31.	पांडिचेरी	140.00	138.60	232.64
	भारत	176681.00	166116.28	300161.85

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय पेज 100, 101 भारत सरकार

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठवीं योजना में प्रगति ।भौतिक प्रगति।

सारणी क्रमांक 2.10

क्र0	राज्य/संघ	लक्ष्य 1980-85	उपलब्धि 1980-85	अनु.जाति/ज.जा.
1.	आन्ध्र	979200	1212699	619512
2.	आसाम	402000	306541	95027
3.	बिहार	1761000	1623135	721610
4.	गुजरात	654000	751437	262591
5.	हरियाणा	268200	481291	126977
6.	हिमांचल प्रदेश	207000	215209	121240
7.	जम्मू एवं काश्मीर	270600	174004	28388
8.	कर्नाटक	555000	715101	177482
9.	केरल	440400	529979	157897
10.	मध्य प्रदेश	1375200	1425993	658304
11.	महाराष्ट्र	888000	262515	308652
12.	मणिपुर	70200	31149	22732
13.	मेघालय	79200	23845	17250
14.	नागालैण्ड	63000	47893	47893
15.	उड़ीसा	942000	921761	410266
16.	पंजाब	252200	395762	202149
17.	राजस्थान	700800	710076	395808

18.	सिक्किम	12000	9961	2525
19.	तमिलनाडु	1131000	1396016	462828
20.	त्रिपुरा	51000	52423	25057
21.	उत्तर प्रदेश	2641200	3432349	1271494
22.	पश्चिमी बंगाल	1005000	713551	262793
23.	अण्डमान निकोबार	9650	863	58
24.	अरुणाचल प्रदेश	104400	43978	43978
25.	चण्डीगढ़	2475	1206	32
26.	दादरा नगर हवेली	3000	1666	1520
27.	देहली	15000	16845	4834
28.	गोआ दमन द्वीप	35200	30730	2633
29.	लक्षद्वीप	10800	1510	1510
30.	मिजोरम	60000	12493	12493
31.	पांडिचेरी	12000	16845	4756
	सम्पूर्ण भारत	14100725	16562727	6462349

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 पेज 98-99 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की भौतिक प्रगति

सारणी क्रमांक 2·11

सन् 1989-90 दिसम्बर 89 तक

राज्य संघ राज्य	माह तक	कुल लक्ष्य	उपलब्धि पुराने परिवार	नये परिवार	योग	अनु. जा. लाभार्थी	अनु. जा. प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	12	214229	-	170731		61547	36.05
अरुणाचल प्र0	11	18275	1257	1248		00	00
आसाम	12	58509			13219	1603	4.83
बिहार	12	429239	10476	257108	267584	87836	32.83
गोआ	12	003809		3310	3310	12	0.97

गुजरात	12	88220	3281	80840	84121	11390	13.54
हरियाणा	12	211110	1380	26969	28349	8871	31.29
हिमांचल प्र0	12	7558	-	-	19529	9306	47.65
जम्मू कश्मीर	11	10555	119	8231	8356	775	9.26
कर्नाटक	12	134088	7034	68596	75630	18684	24.70
केरल	11	72843	-	44526	44526	12770	28.52
मध्य प्रदेश	12	284075	-	-	181082	38984	21.53
महाराष्ट्र	12	229475	2935	156100	139035	33659	21.16
मणिपुर	12	1694	-	-	1992	9	0.45
मेघालय	11	5082	9	1135	1144	00	00
मिजोरम	12	7615	-	2336	2336	00	00
नागालैण्ड	10	7995	104	1591	1695	00	00
उड़ीसा	12	140343	2941	94671	97612	20962	21.47
पंजाब	12	17852	-	29458	29458	14690	49.87
राजस्थान	12	136825	480	94989	95469	29467	30.87
सिक्किम	10	1523	-	-	809	27	3.34
तमिलनाडु	12	192337	-	159163	159163	77934	48.96
त्रिपुरा	12	5994	322	2537	2859	383	13.40
उ0 प्र0	12	573362	11642	379162	390204	178833	45.83
प0 बंगाल	11	239639	7249	124135	124135	43552	33.00
सम्पूर्ण भारत		2908897	48739	1709095	1995589	651601	32.65

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90, पेज 58, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार सारणी क्रमांक 212

तग्राविका की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 1990-91 (अस्थाई)

मद	लक्ष्य 1990-91	उपलब्धि अस्थाई	प्रतिशत
भौतिक प्रगति			
कुल लाभान्वित परिवार (लाख में)	23.71	29.05	122.56

अनुसूचित जाति/जन जाति			
लाभार्थी परिवार	50%	48.74%	-
महिला लाभार्थी	40%	30.51%	-
वित्तीय प्रगति (करोड़ रु0 में)			
कुल आवंटन	747.31%	802.36	107.37
केन्द्रीय अंश एवं रिलीज	374.56	346.59	92.53
ऋण	1196.40	1168.32	87.65

स्रोत :- ग्रामीण विकास न्यूजलेटर ग्रामीण विकास, विभाग कृषि मंत्रालय का प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्ट 1990-91, पेज 4

1990 के दौरान 802.36 करोड़ रुपये के फण्ड का प्रयोग किया गया। अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 50 प्रतिशत के लाभार्थियों के विपरीत इस अवधि में 48.74 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति के लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई गई।

(2) ट्राइसेम :- ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की यह राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1979 को आरम्भ की गई थी। यह स्कीम मुख्यता उन लोगों के लिए है जो गांव में ही रहकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना में मुख्य वर्ष 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवकों को आवश्यक दस्तकारी तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर जोर दिया जाता है, ताकि वे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों, उद्योग सेवाओं तथा व्यवसाय के विस्तृत क्षेत्रों में स्वरोजगार के धन्धे आरम्भ कर सकें। यह प्रस्ताव रखा गया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को लाभान्वित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्यो को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण युवाओं को इस क्षेत्र के व्यवसाय तथा कृषिगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह प्रशिक्षण आवश्यकता पर आधारित है। प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पोलिटेक्नीकों तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों में दिया जाता है। कुशल कारीगर भी प्रशिक्षण दे सकते हैं।

प्रशिक्षण की कोई अवधि निश्चित नहीं है और 6 महीने तक के पाठ्यक्रमों

प्रशिक्षण की कोई अवधि निश्चित नहीं है और 6 महीने तक पाठ्यक्रमों के बारे में जिला स्तर पर और इससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के बारे में जिला स्तर पर निर्णय किया जाता है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (मैन्युअल 1991 के अनुसार) 50 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के होना चाहिए ।

कार्यक्रम में लाभार्थी के चयन हेतु विकास खण्ड अधिकारी जन सामान्य से एक निश्चित प्रारूप में प्रार्थना पत्र आमंत्रित करता है बाद में एक समिति जिसमें विकास खण्ड अधिकारी तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के सदस्य होते हैं । लाभार्थियों का चयन करते हैं ।

<u>ट्राइसेम</u>

(क) <u>प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति</u> :- ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को निम्न छात्रवृत्तियों की सुविधा दी जाती है ।

1. यदि प्रशिक्षण गांव में ही दिया जाता है तो प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमास 150 रु0 तक दिया जाता है ।

2. यदि प्रशिक्षण गांव के अलावा अन्य स्थान पर दिया जाता है और आवास की सुविधा निशुल्क है तो प्रतिमास प्रति प्रशिक्षणार्थी 250 रु0 तक यदि प्रशिक्षण की अवधि एक मास से कम है तो 250 रु0 अधिकतम 125 रु0 के आधार पर प्रति प्रशिक्षणार्थी को 10 रुपये दैनिक पूंजी का दिया जाता है ।

3. यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी को गांव में के अलावा अन्य स्थान पर दिया जाता है और निशुल्क आवास की कोई व्यवस्था नहीं है तो प्रतिमास प्रति प्रशिक्षार्थी 300 रु0 तक । यदि प्रशिक्षण अवधि एक महीने सेकम है तो अधिकतम 150 रु0 के आधार पर प्रति प्रशिक्षार्थी को 12 रुपये दैनिक वजीफा दिया जा सकता है ।

<u>प्रशिक्षार्थी को निशुल्क औजार पेटी</u> :- प्रशिक्षण के दौरान स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षार्थी को 500 रु0 की लागत वाली एक औजार पेटी निशुल्क दी जा सकती है । मजदूरी रोजगार के लिए प्रशिक्षित युवकों को औजार पेटी नहीं दी जाती है ।

प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण अवधि के लिए 50 रु0 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से राशि देय है । प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कुल मिलाकर 50 रु0 प्रति प्रशिक्षार्थी के हिसाब से अन्य धनराशि मास्टर कारीगर को दी जाती है । एक मास्टर कारीगर को एक समय में केवल तीन प्रशिक्षार्थी सौंपे जा सकते हैं ।

प्रशिक्षण संस्थाओं/मास्टर कारीगरों को प्रशिक्षणार्थियों के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु प्रशिक्षण अवधि में 200 रु0 की सीमा अधिकतम के आधार पर प्रतिमास प्रति प्रशिक्षार्थी 25 रु0 की राशि का भुगतान किया जा सकता है ।

प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उनको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके अदान की सहायता के तरीके के अनुसार सहायता दी जाती है । प्रशिक्षणार्थी को उपदान के सम्बन्ध में अपेक्षित ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । ट्राइसेम का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संभावित लाभार्थी होता है ।

सारणी क्रमांक 2.13

ट्राईसेम की प्रगति (छठवीं और सातवीं योजना काल में)

युवकों की संख्या

(अ) छठवीं योजना

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	स्वरोजगार स्थापित किया
1980-81	200440	124425	52157
1981-82	200440	216928	94582
1982-83	200440	250357	130554
1983-84	200440	205736	110767
1984-85	203680	217249	90336
(ब) सातवीं योजना			
1985-86	लक्ष्य निर्धारित नहीं	177510	82028
1986-87	किया गया	183598	88538
1987-88	" "	196145	99868
1988-89	" "	221821	96380

1989-90 दिसम्बर 89 तक	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	69136	28581

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार पेज - 60

छठवीं योजना अवधि में सन् 1980-81 में लक्ष्य के विपरीत केवल 62 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, शेष वर्षों में लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि क्रमशः 108 प्रतिशत, 125 प्रतिशत, 102 प्रतिशत तथा 106 प्रतिशत रहीं। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। छठवीं योजना में औसत रूप से 46.4 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण के बाद स्वयं के प्रयत्नों द्वारा रोजगार स्थापित किया। सातवीं योजना काल में रोजगार स्थापित करने वालों की संख्या निम्न प्रकार रही।

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्होंने स्व रोजगार स्थापित किया	प्रशिक्षणार्थी जोतेवा में लगे गए	कुल रोजगार स्थापित
		←--------	प्रतिशत	--------→
1985-86	177510	46	10	56
1986-87	184598	48	9	57
1987-88	196145	51	13	64
1988-89	221821	43	13	56
1989-90 दिसम्बर 89 तक	69136	41	11	52

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार पेज - 60

सातवीं योजना काल में प्रशिक्षित युवकों में से औसत रूप से 45.8 लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किया इसके विपरीत 11 प्रतिशत युवक मजदूरी पर कार्य करने लगे इस प्रकार योजना काल में प्रशिक्षित युवकों में से 55 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

छठवीं एवं सातवीं योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा महिलाओं का एवरेज -

वर्ष	संख्या	अनु0जाति/जनजाति प्रतिशत	महिलायें संख्या	प्रतिशत
छठवीं योजना -				
1980-81	31826	25	29010	23
1981-82	58572	27	64984	30
1982-83	77422	31	87507	35
1983-84	79660	38	82195	39
1984-85	86448	39	79048	36
सातवीं योजना -				
1985-86	70659	39	69755	39
1986-87	78086	42	86422	46
1987-88	82324	42	92754	47
1988-89	88411	44	30911	45

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार पेज 60

सातवीं योजना काल में लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति वर्ग के थे । छठवीं योजना काल में प्रथम वर्ष 25 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 27 प्रतिशत लाभार्थी के 1/3 से अधिक लाभार्थी इस वर्ग के सदस्य थे ।

इस प्रकार छठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में अनुसूचित जाति / जन जाति के सदस्यों के प्रतिश निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई । इन दोनों वर्षों में 30 प्रतिशत लक्ष्य के विपरीत क्रमशः 25 एवं 27 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष 1982-83 से वर्ष 1989-90 तक प्रत्येक वर्ष लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि संतोष जनक रही है ।

इसी प्रकार दोनों योजना काल में कुल लाभार्थियों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत भी संतोषजनक रहा है ।

Coverage Of S.C.
Under
TRYSEM
1Cm = 10%
50
30
25
0
1985-86
1988-89
1989-90
1990-91
TARGET
COVERAGE

सारणी क्रमांक 2.15

ट्राईसेम की राज्य वार प्रगति 1988-89

क्र० राज्य	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	प्रशिक्षार्थी स्वरोजगार में लगे	प्रशिक्षार्थी वेतन रोजगार में	अनु०जा० के प्रशिक्षार्थी
1. आंध्र प्रदेश	13934	6477	881	6855
2. अरुणाचल प्रदेश	253	59	-	253
3. असम	4865	1132	227	1813
4. बिहार	22196	7871	969	9007
5. गोआ	1647	993	346	18
6. गुजरात	14978	6035	1140	5400
7. हरियाणा	2218	395	461	810
8. हिमांचल प्रदेश	1766	826	275	1004
9. जम्मू एवं कश्मीर	1953	139	-	-
10. कर्नाटक	6023	616	162	1959
11. केरल	5925	2188	3169	2203
12. मध्य प्रदेश	15463	7774	2424	8517
13. महाराष्ट्र	15106	9365	2547	6706
14. मणिपुर	1297	374	-	544
15. मेघालय	-	-	-	-
16. मिजोरम	739	285	145	739
17. नागालैण्ड	744	414	68	744
18. उड़ीसा	16989	9101	4602	7893
19. पंजाब	7364	6172	544	3952
20. राजस्थान	16500	7364	2963	8580
21. सिक्किम	81	02	20	41
22. तमिलनाडु	12957	4817	-	275
23. त्रिपुरा	1510	595	33	640
24. उत्तर प्रदेश	42977	17812	1734	17125

25 पश्चिम बंगाल	13212	4897	4995	3923
26. अण्डमान निकोबार	126	70	02	52
27. चण्डीगढ़	-	-	-	-
28. ददरा एवं नगरह.	63	17	-	63
29. दिल्ली	650	243	-	247
30. दमन एवं दीप	80	58	20	17
31. लक्षद्वीप	18	8	10	18
32. पांडिचेरी	187	81	106	13
सम्पूर्ण भारत	221821	96380	27843	89411

स्रोत :- वार्षिकरिपोर्ट 1989-90 पेज 61, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार

सारणी क्रमांक 2.16

ट्राईसेम की वित्तीय प्रगति (लाख रुपये में)

वर्ष	प्रशिक्षण में व्यय	प्रशिक्षित संस्थानों पर व्यय
छठवीं योजना	(केन्द्र तथा राज्यांश)	(केन्द्रांश)
1980-85	5754.50	387,99
सातवीं योजनाकाल		
1985-85	1868.23	62.04
1986-87	2068.11	493.20
1987-88	2467.75	457.89
1988-89	3047.36	768.28
1989-90	1560.24	627.01
	(नवम्बर 89 तक)	(दिसम्बर 89 तक)

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 पेज 60 ग्रामीण विकासविभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ।

ट्राईसेम के अन्तर्गत छठवीं योजना अवधि में 5754.50 लाख रुपया प्रशिक्षण पर व्यय किया गया । सातवीं योजना में दिसम्बर 89 तक 11010.69 लाख रुपया प्रशिक्षण पर व्यय किया जा चुका है । वर्ष 1980-85 की योजना अवधि में 387.99

लाख रुपया प्रशिक्षण संस्थाओं पर व्यय किया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को पहले चलाये गये कार्यक्रम "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के स्थान पर अपनाया गया । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में आरम्भ किया गया तथा अप्रैल 1981 से यह कार्यक्रम छठवीं योजना का नियमित अंग बना गया । तब से यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर अंशदान के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित हो रहा है ।

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार/आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना है । इसके साथ-साथ गरीब समूह को सीधे तथा निरन्तर लाभ के लिए उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक वानिकी के आधार पर ढांचों को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के समग्र स्तर में सुधार करने की परिकल्पना की गई है । यह कार्यक्रम चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ घनिष्ठ संयोजन में यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है कि विकास और रोजगार एक दूसरे के सहायक बने और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके ।कार्यक्रम के प्रमुख रूप निम्न हैं -

1. यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सके ।

2. ग्रामीण समुदायों की ग्राम पंचायतों की बैठकों में मालूम की गई तत्कालिक आवश्यकताओं के आधार प्रत्येक विकास खण्ड/जिले के लिए कए एक शेल्फ प्रोजेक्ट तैयार किये जाते हैं । शेल्फ प्रोजेक्ट के आधार पर जिले के लिये प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में एक वर्षीय कार्यवाही योजना तैयार की जाती है ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परियोजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और उसमें लम्बी अवधि का रोजगार प्रदान करने, उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिये आधार प्रदान करने तथा महत्वपूर्ण आधार ढांचे की त्रुटियों को पूरा करने की उसकी क्षमता हो ।

4. कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य मुख्यता पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से ही किये जाते हैं, ता कि गांव में रहने वाले लोग विकास के कार्यक्रम में शामिल हो सके ।

5. मजदूरों को मजदूरी के एक भाग के रूप में प्रति व्यक्ति एक किलो खाद्यान्न दिया जाता था । 16.1.84 से खाद्यान्नों को राज्य सहायता दर पर वितरित किया जा रहा है । सहायता की पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है । कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये 1985-86 के दौरान 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूँ आवंटित किया गया था ।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत रोजगार संबंधी अनुसूची की दरों के आधार पर किया जाता है । मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक है और किसी भी हालत में मजदूरी का भुगतान 15 दिन से अधिक देर से नहीं होना चाहिए ।

7. राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का आवंटन एक निर्धारित प्रतिमान के आधार पर किया जाता है । इसमें 75 प्रतिशत बल राज्य के कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त कृषकों की संख्या पर दिया जाता है । 25 प्रतिशत बल राज्य में निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है राज्यों द्वार जिलों को बल आंबंटन में यही प्रतिमान अपनाये जाते हैं । जहां निर्धनता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उन जिलो ँ को साधनों का आवंटन करते समय जिलें में अनुसूचित जाति/अन0 जन जाति की संख्या पर बल दिया जाता है ।

8. केवल अनु0 जातियों /अनु0जन जातियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाले निर्माण कार्यों के लिये 10 प्रतिशत में संसाधन निर्धारित किये जाते हैं तथा 20 प्रतिशत भाग सामाजिक वानिकी के कार्या पर निर्धारित किया जा सकता है ।

9. प्रत्येक जिले को किये गये आवंटनों में से 50 प्रतिशत भाग गैर मजदूरी संघटकों पर व्यय किया जा सकता है ।शेष 50 प्रतिशत भाग किसी भी हालत में केवल मजदूरी भुगतान के हेतु प्रयोग किया जा सकता है ।

10. आवंटनों का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत भाग अगले वर्ष के लिए रखने की अनुमति है । यदि निर्धारित सीमा से अधिक धन शेष रहता है तो अगले वर्ष के लिए किये जाने वाले आवंटनों में उतना भाग कम कर लिया जायेगा । जितना गत वर्ष शेष रहा था ।

11. कुल व्यय का 5 प्रतिशत भाग प्राथमिक खर्च तथा अन्य आकस्मिक खर्चों हेतु जिसमें प्रशिक्षण व मूल्यांकन शामिल है, के लिए इस्तेमाल की जाती है।

12. प्रसिद्ध स्वैच्छिक ऐजेन्सियों को कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमत कार्य करने का काम सौंपा जा सकता है।

13. कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए ठेकेदारों या बिचौलियों को रखने की अनुमति नहीं है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन ग्रामीण कार्यों को हाथ में लिया जाता है जिनमें टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है। व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों की अनुमति केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, श्रमिक पट्टेदारों के मामले में अपवाद स्वरूप दी जा सकती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम में सरकारी/सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, अनु० जाति/ अ०ज०जा० को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रम जैसे - मकानों का निर्माण, भूमि का विकास करना, लघु सिंचाई टैंकों का निर्माण, जल धारा का ढांचा बनाना तथा जल संरक्षण से संबंधित कार्य, बाढ़ से बचाव आदि।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थाई स्वरूप की उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों को सृजित करने वाले सभी प्रकार के ग्रामीण विकास निर्माण कार्य शुरू किये जा सकते हैं। बरीयता क्रम निम्न कार्यों को दी जाती है -

1. निर्धन वर्गों के सदस्यों को सीधे ही तथा निरन्तर अधिकतम लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रम।

2. वे कार्य जो लाभार्थी समूह के अपने हो अथवा जिनको उन्हें सौंपा जा सके। जिससे समूह या तो उनका सीधा लाभ उठा सके या उन परिसम्पत्तियों से पैदा हुई उन सुविधाओं/सेवाओं को बेच सके, ताकि समूहों को लगातार आमदनी हो सके। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे निर्धनता निवारक, कार्यक्रमों की आधार भूत ढांचे के लिए अपेक्षित कार्यों तथा प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माण विशेष रूप से उन राजस्व वाले गांवों में, जहां प्राथमिक पाठशालायें तो हैं, परन्तु उनके भवन नहीं हैं, को ही उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिस प्रकार के कार्य शुरू

किये जा सकते हैं, ये निम्न लिखित हैं।

1. सरकारी और पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, सड़कों के दोनों तरफ पौधारोपण, नहरों के दोनों किनारों और बंजर भूमि पर एवं रेल्वे लाइनों के साथ साथ पड़ी भूमि आदि के पर पौधरोपण जिसमें ईंधन प्राप्त करने वाले वृक्षों चारा व फल वृक्षों का रोपण शामिल हैं। निजी भूमि पर पौधारोपण हेतु पौधों का वितरण/विक्रय बशर्ते कि विकृत राशि संबंधित जिला ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किया जाये।

2. मिट्टी तथा जल संरक्षण कार्य।

3. लघु सिंचाई कार्य जिसमें सामुदायिक सिंचाई, कुओं का निर्माण माध्यमिक तथा मुख्य नालियों का निर्माण तथा खेतों में नालियों का निर्माण।

4. बाढ़ बचाव, नालियों तथा जल भराव के कार्य।

5. मानवीय उपयोग तथा पशुओं के लिये जल उपलब्ध कराने अथवा सिंचाई हेतु या मछली पालन के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्य तथा ग्रामीण तालाबों का का निर्माण एवं नवीनीकरण।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की निजी जोतों पर और भू-सीमा या फालतू भूमि के आवंटनों की भूमि पर सिंचाई कुओं तथा खेत की नालियों का निर्माण।

7. ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण तथा हैण्डपम्पों/स्टैण्ड पोस्टों के निकट नालियों/सोखतों जैसे ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य।

8. अनु0जाति/अनु0 जन जाति के सदस्यों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए सुविधा सम्पन्न बस्तियों में आवासों का निर्माण जो मार्ग दर्शिकाओं के अनुरूप हो। मार्ग दर्शिकाओं में बताई गई प्रचलनात्मक पद्धति ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम परियोजना पर लागू है। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय परियोजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर वैसे ही अनुमोदित की जाये जैसे कि अन्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है।

9. निर्धारित मानकों और विनिर्देशनों तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

10. प्राथमिक पाठशाला भवनों के अलावा अन्य भवन के लिए निर्माण कार्यों को कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । तथापि ग्रामीण बैंकों के भवनों को खाद्य सामानों को रखने के लिए गोदामों, लक्षित समूह के लाभार्थियों के लिए सामुदायिक कार्यशालाएँ, कमजोर वर्गों आदि की जन संख्या वाले क्षेत्रों में मंडी अहातों के निर्माण कार्यों तथा उन निर्माण कार्यों को दूसरे कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देकर शुरू किया जा सकता है, जिनसे किराये, मंडी फीस आदि के द्वारा स्थानीय पंचायतों के संसाधन बढ़ने में मदद मिल सके, ताकि स्थानीय स्तर पर रखरखाव हेतु कुल संसाधनों में बढ़ोत्तरी हो सके ।

11. औषधालय , पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र आदि कार्य विशुद्ध रूप से सामाजिक और सामुदायिक कार्य हैं । यद्यपि ये कार्य सम्पूर्ण विकास के विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं , किन्तु इन्हें अपेक्षाकृत कम वरीयता दी जानी चाहिए ।

उपर्युक्त सूची केवल उदाहरण स्वरूप है न कि सम्पूर्ण ।

सारणी क्रमांक 3.17

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

छठवीं योजना वर्ष	नकद धन (करोड़ रूपये में)		खाद्यान्न (लाख मी0टन में)	
	उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग
1980-81	348.11	225.28	15.63	13 34
1981-82	454.02	318.48	3.43	2.33
1982-83	524.49	396.12	3.57	1.72
1983-84	525.24	392.89	2.88	1.44
1984-85	592.70	501.48	2.92	1.17
योग	2444.56	1834.25	28.43	20.03

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1985-86, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ।

छठवीं योजना में 1500 से 2000 लाख श्रम दिनों को जुटाने के लक्ष्य के

के विपरीत तुलना में योजना अवधि के दौरान 1775 लाख श्रम बेरोजगार उपलब्ध कराया गया ।

सारणी क्रमांक - 2.18

रोजगार सूचना (लाख मानव दिवस)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1980-81	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	413.38
1981-82	335.73	354.52
1982-83	353.22	351.80
1983-84	322.23	302.76
1984-85	309.13	353.12
योग	-	1775.18

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 पेज 24, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ।

छठवीं योजना के दौरान निम्न लिखित विवरण के अनुसार ग्रामीण आधारभूत ढाचे को मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्यामें परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया । सारणी क्रमांक 2.19

परिसम्पत्तियों का स्वरूप	इकाई	उपलब्धि
1. सामजिक वानिकी के अन्तर्गत शामिल किया गया क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	4.69
2. सिंचाई कुये, ग्रुप हाउसिंग आदि	लाख संख्या	4.80
3. गांव के तालाबों का निर्माण	लाख संख्या	0.54
4. लघु सिंचाई द्वारा लाभान्वित क्षे.	लाख हेक्टेयर	9.32
5. भूमि संरक्षण, भूमि सुधार के द्वारा लाभान्वित क्षेत्र	" "	5.14
6. ग्रामीण सड़क निर्माण /सुधार	लाख कि.मी.	4.54
7. पेय जल कुये तालाब आदि	लाख संख्या	0.61

8. स्कूल/बालवाड़ी का निर्माण कार्य	लाख संख्या	2.23
9. अन्य कार्य	" "	2.07

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पेज 22, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार

छठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान 300 मिलियन से अधिक मानव श्रम दिनों के रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। योजना अवधि के दौरान अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लिये सृजित किया गया रोजगार कुल रोजगार का मोटे तौर पर 45 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि कार्यक्रम में अनु0 जातियोंएवं अनु0 जन जातियों को विशेष सहायता देने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया था।

सारणी क्रमांक -2.10

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

भौतिक उपलब्धियां

भौतिक उपलब्धियां	इकाई	1985-86	1986-87	87-88	88-89
1. सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत प्रयोग क्षेत्र	हेक्टेयर	52410.17	193162	100388	99853.37
2. वृक्षारोपण	लाख वृक्ष	2350.76	6065	3747.73	3021.44
3. अनु0जा0/ज.जा. के लाभार्थ कार्य	संख्या	32563	68975	117510	87856
4. पानी के टैंकों का निर्मा.	संख्या	2034	3940	5585	2994
5. लघुसिंचाई के अन्त. क्षेत्र	हेक्टेयर	12555.33	37952	42962.28	14939
6. सामाजिक निर्माण के अन्तर्गत क्षेत्र	" "	4890.09	3931	6652.86	5336
7. पेय जल कुओं का निर्मा.	संख्या	4514	12946	27292	177.59
8. ग्रामीण सड़क निर्माण	कि.मी.	13395.13	21877	37201.33	23047
9. स्कूल भवन/बालवाड़ी/ पंचायत घर निर्माण	संख्या	28807	21.41	21741	14219

10. अन्य	संख्या	23774	71508	129327	108511

रोजगार सृजन

। लाख।मिलियन मानव दिवस।

कुल ।अवयस्त।	288.6	392.63	369.73	379.57
अ. अनु0 जाति	92.1	129.56	129.67	146.20
ब. अनु0 जन जाति	36.6	66.71	70.97	59.94
स. भूमिहीन श्रमिक	66.4	117.70	140.18	157.13

स्रोत:- वार्षिक योजना प्रारूप1988-89 ग्रामीण विकास सेक्सन योना आयोग भारत सरकार ।

सारणी क्रमांक 2.24

सातवीं योजना काल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

। प्रथम चार वर्षों में ।

परिसम्पत्तियों का स्वरूप	इकाई	1985-86	86-87	87-88	88-89
1. सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र	लाख है.	1.16	2.18	1.67	1.50
2. वृक्षारोपण	करोड़	42.46	70.10	43.97	46.19
3. अनु0जाति /जन जाति के लाभार्थ किये गये कार्य	लाख	0.90	1.24	1.50	1.75
4. गांव में तालाबों का निर्माण	लाख	0.05	0.06	0.07	0.05
5. लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण द्वारा लाभा0 हेक्टेयर क्षेत्र	लाख	0.48	0.55	0.44	0.63
6. भूमि संरक्षण द्वारा लाभान्वित क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	0.16	0.04	0.09	0.12
7. पेयजल कुयें/तालाब	मि.लाख	0.21	0.16	0.41	0.38
8. ग्रामीण सड़क निर्माण/सुधार	लाख कि.मी.	0.63	0.39	0.48	0.45

Employment Generate

For S.C. S.T. Under

N.R.E.P. R.L.E.G.P.

58.1%
RLEGP

9. स्कूल/बालवाड़ी/पंचायत-घर का निर्माण कार्य	लाख	0.51	0.28	0.28	0.27
10. अन्य कार्य	लाख	1.00	1.36	1.69	1.95

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, पेज 76

सातवी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा, 18 प्रतिशत कार्य विभाग द्वारा 12 प्रतिशत कार्य लाभार्थी समितियों द्वारा तथा शेष 30 प्रतिशत वायलेंटरी आर्गनाइजेशन द्वारा अथवा विकास अण्ड अभिकरण द्वारा सम्पन्न कराये गये ।

सातवी योजना अवधि में कुल सृजित रोजगार में 39 प्रतिशत रोजगार अनु0 जाति के सदस्यों को 16 प्रतिशत रोजगार अनु0 जन जाति के सदस्यों को तथा शेष 45 प्रतिशत रोजगार अन्य वर्गों को प्राप्त हुआ ।

सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम पाने वालों में 25 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय रु0 1 से रु0 3500 , 45 प्रतिशत लोगों की आय 3501 से 6400 रु0 तथा 30 प्रतिशत लोगों की आय रु0 6400 से अधिक थी ।

73 प्रतिशत लोगों से घर से कार्य के स्थान की दूरी 1 कि.मी. से कम तथा 19 प्रतिशत लोगों के घरों से कार्य स्थान की दूरी 1 से 5 कि.मी. तक थी । शेष 8 प्रतिशत लोग प्रवासी थे ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को 1 माह में 13 दिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 7 दिन अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त हुआ । उसके /उसकी परिवार के सदस्यों को भी एक माह में 4 दिन काम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 12 दिन काम अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त हुआ । [4]

4स्रोत :- अनुसूची 29, वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 पेज 82 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से प्रथम परिचय 1983 में 15 अगस्त को हुआ । इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के बेहतर एवं अधिक अवसर प्रदान करना था । इस कार्यक्रम के द्वारा यह अपेक्षा की गई कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम ऐक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन तक रोजगार दिया जावेगा । यह कार्यक्रम मुख्यत: ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवारों के लिए था लेकिन अन्य बेरोजगार लोग भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. ग्रामीण भूमिहीनों के लिए अधिक और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ।

2. ग्रामीण आधारभूत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिये टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तीव्र उन्नति में सहायक होगी ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के समग्र जीवन स्तर में सुधार लाना ।

आवंटन के मानदण्ड :- इस कार्यक्रम को शत प्रतिशत सहायता केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है । आवंटन में प्रतिशत बल कृषि मजदूरों, सीमान्त किसानों तथा सीमान्त मजदूरों की संख्या पर दिया जाता है । तथा शेष 50 प्रतिशत बल ग्रामीण गरीबी के प्रभाव को दिया जाता है । वर्ष 1985-86 तक गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल दिया जाता था ।

इस कार्यक्रम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित परियोजनाओं तथा कार्यों के माध्यम से रोजगार सृजित किया जाता है । केन्द्रीय समिति राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तथा वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर तैयार की गयी परियोजनाओं का अनुमोदन करती है।

अनुमोदित परियोजनायें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । ये क्रियान्वयन अभिकरण नियमित विषय विभागों /जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा स्वैच्छिक एजेंसियाँ हो सकती हैं ।

कार्यक्रम के घटक :-
-------------- सरकार की नीति के अनुरूप कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यों को मोटे तौर पर चार भागों में बांटा जा सकता है ।

1. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनु0 जातियों, अनु0 जन जातियों के लिये तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिये छोटी-छोटी बस्तियों तथा आवास यूनिटों का निर्माण ।

2. सामाजिक तथा फार्म वानिकी के कार्य ।

3. ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों का निर्माण ।

4. अन्य कार्य जैसे लघु सिंचाई योजनायें सड़कें, वाटर सेट प्रोजेक्ट्स तथा भूमि पर आधारित अन्य परियोजनायें आदि ।

इंदिरा आवास योजना :-
---------------------- सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के एक मुख्य घटक के रूप में इंदिरा आवास योजना को सम्मिलित किया गया। उक्त योजना का उद्देश्य अनु0 जाति /जन जाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं, छोटी-छोटी बसावतों में मकानों का निर्माण कराकर इस वर्ग को प्रदान करना है ।

सातवीं योजना में योजनाअवधि के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक मिलियन मकानों के निर्माण की योजना रखी गयी है । योजना के लिये राशि वर्ष दर वर्ष निर्धारित की जानी है । 1985-86 में 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी । सन् 1986-87 में यह राशि बढा कर 125 करोड़ रु0 कर दी गई थी ।

सामाजिक वानिकी :-
------------------ सामाजिक वानिकी एक ओर पारिस्थितिक संतुलन बनाने तथा पर्यावरण का विकास करने का एक माध्यम है तथा दूसरी ओर ग्रामीण निर्धनों के लिये रोजगार के साथ-साथ ईंधन की लकड़ी और चारा भी उपलब्ध कराती है । वर्ष 1985-86 में कार्यक्रम के निर्धारित घटक के रूप में शामिल किया गया था । तब आवंटनों का 20 प्रतिशत भाग सामाजिक वानिकी के लिये निर्धारित किया गया वर्ष 1986-87 में यह इस व्यवस्था के साथ 20 से बढा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया कि निधियों का 5 प्रतिशत विकेन्द्रीकृत नर्सरियों के सृजन पर खर्च किया जायेगा सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि सरकारी एवं सामाजिक भूमि पर विकसित की

जाती है । उन गांवों या क्षेत्रों में जहां वृक्षारोपण के लिये सामुदायिक भूमि उपलब्ध नहीं है । निम्न कोटि के आरक्षित बनों में भी पुन: वृक्षारोपण की स्वीकृति दी गई है । कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये वृक्षों का भोगाधिकार स्थानीय समुदाय विशेषकर उन लोगों को है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं । अनु0 जातियां /जन जातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की भूमि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि की आवंटितियों की भूमि भूदान भूमि , बंजर भूमि तथा सरकारी भूमि पर फार्म वानिकी की स्वीकृति दी जाती है । बशर्ते कि वे छोटे या सीमान्त किसानों की हों और गरीबी की रेखा से नीचे के चयन किये गये व्यक्तियो की हों । फल, चारा, व ईंधन के वृक्षों का स्थानीय परिस्थतियों के आधार पर रोपण किया जा सकता है। राज्य तथा संघ शासित सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगायेक गये वृक्षों के पट्टे जारी किये जायें , ताकि यह कार्यक्रम न केवल गरीबी का कार्यक्रम बने बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके ।

ग्रामीण स्वच्छ शौचालय :-
------------------------ वर्ष 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत निर्धारित घटकों के रूप में ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों को एक घटक के रूप में जोड़ा गया । सातवीं योजनामें इस कार्य हेतु प्रति वर्ष 6 करोड़ रू0 रखें गये । इसमें निर्धारित व्यवस्थाके माध्यम से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना में 2.5 लाख स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव है । यह घटक गांवों में स्वच्छ वातावरण को बनाये रखने तथा महिलाओं , जिन्हें खुले में जाना पड़ता है, की मान मर्यादा को बनाये रखने के लिये शुरू किया गया है ।

अन्य कार्य :-
----------- इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रमसे संबंधित अन्य कार्य परियोजनायें भी शामिल हैं । अग्रता आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों को दी जाती है क्योंकि सातवी योजना में बल उत्पादक स्वरूप के रोजगार के सृजन को दिया गया है । यद्यपि निर्माण कार्यों पर उत्पादन तथा उत्पादकता से सीधा संबंध नहीं है । इसलिये कार्यक्रम के तहत इन्हें कम महत्व दिया गया है । स्कूल भवनों के मामले में विशेष छूट दी गयी है । उन गांवों में जहां प्राथमिक स्कूल बिना किसी अपने भवन के चलाये जा रहे हैं । वहां प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जा सकता है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्य क्रम में इस बातका ध्यान रखा

गया है कि मंजूर की गई परियोजनाओं में क्षेत्रीय कार्यकलापों का उचित मिश्रण हो तथा परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाली परियोजनाओं को महत्त्व दिया जाए जो कि आर्थिक रूप से उत्पादक स्वरूप की हो तथा लम्बी अवधि तक रोजगार के अवसर प्रदान करती हो । सिंचाई सुविधाओं के सृजन भूमि संरक्षण उपायों आर्थिक रूप से उत्पादक ईंधन लकड़ी चारे तथा फल वृक्षों के माध्यम से पर्यावरण सुधार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सड़कों के निर्माण संचार व्यवस्था में लम्बे समय तक के लिये रोजगार के अवसरों का सृजन होता है ।

कार्यक्रम की विशेषतायें :- कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें निम्न लिखित हैं ।

1. मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित दरों पर किया जाता है ।
2. मजदूरी का कुछ भाग खाद्यान्न के रूप में दिया जाता है । यह निर्धारित किया गया है कि मजदूरी का 50 प्रतिशत भाग खाद्यान्नों के रूप में रियायती दरों पर दिया जाता है ।
3. परियोजना लागत का मजदूरी घटक परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से कम न होनी चाहिये ।
4. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों को लगाने की अनुमति नहीं है ।
5. आवंटन का 10 प्रतिशत अनिवार्य रूप से उन कार्यों के लिए होना चाहिए जिनसे अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों लाभान्वित हों ।

छठवीं योजना में प्रावधान तथा उपलब्धिता :- छठी योजना में कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया । जिसमें 499.97 करोड़ रुपये रिलीज किए गये । व्यय 384.74 करोड़ रुपये का हुआ था । 384.74 करोड़ रुपये के निवेश में 300 मिलियन श्रम दिनों के लक्ष्य की तुलना में 262.75 मिलियन श्रम दिनों के रोजगार का सृजन किया गया ।[5]

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 पेज 30, 31 ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ।

सृजन की स्थिति (खाद्यान्न के मूल्य सहित) (लाख रुपया)

वर्ष	आवंटन			रिलीज				रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस)		
	नकद	खाद्यान्न	योग	नकद	खाद्यान्न	योग	उपयोग	लक्ष्य	सृजन	प्रतिशत
1985-86	49900.00	7500.00	57400.00	49631.65	8403.75	58035.40	45317.32	2057.32	2475.76	120.34
1986-87	49575.00	15576.04	65151.04	48997.30	16016.47	64995.77	63591.45	2364.67	3061.43	129.48
1987-88	47700.00	16255.96	63955.96	47832.87	17008.53	64841.40	65353.09	2684.15	3041.06	113.30
1988-89	60300.00	7695.00	67995.00	71438.90	4716.14	76155.04	66937.08	2604.19	2965.57	113.88

नोट -(खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित दरों पर जोड़ा गया है।)

खाद्यान्न की मात्रा आवंटन रिलीज उपयोग सहित (मी० टन)

वर्ष	आवंटन	रिलीज	उपयोग
1985-86	500000	768514	310045.81
1986-87	943120	1041240	880695.64
1987-88	1000000	1041018	820255.00
1988-89	450000	278442	406046.00

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 पेज 72, 73, 74, 75 ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

Employment Generation
Total
NREP
RLEGP
EMP. GENERATION (MAN DAYS IN CRORES)
56.40
31.64
24.76
70.15
39.54
30.61
67.49
37.08
30.41
68.99
39.50
29.49
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
YEAR

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 49900.00 लाख रुपया तथा 7500.00 लाख रुपये का खाद्यान्न कार्यक्रम के क्रियान्वयान के लिए आवंटित किया गया था। इस अवधि में कुल रिलीज 58035.40 लाख रुपये का हुआ। इस वर्ष 43517.32 लाख रुपये का उपयोग किया गया। इस अवधि में 2057.32 लाख मानव श्रम दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। जबकि वास्तविक 2475.76 लाख मानव श्रम दिवस रहा। इस प्रकार लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि 120.34 प्रतिशत रही।

वर्ष 1986-87 में रोजगार सृजन की उपलब्धि लक्ष्य के विपरीत 129.48 प्रतिशत 1987-88 में 113.30 प्रतिशत तथा 1988-89 में 113.88 प्रतिशत रही।

सारणी क्रमांक 2.23

इंदिरा आवास योजना

वर्ष	आवंटन खाद्यान्न का मूल्य सहित (रु० लाख)	मकान संख्या लक्ष्य	निर्माणाधीन निर्मित	व्यय (रु० लाख)
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत			
1985-86	13200.30	144170	52320	5567.13
1986-87	16533.50	158420	151813	14806.06
1987-88	16535.50	158420	164055	16730.26
1988-89	13981.48	134793	137435	13154.49
	जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत			
1989-90	15738.74	154299	45524 (अस्थाई)	3852.67 (अस्थाई)

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार पेज 80

पूर्व में इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाती थी। वर्ष 1989-90 में भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विलय जवाहर रोजगार योजना में कर दिया गया। अतः इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आ गई।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

सारणी क्रमांक - २.२५

पूँजीगत परिसम्पत्ति का सृजन

क्षेत्र	इकाई	1985-86	1986-87	87-88	88-89
इंदिरा आवास योजना	लाख	0.52	1.52	1.64	1.37
सामाजिक वानिकी					
1. आच्छादित क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	5.33	2.40	227	1.74
2. वृक्षारोपण	करोड़	2.76	37.63	12.96	14.70
ग्रामीण शौचालय	लाख	-	0.62	0.66	0.26
विद्यालय भवन	लाख	0.08 एवम 11031 कक्ष	0.07 एवं 13772 कक्ष	0.05 एवं 12094 कक्ष	0.03 एवं 11107 कक्ष
ग्रामीण सड़क	लाख कि.मी.	1.20	152	1.23	0.06
भूमि संरक्षण	लाख हेक्टेयर	0.75	0.85	0.68	0.10
लघु सिंचाई	लाख हेक्टेयर	0.19	0.87	0.23	0.14
मिलियन कुंये	लाख	-	--	--	0.20

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 पेज 76 ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :- सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को विशेष रूप भूमि कटाव, जल के दबाव और पर्यावरण दूषित होने से बाधित किया जाता है। सूखे से फसल को क्षति होती है, चारे का अभाव और पेयजल की कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रहने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उपरोक्त लक्ष्यों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से 1973 में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप से शुरू किया गया । सबसे पिछले क्षेत्रों में विकास की राष्ट्रीय समिति ने 1981 में इन क्षेत्रों के विकास की योजना को अनुमोदित किया तब से वाटर शेड आधार पर आधारभूत ढाचे और संसाधन विकास पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है । इस मंत्रालय द्वारा स्थापित कार्यदल

ने भी 1982 में सिफारिश की थी कि सूखे के प्रभाव कम करने के लिए परिस्थिति संतुलित को बनाये रखने के लिये भूमि, जल, पशुधन तथा मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर निरन्तर बल दिया जाये ताकि सूखों के प्रभाव को कम किया जा सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि क्षेत्र के जल स्रोतों का विकास किया जाये और उनका उत्पादनकारी उपयोग किया जाये, कृषि और जलवायु संबंधी परिस्थितियों के आधार पर अधिक उत्पादनकारी ढंग से शुष्क खेती को बढ़ावा देना, भूमि के उचित उपयोग की पद्धति को बढ़ावा देने के साथ साथ भूमि तथा नमी संरक्षण उपाय करना एवं जल एकत्रीकरण, वनोरोपण पशुधन विकास के साथ-साथ चारागाहों तथा चारा स्रोतों के विकास एवं बागवानी कीट पालन इत्यादि जैसे अन्य विभिन्न क्रिया कलापों पर जोर देना।

वर्ष 1985-86 से प्रभावी कार्यक्रम के संशोधित कवरेज जो कि अन्तर विभागीय दल की सिफारिशों पर आधारित है, में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कार्यक्रम 13 राज्यों के 90 जिलों के 615 विकास खण्डों पर लागू किया जा रहा है। इसमें छठी योजना के अन्त में कार्यक्रम में पहले से ही शामिल 495 विकास खण्ड भी हैं और 120 नये खण्ड जोड़े गये हैं। छठी योजना में सम्मिलित किये गये 16 विकास खण्डों को इस कार्यक्रम हटा लिया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अब सम्मिलित क्षेत्र 5.36 लाख वर्ग कि0मी0 है। जिसकी जनसंख्या लगभग 7.075 करोड़ है।

सारणी क्रमांक - २.२८

क्षेत्रवार विवरण

(लाख रूपयों में)

क्र0	राज्य	जिलों की संख्या	विकास खण्ड संख्या	प्रतिखण्ड 15 लाख रू0 की दर से कुल आवंटन	प्रतिखण्ड 7.5 लाख रू0 की दर से केन्द्रीय अंश
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	69	1035.00	517.5
2.	बिहार	5	54	810.00	405.0
3.	गुजरात	8	43	645.00	322.5
4.	हरियाणा	1	9	135.00	67.5
5.	जम्मू कश्मीर	2	13	195.00	97.5

6. कर्नाटक	11	71	1065.00	532.5
7. मध्य प्रदेश	6	49	735.00	367.5
8. महाराष्ट्र	12	74	1110.00	555.0
9. उडीसा	4	39	585.00	292.5
10. राजस्थान	8	30	450.00	225.0
11. तमिलनाडु	6	43	645.00	322.5
12. उत्तर प्रदेश	16	87	1305.00	652.5
13. प0 बंगाल	3	34	510.00	255.0
योग	90	615	9225.00	4612.50

स्रो:- वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 पेज 43, ग्राम विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है इसके अन्तंगत प्रत्येक विकास खण्ड आवंटन केन्द्र और संबंधित राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर बांटा जाता है। सातवी योजना में केन्द्रीय अंश के रूप में कुल 237 करोड़ रू0 का परिव्यय सुलभ किया गया है। निधियों के आवंटन की दर जो कि वर्ष 1985-86 में बजट संबंधी अड़चनों के कारण प्रतिखण्ड 12 लाख रू0 थी उसे वर्ष 1986-87 में बढ़ा कर 15 लाख रू0 तक कर दिया गया है।

सारणी क्रमांक - 2.26

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वित्तीय आवंटन एवं व्यय

। लाख रुपये में ।

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय	प्रतिशत व्यय	केन्द्रीय अंश
1980-81	8505.00	7314.11	86	3411.43
1981-82	8460.00	7321.39	86.5	3580.44
1982-83	8135.00	6838.17	84.6	2817.26
1983-84	7665.00	5559.69	72.5	3337.03
1984-85	7665.00	6708.13	87.5	3461.67
1985-86	7380.00	7315.00	-	3667.00

1986-87	9295.00	4363.01	-	4612.50
		फरवरी 87 तक		

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1985-86, पेज 157, 86-87, पेज 43, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की भौतिक प्रगति

सारणी क्रमांक - 2.27

कार्य	इकाई	1980-81	1981-82	1982-83
भूमि एवं नमी संरक्षण	हेक्टेयर	159600	82071	34750
सिंचाई स्रोतों का निर्माण एवं लघु सिंचाई	" "	45228	80894	68559
वन एवं चारागाह विकास	" "	86966	75455	92690
भेड़ समितियों का गठन	संख्या	387	40	53
दुग्ध समितियों का गठन	" "	495	387	279
लाभान्वित परिवारों की संख्या	हजार	907	1519	410
अनु0जाति	" "	275	355	85
अनु0जन जाति	" "	119	173	94
रोजगार सृजन	हजार मानवदि0	57170	33421	13957

स्रोत :- वार्षिक योजना, 1983-84, योजना आयोग, गृह मंत्रालय, भारतसरकार

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 82-83 तक 104588 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ । इस अवधि में 715 हजार अनुसूचित जाति के परिवारों को तथा 386 हजार अनुसूचित जन जाति के परिवारों को लाभ पहुँचाया गया । इस अवधि में 480 भेड़ समितियों का एवं 1161 दुग्ध समितियों का गठन किया गया ।

सारणी क्रमांक - 2.28

सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

। भौतिक प्रगति ।

क्षेत्र	इकाई	1985-86	86-87	87-88	88-89	89-90
भूमि तथा नमी संरक्षण	हेक्टेयर	682790	68038	66723	1449.8	61247
सृजित सिंचाईसंभाव्यता	" "	454010	54587	52923	384.2	15927
सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	" "	52298	53719	72218	1021.6	61915
सृजित रोजगार ।हजार श्रम दिवस।		23217	10865	-	-	-
			।दिसम्बर 86 तक ।			

स्रोत :- वार्षिक योजना, 1987-88, 88-89, 90-91, ग्रामीण विकास सेक्शन, योजना आयोग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मरु भूमि विकास कार्यक्रम :- मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में विशेष रूप से अत्यन्त शुष्क क्षेत्रों को शामिल करने के लिए केन्द्र क्षेत्र की योजना के रूप में शुरु किया गया । इसका उद्देश्य मरु स्थलीकरण को रोकना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखना और ऐसी स्थितियों का सृजन करना है जिससे इन क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक स्तर सुधर सके । सुरक्षा पट्टी ।शेल्टर बेल्ट। पौधारोपण पर विशेष बल देते हुए वन्यीकरण, रेत के टीलों को जमाना, सतही जल का संरक्षण भौजन स्रोतों को पुनः भरना, जल प्रबंध तथा क्षेत्र के कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुकूल कृषि, बागवानी एवं पशुधन संसाधनों के माध्यम से उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है ।

कार्यक्रम में छठी योजना के प्रारंभ में 5 राज्यों के 21 जिलों के 132 प्रखण्डों को शामिल किया गया । कार्यदल की सिफारिशों पर इसेसंशोधित करके 126 प्रखण्डों पर लागू किया गया । यह स्थिति 1982-83 से 84-85 तक जारी रही । एक अन्तर्विभागीय द्वारा एक और समीक्षा करने पर सातवी योजना के आरंभ में अर्थात 1985-86 में 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 प्रखण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया । इनका क्षेत्रफल 362 लाख वर्ग कि.मी०

और जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है । जो कि क्षेत्र का लगभग 42 प्रतिशत और जनसंख्या का 16 प्रतिशत है ।

सारणी क्रमांक - 2.29

1985-86 के दौरान आवंटन एवं व्यय

(लाख रुपये में)

राज्य	जिलों की संख्या	आवंटन	व्यय
1. गुजरात	2	98.00	111.00
2. हरियाणा	4	206.00	216.00
3. हिमांचल प्रदेश	2	100.00	112.00
4. जम्मू कश्मीर	2	100.00	94.00
5. राजस्थान	11	1096.00	1107.00
योग	21	1600.00	1640.00

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 पेज 46, ग्रमीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार

सारणी क्रमांक - 2.30

मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम वित्तीय आवंटन एवं व्यय

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय	प्रतिशत	केन्द्रीय अंश
1980-81	1600.00	1449.49	90.56	798.335
1981-82	1600.00	1547.17	96.70	791.140
1982-83	2118.40	1241.06	58.58	685.150
1983-84	2083.40	1499.51	71.97	900.000
1984-85	2083.40	1618.23	77.67	1008.210
योग	9485.20	7355.40	77.55	4182.835

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1985-86, पेज 157, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ।

जवाहर रोजगार योजना :- पिछले चार दशकों में आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी जिनसे खास तौर पर ग्रामीण जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की व्यापकता को बढ़ाने का मुख्य कारण रही है । छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण निर्धनता को दूर करना एक मुख्य उद्देश्य रहा है । इसके लिए अपनाई गई नीति का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को काफी हद तक बढ़ा कर जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग के पक्ष में आय तथा खपत का पुर्नवितरण करना था । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आरम्भ की गई थी । इस कार्यक्रम में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया था ।

बाद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम नामक एक अन्य कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरु किया गया । इसका प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार तथा विस्तार करना था । ताकि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जा सके ।

वित्त मंत्री भारत सरकार ने वर्ष 1989-90 के अपने बजट भाषण में अत्यधिक निर्धनता और बेरोजगारी वाले पिछड़े जिलों में गहन रोजगार के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी । जिसे 120 जिलों में कार्यान्वित किया जाना था । और इसके लिए 500 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी । नई गहन रोजगार योजना जिसको जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना नाम रखा गया था का उद्देश्य यह था कि नई योजनाके अर्न्तगत आवंटित की गई निधियां वर्तमान एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई.जी.पी . के अतिरिक्त होंगी । ताकि उनके पिछड़े पन को देखते हुए रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराये जा सकें व इस योजना को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में अंशदान के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा ।

पूरे मामले पर पुर्नविचार किया गया । और अब यह निर्णय लिया गया कि एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई.जी.पी. एवं वित्त मंत्री द्वारा घोषित जवाहर लाल नेहरू योजना को मिलाकर एक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना दिया जाये । जिसका नाम"जवाहर रोजगार योजना" होगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात के आधार पर वहन किया जायेगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता सीधे जिलों को भेजी जायेगी । केन्द्रीय सहायता और राज्य के सहयोग दोनों से कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों को प्राप्त होने वाले आंवटनों में से कम से कम 80 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा । यह अनुमान लगाया गया है कि नया कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे प्रत्येक परिवार जिसे, रोजगार की आवश्यकता है को कम से कम एक सदस्य को पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करेगा । यह भी आशा की गई है कि ग्राम पंचायतों को संसाधनों का वितरण करने से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम की कवरे ज में वृद्धि होगी और इसके कार्यान्वयन में जनता की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी ।

योजना के-अन्तर्गत कार्य :-

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. सरकारी एवं पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमियों पर सामाजिक वानिकी कार्य, सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, नहर के दोनों किनारों और पड़ती पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण, रेल लाइनों के साथ-साथ वृक्षारोपण आदि जिसमें ईंधन , चारा आदि के वृक्ष लगाना । निजी भूमि पर पौधा लगाने हेतु पौधों का वितरण/बिक्री शामिल है । बशर्ते कि बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को अलग अलग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से पुनः जवाहर रोजगार योजना में लगाया जाये ।

2. भूमि तथा जल संरक्षण कार्य , जल एकत्री करण ढांचे ।

3. लघु सिंचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण , मध्यम तथा मुख्य नालियों और खेतों की नालियों आदि का निर्माण तथा उनका सुधार एवं उन्हें गहरा करना ।

4. बाढ़ संरक्षण, जल निकासी तथा पानी एकट्ठा करने हेतु निर्माणकार्य ।

5. मानव पशु या सिंचाई अथवा मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु गांव में तालाबों का निर्माण / उनका नवीनीकरण कराना ।

6. अनुसूचित जातियों / जन जातियों के सदस्यों और फालतू भूमि भूदान भूमि और सरकारी भूमि के आवंटितियों की अलग-अलग जोतों पर सिंचाई कुंये तथा खेत की नालियां बनवाना ।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय /संख्या के आधार पर स्वच्छ शौचालयों और संस्थागत ग्रामीण स्वच्छता निर्माण कार्य जैसे हैण्ड पम्पों / नल की टोंटियों के पास नालियों / पानी सोखने वाले गड्ढों का निर्माण ।

8. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिये अलग-अलग मकानों का निर्माण ।

9. निर्धारित मानकों और विशेषताओं के आधार पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदण्ड के अनुरूप ग्रामीण सड़कों का निर्माण ।

10. पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक सुधार पर विशेष बल देते हुए भूमि का विकास और बंजर भूमि अथवा निम्न स्तर की भूमि को इस्तेमाल योग्य बनाना ।

11. वनारोपण, कृषि तथा नमी संरक्षण करके तथा जल प्रबंध के द्वारा माइक्रो लेविल पारिस्थितिक योजनायें बनाने की मार्फत विद्यमान भूजल स्रोतों को बढ़ाना ।

12. ग्रामीण बैंक के भवनों , कच्चे माल के संरक्षण हेतु गोदामों , लक्षित समूहों के लाभार्थियों के लिये कार्यशालयों , सामुदायिक केन्द्रों पर, पंचायत घरों, दवाघर केन्द्रों, बाजारयार्डों का ऐसे क्षेत्रों में निर्माण जहां कमजोर वर्गों की जनसंख्या का बहुमत हो और ऐसे निर्माण कार्य जिनकी मदद से स्थानीय पंचायतें किराये, बाजार शुल्क आदि की मार्फत अपने संसाधनों को बढ़ा सकें । ताकि स्थानीय स्तर पर रखरखाव के लिए समग्र संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो । ऐसे कार्यों को अन्य कार्यों की तुलना में तरजीह दी जा सकती है ।

13. पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के निर्माण जैसे औषधालयों पंचायतघरों, सामुदायिक केन्द्रों, शिशु गृहों, आंगन वाड़ियों, बाल वाड़ियों आदि का निर्माण ।

14. प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण केवल उन्हीं राजस्व गांवों में किया जायेगा ? जिनमें स्वीकृत स्कूल तो हैं परन्तु उनकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है । बिल्डिंग में दो बड़े कमरे, प्रत्येक कमरा लगभग 30 वर्ग मीटर का, एक बड़ा बरामदा और एक अलग कोने पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों पेशाबघर होंगे । यदि विद्यमान बिल्डिंग में किसी जोड़ तोड़ अथवा विस्तार का प्रस्ताव किया जाता है , तो यह विद्यमान भवन और मार्गदर्शिकाओं में परि-

कल्पना किये गये दो कमरों की बिल्डिंग के बीच जो कमियां हैं, उसे पूरा करने तक ही होना चाहिए।

ग्राम पंचायत किसी भी ऐसे कार्य को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिसे ग्राम पंचायत विभाग की अथवा सामुदायिक स्वीकृति हो। इस योजना के अन्तर्गत निम्न लिखित कार्यक्रमों को प्रथम वरीयता दी जाती है।

1. भूमि विकास तथा फालतू भूमि का सुधार।
2. सामाजिक वानिकी।
3. फार्म वानिकी।
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के तथा पिछड़े वर्गों के हितार्थ कार्य
5. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण
6. दस लाख कुओं का निर्माण (अनु0 जाति तथा अनु0 जन जाति के हितार्थ योजना)
7. भूमि तथा जल संरक्षण।
8. सामुदायिक कुओं का निर्माण / मरम्मत
9. नालियों का निर्माण / मरम्मत
10. ग्रामीण टैंकों का निर्माण / मरम्मत
11. सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
12. ग्रामीण उप मार्गों का निर्माण
13. प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण
14. दवाखानों का निर्माण
15. पंचायत घरों का निर्माण
16. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण
17. आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी निर्माण
18. ग्रामीण बैंक भवन का निर्माण
19. उत्पादन भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण
20. पी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. हेतु वर्क शेड का निर्माण
21. खेतों की नालियों का निर्माण /नवीनीकरण
22. बाढ़ नियंत्रण के कार्य

कार्यक्रम के उद्देश्य :- कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

[क] प्राथमिक उद्देश्य :- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं के लिये अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना ।

[ख] गौड़ उद्देश्य :- निहित समूहों के प्रत्यक्ष और निरंतर लाभ के लिए तथा ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचा सुदृढ बनाने के लिए उत्पादक स्वरूपकी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना । जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी और ग्रामीण गरीबों के आय स्तरों में निरंतर वृद्धि होगी ।

[ग] ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र जीवन स्तर में सुधार करना ।

योजनाके अन्तर्गत लक्षित समूह :- गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे व्यक्ति लक्षित समूह हैं ।

विशेष वर्ग सुरक्षा :- योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए अनु0 जातियों /अनु0 जन जातियों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी । योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे । खानाबदोश लोगों की रोजगार आवश्यकतायें विशेष स्वरूप की हैं । अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय करके योजनाके अन्तर्गत उनके लिये विशेष समन्वित परियोजना तैयार की जायेंगी ।

साधनों का अवंटन ::- राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन केवल ग्रामीण गरीबी की स्थिति की के आधार पर किया जाता है ।

राज्यों से जिलो को आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य श्रमिकों की तुलना में कृषि श्रमिकों के प्रतिशत, कुल ग्रामीण जन संख्यामें अनु0 जाति /जन जाति की जनसंख्या के प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई में से कृषि उपज के मूल्य रूप में निर्धारित कृषि उत्पादकता को 20:60:20 के अनुपात में बल देते हुए पिछड़े पन के आधार पर किया जाता है । जिलो से ग्राम पंचायतों को संसाधनों का वितरण प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर की जाती है ग्राम पंचायतों को निधियों का आवंटन 1000 से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम की जनसंख्या को 1000 मानकर किया जाता है । जिन ग्राम पंचायतों की जन संख्या 10,000 से अधिक है उनकी जनसंख्या 10,000 मान ली गई है ।

प्रत्येक जिले को आवंटित की गई निधियों का कम से कम 80 प्रतिशत भाग जिले की ग्राम पंचायतों/ मंडलों , (अर्थात सबसे निचले चुने गये निकाय) में इंदिरा आवास योजना के लिए 6 प्रतिशत भाग को अलग रख कर वितरित किया जायेगा । शेष की 20 प्रतिशत निधियों को जिला स्तर पर अंतः खण्ड/ ग्राम के निर्माण कार्यों पर इस्तेमाल किया जा सकता है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक जिले से दूसरे जिले को संसाधनों के परिवर्तन की अनुमति नहीं है । इसी प्रकार एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को भी संसाधनों के परिवर्तन की अनुमति नहीं है । तथापि राज्यों के समग्र आवंटन में से उन जिलों के लिये जिनका निष्पादन बेहतर रहा है , अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जा सकता है ।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के बावजूद 2 अथवा अधिक जिले/ग्राम पंचायतें संबंधित जिले /पंचायतें मिले जुले लाभ के लिये साधनों के एकत्रीकरण पर विचार कर सकते हैं ।

ग्राम पंचायतों को धनराशि का उपयोग उस वर्ष में ही करना चाहिए जिस वर्ष में वह उसे प्राप्त हुआ है । यदि किसी वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि के 25 प्रतिशत से अधिक राशि बाकी रहती है तो डी.आर.डी.ए./जिला परिषद को ग्राम पंचायत के हिस्से में से बकाया राशि के बराबर की राशि कटौती कर लेनी चाहिए ।

ग्राम पंचायतों को निधियों का आवंटन :- राज्य सरकारें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/ जिला परिषदों को अपने अंश की रिलीज यथाशीघ्र लेकिन किसी भी दशा में केन्द्रीय सहायता की रिलीज के बाद एक महीने के भीतर कर लेनी चाहिए ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों / जिला परिषदों द्वारा ग्राम पंचायतों को निधियों का वितरण केन्द्रीय अनुदान के प्राप्त होने के एक महीने के भीतर किया जायेगा । इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को निधियों का राज्य अंश का वितरण भी राज्य अंश के प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए ।

खाद्यान्नों का वितरण :- योजना के अन्तर्गत उन राज्यों में जो ऐसे स्वीकार करें कार्यान्वयन ऐजेन्सियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। अनाज के वितरण की दर 1.5 कि0 ग्रा0 प्रति मानव दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए । अनाज की

दर निम्नलिखित होगी । सारणी क्रमांक 2.31

क्र0	जिन्स	वितरण दर रुपये	1.5 कि0ग्रा0 अनाज की की कीमत रु0पूर्णांक मानते हुए ।
1.	गेहूँ	1.79	2.70
2.	साधारण चावल	2.19	3.30
3.	अच्छी किस्म का चावल	2.79	4.20
4.	सबसे अच्छे किस्म का चावल	3.00	4.50

नोट - उपरोक्त दरों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी में अनाज का हिस्सा जहाँ तक सम्भव होगा कार्य स्थल पर दिया जाता है ।

संसाधनों का उपयोग :- जिला ग्रमीण विकास अभिकरण/जिला परिषद संसाधनों में 6 प्रतिशत भाग इंदिरा आवास योजना के लिये रख लेती है । इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटनों का निर्धारण करने के बाद शेष संसाधनों का 80 प्रतिशत भाग विभिन्न ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/ जिला परिषद अपने पास संसाधनों का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं रख सकती ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/ जिला परिषद वार्षिक आवंटन की 5 प्रतिशत तक का खर्च प्रशासनिक/आकस्मिक मदों के ऊपर व्यय कर सकती है ।

यदि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद के पास ऐसी परिसम्पित्तियाँ है जो कि अभी तक चले आ रहे एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई. जी.पी. कार्यक्रमों और जवाहर रोजगार योजनाके अन्तर्गत बनाई गई थीं और जिनको राज्य सरकार अथवा स्थानीय संस्थाओं में अपनी देखरेख में नहीं लिया है तो वार्षिक आवंटन की अधिक से अधिक 10 प्रतिशत रशि ऐसी परिसम्पत्तियों की देखरेख पर खर्च की जा सकती है ।

प्रशासनिक तथा फुटकर रखरखाव के खर्च के बाद शेष बचे हुये साधनों का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है ।

Financial Performance

1 Cm = 5 Crores

1989-90 1990-91

J.R.Y.

Physical Performance

1 Cm = 10 LAKH MAN DAYS

सारणी क्रमांक 2.32

(क)	आर्थिक रूप की उत्पादक परिसम्पत्तियाँ	35 प्रतिशत
(ख)	सामाजिक वानिकी कार्य	25 प्रतिशत
(ग)	दस लाख कुओं की योजना सहित अनु0जाति/जन जातियों के लिये अलग-अलग लाभार्थी योजनायें	15 प्रतिशत
(घ)	सड़कों और भवनों सहित अन्य निर्माण कार्य	25 प्रतिशत

ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों के वार्षिक आवंटन का 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसे कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए जो अनु0 जाति /जन जाति के लोगों को लाभ पहुँचाते हों । इसके अलावा संसाधनों का कोई क्षेत्रवार निर्धारण नहीं किया गया है । अनु0 जाति /जन जाति के कार्यों के लिये निर्धारित राशि को दूसरे कार्यों पर खर्च करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान :- ग्राम पंचायतों को दी गयी निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत भाग मजदूरी घटक पर व्यय होना चाहिए । गैर मजदूरी घटकों पर यदि मजदूरी घटक से अधिक राशि व्यय होती है तो ऐसे अतिरिक्त खर्च को जवाहर रोजगार योजना निधियों के बाहर से पूरा किया जायेगा ।

योजना के अन्तर्गत मजदूरी का कुछ भाग नकद तथा कुछ खाद्यान्न के रूप में दिया जा सकता है । परन्तु खाद्यान्न की वितरण दर 1.5 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

रोजगार की एक श्रेणी के लिए वही मजदूरी होगी जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार से संबंधित अधिसूची में सम्मिलित किया गया है । कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिक को निर्धारित मजदूरी के भुगतान के लिये कार्यकारी एजेंसियों को उत्तरदायी बनाया जायेगा ।

मजदूरी का भुगतान सप्ताह में एक निर्धारित दिन को किया जाना चाहिए । जो विशेष रूप से वहाँ का स्थानीय बाजार का दिन हो । मजदूरी के भुगतान में एक सप्ताह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए । बशर्ते कि श्रमिक ही न लेना चाहे । और ऐसी स्थिति में भी देरी 15 दिन से अधिक नही होनी चाहिए।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में चुकाई गई मजदूरी की न्यूनतम दर ।

मिलियन वैल्स स्कीम में कुऐं का निर्माण

जवाहर रोजगार योजना में निर्मित विद्यालय भवन

इंदिरा आवास योजना में निर्मित आवास

सारणी क्रमांक 2.33

क्र0	राज्य	न्यूनतम मजदूरी रुपया
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.50
2.	आसाम	17.00
3.	अरुणाचल	16.00
4.	बिहार	20.50
5.	गुजरात	20.00
6.	हरियाणा	30.75
7.	हिमांचल प्रदेश	18.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	15.00
9.	कर्नाटक	12.00
10.	केरल	15.00
11.	मध्य प्रदेश	11.00
12.	महाराष्ट्र	12.00 से 20.00
13.	मणिपुर	23.70 घाटी के लिए
14.	मेघालय	26.70 पहाड़ी जिले
15.	मिजोरम	15.00
16.	नागालैण्ड	28.00
17.	पंजाब	10.00
18.	उड़ीसा	15.00
19.	राजस्थान	27.85
20.	सिक्किम	14.00
21.	तमिलनाडु	14.00
22.	त्रिपुरा	15.00
23.	उत्तर प्रदेश	14.00
24.	प0 बंगाल	19.65
25.	अण्डमान निकोबार	20.50, 20.00 अण्डमान, 21 निकोबार
26.	चंडीगढ	21.60
27.	दादरा एवं नागरहवेली	11.00

28.	देहली	21.60
29.	गोआ दमन एवं दीव	18.00
30.	लक्षद्वीप	18.00
31.	पाण्डिचेरी	11.00

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार पेज 80

धनराशि आवंटन :- वर्ष 1989-90 जवाहर रोजगार योजना का प्रथम वर्ष था। वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना के लिये 263066.60 लाख रुपये को व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। इस राशि में 210607.00 लाख रुपये का केन्द्र सरकार का तथा 52459.60 लाख रुपये का राज्य सरकार का अंश था। वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रावधान के विरुद्ध 227260.78 लाख रुपये का विनियोग किया गया।

1989-90 में दिसम्बर 1989 तक 45.66 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया। जबकि इस वर्ष कुल रोजगार सृजन 87.34 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था। इस रोजगार सृजन में 38 प्रतिशत रोजगार अनु0 जाति /अनु0 जन जाति को 44.22 प्रतिशत रोजगार भूमिहीनों को तथा 23.15 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को प्राप्त हुआ। [6]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु विशेष योजनायें :-

।1। इंदिरा आवास योजना :- इंदिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का महत्वपूर्ण अंग रही है। बाद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का जवाहर रोजगार योजना को विलय हो जाने से इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना का एक आवश्यक अंग बन कर रह गई। इस योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण कराकर अनुचित जाति जाति/अनु0 जन जाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को लाभान्वित कराया जाता है।

---

6. स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार पेज 38

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जहाँ तक संभव हो छोटी-छोटी बसाहटों के समूह में मकानों का निर्माण कराया जाता है । ताकि बस्तियों के लिये समान सुविधायें दी जा सकें । तथापि यदि भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा लाभार्थियों के भूखण्ड पूरे गांव में बिखरे हों अथवा किसी अन्य कारण से छोटी छोटी बसाहटों की नीति का पालन किया जाना सम्भव नहीं है तो इंदिरा आवास योजना के मकान बस्तियों/छोटी-छोटी बसाहटों की नीति का पालन किये बिना बनाये जा सकते हैं ।

मकानों का डिजायन :- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का कोई डिजायन निर्धारित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि योजना के अन्तर्गत मकानों की कुर्सी का क्षेत्र 17-20 वर्ग मीटर होना चाहिए । डिजायन को जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक क्षेत्र विशेष के लिये बनाया जा सकता है और बने हुए मकानों में लोगों की इच्छानुसार सुधार किया जा सकता है । मकानों में रसोई, धुंआ रहित चूल्हा तथा स्वच्छ शौचालय होना चाहिए ।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान का अनुमेय खर्च निम्न लिखित होगा -

(1) मकान का निर्माण	6000 रुपये
(2) स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हा का निर्माण	1200 रुपये
(3) आधार भूत ढांचा तथा सामान्य सुविधायें मुहैया कराने की लागत	3000 रुपये

पर्वतीय क्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण की लागत उपरोक्त (1) में उल्लिखित 6000 रुपये की जगह 7800 रुपये तक हो सकती है । यदि मकान समूह/छोटी-छोटी बसाहटों में नहीं बनाए जाते हैं तो उपरोक्त (3) में उल्लि-खित आधार भूत ढांचा तथा सामान्य सुविधायें मुहैया कराने हेतु 3000 रुपये निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है ।

सारणी क्रमांक - 2.34

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

P.T.O

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

वर्ष	आवंटन (रु0 लाख) खाद्यान्न का मूल्य शामिल आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत	मकान निर्माण अनुमोदन	निर्माण	व्यय लाख रुपये
1985-86	13200.30	144170	52320	5567.13
1986-87	16533.50	158420	151813	14806.06
1987-88	16535.5[illegible]	1[illegible]420	164055	16730.26
1988-89	13981.48	134793	137435	13154.49
	जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत			
1989-90	15738.47	154299	45524 प्रोवीजनल	3852.67 प्रोवीजनल

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पेज 80

(2) दस लाख कुओं की योजना :- दस लाख कुओं की योजना को वर्ष 1988-89 से अनु0 जाति/अनु0 जन जातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुए उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था । इस योजना के लिए संसाधन जवाहर रोजगार योजना में अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति के कार्यों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत संसाधनों में से प्राप्त किये जायेंगे ।

इस योजना में वे व्यक्ति लाभान्वित किये जायेंगे जो गांव में आई.आर.डी.पी. रजिस्टर में सूची बद्ध हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनु0 जन जातियों तथा बंधुआ मजदूरों के छोटे तथा सीमान्त किसान समूह के सदस्य है ।

योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे अनु0 जातियों और अनु0 जन जातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के छोटे तथा सीमान्त किसानों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुए उपलब्ध कराना है । यह योजना केवल खुले कुओं तक ही सीमित है और इसमें बोरिंग और ट्यूब वेल कवर नहीं होते । यह योजना

केवल उन के लिए है जहां ट्यूब वेल से सिंचाई की तुलना में कुंए कम लागत वाले संसाधन हों ।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता :- राज्य में लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । केन्द्र सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति पर विशेष ध्यान देते हुए 1986 में गांव में पेयजल तथा सम्बन्धित जल प्रबंध से संबंधित एक मिशन स्थापित किया जिसका उद्देश्य मुख्य रुप से 2.27 लाख अवशिष्ट समस्या ग्रस्त गांवों को [illegible] पर्याप्त पेय जल आपूर्ति करना है । इसमें उपलब्ध संसाधनों से [illegible] को प्राप्त करने और निरन्तर जल आपूर्ति करने हेतु संरक्षी उपायों को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी शामिल होगी ।

सारणी क्रमांक -

गांवों में पेयजल और संबंधितजल प्रबंध संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

नॉडल ऐजेन्सी	ग्रामीण विकास विभाग
सहयोगी ऐजेन्सियां	वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
	पर्यावरण तथा वन विभाग
	रक्षा अनुसन्धान एवं विकास विभाग
	जल संसाधन मंत्रालय
	अन्य

मिशन के उद्देश्य :-

1. 1990 तक बचे हुए 2.27 लाख समस्याग्रस्त गांवों को शामिल करना जो कि कुल गांव के 39 प्रतिशत हैं ।
2. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आपूर्ति करना ।
3. मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति करना ।
4. योजना आवंटन की सीमाओं के अन्दर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम लागत की विभिन्न प्रकार की औद्योगिकी तैयार करना ।

5. जल की निरंतर आपूर्ति के लिए संरक्षण उपाय करना ।
- गुणात्मक परिणामों के लिए उप मिशनों पर ध्यान देना ।
- गिनी कृमि को नष्ट कराना- 1989 तक 9920 गांव
- फ्लूरोसिस पर नियंत्रण [illegible] तक [illegible] गांव
- खारे पानी पर नियंत्रण पाना 1990 तक 17500 गांव
- अत्यधिक लोह तत्व को दूर करना 1988 तक 2900 गांव

सारणी क्रमांक - 2.35

मिशन के लक्ष्य

समस्या ग्रस्त गांवों को शामिल करने का वर्ष वार ब्योरा

वर्ष	गांव की संख्या
1985-86	28177
1986-87	35930
1987-88	50570
1988-89	59860
1989-90	52463
योग	227000

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, पेज 59

मिशन की कार्य पद्धति

1. वैज्ञानिक स्रोतों का पता लगाना
2. पारम्परिक प्रणालियों में सुधार
3. जल का शुद्धिकरण
4. सामग्रियों व डिजायनों में सुधार
5. रख रखाव की विधियों में सुधार
6. कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना व्यवस्था
7. सतत निगरानी तथा मूल्यांकन
8. समुदाय की भागीदारी

9. ग्राम पंचायत, स्वैच्छिक ऐजेन्सियां, जागरूकता अभियान

ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत उन गांवों को जहां पेयजल की समस्या काफी गम्भीर है, पहले प्राथमिकता दी जाती है । इस व्यापक कार्यक्रम का निरंतर पहाड़ों में अतिदुर्गम भू-भागों रेगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों में धीरे-धीरे किन्तु सुनिश्चित रूप से किया जाता है । छठी योजना के अन्त तक लगभग 39000 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य था । छठी योजना के दौरान तथा बाद में समस्या प्रधान तथा अभाव ग्रस्त गांवों का पता लगाने के लिए नये सर्वेक्षण आयोजित किये गये थे ताकि सभी शेष तथा नए चयनित गांवों जिनकी संख्या 2.27 लाख है, को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके । सातवीं योजना के आरम्भ में ग्रामीण जनसंख्या के 54 प्रतिशत को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है । अभी 46 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल किया जाना है ।1986-87। । वर्ष 1985 में 28177 गांवों को शामिल करने के वार्षिक लक्ष्य की अपेक्षा 45248 गांव/बस्तियों को शुद्ध पेयजल की कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराया गया था । 1986-87 में 35930 समस्या ग्रस्त गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें 28569 गांवों/बस्तियों को दिसम्बर 1986 तक शामिल कर लिया गया है इसमें आंशिक रूप से सम्मिलित किये गये गांव भी शामिल हैं ।[7]

यद्यपि ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में पाइप द्वारा जल की क्षेत्रीय योजनाओं तथा स्पाट स्रोतों, हैण्डपम्पों, ट्यूब वेल योजनाओं के रूप में एक व्यापक आधारभूत ढांचा पर लगाई गई पूंजी बेकार न चली जाये, यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जबकि पेयजल आपूर्ति के स्रोतों से लाभान्वित होने वाली स्थानीय जनता सृजित की गई इन प्रणालियों के उचित संचालन और रखरखाव के काम में शामिल की जाये । रखरखाव तथा संचालन के लिये एक विस्तृत लागत मानदण्ड तैयार करने के लिए 1986-87 में एक कार्य समिति बनाई गई । राज्यों को रखरखाव प्रयोजनों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों में से 10 प्रतिशत तक उपयोग करने की पहले ही अनुमति दे दी गई है । 1986-87 में जब से कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, पहली बार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए विस्तृत मार्ग दर्शिकायें जारी की गई हैं ।

अनु0 जातियों / अनु0 जन जातियों को महत्व :-

---

7. स्रोत-वार्षिक रि. 1986-87, ग्रा. वि. वि. कृषि मं. अनु0 जातियों एवं अनु0 जन भारत सरकार पेज 57

जातियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी गई है । राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि पेयजल का प्रथम स्रोत अनु0 जातियों/ अनु0 जन जातियों की बस्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा । ये भी निर्देश दिये गये है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जन जातियों को पेयजल आपूर्ति हेतु दी जाने वाली निधियां त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में से उसी अनुपात में निर्धारित की जायेगी जैसी विशेष घटक योजना तथा राज्य योजना में आदिवासी उप योजनायें सम्मिलित की जाती है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में किये जा रहे समवर्ती मूल्यांकन में अन्तर्गत अनु0 जाति/जन जाति को प्राप्त हो रहे लाभों को अलग से मूल्यांकन किया जा रहा है

सारणी क्रमांक - 2.38

समस्या ग्रस्त गांवों की भौतिक प्रगति

भारत में कुल ग्राम	583003
छठवीं योजना के दौरान लाभान्वित गांव	421281
सातवीं योजना में लाभान्वित गांव वर्ष वार	
1985-86	24567
1986-87	44102
1987-88	46465
1988-89	25722
प्रथम चार वर्षों का योग	140856
बकाया 1.4.89 तक	20866
1989-90 का लक्ष्य	16671
सातवीं योजना में शेष गांव	4195

सारणी क्रमांक 2.37

वित्तीय प्रगति । रू0 करोड़ ।

कार्यक्रम	समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम टी0 एम0		
	केन्द्र	राज्य	योग

	केन्द्र	राज्य	योग
छठीं योजना व्यय	600.00	1407.11	2007.11
वास्तविक व्यय	895.38	1580.55	2475.93
सातवीं योजना हेतु व्यय	1282.32	2253.25	3535.57

सारणी क्रमांक 2.37

	केन्द्र	राज्य	योग
1985-86	297.52	412.62	710.04
1986-87	322.13	465.64	787.77
1987-88	385.99	486.44	872.43
1988-89	436.74	533.12	969.86
1989-90	425.00	559.22	984.22
योग सातवीं योजना	1867.28	2457.04	4324.32

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 पेज 42, 43, ग्रामीण विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ।

सारणी क्रमांक - 2.38

ग्रामीण जल आपूर्ति उपलब्ध स्रोत

बोर/ट्यूब वेल/हैण्डपम्प	60.4 प्रतिशत
बोर/ट्यूबवेल, पावर पम्प	2.0 " "
पाइप से जल आपूर्ति	26.8 " "
प्रेरिवटेडस्प्रिंग स्टेण्ड पोस्ट	3.0 " "
सेनेटरी कुंये/हेण्ड पम्प	5.8 " "
सनेटरी कुंये, पावर पम्प	2.0 " "
योग	100.00 प्रतिशत

स्रोत :- वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पेज 60, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ।

सारणी क्रमांक - 2.39

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम । कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत कार्य पूरे किये गये।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	45.3 प्रतिशत
केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	30.6 " "
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1.4 " "
अग्रिम योजना कार्यक्रम ।सूखा/अभाव निधि के अन्तर्गत ।	3.3 " "
गैर सरकारी संगठन	5.6 " "
विशेष घटक कार्यक्रम	2.1 " "
मालूम नहीं	11.8 " "
योग	100.00 प्रतिशत

स्रोत - वार्षिकरिपोर्ट 1986-87, पेज 60, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ।

ग्रामीण स्वच्छता एवं केन्द्रीय ग्रमीण शौचालय कार्यक्रम :-

1986-87 में समन्वित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के भाग के रूप में एक केन्द्रीय प्रायोजित ग्रमीण स्वच्छता कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इससे पर्यावरण संबंधी स्वच्छता ।स्वच्छ शौचालयों, सेकता गड्ढों, नालियों का निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आदि । का प्रचार करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जायेगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के प्रथम वर्ष के लिए 6.54 करोड़ रू0 की राशि नियुक्त की गई । इसमें स्वैच्छिक एजेन्सियों को दी गई 0.50 करोड़ रू0 का अनुदान राशि भी शामिल है । सन् 1987-88के लिए अन्तिम आवंटन 20 करोड़ रू0 का था । उन गांवों को जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय निर्मित किये गये हैं, को विस्तृत रूप से शामिल करने के लिए केन्द्रीय निधियों का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है । अनु0 जातियों /जन जातियों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन स्तर बर रहे लोगों के लिए 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर घरेलू शौचालय उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया जा रहा है । अन्य के लिए राज्य

सरकारों द्वारा तैयार किये गये विवरणों के अनुसार ही अंशदान जुटाये जायेंगे। यूनिसेफ के साथ घनिष्ट समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जो कार्यक्रम के सोफ्ट वेयर पहलुओं में भाग लेता है।

ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम के उद्देश्य :-

1. गांव में शौचालय कम्पलैक्स (ग्राम हमाम) का निर्माण जिसमें हैण्डपम्प तथा बायोगैस प्लांट भी होगा। ताकि बायोगैस कम्पलैक्स एवं पंचायतघर में गैस द्वारा रोशनी हो सके।
2. महिलाओं हेतु अलग शौचालय कम्पलैक्स का निर्माण जहां नहाने तथा कपड़े धोने की व्यवस्था होगी।
3. गांवों में 20, 50 अथवा 100 परिवारों में झुण्ड के मध्य व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।
4. अनुसूचित जाति / अनु0 जन जाति तथा गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए उनके घरों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण। इसके लिए अलग से अनुदान की व्यवस्था है।

कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति :-

तालिका क्रमांक - २.५०

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	धन	केन्द्रीय ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1987-88	आवंटन	20.00	13.33
	रिलीज/व्यय	4.90	7.53
1988-89	आवंटन	20.00	11.45
	रिलीज/व्यय	4.95	7.99
1989-90	आवंटन	20.00	13.55
	रिलीज/व्यय दिसम्बर 89 तक	5.00	3.47
1990-91	आवंटन	20.00	18.79

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 1989-90, पेज 44, ग्रा0 वि0 विभाग, कृषि मं0 भारत सरकार

सारणी क्रमांक - २.४१

केन्द्रीय ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम की भौतिक प्रगति

कार्यक्रम	1986-87			1987-88		
	लक्ष्य	संशोधन	प्रगति	लक्ष्य	संशोधन	प्रगति
केन्द्रीय ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम	48360	-	15334	160000	39200	28342
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	9310 यूनिट्स	-	14235 यूनिट्स	92720 यूनिट्स	- यूनिट्स	46115 यूनिट्स
	1988-89			1989-90		
केन्द्रीय ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम	160000	40000	55645	158823	28000	32019
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	67622 यूनिट्स	- यूनिट्स	52847 यूनिट्स	100109 यूनिट्स	- यूनिट्स	30883 यूनिट्स

।दिसम्बर 89 तक।

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, 1987-88, 88-89, 89-90, पेज 96, 97 एवं पेज 44 ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति हेतु विशेष प्रावधान :- छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करना था । ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यक्रमों का जोर ग्रामीण समाज के दुर्बल वर्गों और विशेषकर अनु0 जातियों और अनु0 जन जातियों के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के प्रयासों को सहारा दे पर रहा है ।

ग्रामीण विकास के सभी प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय तथा उनकी क्रियान्वयन प्रगति देते समय हमने यह बात भी बताने का प्रयास किया है कि उन कार्यक्रमों अन्तर्गत अनु0 जाति /अनु0 जन जाति तथा महिलाओं हेतु क्या विशेष प्रावधान हैं, परन्तु यहाँ हम उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनु0 जातियों हेतु निर्धारित किये गये प्रावधानों को पुन: संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :- ग्रामीण विकास विभाग (कृषि मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा चलाये जा रहे मुख्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम पर किये जा रहे व्यय को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें 50:50 के आधार पर वहन करती है । इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कार्यक्रम में शामिल किये गये लाभार्थियों में से कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थीअनु0 जाति के सदस्यों को कुल होने चाहिए और राज्य सहायता तथा ऋण के रूप में कम से कम 30 प्रतिशत भाग इन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनु0 जाति के सदस्यों को कुल सहायता का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तव में शामिल किये गये अनु0 जाति /जन जाति के लोगों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है । सन् 1981-82 में 36.9 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 43.23 तक पहुँच गई । 1986-87 के दौरा दिसम्बर 1987 तक अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों का अंश 31.5 था । 1986-87 के दौरान दी गई कुल राज्य सहायता में अनु0 जातियों को दी गई राज्य सहायता का 45.1 प्रतिशत अंश था । सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में अनु0 जाति को दी गई सहायता में 40 प्रतिशत लाभार्थी थे । 1989-90 के दौरान दिसम्बर 89 तक कुल लाभार्थियों में लगभग45 प्रतिशत लाभार्थी इस वर्ग के थे । 1987-88एवं 1988-89 के मध्य वितरित कुल अनुदान में क्रमश: 46.34 एवं 47.88 प्रतिशत अनुदान अनु0 जाति एवं अनु0 जन जाति के लाभार्थियों

में वितरित किया गया, इन्हीं वर्षों में दी गई कुल राज्य सहायता की 38.42प्रतिशत एवं 39.13 प्रतिशत सहायता इन वर्गों को दी गई । "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लोगों के 30 प्रतिशत के न्यूनतम कवरेज को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । [8]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :-
----------------------------राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन्हीं कार्यों को शुरू करने की अनुमति दी जाती है, जो समुदाय को लाभ पहुँचाने वाले हों तथा जिनका स्वरूप स्थाई हो । तथापि अनु0 जाति/अनु0 जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के व्यक्तिगत मामलों में लाभार्थी उन्मुख कार्यों को विशेष रूप से अनुमति दी जा सकती है । इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम का लाभ समाज के दुर्बल वर्गों को मिले, निधियों के आवंटन का 10 प्रतिशत केवल अनु0 जातियों /अनु0 जन जातियों के सदस्यों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों के लिये निर्धारित किया जाता है । वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अनु0 जातीयों/ अनु0 जन जातियों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों के लिये निधियों का वास्तविक उपयोग 1981-82 में 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 20.2 प्रतिशत हो गया । रोजगार सृजन के मामले में भी अनु0 जाति/अनु0 जन जाति का अंश वर्ष दर वर्ष बढ़ा है । छठी योजना में अनु0 जाति/अनु0जन जाति का सृजित रोजगार कुल 1775.18 मिलियन 144.7 % । श्रम दिनों के रोजगार अपेक्षा 793.51 श्रम दिन था । सातवी योजना के प्रथम चार वर्षों में रोजगार सृजन की स्थिति अनु0 जाति /अनु0 जनजाति हेतु निम्न प्रकार रही ।

सारणी क्रमांक २.५२

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	51 %	50.7 %	54.3 %	53.1 %
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	53 %	58.1 %	58.4 %	59.4 %

स्रोत - ग्रामीण विकास न्यूज लेटर, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार मई 1990 पेज 28

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :-
----------------------------------- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी

8. स्रोत-ग्रा0वि0न्यूज लेटर ग्रा0वि0विभाग, कृषि मं0भारत स0 मई 1990 पेज 29

कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के मामले में भूमिहीन मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है तथापि यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भूमिहीनों में अनु0 जातियों /अनु0जन जातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसके अतिरिक्त परि-योजनाओं के चयन के मामले में पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा भूमिहीन मजदूरों विशेषकर अनु0 जाति/अनु0जन जाति के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों जिनमें बंधुआ मजदूर या कम मजदूरी के प्रचलन की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, को प्राथमिकता दी जाती है। परियोजना के लाभ सामान्यतः अनु0 जातियों व अनु0 जन जातियों को मिलते हैं, जो कि भूमिहीन वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। परियोजना मंजूर करते समय केन्द्र सरकार सामान्यतः यह निश्चित करती है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों का लाभ का बड़ा हिस्सा अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लोगों को मिले।

छठी योजना अवधि तथा 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार -

सारणी क्रमांक - 2.42

	कुल रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)	अनु0 जाति हेतु रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)	प्रतिशत
छठवीं योजना	1336.33	436.04	32.63
1985-86	2123.48	662.29	31.19

1985-86 से अनु0 जाति/अनु0 जन जाति गृह परियोजना (इंदिरा आवास योजना) नामक अनु0 जाति/अनु0 जन जाति के लिए घरों तथा छोटी छोटी बस्तियों के निर्माण के लिये चलाई जा रही है। इस कार्य हेतु कार्यक्रम के कुल आवंटन का 6 प्रतिशत संसाधन अतिरिक्त है।

जवाहर रोजगार योजना :-

जवाहर रोजगार योजना में खर्च को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 80:20 के आधार पर वहन किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनु0जाति /अनु0जन जाति के लाभ वाले कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। योजना के कुल आवंटन का 6 प्रतिशत भाग इंदिरा आवास योजना हेतु रखा गया है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे समूहों में रिहायशी मकान बनाकर

उन्हें 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर अनु0 जाति एवं अनु0जन जातियों के लाभार्थियों को वितरित किया जाता है । ग्राम पंचायत स्तर पर कुल संसाधनों का 15 प्रतिशत भाग ऐसे कार्यों पर खर्च किया जाता है । जो अनु0जाति/अनु0जन जाति को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाले हों ।

1989-90 के वर्ष में दिसम्बर 1990 तक सृजित कुल रोजगार में लगभग 53.80 प्रतिशत रोजगार इस वर्ग को प्राप्त हुआ है ।

दस लाख कुओं की योजना :- दस लाख कुओं की योजना सर्वप्रथम 1988-89 में आरम्भ की गई । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई हेतु खुले कुँए बनवाकर उन्हें अनु0 जाति एवं अनु0 जन जाति के छोटे एवं सीमान्त किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है । इस कार्यक्रम के लाभार्थी के लिये यह आवश्यक है कि लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे रहता हो तथा वह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पात्र हो तथा गांव में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षितों हित बनाये गये रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो ।

1989-90 के दौरान दिसम्बर 1989 तक इस कार्यक्रम से 18.9 प्रतिशत अनु0 जाति के लाभार्थी लाभान्वित कराये गये तथा कुल संसाधनों का 11.2 प्रतिशत भाग इस वर्ग पर व्यय किया गया ।

ग्रामीण जल आपूर्ति :- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत उन गांवों में जहाँ पेयजल की समस्या काफी गम्भीर है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में पाइप द्वारा स्पाट श्रोतों हैण्डपम्पों तथा ट्यूबवैल द्वारा पानी की पूर्ति की जाती है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति व्यक्ति 40 लीटर पेयजल की आपूर्ति करना है ।

इस कार्यक्रम में भी अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जातियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है । राज्यों को निर्देश है कि इस वर्ग को पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान किया जाये तथा इस वर्ग को प्राप्त लाभों का अलग से मूल्यांकन किया जाये ।

सारणी क्रमांक - २.५५

सातवीं योजना में जनसंख्या कवरेज तथा व्यय

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
जनसंख्या का कवरेज अनु0जाति	19.3 %	16.0 %	16.2 %	17.9 %

व्यय	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
अनु0 जाति हेतु	11.8 %	12.2 %	10.3 %	11.8 %

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, 71 से 73 तक ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार 1989-90 पेज 19

ट्राईसेम :-

ट्राईसेम के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण युवकों को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत चयन हेतु प्राथमिकता अनु0 जाति के अनु0 जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है।

ट्राईसेम प्रशिक्षणार्थियों में अनु0 जातियों/अनु0 जन जातियों के कम से कम 30 प्रतिशत लोगों को शामिल करना निर्धारित किया गया है, जबकि 33½ % प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित रखें गये हैं।

कुल लाभार्थियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत

वर्ष	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
प्रतिशत	25 %	27 %	31 %	38 %	39 %
वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
प्रतिशत	39 %	42 %	42 %	40 %	44 %

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें :-

इन योजनाओं का संचालन उ0प्र0 अनु0 जाति वित्त विकास निगम लखनऊ द्वारा किया जाता है तथा इन योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ अनु0 जाति के सदस्यों को प्राप्त होता है। उपरोक्त सभी योजनायें केवल अनु0 जाति के लाभार्थ चलाई जा रही है।

स्वतः रोजगार योजना :-

ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को उनके प्रयत्नों एवं सरकारी द्वारा स्वयं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का सूत्रपात किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लघु/कुटीर उद्योग सेवा व्यवसाय कृषि पशु पालन, लघु सिंचाई, यातायात आदि की सभी योजनायें सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वतः रोजगार लगाने के दृष्टिकोण से जो

परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं उन्हें इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण तथा उत्तर प्रदेश अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, से मार्जिन मनी ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । इस योजना की पात्रता केलिए लाभार्थी को अनु0 जाति का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 5500 रू0 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4800 रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए । शिक्षित बेरोजगारों के लिए आय की अधिकतम सीमा 15000 रू0 वार्षिक तक निर्धारित की गई है ।

लाभार्थी का चयन :-

------------------- ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी का शत प्रतिशत चयन ग्राम सभा की खुली बैठकों में विकास खण्डस्तर पर बनाये गये आर्थिक रजिस्टर के अनुसार निर्धनों के निधनतम अनु0 जाति के परिवारों के आधार किया है । शहरी क्षेत्रों में लाभार्थी का चयन प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित कर साक्षात्कार द्वारा समिति की माध्यम से उपर्युक्त पाये गये व्यक्तियों से किया जाता है ।

इस योजना के अन्तर्गत साधारण तथा योजना की अनावर्ती लागत 35000 रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा ट्रक, टैक्सी, कार, बस, पेट्रोलियम आदि की डीलरशिप तथा उपयुक्त लघु उद्योगों में भी सहायता दी जाती है ।

सहायता का स्वरूप :-

------------------- ग्रामीण क्षेत्र में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 6000 रू0 तक की योजनायें ली जाती हैं। जिसमें कृषि, लघु सिंचाई, सेवा उद्योग एवं व्यवसाय, ट्राइसेम आदि कार्य क्रम सम्मिलित रहते हैं । इसमें अनु0 जाति के लाभार्थी कुल लक्ष्य के 50 प्रतिशत रहते हैं । एकीकृत योजना में 6000 रू0 तक मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत बैंक ऋण देता है । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 6000 रू0 तक की कोई भी योजना ग्रामीण क्षेत्र में निगम द्वारा सीधे नहीं चलाई जाती । 6000 रू0 से 20,000 रू0 तक की योजनायें जिसमें अनावर्ती लागत 12000 रू0 से अधिक नहीं होती और व्यक्ति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से अनुदान लेकर लाभान्वित नहीं हो रहा है । तथा पात्रता की अन्य शर्तें यदि पूरी करता है तो उसे निगम द्वारा सीधा लाभ पहुँचाया जाता है ।

कृषि क्षेत्रों में 10,000 रु० तक की योजनाओं तथा अकृषि क्षेत्रों में 25000 रु० तक की योजनाओं में रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार मार्जिन मनी ऋण देने की आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक की योजना लागत का 25 प्रतिशत निगम द्वारा मार्जिन मनी ऋण के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रु० तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 1990-91 में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की भाँति निगम द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 5000 रु० तक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। योजना को शेष भाग बैंकों से ऋण के रूप में प्रदान कराया जाता है।

सारणी क्रमांक - 2.45

उत्तर प्रदेश में स्वतः रोजगार योजना की प्रगति

। प्रायोजक- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग।

। राशि लाख रु० में।

वर्ष	लक्ष्य	लाभान्वित परिवार	निगम द्वारा दी गई मार्जिन मनी ऋण राशि	अनुदान	बैंक ऋण	योग
छठवीं योजना						
1980-81 से 1984-85 तक	341668	347575	859.00	4988.2	7540.33	13387.5
सातवीं योजना -						
1985-86	50000	49524	190.23	1215.82	1485.72	2891.77
1986-87	60000	61122	281.27	1540.09	1875.35	3696.71
1987-88	60000	61063	370.75	1843.13	2901.74	4955.62
1988-89	60000	67052	645.10	1939.33	3265.15	5849.58
1989-90	70000	71057	579.57	2013.86	3290.29	5883.72

स्रोत:- वार्षिक योजना 1990-91, उत्तर प्रदेश, अनु० जाति, वित्त एवं विकास निगम लखनऊ पेज 3

लघु सिंचाई योजना :- यह योजना अनु० जाति के लघु/सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से वर्ष 1986-87 में आरम्भ की गई थी

इस योजना के अन्तर्गत अनु० जाति के लघु/ सीमान्त कृषकों के खेतों में निःशुल्क बोरिंग इस प्रकार कराई जाती है कि प्रत्येक बोरिंग से लगभग 5 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सके। इस योजना में प्रत्येक 2 या 3 बोरिंग पर एक पम्पसेट भी अनु० जाती के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क बोरिंग की अधिकतम राशि 5000 रु० है। इसके अतिरक्त लाभार्थी को पम्पसेट निगम की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रय कराया जाता है। जिस पर उसे अनुमन्य अनुदान भी दिया जाता है।

निःशुल्क बोरिंग के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण की योजना भी संचालित की जा रही है। जिस कृषक के खेत में यह डिग्गी बनाई जाती है उस एक डिग्गी के कमांड एरिया में आने वाले सभी खेतों को सिंचाई सुविधा उस कृषक द्वारा अन्य कृषकों को भी उपलब्ध करानी होती है।

सातवीं योजना में इस योजनाके अन्तर्गत 28937 बोरिंग तथा 219 डिग्गी निर्मित कराईगई जिस पर 1261.37 लाख रुपया व्यय हुआ।

चालू वर्ष 1990-91 में 10,000 बोरिंग तथा 120 डिग्गी का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। तथा 524 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है। इन सिंचाई संसाधनों से लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का अनुमान है।

<u>मुर्गी पालन सहकारी समितियों की स्थापना :-</u> अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके गाँव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर जनपदों में मुर्गी पालन सहकारी समितियों की स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अनु० जाति के व्यक्तियों को सहकारी समिति बनाकर मुर्गी पालन की आधुनिक तकनीकी के अनुसार उन्हें मुर्गी पालन हेतु इन्फ्रा इस्ट्रैक्चर उपलब्ध करायाा जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क प्राप्त कर उस पर केज हाउस, ब्रुडर हाउस, स्टोर, आफिस आदि का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही लाभार्थियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा कर कैलीफोर्निया पद्धति के आधार पर मुर्गी पालन का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ को पूर्व में 18.08 लाख रुपये की धन राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

वादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भूमि प्राप्त कर योजना के संचालन की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1990-91 किसी प्रकार की पांच सहकारी समितियों का स्थापना का प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस पर कुल 80.315 लाख रू० व्यय का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनपद लखनऊ, गोरखपुर की सहकारी समितियों के लिए आवर्तक मद में 0.60 लाख रू० की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इस योजनामें कुल 80.915 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि० उत्तर प्रदेश द्वारा न केवल अनु० जाति के सदस्यों को ऋण देकर उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने का अवसर दिया जाता है बल्कि निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है। ताकि ही ये प्रशिक्षण प्राकर अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। इस हेतु उन्हें प्रशिक्षण काल में कुल छात्रवृत्तियां भी उपलब्ध कराई जातीं हैं। निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वह निम्न प्रकार है।

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण :- अनु० जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक /युवितियों को टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निगम द्वारा 1983-84 में यह योजना आरम्भ की गई है। वर्तमान समय में प्रदेश के 21 केन्द्रों पर 24, 24 युवकएवं युवतियों को टंकण, आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह निर्धारित की गई है। प्रदेश में टंकण के प्रशिक्षणार्थी को 50 रू० मासिक तथा आशु लिपि वाले प्रशिक्षणार्थी को 100 रू० मासिक की वृत्तिका दी जाती है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इच्छुक युवक/युवतियों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत टाइप मशीन क्रय करने हेतु ऋण दिया जाता है।

वर्ष 1983-84 से मार्च 1990 तक प्रदेश में 7591 युवक /युवतियों को प्रशिक्षित किया गया। वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रदेश के शेष 42 जनपदों में भी टंकण एवं आशु लिपि के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की योजना है तथा इसमें प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को ट्राइसेम योजना की भांति 200 रू० मासिक की वृत्तिका दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार 63 प्रशिक्षण केन्द्रो पर 192.52 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। चालू वर्ष में संचालित 21 केन्द्रों पर 2016 युवक/ युवतियों को

आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।[9]

हथकरघा एवं बढ़ई गिरी का प्रशिक्षण :- अनु0 जाति के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के 12 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाता है । मऊ, टांडा (फैजाबाद, (मऊरानीपुर, रानीपुर (झाँसी) अमेठी, (सुल्तानपुर) मेजा (इलाहाबाद) हरदोई (बाराबंकी) बांदा, गोरखपुर, रायबरेली, चरखारी (हमीरपुर) तथा सीतापुर में हथकरघे का प्रशिक्षण दिया जाता है । तथा जनपद सहारनपुर एवं नैनीताल में बढ़ई गिरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इन प्रशिक्षणों की अवधि 6 माह की होगी । तथा वर्ष में दो सत्र चलाये जायेंगे । प्रशिक्षार्थी को 100 रु0 मासिक की वृत्तिका दी जाती है । प्रत्येक सत्र में 24 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । वर्ष 1990-91 में 576प्रशिक्षार्थियों को हथकरघा प्रशिक्षण तथा 96 प्रशिक्षार्थियों को बढ़ई गिरि का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है । इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए रू0 25.33 लाख का व्यय प्रस्तावित है ।[10]

उद्यमियताविकास एवं प्रशिक्षण की अन्य योजनायें :- अनु0 जाति के व्यक्तियों में उद्यमियता विकास करने के लिए कुछ अन्य योजनायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं । इन कार्यक्रमों का संचालन चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित है । प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है ।

प्रशिक्षण का नाम	धनराशि लाख रु0 में
1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण	2.88
2. इलेक्ट्रोनिक ट्रेड प्रशिक्षण	2.76
3. मोटर ड्राईविंग प्रशिक्षण	62.40
4. मोटर साईकिल/स्कूटर रिपेयरिंग प्रशिक्षण	2.34
5. प्लम्बिंग एवं पाईप फिटिंग प्रशिक्षण	2.35

---

9. स्रोत- वार्षिक योजना 1990-91, उत्तर प्रदेश अनु0 जाति, वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ पेज 5

10. स्रोत- "वही" पेज 6

6. पम्प सैट रिपेयर एवं मेन्टीनेन्स प्रशिक्षण	2.25
7. इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण	41.76
8. घड़ी मरम्मत प्रशिक्षण	0.73
9. टेलीफोन आपरेटर/रिसेप्सनिस्ट प्रशिक्षण	0.85
10. मोटर वाइंडिंग प्रशिक्षण	0.78
11. वेल्डिंग प्रशिक्षण	0.78
12. फाइबर ग्लास मोल्डिंग प्रशिक्षण	0.79
13. फाइड रिपेयर प्रशिक्षण	0.79
14. रेडीमेट गारमेंट ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर	39.03
योग	160.49

स्रोत - वार्षिक योजना, उत्तर प्रदेश, अनु० जाति, वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ पेज 7

उपरोक्त योजनायें विशेष केन्द्रीय सहायता से अनु० जाति के व्यक्तियों के सामाजिआर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में वृद्धि करने हेतु प्रदेश में अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

अध्याय - 3

उत्तर प्रदेश में झाँसी जनपद में भौगोलिक एवं सामाजिकआर्थिक परिपेक्ष्य में, जनपद में अनुसूचित जाति वर्ग की जनांकिकी एवं सामाजार्थिक स्थिति तथा जनपद में चालू सामान्य एवं विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विवरण

झाँसी :-
======

भौगोलिक स्थिति :-
------------------- जिला झाँसी, झाँसी संभाग के पांच जिलों में से एक है। यह जिला 25° 6" उत्तरी अक्षांश से 25° 56" उत्तरी अक्षांश तक तथा 78° 18" पूर्वी देशान्तर से 79° 25" पूर्वी देशान्तर तक फैला है। भारतीय जनरल सर्वेयर के अनुसार झाँसी जिले का क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0 मी0 है। यह जिला प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जिले के दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश के साथ-साथ ललितपुर जिला इसकी सीमा को छूता है। पूर्व में हमीरपुर जिला लगा है तथा उत्तर में जालौन जिला सीमा पर स्थित है जिले में प्रमुख रूप से बेतवा धसान पहुज तथा कावेरी नदियाँ बहती हैं।

जिले में चार तहसील मोंठ, गरोठा, मऊरानीपुर तथा झाँसी हैं। इनमें झाँसी सबसे सघन तथा गरोठा सबसे विरल आबादी वाली तहसील है। जिले में गरोठा तहसील सबसे बड़ी तथा मऊरानीपुर सबसे छोटी तहसील है। जिले में कुल 840 गांव तथा 16 नगर हैं।

जनगणना 1961 :-
---------------- जिला जनगणना कार्यालय झाँसी के अभिलेखानुसार सन् 1961 में झाँसी जिले की जनसंख्या दस लाख सत्तासी हजार चार सौ उन्यासी थी। इस जनसंख्या में पाँच लाख तिहत्तर हजार सात सौ तीन पुरुष तथा पाँच लाख तेरह हजार सात सौ छेहत्तर स्त्रियाँ निवास करती थीं। इस सन्दर्भ में यह बात स्मरणीय है कि उस समय तक ललितपुर जो अब एक पृथक जिला है, सम्पूर्ण क्षेत्र सहित झाँसी जिले में ही सम्मिलित था। इस संख्या का विवरण निम्न प्रकार था

सारणी क्रमांक 3.1

क्र0	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
कुल	1087479	573703	513776
ग्रामीण	828312	432656	395656
नागरीय	259167	141047	118120

स्रोत:- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी 1961 पेज 5

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जिले की 76.16 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। जबकि 23.83 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। कुल ग्रामीण जनसंख्या में 52.23 प्रतिशत पुरुष तथा 47.76 प्रतिशत

Location Of Jhansi Dist. In U.P

स्त्रियाँ हैं। जबकि शहरी जनसंख्या में 54.52 प्रतिशत पुरुष तथा 45.57 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं।

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जिले में 195492 मकान थे। इसमें 151813 मकान ग्रामीण क्षेत्र में तथा 43669 मकान शहरी क्षेत्र में थे।

जिले में कुल 1616 गांव थे। इनमें 1461 गांव आबाद तथा 155 गांव गैर आबाद थे। जिले में मौंठ, गरौठा, मऊरानीपुर, झाँसी ललितपुर तथा महरानी तहसीलें थीं।

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जन संख्या का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 था, जबकि झाँसी जिले में यह 106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 था।

झाँसी जिले में विभिन्न तहसीलों में जनसंख्या का घनत्व निम्न प्रकार था

झाँसी	मऊरानीपुर	गरौठा	ललितपुर	महरानी
251	132	84	75	71

जिले में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 896 थी। प्रति हजार पुरुषों की पीछे स्त्रियों की 1961 तक विभिन्न वर्षों में निम्न प्रकार रही

1921	1931	1941	1951	1961
924	932	935	922	896

झाँसी जिले के विभिन्न तहसीलों में सन् 1961 में जनसंख्या निम्न प्रकार थी।

सारणी क्रमांक 3.2

तहसील	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
मौंठ	132792	69172	63620
गरौठा	134414	69731	64693
मऊरानीपुर	145703	75720	69983
झाँसी	301565	163319	138246
ललितपुर	221625	116668	104957
महरानी	151370	79093	72297

स्रोत :- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी 1961 पेज 5

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जिले की सबसे बड़ी तहसील झाँसी थी

उ

LOCATION OF JHANSI Distt

1 Cm = 5 Km

उ

LOCATION OF JHANSI Distt

1 Cm = 5 Km

इस तहसील में 163319 पुरुष तथा 138246 महिलायें निवास करतीं थीं । जिले की सबसे छोटी तहसील मौंठ थी । इस तहसील में एक लाख बत्तीस हजार सात सौ बानवे व्यक्ति निवास करते थे इनमें 69172 पुरुष तथा 63620 स्त्रियाँ थीं ।

जिले में प्रति हजार पुरुषों के पीछे सन् 1961 में स्त्रियों की संख्या 896 थी, जबकि सन् 1951 में यह अनुपात प्रति हजार पुरुषों के पीछे 922 स्त्रियाँ थीं ।

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जिले में कुल साक्षरता 20 प्रतिशत है, जबकि इस समय में राज्य में साक्षरता 17.7 प्रतिशत थी । यह साक्षरता में पुरुषों के बीच साक्षरता 30.5 तथा स्त्रियों में यह साक्षरता 8.3 है । ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में साक्षरता 22.1 तथा स्त्रियों में 4.3 है ।

जन गणना के अनुसार झाँसी जिले में अनुसूचित जाति के 286996 व्यक्ति निवास करते हैं, इनमें 148824 पुरुष तथ 138172 स्त्रियाँ निवास करती है । जिले में अनुसूचित जाति की जन संख्या विवरण निम्न प्रकार है ।

सारणी क्रमांक 3.3

तहसील	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
मौंठ	38334	19975	18359
गरौठा	46050	23416	22634
मऊरानीपुर	48701	25070	23631
झाँसी	67052	35178	31884
ललितपुर	51982	26873	25109
महरौनी	84867	18318	16555

स्रोत :- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी 1961 पेज 135, 140, 141

सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या झाँसी जिले की झाँसी तहसील में ही निवास करती थी । इस तहसील में अनुसूचित जाति वर्ग के 35178 पुरुष तथा 31884 स्त्रियाँ सहित 67052 व्यक्ति निवास करते हैं । इस वर्ग सबसे कम व्यक्ति मौंठ तहसील में रहते हैं। मौंठ में 34334 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, इनमें 19975 पुरुष तथा 18359 महिलायें थीं ।

जिले में अनुसूचित जाति के मध्य साक्षरता नगरीय क्षेत्र में पुरुषों के मध्य 27.61 प्रतिशत तथा स्त्रियों के मध्य 9.93 प्रतिशत थी । इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के मध्य साक्षरता 11.30 प्रतिशत तथा स्त्रियों के मध्य साक्षरता

0.35 प्रतिशत थी ।

कार्यशील आश्रित जन संख्या :-
------------------------- सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जिले में कुल श्रमिकों में 329958 पुरुष तथा 116069 स्त्रियाँ हैं ।

कुल श्रमिकों में 60.69 प्रतिशत जनसंख्या कृषक 7.27 प्रतिशत व्यक्ति कृषि श्रमिक 0.83 प्रतिशत व्यक्ति निर्माण खनन आदि में 7.07 प्रतिशत व्यक्ति गृह उद्योग में 3.42 व्यक्ति अन्य उद्योगों में लगे हैं । इनके अतिरिक्त 58.98 प्रतिशत जनसंख्या का विवरण आश्रित है ।

अनुसूचित जाति जाति के श्रमिकों में कार्यशील आश्रित जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है ।

सारणी क्रमांक 3.5

विवरण	ग्रामीण			नगरीय		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
जनसंख्या	237169	122614	144555	49827	26210	23617
श्रमिक	-	74715	28257	-	12466	3520
कृषक	43242	18605	-	-	489	186
कृषि श्रमिक	-	10377	8184	-	69	18
निर्माण खनन आदि	-	774	284	-	18	4
गृह उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग	-	855	36	-	1962	420
निर्माण	8-	841	355	-	1106	107
व्यापार	-	1186	349	-	644	317
ट्रान्सपोर्ट	-	552	2	-	2158	83
अन्य	-	26	27	-	3682	789

स्रोत :- जिला जन गणना पुस्तिका झाँसी 1961 पेज 136, 137

झाँसी जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 73744 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 20097 व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में इस वर्ग के आश्रित हैं ।

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 928 थी । सन् 1961 वर्ष की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 901 तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों के पीछे

स्त्रियों की संख्या 934 थी ।

जनगणना 1971 :-

जिला जनगणना 1991 के अनुसार सन् 1971 में जिला झाँसी की जनसंख्या तेरह लाख सात हजार अट्ठावन थी । इस जनसंख्या में 25.73 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की थी । जिला झाँसी में प्रति हजार पुरुषों के जिले का स्थान प्रदेश में 38 वाँ था । जिले का तहसीलानुसार जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार था । सारणी क्रमांक 3.5

तहसील	क्षेत्रफल	जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	घनत्व प्रति वर्ग कि.मी.
मौंठ	1206.4	174065	50605	144
गरौठा	1579.6	171011	56317	108
मऊरानीपुर	1094.5	182229	60769	166
झाँसी	1193.0	342833	72243	287
ललितपुर	2987.6	259214	55758	87
महरौनी	2147.1	177706	40643	83

स्रोत :- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी सन1971 पृ0 2.3.4

जनगणना 1971 के अनुसार जिले में सर्वाधिक बड़ी तहसील ललितपुर थी जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी तहसील मऊरानीपुर है । सर्वाधिक जनसंख्या तीन लाख ब्यालीस हजार आठ सौ तैतीस जनसंख्या झाँसी तहसील में निवास करती थी । जबकि सबसे कम जनसंख्या का एक लाख इकहत्तर हजार ग्यारह गरौठा तहसील की थी ।

सर्वाधिक अनुसूचित जाति के सदस्य भी झाँसी तहसील में निवास करते हैं । इनकी संख्या बहत्तर हजार दो सौ तैतालीस थी । जबकि सबसे कम इस वर्ग की जनसंख्या महरौनी तहसील में रहती थी । सन् 1971 की जनगणना के अनुसार इस वर्ग के चालीस हजार छै सौ तैतालीस व्यक्ति निवास करते हैं ।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार झाँसी जिले का क्षेत्रफल 10669 वर्ग वर्ग कि0 मी0 था । इस क्षेत्रफल में 9963.1 वर्ग कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 105.9 वर्ग कि.मी. नगरीय क्षेत्र में था । जिले में कुल 1594 ग्राम थे । इन गाँवों में आबाद तथा 1450 गाँव थे और 144 गाँव गैर आबाद थे ।

जिले में 173166 ग्रामीण तथा 49886 नगरीय आवासीय मकान थे। इसी प्रकार जिले में कुल 247796 परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों में 186831 परिवार ग्रामीण क्षेत्र तथा 60965 परिवार नगरीय क्षेत्र के हैं। जिले में 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या निम्न प्रकार थी।

सारणी क्रमांक 3.6

कुल जनसंख्या 1971

	व्यक्ति	ग्रामीण	नगरीय
कुल	1307058	985761	321291
पुरुष	698563	527575	170988
स्त्री	608495	458186	150309

अनुसूचित जाति जनसंख्या 1971

	व्यक्ति	ग्रामीण	नगरीय
कुल	336335	272309	64026
पुरुष	179064	144796	34268
स्त्री	157271	127513	29758

स्रोत:- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी 1971 प्राथमिक जनगणनासार समूह

सन् 1971 की जनगणनानुसार झाँसी जिले की जनसंख्या 1307058 थी। इस जनसंख्या में 75.41 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 24.58 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। कुल पुरुषों के 75.52 प्रतिशत पुरुष तथा कुल स्त्रियों की 75.29 प्रतिशत स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र की निवासी हैं। जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 336335 थी। इस जनसंख्या में 80.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में तथा शेष 19.03 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती थी। अनुसूचित जाति के पुरुषों में 80.62 प्रतिशत पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति की स्त्रियों में 81.07 स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र में तथा 18.93 प्रतिशत स्त्रियां शहरी क्षेत्र में निवास करती है।

सन् 1971 की जनगणनानुसार जिले में 326453 व्यक्ति साक्षर थे। इन व्यक्तियों में 176343 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के तथा 150110 व्यक्ति नगरीय क्षेत्र के थे। जिले की स्त्रियों में 12.72 प्रतिशत स्त्रियां तथा पुरुषों में 35.64 प्रतिशत

के थे । जिले की स्त्रियों में 12.72 प्रतिशत स्त्रियाँ तथा पुरुषों में 35.64 प्रतिशत पुरुष साक्षर थे ।

कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या :- जिले में कार्यशील तथा आश्रित जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार था । जिले में कुल 356898 पुरुष तथा 35293 स्त्रियों सहित 392171 व्यक्ति नगरीय श्रमिक वर्ग के थे । कुल काम करने वालों में 310375 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 818116 व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में काम करते थे । कुल काम करने वालों में 216370 कृषक 64461 खेतिहर मजदूर थे । 2833 व्यक्ति पशु पालन शिकार पौधशाला तथा जंगल लगाने में संलग्न थे । 945 व्यक्ति खनन 15754 व्यक्ति गृह उद्योग में तथा 10735 व्यक्ति अन्य उद्योगों में (गृह उद्योग के अतिरिक्त) लगे हैं । जिले में 2793 व्यक्ति निर्माण कार्यों में 18030 व्यक्ति व्यापार में तथा 17448 व्यक्ति यातायात एवं संचार में लगे थे । 42822 व्यक्ति ऐसे थे जो इनके अतिरिक्त अन्य सेवाओं में संलग्न थे ।

जिले में 914867 व्यक्ति ऐसे थे जो कोई काम नहीं करते थे । ऐसे वर्ग की 73.82 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 26.17 प्रतिशत व्यक्ति नगरीय क्षेत्र के निवासी थे ।

सारणी क्रमांक 3.9

कुल काम करने वाले श्रमिकों का विवरण

	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
कुल जनसंख्या	1307085	698563	608495
अनुसूचित जाति जनसंख्या	336355	179064	157271
कुल काम करने वाले	392171	356898	35293
आश्रित जनसंख्या	914867	341665	593202

स्रोत:- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी पृ 1971 प्राथमिक जनगणनासार समूह

काम करने वालों का व्यावसायिक एवं क्षेत्रीय विवरण

सारणी क्रमांक 3.8

व्यवसाय	कुल काम करने वालों मे प्रतिशत	ग्रामीण नगरीय अनुपात ग्रामीण	नगरीय
कृषक	55.17	97.25	2.74
कृषि मजदूर	16.43	95.27	4.72
पशु पालन, शिकार, पौधशाला			

जंगल लगाना, मछली पालना	0.72	85.31	14.69
खनन	0.24	80.52	19.48
गृह उद्योग	4.01	61.83	38.16
अन्य उद्योग, गृह उद्योग के अतिरिक्त	2.73	17.17	82.82
निर्माण	0.71	56.49	43.50
व्यापार वाणिज्य	4.59	27.36	72.63
यातायात संचार	4.44	4.07	95.25
अन्य सेवायें	10.91	73.82	26.17

स्रोत :- जनगणना पुस्तिका झाँसी 1971 प्रायमिक जनगणना सार पेज 4. 5

सारणी क्रमांक 3.9 अनुसूचित जाति जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	क्षेत्रफल	अनुसूचित जाति जनसंख्या व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	परिवार
1961	5027	286966	148824	138172	137304
1971	5027	336365	179864	157271	160028
1981	5024	325912	176861	149051	199003

स्रोत :- जिला गणना पुस्तिका झाँसी 1961, 1971, 1981 तथा 2 जिला सांख्यिकी पत्रिका 1989 पेज 25

वर्ष 1961 में जिले में 137304 परिवारों सहित अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 286966 थी इस संख्या में 148824 पुरुष तथा 138172 स्त्रियाँ थीं। सन् 1981 से 1971 के बीच दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि 17.21 प्रतिशत रही जबकि सन् 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक 3.10 प्रतिशत रही। जनसंख्या वृद्धि के ऋणात्मक होने का कारण यह था कि 1981 तक झाँसी जिले की ललितपुर तथा महरौनी को इस जिले से अलग कर पृथक ललितपुर जिला बनाया गया था।

जनांकिकी स्थिति 1981 :- जिला जनगणना 1981 के अनुसार जिले की जनसंख्या ग्यारह लाख तीस हजार इक्तीस थी। जिले में जनसंख्या का घनत्व 226 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। जिले की जनसंख्या सम्पूर्ण प्रदेश की जनसंख्या की 1.03% प्रति

जिला गणना पुस्तिका 1981 के अनुसार प्रदेश के 56 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से झाँसी जिले का स्थान 28 वाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से स्थान 45 वाँ है ।

जिले की 37.9 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है ; जबकि शेष 62.1 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है । जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कुल राज्य के प्रतिशत (17.9) के दोगुने से भी अधिक है ।

जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 28.7 प्रतिशत है । जबकि अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत अत्यन्त निम्न 0.01 प्रतिशत है ।

सम्पूर्ण जिले में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से ऊँचा है । सन् 1981 में जिले में साक्षरता का प्रतिशत 37.1 प्रतिशत है । यहाँ पुरुषों में साक्षरता 50.7 प्रतिशत तथा स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 21.4 प्रतिशत था । जिले में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता 28.7 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता 50.7 प्रतिशत थी ।

जिले में आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण करने से ज्ञात होता है कि कुल जनसंख्या में लगभग 28.7 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमिक वर्ग की थी । जबकि कुल जनसंख्या में 2.3 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त श्रमिक श्रेणी की थी ।

सारणी क्रमांक 3.10

जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय विवरण

तहसील	गाँव की संख्या		नगर	जनसंख्या					
	आबाद	कुल		ग्रामीण			नगरीय		
				व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्य0	पु0	स्त्री
मोंठ	231	270	3	181654	97718	83936	34806	18728	16070
गरौठा	207	234	3	183045	98602	84443	26403	14137	12266
मऊरानीपुर	165	175	3	181372	96956	84416	50311	26646	23665
झाँसी	156	161	7	159606	87065	72541	319834	160576	151258
	759	840	16	705677	380341	325336	431354	228087	203267

जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील स्वयं झाँसी है । 1981 की जनगणना के अनुसार झाँसी तहसील की जनसंख्या 479440 है । इस संख्या में 159606

व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के तथा 319834 व्यक्ति नगरीय क्षेत्र के हैं। इस प्रकार झाँसी तहसील की कुल जनसंख्या का 33.29 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण तथा 66.70 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। दूसरी तरफ गरौठा तहसील सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील है इस तहसील की कुल जनसंख्या 209448 है। इस जनसंख्या का 87.39 प्रतिशत भाग गाँव में तथा मात्र 12.60 प्रतिशत भाग नगरों में निवास करता है।

मौंठ तहसील में सर्वाधिक गाँव 270 हैं, जबकि झाँसी तहसील में सबसे कम 161 गाँव हैं। जिले में मौंठ में 270 में 231 गरौठा में 234 में 207 मऊरानीपुर में 175 में 165 तथा झाँसी में 161 में 156 गाँव आबाद हैं। जिले में औसत रूप से 4 नगर प्रति तहसील हैं। औसत रूप में 840 व्यक्ति प्रति गाँव निवास करते हैं।

जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या :- झाँसी जिले के क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि.मी. में 325912 अनुसूचित जाति के सदस्य निवास करते हैं। इस जनसंख्या में 59.26 प्रतिशत पुरुष तथा 45.73 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। जिले की कुल अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या का 70.04 प्रतिशत भाग गाँव में तथा 29.96 प्रतिशत भाग नगरों में निवास करता है।

ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या में 54.77 प्रतिशत भाग पुरुष तथा 45.22 प्रतिशत जनसंख्या स्त्रियों की है। नगरीय अनुसूचित जाति जनसंख्या में 53.07 प्रतिशत जनसंख्या पुरुष वर्ग की तथा 46.92 प्रतिशत जनसंख्या स्त्री वर्ग की थी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 32.34 तथा नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 22.6 है। सम्पूर्ण जिले में जनसंख्या में इस भाग का प्रतिशत 28.7 है। नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग का कुल जनसंख्या में प्रतिशत निम्न प्रकार है।

सारणी क्रमांक 3.11

नगर का नाम	कुल जनसंख्या	अनु०जा० जनसंख्या	प्रतिशत	साक्षरता प्रतिशत
बेरवा टा.ए.	5898	1784	30.25	36.40
कोटरा टा.ए.	4826	2122	43.97	32.57
गुरसरांय न० पा०	12337	2704	21.92	54.14

चिरगाँव न0 पा0	11034	1865	16.90	52.00
झाँसी न0 पा0	246172	51167	20.79	54.29
झाँसी कैन्ट	16986	4214	24.81	59.17
झाँसी न0 का0	13479	2041	15.14	68.35
टोड़ी फतेहपुर टा0 एरिया	8160	2429	29.74	29.13
बड़ागाँव टाउन एरिया	5130	870	16.96	39.82
बबीना कैन्ट	15912	3734	27.47	40.68
बरुआसागर न0 पा0	14651	1713	11.69	36.63
मऊरानीपुर न0 पा0	33754	8067	23.90	47.36
मोंठ टा0 ए0	8900	2239	25.16	47.83
रानीपुर टा0 ए0	11731	8809	49.52	37.10
समथर न0 पा0	14872	2837	19.08	40.15
हँसारी गिर्द कैन्ट	7504	4030	53.70	36.79
योग	431334	97645	22.64	50.68

नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या झाँसी नगर पालिका क्षेत्र में रहती है । जबकि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जन जाति संख्या का प्रतिशत हँसारी में है। सबसे कम प्रतिशत बरुआसागर में है, जहाँ नगरीय जनसंख्या की 11.69 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है ।

अनुसूचित जाति की जिले में 32.34 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है । अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या 69.25 प्रतिशत महिलायें ग्रामवासी है, जबकि इस वर्ग के पुरुषों के 70.03 प्रतिशत पुरुष गाँव के निवासी है । अनुसूचित जाति का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 3.12

कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत	ग्रामों की संख्या	गाँवों का प्रतिशत
-	40	5.27
0-5	26	3.42
6-10	23	3.03

11-15	28	3.69
16-20	50	6.57
21-30	217	28.59
31 से अधिक	375	49.41
योग	759	100.00

झाँसी जिले के लगभग 40 गाँवों में कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहता, जबकि जिले के 375 गाँव में अनुसूचित जाति की 31 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निवास करती है । 217 गाँव में जिले की 21 से लकर 31 प्रतिशत तक जनसंख्या निवास करती है ।

साक्षरता -

जिला जनगणना पुस्तिका 1981 जिला झाँसी के अनुसार झाँसी जिले में साक्षरता का प्रतिशत 37.10 है । जिले में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता 28.7 प्रतिशत है ।

जनसंख्या	गाँवों की संख्या	साक्षरता का प्रतिश
200 से कम	72	23.56
200-499	183	52.77
500-1999	437	28.22
2000-4999	65	30.45
5000-9999	2	40.98
योग	759	28.73

जिले में सर्वाधिक साक्षरता उन गाँवों की है, जहाँ जनसंख्या 500 से 1999 तक है । जिले में 200 से कम आबादी वाले 72 गाँव ऐसे हैं, जहाँ साक्षरता 23.56 प्रतिशत है ।2गाँव जिनकी आबादी 5000 से 9999 तक है, इनमें 40.98 प्रतिशत तक साक्षरता है ।

झाँसी जिले में 16 नगरों में साक्षरता का प्रतिशत सन्तुष्टिपूर्ण है ।

झाँसी में रेलवे सेटिलमेन्ट क्षेत्र में जनसंख्या का साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ 68.35 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। दूसरा स्थान झाँसी केन्ट का है, यहाँ पर 59.17 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। जिले के नगरीय क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता टोड़ी फतेहपुर में है, यहाँ मात्र 29.13 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। यह प्रतिशत सम्पूर्ण जिले के प्रतिशत से लगभग20 प्रतिशत से भी अधिक कम है।

झाँसी जिले में अनुसूचित जाति के मध्य साक्षरता का प्रतिशत 25.21 है। झाँसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ग के मध्य साक्षरता 20.20 तथा नगरीय क्षेत्र में इस वर्ग के मध्य साक्षरता 36.91 प्रतिशत है। जिले में इस वर्ग के पुरूषों के बीच 39.43 प्रतिशत तथा स्त्रियों के मध्य 8.33 प्रतिशत साक्षरतायें स्त्रियों व पुरूषों के मध्य ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में साक्षरता क्रमशः 3.71 तथा 33.8 एवं 18.72 तथा 52.98 प्रतिशत है।

यह साक्षरता मौंठ तहसील 23.94 प्रतिशत रही है, गरौठा तहसील में 20.69 प्रतिशत, मऊरानीपुर तहसील में 21.02 प्रतिशत तथा झाँसी में यह 31.37 प्रतिशत रही है। जिले की अनुसूचित जाति जनसंख्या में मौंठ में 18.72 प्रतिशत गरौठा तहसील में 21.15 प्रतिशत, प्रतिशत मऊरानीपुर तहसील में 24.27 प्रतिशत तथा झाँसी तहसील में 35.80 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

जिले में अनुसूचित जाति के मध्य साक्षरता में मौंठ में 17.79 प्रतिशत गरौठा में 17.36 प्रतिशत, मऊरानीपुर में 20.24 प्रतिशत तथा झाँसी तहसील में 44.25 प्रतिशत साक्षरता है।

कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या :- झाँसी जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 96944 व्यक्ति मुख्य काम करने वाले हैं। इनमें 84735 पुरूष तथा 12209 स्त्रियाँ हैं। अनुसूचित जाति के मुख्य काम करने वालों में मऊरानीपुर तहसील में 24.35 प्रतिशत, मौंठ में 18.83 प्रतिशत, गरौठा में 21.55 प्रतिशत, तथा झाँसी में35.25 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं।

मौंठ तहसील में मुख्य काम करने वाले इस वर्ग के व्यक्तियों में काश्तकार 55.90 प्रतिशत, 32.15 प्रतिशत खेतिहर मजदूर तथा 10.62 प्रतिशत व्यक्ति अन्य काम करने वाले हैं। पारिवारिक उद्योग उत्पादन संसाधन तथा निर्माण

में 1.31 प्रतिशत व्यक्ति लगे हैं। इस वर्ग की कुल जनसंख्या में 67.75 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हों, जो कोई काम नहीं करते।

गरौठा तहसील में मुख्य काम करने वाले व्यक्तियों में 50.08 प्रतिशत इस वर्ग के व्यक्ति काश्तकार, 34.27 प्रतिशत व्यक्ति खेतिहर मजदूर तथा 4.65 प्रतिशत व्यक्ति पारिवारिक उद्योग उत्पादन, खनन, निर्माण आदि में लगे हैं। इनके अतिरिक्त 6.98 प्रतिशत व्यक्ति अन्य कामों में लगे हैं। 40.68 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है।

मऊरानीपुर तहसील में अनुसूचित जाति वर्ग की मुख्य काम करने वाली जनसंख्या में 45.63 प्रतिशत व्यक्ति काश्तकार, 25.05 प्रतिशत व्यक्ति खेतिहर मजदूर तथा पारिवारिक उद्योग, उत्पादन, खनन, आदि में 17.9 प्रतिशत व्यक्तितथा 11.31 प्रतिशत व्यक्ति अन्य काम करने में लगे हैं। 64.80 प्रतिशत व्यक्ति इस वर्ग के दूसरों पर आश्रित हैं।

झाँसी तहसील में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या में 29.28 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य काम करने वालों की है। इनमें 14.56 प्रतिशत कृषक 21.05 प्रतिशत कृषि मजदूर 8.33 प्रतिशत व्यक्ति पारिवारिक उद्योग उत्पादन, सर्विसिंग मरम्मत आदि में लगे हैं। इस तहसील में इस वर्ग की 68.50 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है।

सारणी क्रमांक 3.13

उत्तर प्रदेश तथा झाँसी जिले की जनसंख्या एक दृष्टि से

जनसंख्या (करोड़ में)		उत्तर प्रदेश	जिला झाँसी
कुल	व्यक्ति	110862015	1137031
	पुरुष	58819276	608428
	स्त्री	52042737	528603
ग्रामीण	व्यक्ति	90962898	705677
	पुरुष	48041135	380341
	स्त्री	42921763	325336
नगरीय	व्यक्ति	19899115	431354
	पुरुष	10178141	228087
जनसंख्या वृद्धि दर % में		25.49	30.67

अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)	व्यक्ति	21.16	28.66
जनसंख्या	पुरुष	21.08	29.07
	स्त्री	21.24	28.20
क्षेत्रफल		294411.0	5024.0
ग्राम संख्या	कुल आबाद	126246	840
	आबाद	112568	769
	गैर आबाद	11678	81
नगर		704	16
अधिकृत आवासीय मकानों की संख्या		17759479	183055
जनसंख्या घनत्व (वर्ग कि0 मी0)		377	226
लिंग अनुपात (1000 पु0/महिलायें)		885	869
साक्षरता (प्रतिशत में)	व्यक्ति	27.16	30.06
	पुरुष	38.76	50.67
	स्त्री	14.04	31.36
नगरीय जनसंख्या	व्यक्ति	17.95	37.94
कुल जनसंख्या में कामन करने	पुरुष	49.24	52.06
वाले	स्त्री	91.94	50.36
पूर्ण मालिक का काम करने	व्यक्ति	29.22	27.81
वाले	पुरुष	50.31	47.40
	स्त्री	30.39	5.27
सीमान्त काम करने वाले	व्यक्ति	1.49	2.32
	पुरुष	0.45	0.54
	स्त्री	2.67	4.37
मुख्य काम करने वालों का विवरण			
1. काश्तकार (प्रतिशत में)	व्यक्ति	58.52	48.46
	पुरुष	59.53	50.60
	स्त्री	47.83	26.32
2. खेतिहर मजदूर	व्यक्ति	15.98	12.38
	पुरुष	14.16	10.61

	स्त्री	35.32	30.68
3. पारिवारिक उद्योग	व्यक्ति	3.70	5.18
मरम्मत, सर्विसिंग, खनन	पुरुष	33.56	4.52
आदि	स्त्री	5.21	11.98
4. अन्य काम करने वाले	व्यक्ति	21.80	33.98
	पुरुष	22.75	34.27
	स्त्री	11.73	31.02

स्रोत :- जिला जनगणना पुस्तिका झाँसी सन् 1981 पेज 11.2.3 ।

द्वारा जिला जनगणना कार्यालय झाँसी

आर्थिक स्थिति :-

किसी भी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है । झाँसी जिला एक कृषि प्रधान उद्योग रहित जिला है । इस जिले की जनसंख्या में एक बड़ा भाग उन लोगों का है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं । इस संख्या में बड़ा भाग अनुसूचित जाति की जनसंख्या का है ।

गरीबी रेखा :-

भारतीय योजना आयोग द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का अध्ययन किया जाता रहा है । आयोग द्वारा ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है ।

वर्ष 1977-78 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को परिभाषित करते हुए योजना आयोग ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्र में रु0 49=00 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एवं नगरीय क्षेत्र में रु0 56.46 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आय से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने गये थे ।

वर्ष 1983-84 में गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित किया गया । अब ग्रामीण क्षेत्र में रु0 101.80 तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने गये हैं । वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्र में 130.15 रुपया तथा नगरीय क्षेत्र में 155.13 रु0 से कम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं ।

छठवीं पांचवर्षीय योजना में एक अन्य प्रकार से गरीबी रेखा को परिभाषित करते हुए लिखा गया कि वे व्यक्ति जो एक दिन में नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम मात्रा में भोजन प्राप्त करते हैं गरीबी रेखा से नीचे माने गये हैं ।

झाँसी जिले में भी समय-समय पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सर्वेक्षण किया जाता रहा है । ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी की प्रगति रिपोर्ट 1989-90 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया ।

सारणी क्रमांक 3.14

क्र0	विकासखण्ड	कुल	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या आय प्रति वर्ष		
			3500 रु0 तक	4800 रु0 तक	6400 रु0 तक
1.	बड़ागाँव	14615	6563	3110	4952
2.	बबीना	14409	9539	2241	2629
3.	चिरगाँव	12471	9079	2257	1135
4.	मोंठ	14317	8661	2285	3371
5.	बंगरा	12013	5616	3696	2701
6.	मऊरानीपुर	15708	8557	2450	4701
7.	गुरसराँय	13049	6667	3404	2978
8.	बामौर	15950	9586	2660	3704
		112532			

वर्ष 1989-90 में झाँसी जिले में कुल 112532 परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं । इस संख्या में 64268 परिवार ऐसे थे जिनकी आय 3500 रु0 तक ही है । इस वर्ग में एक बड़ा भाग अनुसूचित जाति के परिवारों का है । 22103 परिवार ऐसे थे जिनकी वार्षिक आय 4800 रु0 से कम है । जिले में 26161 परिवार उस श्रेणी के हैं । जिनकी आय 4800 रु0 से 6400 रु0 वार्षिक है ।

जिला झाँसी :-

झाँसी सम्भाग के पांच जिलों में एक प्रमुख जिला तथा बुन्देलखण्ड का केन्द्र बिन्दु है। बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) में यही एक मात्र ऐसा शहर है जिसे वास्तव में शहर कहा जा सकता है। यद्यपि भारतीय इतिहास में तथा आजादी की लड़ाई में देश में झाँसी का स्थान स्वर्णमय है। यद्यपि झाँसी की रानी महारानी लक्ष्मी बाई ने इस देश के लिये अपना सर्वस्व कुर्बान किया परन्तु आज उनकी झाँसी एक पिछड़े उ० प्र० की एक कहानी बनकर रही है।

वर्तमान सरकारी नीतियाँ तथा झाँसी के दुर्भाग्य के कारण यह जिला एक उद्योग रहित जिला बनकर रह गया है। विकास की गति में नीति निर्माताओं ने इस जिले की ओर ध्यान नहीं दिया। इस क्रम में केवल झाँसी जिला ही नहीं बल्कि बुन्देलखण्ड के लगभग सभी जिले उद्योग रहित बनकर रह गये। यही कारण है कि इस जिले की कुल कार्यशील जनसंख्या में 48.46 प्रतिशत जनसंख्या कृषक 12.38 प्रतिशत लोग कृषि मजदूर हैं। इस प्रकार यह जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जिले में 69.86 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है। इसका आश्रित जनसंख्या का कारण या तो इनके योग्य काम का अभाव अथवा उनकी काम में रुचि न होना है। कृषि के पुराने तरीकों एवं प्रकृति मौसमी होने के कारण वर्ष में कुछ समय विशेषकर कृषि पर आश्रित जनसंख्या भी बेरोजगार हो जाती है।

जिले में जहाँ एक ओर शहरी बेरोजगारी है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बेरोजगारी का रूप अत्यन्त उग्र है। गांव में काम के अभाव से मानव श्रम का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। गांव में पूंजी की कमी भी बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण है।

उपर्युक्त स्थिति देश में केवल झाँसी जिले की ही नहीं बल्कि सैकड़ों जिलों की है। स्वतन्त्रता पूर्व अंग्रेजों ने इस भयानक स्थिति की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता पश्चात जब गांव के विकास की ओर ध्यान दिया गया तो गांव की दशा सुधारने के काफी प्रयत्न किये गये। नीति निर्माताओं ने गांधी जी के इस वाक्य पर विशेष ध्यान दिया कि - "गांव का मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है।"

गांव तथा देश में पर्याप्त मानव नियोजन हेतु तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु एवं देश के बहुमुखी विकास को आयाम देने के लिए बीस सूत्रीय कार्यक्रम में इस

और विशेष ध्यान दिया गया ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण बेरोजगारी समाप्त करने तथा ग्रामों के उत्थान हेतु समय-समय पर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाया गया । इन्हीं कार्यक्रम में कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं । जो जिले में ग्रामीण विकास के लिए पूरे जोरों से क्रियान्वित किये जा रहे हैं ।

॥अ॥ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें :-

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम :- एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित निर्धनता उन्मूलन का एक प्रमुख कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है । इस विकास कार्यक्रम का आरम्भ वर्ष 1978 में देश के कुछ चुने हुए विकास खण्डों मे किया गया था । इस क्रम में झाँसी जिले के विकासखण्ड बंगरा, मऊरानीपुर, गुरसरॉय तथा बामौर को योजना में शामिल किया गया । वर्ष 1979 - 80 में इस योजना में झाँसी जिले के एक और विकास खण्ड मोंठ को शामिल कर लिया । 2 अक्टूबर 1980 के दिन एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को सम्पूर्णदेश के विकास खण्डोंपर लागू किया गया तब झाँसी के शेष तीन विकास खण्ड चिरगाँव, बड़ागांव तथा बबीना भी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुये ।

जिले में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता को दूर करने के लिए गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को को अनुमानित कर संस्था गत वित्त से सहायता प्रदान की जाये तथा दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भू-साधनों पर आधारित असीमित जनता के भार को कम किया जा सके ।

इस योजना के अन्तर्गत उन पिरिवारों को जिनकी वार्षिक आय 6400 रू0 वार्षिक से कम है, गरीबी की रेखा के नीचे मानेजाते हैं । परन्तु इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उद्देश्य तो ऐसे लोगों को ढूँढकर सर्वप्रथम उनकी सहायता करना है । जिनकी वार्षिक आय 3500 रू0 वार्षिक तक है ।

इस कार्यक्रम के द्वारा ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस सहायता में एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है जो बैंकों द्वारा लाभार्थी को ऋण प्राप्त होते हैं जो संबंधित ऐजेन्सी द्वारा बैंक को पुनः

दिया जाता है ।

इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा लाभार्थी के सही चयन के लिये शासन ने अपने पत्र संख्या 2528/111/ग्रा०वि०/आ०/87 दिनांक 5 मई 1987 के द्वारा आर्थिक रजिस्टरों के निर्माण हेतु निर्देश जारी किया । निर्देशानुसार प्रत्येक गांव का एक आर्थिक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार के बारे में पूर्ण लेखा जोखा रहता है । गांव सभा की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन किया जाता है ।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से छोटे किसान सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण श्रमि कारीगर एवं वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनकी वार्षिक आय निर्धारित रेखा से कम है । जिले में एक हेक्टेअर से अधिक किन्तु दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले कृषक, एक हेक्टेयर से कम जोत वाला सीमान्त कृषक माना गया है । जिस व्यक्ति के पास आवास स्थल के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है तथा जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक आय मजदूरी से प्राप्त होती है उन्हें कृषि श्रमिक माना गया है ।

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है । इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हों । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत महिलाओं को भी लाभान्वित किया जाता है ।

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रत्येक परिवार को उनकी ऋण राशि के आधी राशि के बराबर अनुदान दिया जाता है ।

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रमुख रूप से अपना व्यवसाय चलाने, कृषि यंत्र खरीदने, पशु खरीदने तथा उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है ।

इस योजना को जिले में लगभग 10 वर्ष हो गये । इन दस वर्षों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रमुख रूप से निम्न कार्यों को ऋण प्रदान किये गये हैं । व्यवसाय दुकान किराना, कपड़ा जनरल स्टोर, खोमचा, भैंस, तांगा, सिलाई-मशीन, डेरी उद्योग ।

शोधार्थी द्वारा ग्रामीण
विकास कार्यक्रम के
लाभार्थियों का सर्वेक्षण

निर्माण - बांस डलिया, भट्टा, वानी सीमेन्ट की, चमड़े का कार्य, साबुन, रस्सा निर्माण ।

यंत्र- करघा, कम्प्रेशर, प्रेस, जेनरेटर, हलिंग मशीन, चक्की ।

पशुपालन- भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गाय, मुर्गी, खच्चर ।

सिंचाई- पम्प, बोरिंग, कूप निर्माण ।

अन्य कार्य- लुहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार ।

कृषि यंत्र- बैलगाड़ी, अन्य कृषि यंत्र ।

उपर्युक्त वस्तुयें खरीदने तथा व्यवसाय आदि के लिये सरकार द्वारा विभिन्न विकास खण्डों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों की मदद की जा रही है ।

प्रगति :-

सारणी क्रमांक 3.15

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त रिपोर्ट 1989-90 के आधार पर एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की प्रगति निम्न प्रकार रही -

वर्ष	लक्ष्य (नये व पुराने)	उपलब्धि (नये व पुराने)	अनु० जाति	महिलायें
1979-80	7934	2744	1330	-
1980-81	3290	10162	3350	-
1981-82	4800	3259	1270	-
1982-83	4800	5642	2689	-
1983-84	4800	4850	2522	-
1984-85	4800	5418	3120	-
1985-86	2120+2842	2637+2842	2758	415
1986-87	2586+4374	2719+4413	3670	1695
1987-88	1712+6188	1872+6192	4361	1370
1988-89	4744+1200	5310+1280	2986	846
189-90	5913	4140	2345	659

दिसम्बर 90 तक

सारणी क्रमांक 3.16

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति (लाख रुपयों में)

वर्ष	पिछला शेष	वर्ष में प्राप्त धन	अनुदान	व्यय	अवशेष	ऋण वितरण
1979-80	8.00	9.16	6.56	7.42	9.74	25.94

IIRDP

1Cm = 100 FAMILY

1980-81	9.74	26.55	18.45	24.27	12.02	67.14
1981-82	12.02	36.00	28.88	39.28	8.74	101.45
1982-83	8.74	76.60	53.24	57.11	30.23	126.46
1983-84	30.23	55.01	52.96	58.55	26.69	198.31
1984-85	26.69	77.60	72.63	78.53	25.76	192.89
1985-86	25.76	74.03	67.95	73.58	26.21	214.33
1986-87	26.11	126.07	89.20	100.01	52.17	262.64
1987-88	52.17	117.02	107.97	102.09	42.09	250.70
1988-89	42.09	127.91	111.39	132.10	37.90	229.14
1989-90	37.90	83.94	75.99	95.95	25.89	185.80
दिस0 89तक	279.45	809.99	695.22	793.91	297.44	

स्रोत :- विकास पुस्तिका जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी सन् 1989-90

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट देखने ज्ञात होता है कि अभी तक 1854 लाख रुपये के ऋण वितरण किये गये । इन वर्षों में 695.22 लाख रुपये का अनुदान दिया गया । ऋण की सर्वाधिक राशि 262.64 लाख रुपये की राशि सन् 1986-87 में वितरित की गयी । सर्वाधिक अनुदान वर्ष 1987-88 में दिया गया इस वर्ष वितरित अनुदान की राशि 117.97 लाख रुपये की थी ।

सरकार द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम हेतु सर्वाधिक राशि वर्ष 1988-89 में प्रदान की गयी । अभिकरण द्वारा इस वर्ष में 5944 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था । इसके विपरीत इस वर्ष 6590 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया । इन लाभार्थियों में 2986 लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग के थे ।

सर्वाधिक लाभार्थी सन् 1980-81 में 10862 परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये । लाभान्वित होने वाले परिवारों में 3450 परिवार अनुसूचित जाति के परिवार थे । वर्ष 1987-88 में जिले में सर्वाधिक 1370 महिलायें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गयीं । लक्ष्य से कम प्राप्ति सन् 1981-82 में हुई, इस वर्ष 4800 परिवारों को इस योजना द्वारा लाभ दिलाया जाना था, परन्तु कतिपय

कारणों से केवल 3259 परिवार को लाभान्वित किया जा सका । इस संख्या में 1270 परिवार अनुसूचित जाति के शामिल थे ।

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विडम्बना यह रही है कि जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा शासन से प्राप्त सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है । प्रत्येक वर्ष कुछ राशि शेष बचा ली जाती है । इस कारण एक ओर तो लक्ष्य से अधिक प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध होता है दूसरी ओर बहुत से जरूरतमंद लोग सहायता के अभाव में अपना पर्याप्त विकास नहीं कर पाते ।

वर्ष 1989-90 में लाभार्थियों का परियोजना सहित वर्गीकरण जिला झाँसी

व्यापार-	दुकान,	स्पीकर,	बैंड ब्रास,	तांगा,	सिलाई मशीन,	डेरी उद्योग,		योग
	1706	1,	5.	4,	7,	1,		1724
निर्माण-	बांस डलिया,	ईंट भट्टा,	सीमेंट जाली,	मछली जाल,	चमड़ा उद्योग,			योग
	133,	11,	1,	3,	30,			224
यंत्र -	करघा,	कम्प्रेसर,	प्रिंटिंग प्रेस,	वेल्डिंग मशीन,	जनरेटर,	चरखा,		योग
	141,	4,	1,	2,	2,	154,		304
पशुपालन-	भैंस,	बकरी,	भेड़,	सुअर,	गाय,	मुर्गी,	खच्चर,	योग
	1182,	506,	16,	41,	6,	6,	6,	1760
सिंचाई -	पम्प,	बोरिंग,	कूप,					योग
	576,	11,	379					966
श्रमिक -	लुहार,	बढ़ई,	कुम्हार,	सुनार,	नाई			योग
	7	4	3	1	1			16
कृषि -	गाड़ी बैल	कृषि यंत्र	रहट					योग
	748	14	1					763
				महायोग				5777

वर्ष 1989-90 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विकास खंडों के माध्यम से वर्ष में 5777 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया । इन लाभार्थियों में 29.85 प्रतिशत लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त हुआ । 4.22 प्रतिशत लाभार्थियों के द्वारा वस्तुओं के निर्माण हेतु उद्योग लगाया गया । 5.26 प्रतिशत लोगों ने व्यापार हेतु यंत्र खरीदने को समन्वित ग्राम्य विकास

योजना से ऋण प्राप्त किया है। सर्वाधिक 30.46 प्रतिशत लोगों ने पशुपालन हेतु ऋण प्राप्त किया। पशुपालन में प्रमुख रूप से भैंस तथा बकरी पालन को अपनी आय वृद्धि का साधन बनाया।

16.72 प्रतिशत लोगों को सिंचाई वृद्धि हेतु आवेदन के आधार उन्हें लाभान्वित किया गया। 13.2 प्रतिशत लोग कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि से संबंधित सामान खरीदने हेतु लाभान्वित किये गये। सबसे कम 0.25 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पूर्व व्यवसाय से सम्बन्धित सामान खरीदा।

वर्ष में सर्वाधिक 1706 लोगों को उनकी स्वयं की दुकान चलाने के लिए सहायता दी गयी।

ट्राइसेम योजना :-
---------------- शिक्षित बेरोजगारी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की भी यह एक विकट समस्या है। यद्यपि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। परन्तु उन्हें पर्याप्त मात्रा में मार्ग दर्शन का अभाव इनके विकास में बाधक है। पिछले काफी समय से यह बात अनुभव की जाती रही है। कि यदि इन ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण तथा पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाये तो कोई कारण नहीं है कि वे व्यक्ति अपना सम्पूर्ण विकास कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार न कर सके।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस ओर ध्यान देकर ग्रामीण युवकों को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना केन्द्र द्वारा 15 अगस्त 1979 को लागू की गयी।

ट्राइसेम का उद्देश्य ऐसे युवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर गांव में स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग देना है जो सुविधाओं व साधनों के अभाव में गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा युवक को इस लायक बनाया जाता है कि वह गांव में ही रहकर अपना रोजगार शुरू कर सके।

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत उन्हीं युवकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जो एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के पात्र परिवार हैं। इन युवकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रशिक्षण के लिए,प्रशिक्षार्थियों का चयन एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य खण्ड विकास अधिकारी, सामान्य प्रबन्ध जिला उद्योग केन्द्र, स्वैच्छिक संस्था का एक-एक प्रतिनिधि,औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्था का एक प्रतिनिधि खादी ग्रामोद्योग का प्रतिनिधि, लीड बैंक का प्रतिनिधि तथा आवश्यकतानुसार अन्य सदस्य भी मनोनीत किये जा सकते हैं ।

झाँसी जिले में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत झाँसी तथा मऊरानीपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान निम्न प्रकार वृत्तिका दी जाती है ।

1. यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी को गाँव में ही दिया जाता है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है ।

2. यदि प्रशिक्षणार्थी को प्रति माह 200 रू0 दिया जाता है तथा उनके आवास की व्यवस्था की जाती है । यदि वह अवधि 1 माह से कम है तो प्रशिक्षणार्थी को 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक वृत्तिका दी जाती है ।

3. यदि प्रशिक्षण गाँव के अलावा किसी अन्य स्थान पर दिया जाता है । तथा मुफ्त में आवास की व्यवस्था नहीं है तो प्रतिमाह 250 रू0 वृत्तिका दी जाती है । यदि प्रशिक्षण की अवधि 1 माह से कम है तो 9 रू0 प्रतिदिन प्रशिक्षार्थी को दिया जाता है ।

जो प्रशिक्षार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं उनको बैंक से ऋण एवं अनुदान देकर रोजगार स्थापित किया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वेल्डिंग, टाइपिंग, बुनाई, तेल निकालने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

सारणी क्रमांक 3.17

: ट्राईसेम की प्रगति :

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्ति संख्या	अनुसूचित जाति संख्या	रोजगार में स्थापित संख्या
1980-81	407	185	125
1981-82	311	105	-
1982-83	301	159	8
1983-84	325	187	8
1984-85	365	185	-
1985-86	322	138	162
1986-87	323	172	120
1987-88	330	167	92

TRYSEM
During VI Plan
1Cm = 50 YOUTH
No. OF YOUTH TRAINED
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
TRAINED
EMPLOYED
S/c

Progress Of TIRYSEM
During VII Plan
1Cm=50 YOUTH
EMPLOYED
S/C
No. OF YOUTH TRAINED
NO. OF YOUTH
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
TILL JAN '90
YEAR

1988-89	338	235	310
1989-90	82	30	20
जनवरी 90 तक			
	3102	1643	845

स्रोत :- विकास पुस्तिका जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी 1989-90

जिला झाँसी में अब तक ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत अब तक 3102 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षार्थियों में 1643 प्रशिक्षार्थी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। सर्वाधिक 407 लोगों को प्रशिक्षण 1980-81 में दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त लोगों में से 845 व्यक्तियों ने अपना रोजगार स्थापित किया। सर्वाधिक 310 लोगों ने अपना रोजगार सन् 1988-98 में स्थापित किया। जबकि सन् 1981-82 तथा 1984-85 में किसी भी प्रशिक्षार्थी ने प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार स्थापित नहीं किया। चालू वर्ष 1989-90 में जनवरी 90 तक 82 लोगों को ट्राइसेम योजना में प्रशिक्षण दिया गया, इसमें 30 लाभार्थी अनुसूचित जाति के हैं। इन प्रशिक्षण प्राप्त 82 लाभार्थियों में 20 लाभार्थियों ने अपना रोजगार स्थापित किया है।

जवाहर रोजगार योजना :-

ग्रामीण बेरोजगारी को कमकरने तथा अतिरिक्त समय में गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में एक गहन ग्रामीण रोजगार योजना आरम्भ की गयी। इससे पूर्व ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किये गये थे। इन कार्यक्रमों को इसलिये लागू किया गया था कि ग्रामीण बेरोजगारी एवं निर्धनता को दूर किया जा सके परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस सभी कार्यक्रमों को प्रभाव रहित बना दिया। सन् 1989-90 में ग्रामीण बेरोजगारी पर प्रहार करने के लिए जिस कार्यक्रम को अपनाया गया उसे देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को समर्पित करते हुए जवाहर रोजगार योजना नाम दिया गया। इस योजना के लिये झाँसी को 528.00 लाख की राशि दी गयी। इस राशि में 80 प्रतिशत धन राशि केन्द्र सरकार द्वारा 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी। इस धनराशि में से 22.76 लाख रुपये इंदिरा आवास योजना

के लिये निकाल कर शेष राशि का 20प्रतिशत धन अभिकरण स्तर पर रोक लिया गया । शेष राशि जो 396.25 लाख रुपये थी को, जिले की 602 ग्राम सभाओं में 48.60 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से बाँट दिया गया ।

वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर ये धनराशि वितरित की गयी । जिन गांवों की जनसंख्या 1000 से कम थी । उनकी जनसंख्या 1000 मान ली गई । राशि का आय वितरण निम्न प्रकार रहा - सारणी क्रमांक

जवाहर रोजगार योजना

1।	वार्षिक परिव्यय	528.08 लाख रुपये
1क।	केन्द्रांश	422.46 " "
1ख।	राज्यांश	105.16 " "
2।	प्राप्त राशि	
1अ।	केन्द्रांश	422.46 " "
1ब।	राज्यांश	105.16 " "
	1106.08 लाख रु0 प्राप्त एवं 0.53 लाख रु0 लखनऊ द्वारा रोका गया ।	
	योग	528.08 " "
3।	इंदिरा आवास हेतु मात्रा कुल राशि	32. 76 " "
4।	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा रोकी गयी राशि 1528.08 - 32.76 = 459.32 का 20 % ।	99.06 " "
5।	जनपद की ग्राम सभाओं को बाँटी जाने हेतु राशि 148.62 प्रति व्यक्ति।	396.25 " "
6।	जनपद की कुल ग्राम सभाओं की संख्या	602
7।	जनपद की वास्तविक ग्रामीण जनसंख्या	706281
8।	1000 से कम आबादी वाले ग्राम सभाओं की संख्या	318
9।	1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम सभाओं की संख्या	294
10।	जिले की वेशनल जनसंख्या	815043
11।	ग्राम सभाओं को दी गयी वास्तविक राशि	396.37
12।	एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु व्यय	9.89

।13।	क्रम 12 के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु राशि	71.48
।14।	निर्बल वर्ग आवास हेतु धन	12.61

स्रोत :- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की विकास पुस्तिका वर्ष 1989-90

जवाहर योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों को वितरित राशि

सारणी क्रमांक 3.18 ।लाख रुपये में।

क्र0	विकासखण्ड	जनसंख्या	अनु0जाति जनसंख्या	मेनमेन जन संख्या	वार्षिक परिव्यय	की गयी राशि
1.	बड़ागाँव	75427	23724	89252	43.39	43.39
2.	बबीना	91686	30360	101368	49.28	49.29
3.	चिरगाँव	85179	24822	102638	49.904	49.97
4.	मोंठ	96312	29314	111789	54.35	54.34
5.	बंगरा	87625	30383	90421	47.85	47.85
6.	मऊरानीपुर	93747	32724	104482	50.79	50.83
7.	बामोर	88701	29468	104107	50.61	50.60
8.	गुरसरांय	87604	30584	102986	50.07	50.07
	योग	706281	231479	815043	396.27	396.37

स्रोत :- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पुस्तिका जिला झाँसी वर्ष 1989-90

जवाहर रोजगार योजना की उपलब्धि :- झाँसी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के मध्य रोजगार सृजन के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की गई थी । गत दो वर्षों से यह योजना जिले में चल रही है । पूर्व प्रचलित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम इस कार्यक्रम में ही सम्मिलित कर दिये गये है । वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990-91 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार रही है ।

सारणी क्रमांक 3.19 राशि ।लाख रुपये में ।

विवरण	वर्ष 1989-90	वर्ष 1090-91
वर्ष में प्राप्त धन	554.22	529.66

गतवर्ष का अवशेष	61.154	
	10.325 [खाद्यान्न राशि]	90.625
कुल उपलब्ध धन	615.374 + 10.325	620.285
व्यय -		
सामग्री पर	262.842	173.90
मजदूरी पर	267.432	301.47
प्रशासनिक	5.80	9.10
	535.074	484.47
रोजगार का सृजन [लाख मानव दिवस]		
अनुसूचित जाति	9.154	8.077
अनुसूचित जन जाति	-	-
अन्य	5.715	8.671
योग	14.869	16.784

गत दो वर्षों में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1989-90 में 615.374 लाख रुपये नकद तथा 10.325 लाख रुपये का खाद्यान्न प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कुल 535074 लाख रुपये व्यय किये गये। इस राशि में से 267.432 लाख रुपये मजदूरी चुकाने पर व्यय हुये तथा 262.842 लाख रुपये सामग्री पर व्यय हुये। इस अवधि में कुल 14.869 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ। इसमें कुल 9.154 लाख मानव दिवस रोजगार अनुसूचित जाति को प्राप्त हुआ।

वर्ष 1990-91 में कुल धन 620.285 लाख रुपये इस कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुआ तथा 484.47 लाख रुपये इस कार्यक्र म पर व्यय किये गये। कुल 16.748 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के विपरीत 8.077 लाख मानव दिवस रोजगार अनुसूचित जाति को प्राप्त हुआ है।

इंदिरा आवास योजना :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को निवास की बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारम्भ

की गयी । इंदिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में आरम्भ की गयी । इस योजना के लाभार्थियों का चुनाव गांव की खुली बैठक में किया जाता है , ताकि इसका लाभ उचित लाभार्थी ही उठा सकें ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत एक आवास निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड कठिनाई वाले क्षेत्रों में 6000 रु० तक मकान निर्माण हेतु दिया जाता है । इस मकान के अन्तर्गत एक कमरा लगभग 15x8 फीट एक रसोई घर तथा एक बरामदा बनाने का,प्रावधान है व साथ ही 1800 रु० की धनराशि मकन की नींव हेतु दी जाती है । यहां विशेष प्रकार की नींव की आवश्यकता होती है । इसका कारण यह है कि झांसी जिला ख्याती/कठिनाई वाले क्षेत्र है व यहां इसके अतिरिक्त 3000 रु० तक प्रति आवास की दर से स्थल विकास हेतु दिया जाता है । इसके अतिरिक्त आवास के चारों ओर नाली, भूमि की समतलीकरण पेयजल हेतु कूप हैण्डपम्प इत्यादि का निर्माण कराया जाता है । शौचालय हेतु निर्माण हेतु 1200 रु० की सहायता का अलग से प्रावधान है । इस प्रकार इस योजना में प्रति आवास 12000 रु० तक का प्रावधान है । सारणी क्रमांक 3.19

इंदिरा आवास योजना की वर्ष वार प्रगति

वर्ष	आवास निर्माण लक्ष्य	गतवर्ष के अवशेष	कुल आवास	निर्माण उपलब्धि	अवशेष
1985-86	170	-	170	158	12
1986-87	204	12	216	248	-
1987-88	240	-	240	203	37
1988-89	192	37	229	193	36
1989-90 जनवरी 90	279	36	315	179	136
योग-	1085			981	

स्रोत :- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झांसी की प्रगति पुस्तिका 1989-90
इंदिरा आवास प्रभाग पेज 4

इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत जनवरी 1990 तक 1085 भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया था । जबकि इसके विपरीत इस अवधि तक 981 भवनों का निर्माण किया गया । वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया । अन्य वर्षों में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका । सर्वाधिक भवनों का निर्माण भी वर्ष 1986-87 में किया गया । इस वर्ष जिले में सर्वाधिक 248 भवन इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये ।

सारणी क्रमांक 3.20 इंदिरा आवास योजना भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (लाख रु0/दिवस)

वर्ष	वार्षिक परिव्यय (लाख रुपये में)			उपलब्ध संसाधन		
	नकद	खाद्यान्न का मूल्य	योग	नकद	खाद्यान्न मूल्य	योग
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1985-86	13.62	3.78	17.40	13.62	03.78	17.40
1986-87	18.00	8.20	26.20	25.25	8.20	33.45
1987-88	21.84	6.96	28.80	30.75	10.82	41.35
1988-89	21.32	1.05	22.39	38.27	7.35	45.62
1989-90	32.76	-	32.76	41.98	0.10	42.08
	107.54	19.99	127.73	149.87	29.85	179.90

सारणी क्रमांक 3.21
भौतिक व्यय विवरण

वर्ष	आवास निर्माण	स्थल विकास	प्रशासनिक	योग	लक्ष्य	पूर्ति
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1985-86	8.14	2.00	0.01	10.15	0.84	0.84
1986-87	16.22	4.17	0.69	21.08	0.91	0.91
1987-88	14.76	3.16	-	17.92	1.20	0.73
1988-89	25.77	10.45	0.08	36.30	1.09	1.09
1989-90	13.09	8.45	0.16	21.70	0.91	0.48
जनवरी 90 तक	77.98	28.23	0.94	107.45	4.95	4.05

स्रोत:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झांसी की प्रगति पुस्तिका वर्ष 1989-90

इंदिरा आवास योजना प्रभाग पेज 1. 2. 5

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जनवरी सन् 1990 तक 127.73 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था । इस अवधि में योजना पर 107.45 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं, तथा 20.38 लाख रुपये की राशि शेष बची है ।

1985 से जनवरी 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत 4.95 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था परन्तु इसी अवधि में 4.05 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया । इस कार्यक्रम वर्ष 1987-88 तथा 1989-90 के अतिरिक्त सभी वर्षों में रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यय एवं शेष में 149.87 लाख रु० तथा 29.85 लाख रुपये मूल्य के 1386.51 टन खाद्यान्न का उपयोग किया गया। विगत वर्षों से सम्पूर्ण खाद्यान्न का वितरण किया गया परन्तु नकद राशि में 77.98 लाख रुपये आवास निर्माण पर 28.23 लाख रुपये स्थल विकास पर तथा 0.94 लाख रुपये प्रशासनिक कार्यों पर व्यय किया जा चुका है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम:------- पिछले वर्ष के कई दशकों से देश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है । जिस गति से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से देश में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाना सम्भव नहीं हो पारहा है । यही कारण है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । देश में ग्रामीण व नगरीय दोनों प्रकार के बेरोजगारी की समस्या है, परन्तु ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का रूप नगरीय बेरोजगारी की अपेक्षा काफी भयावह है । देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक कारण ग्रामीण बेरोजगारी है । इसीलिये कहा जाता है कि भारतीय किसान इसलिये गरीब है क्योंकि वह गरीब है । ग्रामीण जनता की निर्धनता के कारण उन्हें पर्याप्त पोषक आहार प्राप्त नहीं हो पाता । पोषक तत्वों के अभाव में उनके स्वास्थ्य का स्तर निम्न होता है । निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण उनकी उत्पादनकता कम होती है । और वे गरीब बने रहते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता को समाप्त करने के लिये सरकार ने छठवीं पंच-

वर्षीय योजना में इसे मुख्य मुद्दा बनाया । अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये अक्टूबर 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया । यह योजना काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर आरम्भ की गयी थी। 1.4.89 से यह छठी पंचवर्षीय योजना का एक अंग बन गई है । इस योजना का क्रियान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन की जाने वाली एक केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के रूप में किया गया । ग्रामीण निर्धनता को कम करने में इस रोजगार कार्यक्रम का महत्व सातवीं योजना ।1989-90। में अपनाये गये दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है, जिसमें खाद्यान्न कार्य तथा उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना है, तथा ऐसे कार्यक्रम शुरू करना है जो इस प्रयोजन के लिये सबसे ज्यादा कारगर ढंग से योगदान कर सके, अर्थात इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूँजी निवेश के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, स्थाई रूप से रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना है ।

उद्देश्य :-।1। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार तथा रोजगार वाले महिलाओं व पुरुषों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है ।

।2। निर्धन वर्गों को प्रत्यक्ष एवं निरन्तर लाभ पहुँचाना है, तथा गाँव के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे को मजबूत करने हेतु उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना, जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में तेजी से प्रगति तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की आय में वृद्धि हो सके ।

सभी कार्यों में रोजगार हेतु भूमि हीन मजदूरों को वरीयता दी जाती है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले की एक क्रियान्वयन ऐजेन्सी है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तर दायित्व यहाँ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का है । जिले में निम्न संस्थाओं द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

।1। जिला परिषद

।2। जिला पंचायत राज अधिकारी

।3। अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

।4। सार्वजनिक निर्माण विभाग

।5। वन विभाग

16। सिंचाई विभाग, अल्प सिंचाई विभाग

17। समस्त खण्ड विकास अधिकारी इत्यादि ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विवरण

सारणी क्रमांक 3.22

वर्ष	उपलब्ध धन (लाख रुपये)			मजदूरी पर व्यय (लाख रुपये)		
	नकद	खाद्यान्न का मूल्य	योग	नकद	खाद्यान्न का मूल्य	योग
1982-83	74.79	0.775	75.565	34.48	-	34.48
1983-84	119.47	1.642	121.112	49.73	0.18	49.91
1984-85	56.03	2.68	58.71	15.87	2.10	17.97
1985-86	60.00	9.22	69.22	20.86	9.22	30.08
1986-87	112.42	42.58	155.00	33.90	35.20	69.10
1987-88	172.584	40.42	213.01	47.00	26.58	73.58
1988-89	231.454	31.38	262.835	118.242	27.86	146.10
	826.748	128.704	955.452	320.082	101.14	421.222

स्रोत :- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी 1989-90

सामग्री पर व्यय

1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
15.47	36.92	18.80	27.82	46.62	51.35	77.95

योग - 274.938

सारणी क्रमांक 3.23

-: ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की भौतिक प्रगति :-

(लाख मानव दिवस)

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति अनु0जाति	पूर्ति अन्य	पूर्ति योग	प्रतिशत उपलब्धि
1982-83	8.771	3.27	2.096	5.366	61.17
1983-84	3.55	3.69	2.82	6.51	183.38
1984-85	3.54	0.94	1.51	2.09	59
1985-86	3.86	1.26	1.42	2.68	69.4

1986-87	4.86	2.96	3.18	6.14	126.33
1987-88	5.83	2.84	3.17	6.01	103.03
1988-89	8.85	5.024	4.081	9.105	102.88
योग	39.261	19.984	17.917	37.901	96.53

स्रोत :- प्रगति पुस्तिका जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी 1989-90

वर्ष 1982-83 से वर्ष 1988-89 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये 155.45 लाख रूपये के साधन प्राप्त हुआ। इसमें 826.74 लाख रूपये नकद तथा 128.70 लाख रूपये का खाद्यान्न प्राप्त हुआ। उपलब्ध संसाधनों में से 421.22 लाख रूपये मजदूरी पर तथा 274.93 करोड़ रूपये सामग्री पर व्यय किया गया है।

उपरोक्त संसाधनों से 39.26 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस उपलब्धि की अवधि में लक्ष्य के विपरीत 37.90 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। इस प्रकार जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धि 96.53 प्रतिशत रही। इस योजना में 19.984 लाख मानव दिवस रोजगार अनुसूचित जाति के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया।

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपलब्धि वर्ष 1983-84 में प्राप्त की गयी। इस वर्ष लक्ष्य के विरीत उपलब्धि 183.38 प्रतिशत रही। जबकि अगले ही वर्ष उपलब्धि केवल 59 प्रतिशत रही। अभी तक दानों अधिकता और न्यूनता की उपलब्धि के रिकार्ड है। लक्ष्य से अधिक उपलब्धि वर्ष 1986-87 में 126.33 प्रतिशत तथा 1988-89 में 102.88 प्रतिशत रही है।

इसके विपरीत वर्ष 1982-83, 84-85 तथा 1985-86 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :- ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने का एक और प्रयास तब किया गया जब 15 अगस्त 1983 को सातवीं योजना के दौरान नये उत्साह के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेषकर, भूमिहिन मजदूरों को अतिरिक्त लाभ एवं रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी

कार्यक्रम को लागू किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये निवेश के माध्यम से रोजगार के प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक अवसरों को बढ़ाना और बाजार की मजदूरी दरों को स्थिर रखना है । अपेक्षित मजदूरी वाले क्षेत्रों में कानूनी रूप से निर्धारित मजदूरी की दरों में स्थिरता प्रदान करना है ।

उद्देश्य :-

इस कार्यक्रम के प्रमुख तीन उद्देश्य हैं ।

1. प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष 100 दिनों तक के लिये रोजगार की गारन्टी सुलभ करने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिये रोजगार के अवसरों में सुधार लाना तथा उनमें वृद्धि करना है ।

2. निर्धन वर्गों को प्रत्यक्ष एवं आन्तरिक लाभ पहुँचाने तथा ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे के आधार को मजबूत बनाने के लिये उत्पादक तथा स्थाई स्वरूप पर भी सम्पत्तियों का सृजन करना, जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसरों व लोगों की आय में भी वृद्धि होगी ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना ।

चूँकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार सुलभ कराना है । अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार हेतु वरीयता दी जाती ह यह योजना वर्ष 1988-89 तक ही चलाई गई, इसके बाद वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी तथा इस योजना को समाप्त कर दिया गया ।

सारणी क्रमांक ३-२५

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

वर्ष	नकद	उपलब्ध धन ।लाख रुपये।		मजदूरी पर व्यय			
			योग	नकद	खाद्यान्न का मूल्य	योग	सामग्री पर व्यय
1984-85	41.89	1.11	43.00	15.76	0.81	16.57	11.95
1985-86	30.13	0.30	30.43	14.09	0.30	14.39	8.76
1986-87	134.00	73.86	207.86	43.01	63.21	106.22	72.34
1987-88	121.68	56.871	178.491	54.98	34.425	89.405	30.205

1988-89	165.687	32.911	198.598	81.827	26.107	107.93	54.678
योग	493.387	164.752	658.339	209.667	124.852	334.516	185.983

स्रोत :- प्रगति पुस्तिका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झाँसी 1989-90

ग्रामीण भूमिहिन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिये 1984 से 1989 तक की अवधि 493.387 लाख रुपये नकद तथा 164.752 लाख रुपये मूल्य का खाद्यान्न प्राप्त हुआ । इस अवधि में इस योजना पर कुल 334.516 लाख रुपये व्यय किये गये । इस व्यय में 209.66 लाख रुपये नकद तथा 124.85 लाख रुपये का खाद्यान्न मजदूरी के रुप में वितरित किया गया । 185 लाख रुपये सामग्री खरीदने पर व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त 2.74 लाख रुपये स्थापन पर व्यय किया गया । इस प्रकार कुल व्यय 523.24 लाख रुपये का रहा ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम भौतिक प्रगति

सारणी क्रमांक 3.25

(लाख मानव दिवस)

वर्ष	लक्ष्य	अनु0जाति	पूर्ति अन्य	योग	महिला	भूमिहीन	प्रतिशत
1984-85	2.34	1.081	0.729	1.81	-	-	77.35
1985-86	1.265	1.166	0.30	1.466	0.10	1.136	115.88
1986-87	12.86	5.12	4.32	9.44	1.39	4.52	73.40
1987-88	7.12	2.758	4.449	7.207	0.201	3.774	101.22
1988-89	6.012	4.459	3.313	7.772	0.687	5.789	129.27
योग	29.597	14.584	13.111	27.695	2.378	15.319	93.57

स्रोत :- प्रगति पुस्तिका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झाँसी 1989-90

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षों में 29.597 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था । इस अवधि में कुल 27.69 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जा सका । इस योजना द्वारा 14.584 लाख मानव दिवस रोजगार अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस योजना का 50 प्रतिशत से अधिक लाभ अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ ।

लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम :- विभिन्न वर्षों में ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने हेतु कुछ विशेष कार्यक्रम चलाये गये । इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सके । वर्ष 1983-84 में सीमान्त एव लघु कृषकों के विकास की ओर ध्यान दिया गया । इस वर्ष केन्द्र द्वारा पुरो निर्धारित लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सहायता की योजना लागू की गयी । इस योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने से संबंधित सेक्टरों में लघु/सीमान्त कृषकों को सहायता दी जाती है ।

वर्ष 1983-84 से 85-86 तक आवंटित की गई धन राशि का उपयोग शासन के निर्देशानुसार पौधशाला स्थापना तथा लघु सिंचाई कार्यक्रम में किया जाता है । स्थापित पौधशालाओं से चयिनित लघ/सीमान्त कृषकों को फलदार एवं ईंधन के पौधों का वितरण कराया गया है । इससे संबंधित धनराशि वन विभाग/उधान विभाग तथ अल्प सिंचाई विभाग को दी जाती रही है ।

वर्ष 1985-86 से इस योजना को वृहद में चलाया गया । भारत सरकार के यह निर्देश थे कि इस योजना में वर्ष 1985-86 से प्रति विकास खण्ड 5.00 लाख रुपया परिव्यय की दर से धनराशि आवंटित की जावेगी, जिसमें आधा भाग राज्य सरकार तथा आधा भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। प्रति विकास खण्ड निर्धारित किये गये । 5.00 लाख रुपये का परिव्यय निम्नवत है -

सेक्टर का नाम	धन राशि लाख रुपये
(1) निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम पर व्यय	3.50
(2) दलहन एवं तिलहन तथा मोटे अनाज के बीज	0.50
(3) भूमि विकास	1.00
योग	5.00

स्रोत :- कार्यालय अभिलेख ग्राम्य विकास अभिकरण झाँसी सन् 1989-90

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में लघु/सीमान्त कृषकों का चयन भूमि के अभिलेखों के आधार पर करने के निर्देश थे । उपरोक्त जोत सीमा के

कृषकों को ही इस योजना के अन्तर्गत लघु व सिंचाई, मिनी किट तथा भूमि विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है ।

(1) अल्पसिंचाई कार्यक्रम :- इस योजना के अन्तर्गत चयनित कृषकों को निःशुल्क बोरिंग हेतु 3000 रु० तथा पर लगने वाले पम्पिंग सेट पर लघु कृषक को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त कृषक को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

(2) मिनीकिट :- इस योजना के अन्तर्गत केवल दलहन/तिलहन तथा मोटे अनाजों के बीजों का पैकेट निःशुल्क रूप में कृषि विभाग के माध्यम से चयनित लघु/तसीमान्त कृषकों को वितरित कराने का प्रावधान है ।

(3) भूमि विकास कार्यक्रम :- भूमि विकास के अन्तर्गत इस योजना में चयनित लघु एवं सीमान्त कृषकों की निजी भूमि पर समतलीकरण, मेंड़बन्दी, तथा बंजर भूमि का सुधार आदि का कार्य भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से सम्पादित कराने का प्रावधान है । वर्ष 1987-88 में इस योजना के लिये कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

जिले में वर्ष 87-88 से केवल अल्पसिंचाई मद में ही धनराशि प्राप्त हो रही है । निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत निर्धारित राशि प्राप्त न होने के कारण निःशुल्क बोरिंगों पर लगने वाले पम्पिंग सेटों पर अनुदान आई.आर.डी.पी. के योजना द्वारा दिया जाता है ।

लघु / सीमान्त कृषक उत्पादन वृद्धि योजना की प्रगति

सारणी क्रमांक 3.26

वर्ष	अल्प सिंचाई उपलब्ध धन	व्यय	लक्ष्य	पौध शाला उपलब्ध धन	व्यय
1983-84	8.08	-	-	4.00	2.15
1984-85	17.36	3.15	-	5.85	1.85

वर्ष	अल्प सिंचाई उपलब्ध धन	व्यय	पौधशाला उपलब्ध धन	व्यय	भूमि विकास उपलब्ध धन	व्यय	मिनी किट उपलब्ध धन	व्यय
1985-86	34.21	21.42	4.00	4.00	7.04	7.04	0.48	4.0
1986-87	34.07	33.53	-	-	2.00	1.96	3.52	-
1987-88	21.95	12.67	-	-	2.12	-	1.04	0.80

1988-89	16.33	12.67	-	-	2.12	0.22	0.24	0.23
1989-90 दिसम्बर 89 तक	5.96	2.63	-	-	1.90	1.30	0.01	-

स्रोत :- कार्यालय अभिलेख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण 1989-90

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :- योजना के लक्ष्यों के विपरीत 93.57 प्रतिशत उपलब्धि रही वर्ष 1985-86 तथा 1988-89 में उपलब्धि लक्ष्य से काफी अधिक रही जबकि 1984-85 तथा 1986-87 में उपलब्धि लक्ष्य से कम रही। अनुसूचित जाति वर्ग के अतिरिक्त 13.111 लाख मानव दिवस रोजगार अन्य लोगों को प्राप्त हुआ। इस योजना में 2.378 लाख मानव दिवस रोजगार महिलाओं को को व 15.219 लाख मानव दिवस रोजगार भूमिहीन श्रमिकों को प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें :-

लघु सिंचाई योजना :- अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 1986-87 से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना में अनुसूचित जाति के सदस्यों के खेतों में निशुल्क बोरिंग इस प्रकार कराई जाती है कि प्रत्येक बोरिंग से लगभग 5 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सके। निशुल्क बोरिंग की अधिकतम राशि पांच हजार रुपया है। साथ ही लाभार्थी को स्वतः रोजगार योजना योजना में पम्प सेट भी क्रय कराया जाता है।

झाँसी जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से वर्ष 1990-91 तक की प्रगति निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 3.27

लघु सिंचाई योजना की वार्षिक प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
1986-87	60	11	18.33
1987-88	130	59	45.38
1988-89	130	65	50.00

1989-90	70	14	20.00
1990-91	40	40	100.00
योग	430	189	43.95

स्रोत :- कार्यालय अभिलेख, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम झांसी

वर्ष 1986-87 से वर्ष 1990-91 तक इस योजना में 430 निःशुल्क बोरिंग के लक्ष्य रखे गये थे, इसके विपरीत इस अवधि में कुल 189 निःशुल्क बोरिंग कराई गईं । इस प्रकार लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि 43.95 प्रतिशत रही है । यह उपलब्धि सन्तोष पूर्ण नहीं कही जा सकती है, क्योंकि झांसी जिले में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को सिंचाई सुविधाओं के अभाव में इस कार्यक्रम से पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

लक्ष्यों की सर्वाधिक पूर्ति वर्ष 1990-91 में हुई जबकि 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया । सर्वाधिक संख्या में बोरिंग वर्ष 1988-89 में की गई । इस वर्ष 130 के लक्ष्य के विरुद्ध 65 निःशुल्क बोरिंग की गई थी ।

वर्ष 1989-90 भी स्मरणीय वर्ष रहा है । इस वर्ष लक्ष्य के विपरीत कुल उपलब्धियां 20 प्रतिशत रही है ।

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण :-

लक्ष्यों की सर्वाधिक पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने अथवा उन्हें सरकारी नौकरी हेतु योग्य बनाने के उद्देश्य से टाइपिंग एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है । इन अभ्यार्थियों की प्रशिक्षण अवधि 6 माह की होती है तथा प्रत्येक बैच में 24 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । टाइपिंग प्रशिक्षार्थी को 50 रुपये प्रति माह तथा आशुलिपि प्रशिक्षार्थी को 100 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाती है ।

झांसी जिले में वर्ष 1983-84 से अब तक की आशुलिपि व टाइपिंग प्रशिक्षण योजना की प्रगति निम्नानुसार है -

सारणी क्रमांक

आशु लिपि योजना की प्रगति

सारणी क्रमांक 3.28

आशुलिपि योजना की प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति	उत्तीर्ण छात्र	रोजगार में लगे छात्र
1983-84	48	49	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	30
1984-85	48	48	" "	20
1985-86	48	48	01	13
1986-87	48	48	04	21
1987-88	48	48	04	03
1988-89	48	40	10	03
1989-90	48	34	02	08
1990-91	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	336	315	21	98

स्रोत :- कार्यालय अभिलेख उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम झाँसी

टंकण एवं आशु लिपि प्रशिक्षण की योजना 1983-84 में आरम्भ की गई थी । तथा सन् 1990-91 में बंद कर दी गई। इन वर्षों में कुल 336 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था । इसके विपरीत आशुलिपि का 315 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । इनमें 21 लाभार्थी इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए तथा 98 लाभार्थी रोजगार में लग गये ।

टंकण का प्रशिक्षण भी आशुलिपि के प्रशिक्षण के साथ ही वर्ष 1983-84 में आरम्भ किया गया था । विभिन्न वर्षों में टाइपिंग प्रशिक्षण की प्रगति निम्नानुसार रही -

सारणी क्रमांक 3.29

वर्ष	लक्ष्य	प्रशिक्षण छात्र	उत्तीर्ण	रोजगार में लगे
1983-84	48	47	परीक्षा परिणाम	25
1984-85	48	48	उपलब्ध नहीं	10
1985-86	48	48	07	12
1986-87	48	48	08	10
1987-88	48	48	10	07

अध्याय - 5

सामान्य एवं विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति वर्ग की व्यावसायिक गतिशीलता एवं रोजगार की सम्भावनायें एवं क्षमतायें।

प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र :-

प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य, उत्तर प्रदेश में झाँसी जिले के विशेष सन्दर्भ में अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का योगदान का मूल्यांकन करना है । यह अध्ययन यह मानकर चल रहा है कि यदि आकस्मिक रूप से कुछ न्यादर्श लेकर उनका अध्ययन किया जाये तो उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष ही सम्पूर्ण समाज पर लागू होंगे । इस रीति के महत्त्व को बतलाते हुये प्रसिद्ध सांख्यिक स्नेडेकॉर ने लिखा है, -"केवल कुछ पौण्ड कोयले की जांच के आधार पर कई गाड़ी कोयला अस्वीकृत या स्वीकृत कर दिया जाता है । केवल एक बूंद रक्त की जांच करके एक रोगी के रक्त के विषय में चिकित्सक निष्कर्ष निकालता है । न्यादर्श ऐसी युक्तियां हैं जिनके द्वारा केवल कुछ इकाइयों का निरीक्षण करके वृहद मात्राओं या समग्र के बारे में जाना जाता है ।"

प्रस्तावित अध्ययन के अन्तर्गत झाँसी जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास में योगदान ज्ञात करने के लिए झाँसी जिले के दो प्रमुख विकासशील विकासखण्ड गुरसरांय तथा बामौर का चयन किया गया है । विकास खण्डों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यादर्श हेतु ऐसे विकास खण्ड का ही चयन किया जाय जिनमें अनुसूचित जाति जनसंख्या का जिले में कुल जनसंख्या में इस वर्ग के प्रतिशत से कम न हो । चुने गये दोनों विकासखण्ड जिले में जिला मुख्यालय से सभी विकास खण्डों में सर्वाधिक दूर है । अतः यहां से प्राप्त निष्कर्ष निश्चय ही सम्पूर्ण जिले पर लागू होंगे । उपरोक्त के अतिरिक्त चुने गये दोनों विकास खण्ड क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भी शोधकार्य के सर्वाधिक हेतु उपयुक्त थे । इन दोनों विकास खण्डों में नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या प्रधान है । अतः इनका चुनाव उपयुक्त प्रतीत होता है ।

उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की 21.16 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की निवास करती है । झाँसी में 28.66 प्रतिशत जनसंख्या इस वर्ग की थी । सामान्यतः यह माना जाता है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है ।

स्रोत :- शुक्ल एस० एम० सहाय शिव पूजन पेज 77

सांख्यिकी के सिद्धान्त, साहित्य भवन आगरा 1990

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता है । 38 वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार 1.7.83 तक प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 100 रु० या इससे कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्ययके अनुसार 57.53 प्रतिशत परिवार पाये गये जबकि नगरीय क्षेत्र में यह प्रतिशत 40.24 प्रतिशत था । सम्पूर्ण भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 54.97 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 30.13 प्रतिशत था ।

प्रदेश में 100 रुपये या इससे कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय अनुसूचित जाति वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में 71.52 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 54.04 प्रतिशत व्यक्ति पाये गये । सारणी क्रमांक 4.1

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के अनुसार परिवारों की संख्या

अनुसूचित जाति में । सैकड़ों में ।

क्र०	मासिक व्यय	ग्रामीण "00" परिवार	ग्रामीण "00" सदस्य	नगरीय "00" परिवार	नगरीय "00" सदस्य
1.	0-30	148	815	26	52
2.	30-50	3886	22786	102	543
3.	50-60	4590	25903	195	1275
4.	60-70	5551	31158	346	2073
5.	70-80	6111	31784	572	3183
6.	80-100	8804	44631	1097	6368
7.	100-125	6307	28535	798	4203
8.	125-150	3144	14312	375	1934
9.	150-200	2745	10864	342	2208
10.	200-250	1016	3651		
11.	250-300	607	1994	108	373
12.	300-सेऊपर	622	2106	253	650

स्रोत :- राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 30 1983 उत्तर प्रदेश पेज 55, 62

सारणी क्रमांक 4.2

प्रति व्यक्ति मासिक व्यय वर्गानुसार व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण प्रतिशत में

क्र०	प्रति व्यक्ति	ग्रामीण अनु०जाति	ग्रामीण समस्त	नगरीय अनु०जाति	नगरीय समस्त
1.	0-30	0.37	0.19	0.21	0.08

2.	30-50	10.38	5.34	2.21	1.75
3.	50-60	10.87	8.17	5.20	4.11
4.	60-70	14.30	10.38	8.46	6.32
5.	70-80	14.48	11.96	12.98	8.53
6.	80-100	20.48	21.29	25.97	19.45
7.	100-120	12.07	16.29	17.06	20.15
8.	125-150	6.56	9.73	7.89	11.76
9.	150-200	4.97	9.32	9.33	13.25
10.	200-250	1.67	3.72	6.60	6.25
11.	250-300	0.91	1.50	1.52	3.39
12.	300 से अधिक	0.96	1.91	2.57	5.02
		100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत :- रिपोर्ट केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 1983, 38 चक्र, पेज 16

जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने तथा सरकारी सहायता के द्वारा उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस कार्य हेतु सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रही है । सभी चालू कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी में निवास कर रहे व्यक्तियों को गरीबी से निकालना है । गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालों में भी एक वर्ग ऐसा है जो अत्यन्त गरीब है । भारत सरकार विभिन्न ऐजेन्सियों के माध्यम से ऐसे परिवारों / लोगों की पहचान कर उन्हें सर्वप्रथम सहायता प्रदान कर रही है । इस कार्य हेतु देश में प्रत्येक गांव में एक आर्थिक रजिस्टर बनाया गया है । इस रजिस्टर में गांव के प्रत्येक परिवार का पूर्ण विवरण तथा उनकी आय व्यय का लेखा रहता है ।

झाँसी जिले में 8 विकास खण्डों के अन्तर्गत कुल 755 गांव हैं । जिले के इन सभी 755 गांवों में आर्थिक रजिस्टर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है । इन रजिस्टरों के पूरा हो जाने से यह पहचान सम्भव हो गई कि गांव में कौन-कौन से परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं तथा इनमें सर्वाधिक

गरीब कौन-कौन है जिन्हें सर्वप्रथम सहायता दी जानी चाहिए ।

सारणी क्रमांक 4.3 गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या

क्र0	विकास खण्ड	3500 रू0 तक	4800 रू0तक	6400 रू0 तक
1.	बड़ा गाँव	6563	3110	4942
2.	बबीना	9539	2241	2629
3.	चिरगाँव	9079	2257	1135
4.	मौंठ	8661	2285	3371
5.	बंगरा	5616	3696	2701
6.	मऊरानीपुर	8557	2450	4701
7.	गुरसराँय	6667	3404	2978
8.	बामौर	9586	2660	3704
योग		64268	22103	26161

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन परिवारों को सहायता दी जाती है जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे होते हैं । इस प्रकार के परिवार जिनकी आय 4800 रू0 से कम है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने के हकदार है, परन्तु दुर्भाग्य पूर्ण पहलू यह है कि इस वर्ग में एक और वर्ग भी सम्मिलित है, जो दरिद्रतम है तथा जिनकी वार्षिक आय 3600 रू0 से भी कम है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऐसे ही वर्ग को सहायता प्रदान करना है ताकि यह वर्ग दरिद्रतम की श्रेणी से निकल कर ऊपर आ सके ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में सम्पूर्ण जिले में 13204 परिवारों का चयन किया गया । ये सभी परिवार ऐसे थे जिनकी वार्षिक आय 3600 रू0 से भी कम थी । विकास खण्ड वार चयनित परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है ।

बड़ागांव	बबीना	चिरगांव	मौंठ	बंगरा	मऊरानीपुर	गुरसराँय	बामौर
1820	1764	1698	1924,	1440	1079	1634	1845

सारणी क्रमांक 4.4 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्षेत्रवार उपलब्धियाँ

क्र0	वर्ष	कृषि	पशुपालन	लघु सिंचाई	उद्योग सेवा व्यवसाय	नये + पुराने	योग नये+पुराने	अनु0 जाति
1.	1979-80	2013	176	310				

2.	1980-81	9257	138	408	359	10162	3450
3.	1981-82	726	482	913	1138	3259	1270
4.	1982-83	595	1474	672	2901	5642	2689
5.	1983-84	539	810	534	2967	4850	2522
6.	1984-85	714	1041	770	2893	5418	3120
7.	1985-86	547	1174	1084	2694	5499	2758
8.	1986-87	949	1566	894	3723	7132	3670
9.	1987-88	857	1582	1345	4280	8064	4361
10.	1988-89	639	1477	1205	3269	6590	2986
11.	1989-90	685	791	512	2152	4140	2345
12.	दिसम्बर 90 तक						
योग -		17521	10711	8638	26330	63500	30481

स्रोत :- प्रगति पुस्तिका वर्ष 1989-90 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झाँसी

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झाँसी द्वारा वर्ष 1979-80 से दिसम्बर1989 तक 63500 परिवारों को लाभान्वित किया गया है । इन परिवारों में 30481 परिवार अनुसूचित जाति के परिवार हैं ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 17521 परिवारों को कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान किया गया । जबकि पशुपालन, लघु सिंचाई तथा उद्योग सेवा व्यवसाय के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवार क्रमशः 10711, 8638, तथा 26330 परिवार थे ।

उपर्युक्त सभी परिवार जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर चुके हैं, गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार थे । तथा इनकी वार्षिक आय 3600 रु0 वार्षिक से भी कम थी । इन परिवारों में एक बड़ा भाग उन परिवारों का है जो ग्रामीण श्रमिक वर्ग के परिवार हैं । यद्यपि इस वर्ग के कुछ परिवारों के पास उनकी स्वयं की कुछ जमीन है तथा वे कृषि कार्य कर रहे हैं, तथापि उनके पास जमीन भी नहीं इतनी कि वे पूरे वर्ष तक इस जमीन के आसरे अपने परिवार का पेट भर सकें । ये काश्तकार मुख्यतः सीमान्त या लघु श्रेणी के कृषक हैं, बहुतों के पास तो सिंचाई का कोई साधन भी नहीं है । यदि इन परिवारों का गहराई से अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि ये कृषक अपनी

सम्पूर्ण फसल से केवल अपनी उदर पूर्ति कर पाते हैं।

सहायता प्राप्त करने वालों में तृतीय क्रम ग्रामीण दस्तकारों का है। बड़े उद्योगों के कम लागत वाले औद्योगिकृत सस्ते माल ने तो इस वर्ग का अस्तित्व ही संकट में ला दिया। अधिकतर ग्रामीण दस्तकार अब अनुकूलन न कर पाने के कारण ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी में आ गये हैं। इन दस्तकारों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना में उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

जिले में अनुसूचित जाति के अधिकांश परिवार भूमिहिन परिवार हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि मजदूरी अथवा ग्रामीण मजदूरी है। गांव में रोजगार उपलब्ध न हो पाने के कारण इस वर्ग के परिवार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जहां प्रचुर मात्रा में श्रमिक रोजगार उपलब्ध हो जाता है। सरकार ने भूमिहीन अनुसूचित जाति के श्रमिकों को गांव में ही पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई है, परन्तु मेरा निजी अनुभव यह कि यह भूमि बिल्कुल बेकार किस्म की है, तथा इस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इसे कृषि योग्य बनाने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। जबकि यह वर्ग धन शून्य है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण परिवारों में कुछ परिवार अस्वच्छ व घृणित पेशों में लगे हैं। इन लोगों का प्रमुख काम गन्दगी उठाना, मैला ढोना तथा मरे पशु उठाना उनकी खाल निकालना आदि हैं। समाज में इस वर्ग को अत्यन्त निम्न स्थान प्राप्त है। समाज में अन्य वर्ग इनसे दूर रहते हैं। तथा इन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय समाज के निर्माताओं और हमारे पूर्वजों ने इस वर्ग की वह गति बनाई है कि यह वर्ग लाख चाहने पर भी सरलता से गांव में दूसरा व्यवसाय नहीं अपना सकता। यद्यपि इस वर्ग में व्यावसायिक गतिशीलता है तथा रोजगार की क्षमतायें विद्यमान हैं परन्तु हमारे समाज में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो एक अछूत की भैंस का दूध खरीदना पसन्द करेंगे।

प्रस्तुत अध्ययन के लिये प्रत्येक विकास खण्ड के लाभार्थियों में 142एवं 144 लाभार्थियों का चयन किया गया तथा उन्हीं का सर्वेक्षण किया गया है। दोनों विकासखण्डों में गाँवों का चयन इस आधार किया गया कि चयनित गांव में कुल लाभार्थी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जिले के प्रतिशत से कम न हो।

अनुसूचित जाति वर्ग का आर्थिक अध्ययन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में

तथा ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम उस गाँव में चल रहे हैं ।

उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड से कुछ गाँवों का चयन किया गया जिनकी सूची निम्न है ।

सारणी क्रमांक 4.5

गुरसराँय विकास खण्ड

क्र0	ग्राम	न्याय पंचायत	1989-90 के कुल लाभार्थी	1989-90 में अनु0 जाति के लाभार्थी
1.	अस्नेह	अस्नेह	34	25
2.	लखापती	हैवतपुरा	12	7
3.	भड़ोखर	पुरइया	23	13
4.	पुरइया	पुरइया	14	11
5.	सिवाँ	हैवतपुरा	17	14
6.	बंकापहाड़ी	अस्नेह	16	11
7.	माधौपुरा	अस्नेह	10	7
8.	बसारी	परइया	22	20
9.	निपान	रमपुरा	40	36
	योग		188	144

सारणी क्रमांक 4.6

विकास खण्ड बामौर

क्र0	ग्राम	न्याय पंचायत	1989-90 कुल लाभार्थी	अनु0जाति के लाभार्थी
1.	दखनेश्वर	कुरैठा	18	12
2.	गड़वई	अस्ता	15	6
3.	तुरटा	अस्ता	29	24
4.	कुरैठा	कुरैठा	28	24
5.	अस्ता	अस्ता	32	25
6.	रिंया	कुरैठा	33	19
7.	भदरवारा	वीरपुरा	35	32
	योग		184	142

इस प्रकार गुरसरॉय ब्लाक में 9 गाँवों के कुल 188 लाभार्थी में से 144 लाभार्थी अनुसूचित जाति के तथा बामोर ब्लाक में 7 गाँवों के 184 लाभार्थियों में से 142 लाभार्थी अनुसूचित जाति के सर्वेक्षण हेतु चुने गये ।

चुने गये सभी लाभार्थियों कोवित्तीय वर्ष 1989-90 में सहायता प्रदान की गई है । वर्ष 1989-90 का चयन इस आधार पर किया गया है कि पूर्व के वर्षों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से बहुत से लाभार्थी अपना ऋण चुका चुके हैं । तथा अब वे स्वयं के पैसे से अपना कार्य चला रहे हैं । इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में ही सहायता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । एक अन्य बात यह कि केन्द्र द्वारा सामूहिक बीमा लागू किये जाने के बाद सहायता प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थी सामूहिक बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गये है। इस वर्ष के सभी लाभार्थी अभी सहायता राशि चुका रहे हैं । अतः इस कारण इस वर्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है ।

जातिगत वर्गीकरण :-
------------------ किसी व्यक्ति की व्यावसायिक गतिशीलता देखने के लिये उसके पूर्व व्यवसाय एवं उसकी व्यवसायिक परिस्थितियां देखना आवश्यक है । व्यावसायिक गतिशीलता के अन्तर्गत व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने से पहले उस व्यवसाय से आर्थिक आय एवं सामाजिक पहलू देखता है । व्यक्ति अपने वर्तमान व्यावसाय से दूसरे व्यवसाय में तभी जाता है, जबकि उसे दूसरे व्यवसाय में अधिक आय प्राप्त हो, फिर भी व्यक्ति व्यावसायिक गतिशीलता के समय यह देखता है कि वह जिस व्यवसाय में जा रहा है, उसमें सामाजिक सम्मान पहले से अधिक है, अथवा नहीं । यदि दूसरे व्यवसाय को सामाजिक स्तर में सुधार होता है, अथवा पूर्ववत रहता है, तभी व्यक्ति दूसरा व्यवसाय अपनाता है । अन्यथा अधिक आय प्राप्त होने पर भी व्यक्ति अपने पूर्व व्यवसाय में लगा रहता है ।

भारत एक परम्परा प्रिय देश है, यहां व्यक्ति का व्यवसाय उसकी जाति के आधार पर निर्धारित होता है, तथा जाति जन्म के आधार पर । यहां जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा अपने अपने पूर्वजों के व्यवसाय को ही सरलता से अपना लेता है । यद्यपि इस बात में अपवाद हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में यह बात सामान्यतः भारत के हर क्षेत्र में देखने को मिल जाती है ।

यहाँ हमें अनुसूचित जाति की व्यावसायिक गतिशीलता को देखने के लिये इस वर्ग का जातिगत विश्लेषण करना होगा। जो इस वर्ग के व्यवसाय निर्धारण का प्रमुख स्रोत है ।

सारणी क्रमांक 4.7

6 जातिगत वर्गीकरण अनुसूचित जातियाँ

क्र0	विकासखण्ड	चमार	धोबी	बसोर	कोरी	योग
1.	गुरसराँय	123	5	8	8	144
2.	बामौर	101	6	11	24	142
योग		224	11	19	32	286
प्रतिशत		78.32	3.84	6.64	11.18	

अध्ययन हेतु लिये गये कुल 286 परिवारों के जातिगत वर्गीकरण से ज्ञात होता है कि इस वर्ग में सर्वाधिक संख्या 224 चमार जाति की है । दूसरे स्थान पर कोरी जाति आती है । इस जाति के सदस्य 32 हैं, जबकि धोबी एवं बसोर जाति के सदस्य क्रमशः 11 एवं 19 हैं ।

इस वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में चमार जाति की प्रधानता है । सर्वा सहायता प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति के परिवारों में सर्वाधिक प्रतिशत इसी जाति का है जो विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं ।

अध्ययन हेतु चुने गये दोनों विकास खण्डों के विभिन्न गाँवों में उनकी संख्या निम्न प्रकार है - सारणी क्रमांक 4.8

	गुरसराँय विकास खण्ड					बामौर विकास खण्ड				
		जाति					जाति			
क्र0	ग्राम	चमार	धोबी	कोरी	बसोर	ग्राम	चमार	धोबी	कोरी	बसोर
1.	भस्नेह	18	3	1	3	कुरेठा	8	2	12	2
2.	मायापुरा	5	1	1	-	दबनेश्वर	11	-	1	-
3.	बंकापहाड़ी	10	-	1	-	रिंया	15	1	1	2
4.	सिवाँ	12	-	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5.	लखापती	7	-	-	-	गढ़वई	4	1	1	-
6.	बतारी	18	-	2	-	सुहा	11	2	7	4
7.	पुरछया	10	-	1	=	भदरवारा	31	-	-	1
8.	भड़ोखर	9	1	1	2					
9.	निवान	34	-	-	2					

परियोजना का चुनाव एवं पूर्ण शक्षण :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय वृद्धि हेतु कुछ नये या पुराने व्यवसायों की स्थापना करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभार्थी सहायता प्राप्त करते हैं । प्रथम वे लाभार्थी जो अपने वर्तमान व्यवसाय में सहायता द्वारा सुधार कर अपनी आय में वृद्धि करते हैं । द्वितीय वे लाभार्थी आते हैं जो इस कार्यक्रम से सहायता प्राप्त कर अपने पूर्व व्यवसाय को छोड़कर नया व्यवसाय अपनाते हैं यदि कोई व्यक्ति कृषि करता है तथा बैलगाड़ी व बैल जोड़ी खरीदता है तो वह उपरोक्त में प्रथम श्रेणी में तथा यदि वह व्यक्ति कृषि छोड़कर दुकान खोलता है तो द्वितीय श्रेणी में माना गया है ।

सग्राविका के अन्तर्गत दी गई सहायता का सही व पूर्ण उपयोग हो तथा लाभार्थी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि परियोजना का चुनाव किसके द्वारा तथा किस प्रकार किया गया है । यदि परियोजना का चुनाव लाभार्थी ने स्वयं किया है तथा परियोजना के संचालन की जानकारी उसे है एवं परियोजना संबंधी अन्य व्यवस्था लाभार्थी के पास है तो निश्चित से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होसकेगा । परियोजना में यदि लाभार्थी की रुचि है तो लाभार्थी निश्चित ही उसमें अपना सम्पूर्ण समय व ध्यान लगायेगा फिर कोई कारण नहीं है कि लाभार्थी की आय में वृद्धि न हो ।

प्रस्तुत अध्ययन के सर्वेक्षण से एक बात स्पष्ट हुई है कि परियोजना में चुने जाने के लिये सभी लाभार्थियों से पूछा गया कि उनके द्वारा ली जाने वाली परियोजना उन्होंने स्वयं ही की इच्छा से स्वीकारी है अथवा नहीं । सर्वेक्षण के अन्तर्गत सभी 286 लाभार्थियों ने बताया कि परियोजना का चुनाव उन्होंने अपनी

रुचि के आधार पर लिया है । इस संबंध में उन्होंने स्वविवेक से निर्धारित किया कि उन्हें किस परियोजना को अपना है । परियोजना के संबंध में ग्राम सेवक ने भी लाभार्थियों का सहायोग किया है । उन्होंने लाभार्थियों को संबंधित परियोजनाओं के लाभों से भी परिचित कराया है । लाभार्थी के पूर्ण सहमत होने के बाद उन्हें उस परियोजना हेतु सहायता दी गई है । इस संबंध में सभी 286 लाभार्थी सन्तुष्ट थे ।

परियोजना हेतु चुने जाने के बाद ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक ने सभी लाभार्थी प्रकरण तैयार किये । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करना एक सरल कार्य है, परन्तु सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ पूरी करना आवश्यक है । जिले में सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में बहुत से लाभार्थी अशिक्षित हैं, जो थोड़े लोग शिक्षित भी हैं, वे आवश्यक जानकारियों के अभाव में अपना विवरण तैयार करने में सक्षम नहीं है । अतः अपना प्रकरण तैयार करने में उन्हें ग्राम सेवक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है । सभी 286 लाभार्थियों ने बताया कि उनका विवरण ग्राम सेवक ने तैयार किया है । कुछ लाभार्थियों ने यह भी बताया कि परियोजना का विवरण तैयार करने में उन्होंने अन्य लोगों का भी सहयोग प्राप्त किया है । इस संबंध में परियोजना अधिकारी विकास खण्ड अधिकारी तथा संबंधित क्लर्क ने भी कहीं - कहीं उनकी सहायता की है । कुछ लाभार्थियों ने इस कार्यहेतु ग्राम प्रधान से भी परामर्श प्राप्त किया है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को बैंक अधिकारियों ने भी जानकारियां व सलाह दी । बैंक अधिकारियों ने लाभार्थी को बताया कि उन्हें कितनी सहायता बैंक दे रहा है । तथा कितना अनुदान सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किया जायेगा । लाभार्थियों को यह परामर्श भी बैंक अधिकारियों ने दिया कि उन्हें सहायता ऋण की वापिसी किस प्रकार तथा कितने समय में करनी है ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों ने उपर्युक्त जानकारियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजना में अपनी सहमति दी । सभी 286 लाभार्थियों ने अच्छी तरह सोच समझ कर तथा फायदों को मूल्यांकन करने के बाद परियोजना को स्वीकार किया है । सर्वेक्षण में किसी भी लाभार्थी ने यह स्वीकार

नहीं किया कि उसने बिना जानकारी के स्वीकार की है । सभी लाभार्थी परियोजना के लिये दी गईं जानकारियों से सन्तुष्ट थे । जानकारियाँ प्रदान करने वालों में ग्राम सेवक, परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड अधिकारी, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव तथा अन्य स्वयं सेवी व्यक्ति थे ।

संग्राविका के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों में प्रायः सभी लाभार्थियों ने साधारण किस्म की परियोजनाओं का ही चयन किया है। गुरसरॉय विकासखण्ड में 35.42 प्रतिशत लोगों ने तथा बामौर विकासखण्ड में 32.21 प्रतिशत लोगों ने अपने पूर्व व्यवसाय से संबंधित कार्य किया था। इन लोगों को अपने व्यवसाय की पूरी तकनीकी जानकारी थी ।

इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में अधिकांश लाभार्थी अपनायी जाने वाली परियोजना से संबंधित जानकारियाँ पहले से रखते थे ।थोड़े से लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यंत्र आदि खरीदे । ये यंत्र साधारण किस्म के यंत्र थे ।तथा लाभार्थियों ने बहुत थोड़े प्रयास के बाद इन्हें चलाना सीख लिया । ऐसे यंत्रों में प्रमुख रूप से चरखा आदि थे । सहायता के अन्तर्गत एक लाभार्थी ने कम्प्रेसर भी खरीदा है । लाभार्थी को इसके उपयोग की तकनीकी जानकारी थी । इसी प्रकार लाउड स्पीकर खरीदने वाले को उसके बजाने का ढंग उस दुकानदार ने बताया दिया था । जहाँ से उसने खरीदा था ।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत साधारण परियोजनाओं का चयन किया गया । सभी परियोजनाओं स्थानीय स्तर की थी तथा लाभार्थी द्वारा इसी लिये इस परियोजना का चुनाव किया गया था । कि उससे संबंधित तकनीकी से लाभार्थी परिचित था ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी 286 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें उनकी परियोजना की आवश्यकता से भी इंकार किया है । सर्वेक्षण के दौरान चर्खा प्राप्त करने वाले ग्राम सस्नेह के लाभार्थियों ने बताया कि चरखे प्रदान करने के बाद यदि उन्हें उनके चलाने व सुधारने का प्रशिक्षण दिया जाता तो वे ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाते । प्रशिक्षण के अभाव में ग्राम सस्नेह के एक लाभार्थी श्री छरपोटे चमार की हाथ की अंगुली चरखे में फंस जाने के कारण वे घायल भी हो गये थे ।

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण का अभाव रहा है । परन्तु इतना अवश्य महसूस किया गया कि नये यंत्र प्रदान करने से पूर्व थोड़े समय का प्रशिक्षण लाभार्थी को दिया जा सकता था ।

समग्राविका के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना गांव में कई लोगों को दी गई है । साधारण तथा लाभार्थियों ने कृषि यंत्रों अथवा दुकान के लिये सहायता प्राप्त की है । उदाहरण के लिये ग्राम भस्नेह में 17 लोगों ने चरखा लिया, 7 लाभार्थियों ने बकरी पालन, 2 लाभार्थियों ने पसरट दुकान तथा 3 लाभार्थी ने भैंस तथा 3 लाभार्थी ने साईकिल तथा कपड़ा का चुनाव किया । दूसरी ओर एक व्यक्ति ने बैलगाड़ी तथा 1 ने करघा एवं सूत खरीदा ।

विकास खण्ड गुरसरॉय के एक गांव सिवॉं में अनुसूचित जाति के 15 लाभार्थियों को इस योजना में सहायता दी गई है । सिवॉं में 7 लोगों को कटिया मशीन एक व्यक्ति को पसरट तथा एक-एक व्यक्ति को सिलाई मशीन कपड़ा, बांस डलिया, टेरीकोट धागा, सिलाई मशीन, बकरी पालन, चमड़ा कार्य तथा भैंस पालन हेतु सहायता दी गई है ।

इसी प्रकार बामोर विकास खण्ड के ग्राम रिंया मकें कुल 19 अनुसूचित जाति के सदस्यों को सहायता प्रदान की गई थी। इन सहायता प्राप्त लाभार्थियों में 2 लाभार्थियों को साइकिल कपड़ा, 1 व्यक्ति को पसरट दुकान 12 व्यक्तियों को भैंस पालन, 4 व्यक्तियों को बैल गाड़ी तथा बैल आदि प्रदान किये गये हैं ।

योजना ऋण का उद्देश्य :-

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रत्येक लाभार्थी को अपनी परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कराना होता है । प्रत्येक लाभार्थी को उसकी चाही गई परियोजना हेतु सहायता प्रदान की जाती है । अतः यह महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति परियोजना हेतु अपना उद्देश्य स्पष्ट करें ।

वर्ष 1989-90 में सहायता प्राप्त करने वालों में गुरसरॉय एवं बामौर विकासखण्ड के लिए 286 अनुसूचित जातियों का अध्ययन इस वर्ग के लाभार्थी पर कार्यक्रम का प्रभाव देखने के लिये किया गया । सभी लाभार्थी ने अपनी परियोजना का उद्देश्य पुनः हमारे सामने स्पष्ट किया । विभिन्न लाभार्थी द्वारा बतलाये गये अपने उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं ।

सारणी क्रमांक 4.9

	परियोजना का उद्देश्य	लाभार्थी की संख्या					
		गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
क्र0		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	व्यापार	84	58.33	79	55.63	163	57.00
2.	कृषि	42	29.17	30	21.13	72	25.15
3.	पशुपालन	18	12.50	33	23.24	51	17.83
	योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

इस कार्यक्रम में 163 व्यक्तियों ने व्यापर के उद्देश्य से 72 लाभार्थियों ने कृषि विकास हेतु तथा 51 लाभार्थियों को पशुपालन हेतु सहायता दी गई ताकि वे लाभार्थी अपनी रुचि के अनुसार परियोजना चलाकर अपनी आय में समाजिक स्थिति में सुधार कर सकें।

पूर्व व्यवसाय :- 1989-90 के सत्र में इस योजना में चुने जाने से पूर्व जिले के सभी न्यादर्श लाभीर्थी अपने छोटे बड़े कामों में लगे थे तथा अपने को जिन्दा रखने लायक भोजन किसी भी तरह से प्राप्त कर रहे थे। इस योजना के लाभार्थीयों में चुने जाने से पूर्व सभी न्यादर्श लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे थे।

सारणी क्रमांक 4.10

लाभीर्थियों का क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार था।

क्र0	व्यवसाय क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	129	45.10
2.	मजदूर	113	39.51
3.	दस्तकार	21	7.35
4.	व्यवसाय	19	6.65
5.	शिक्षा	4	1.39
	योग	286	100.00

कुल न्यादर्श 286 लाभार्थियों में 129 लाभार्थी कृषि में लगे थे जबकि 113 लाभार्थी मजदूर थे। लाभार्थी गाँव के निवासी होने के कारण कृषि तथा

अकृषि मजदूर दोनों तरह के थे । सर्वेक्षण में ज्यादातर मजदूर ऐसे मिले जो फसल के समय खेतों में तथा अतिरिक्त समय में गांव में ही अथवा पास के शहरों में अन्य व्यवसाय में मजदूरी करते थे । 21 लाभार्थी ग्रामीण दस्तकार श्रेणी के थे इनमें सर्वाधिक कपड़ा बुनाई का काम करते हैं । 19 लाभार्थी अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे थे । परन्तु पूँजी के अभाव में वे पर्याप्त व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे । इन वर्ग के लाभार्थियों में कुछ लाभार्थी ऐसे हैं, जो पूर्व में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । सर्वेक्षण के दौरान न्यादर्श में हमें 4 लाभार्थी ऐसे मिले जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ।

पूर्व व्यवसाय में कृषि मजदूर, दस्तकार, व्यावसाय तथा शिक्षा प्राप्त करने वालों की कुल संख्या में प्रतिशत निम्न प्रकार था ।

योजना उपरोन्त व्यवसाय :- संग्राविका के अन्तर्गत व्यवसाय का चयन लाभार्थी को अपनी रूचि के अनुसार करना होता है । जिले में सभी ब्लाक में लाभार्थी ने अपने व्यवसाय का चयन अपनी रूचि से किया । गुरसरांय तथा बामौर विकास-खण्ड का सर्वेक्षण करके हमने निष्कर्ष निकाला कि कुल न्यादर्श 286 लाभार्थियों में से निम्न लोगों ने निम्न व्यवसाय का चयन किया ।

सारणी क्रमांक 4.11

विकास खण्ड

क्र0	क्षेत्र	गुरसरांय		बामौर	
		कुल संख्या	प्रतिशत	कुल संख्या	प्रतिशत
1.	व्यवसाय	86	59.72	75	52.82
2.	पशुपालन (दूध व्यवसाय के उद्देश्य से)	11	7.64	34	23.94
3.	कृषि यंत्र (कृषि विकास हेतु) (बैलगाड़ी+बैल जोड़ी)	46	31.94	29	20.42
4.	दस्तकारी	1	0.70	4	2.82
	योग	144	100.00	142	100.00

वर्ष 1989-90 में आपनी इच्छानुसार चयन करने पर न्यादर्श में 161 व्यक्तियों ने व्यवसाय को चुना । व्यवसाय में वे सभी लोग शामिल हैं । जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को माल देकर पैसा लेते हैं । 45 लोगों ने पशुपालन को चुना । पशुपालन का उद्देश्य पशुओं से दूध निकाल कर दूध बेचना अथवा पशुओं के बच्चे होने पर बच्चे बेचना था । 75 लाभार्थीयों ने कृषि यंत्र खरीदे । सुविधा की दृष्टि से एवं अध्ययन की सुविधा के लिये हमने उन लोगों को जिन्होंने कृषि यंत्र, कृषि कार्य हेतु बैल खरीदे हैं, इसी श्रेणी में रखा है । चूँकि बैल खरीदने का उद्देश्य कृषि का विकास करना है । अतः बैलों को इस श्रेणी में रखना उचित है कुल पांच लोगों ने ग्रामीण दस्तकारी हेतु ऋण लिया इनका उद्देश्य ग्रामीण दस्तकारी वस्तुओं का निर्माण करना था ।

व्यवसायिक गतिशीलता :- जिले में सभी लाभार्थीयों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया गया । कुछ लोगों ने योजना के उपरान्त सहायता प्राप्त कर अपने पूर्व कार्य से संबंधित ही कार्य किया जबकि कुछ लोगों ने संग्रायिका के अन्तर्गत सहायता पाकर नया कार्य प्रारम्भ किया । जिले में बामौर तथा गुरसरांय विकास खण्ड के 286 लाभार्थी का सर्वेक्षण करने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे -

सारणी क्रमांक 4.15

	विकास खण्ड			
	गुरसरांय		बामौर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. पूर्व व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय अपनाया	51	35.42	50	32.21
2. पूर्व व्यवसाय से अलग, नया व्यवसाय अपनाया	93	64.58	92	64.79
योग	144	100.00	142	100.00

सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि गुरसरांय विकास खण्ड में 35.42 प्रतिशत लोगों ने तथा बामौर विकास खंड में 32.21 प्रतिशत लोगों ने अपना पूर्व व्यवसाय अथवा उससे बहुत कनकट का कार्य किया । जबकि गुरसरांय विकास खण्ड में 64.58 प्रतिशत एवं बामौर विकास खण्ड में 64.79 प्रतिशत लोगों ने अपने पूर्व कार्य,

Occupational Movability Of Beneficiaries

BEFORE IRDP ASSETS

AFTER IRDP ASSEST

व्यवसाय छोड़कर नया कार्य व्यवसाय किया । कुल रोजगार गतिशीलता 64.68 प्रतिशत रही । इस प्रकार जिले में निश्चित ही बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने अपने पूर्व कार्य, व्यवसाय से हटकर नया कार्य व्यवसाय प्रारम्भ किया ।

परिवार के सदस्य :- ग्रामीण क्षेत्र में किसी परिवार का जीवन स्तर इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं । साधारणतया गांव में संयुक्त परिवार पाये जाते हैं तथा इन संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या काफी होती है । गांव में कुछ हद तक एकाकी परिवार भी मिलने लगे हैं । प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत हमें परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात करना थी । इस अध्ययन में हमने परिवार में लाभार्थी के माता-पिता, पत्नी तथा बच्चों को ही शामिल किया है । यदि लाभार्थी अविवाहित है तो उसके साथ माता, पिता तथा उन भाई बहिनों को गिना है जो लाभार्थी के साथ रहते हैं, तथा कुंआरे हैं, एव लाभार्थी की आय से सबका खर्च चलता है । इस प्रकार हमने एकांगी परिवारों को लेने का प्रयास किया है, यद्यपि कुछ लाभार्थी संयुक्त परिवार में भी रहते हैं लेकिन उनका अध्ययन करते समय हमने लाभार्थियों का व्यक्तिगत परिवार जो संयुक्त परिवार में सम्मिलित है में से उसके केवल अपने माता पिता तथा बच्चों का परिवार माना है । माता पिता को परिवार का सदस्य मानने का कारण यह कि बहुत से लाभार्थियों के माता पिता इतने वृद्ध हो चुके हैं कि वे पूर्ण रूप से आश्रित हैं, तथा लाभार्थियों के साथ ही रहते हैं, उनका पोषण व्यय लाभार्थी वहन करते हैं ।

परिवारों में सदस्यों की संख्या

सारणी क्रमांक 4.13

क्र0	सदस्य संख्या	गुरसरॉय विकासखण्ड संख्या	गुरसरॉय विकासखण्ड प्रतिशत	बामौर विकासखण्ड संख्या	बामौर विकासखण्ड प्रतिशत
1.	एक	1	0.69	4	2.82
2.	दो	1	0.69	11	7.75
3.	तीन	9	6.25	11	7.75
4.	चार	27	18.75	27	19.01
5.	पांच	35	24.31	35	24.64
6.	छः	41	28.47	29	20.42

7.	सात	15	10.43	10	7.04
8.	आठ	7	4.86	8	5.63
9.	नौ	2	1.39	2	1.41
10.	दस	3	2.08	3	2.11
11.	दस से अधिक	3	2.08	2	1.41
योग		144	100.00	142	100.00

विकासखण्ड गुरसराँय में सर्वाधिक 41 परिवार ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक परिवार में छः सदस्य थे, जबकि 35 परिवारों में प्रत्येक परिवार में पाँच सदस्य थे । गुरसराँय विकासखण्ड में 3 परिवार ऐसे भी थे जिनमें 10 से अधिक सदस्य थे, जबकि एक परिवार में एक तथा एक परिवार में केवल 2 सदस्य थे ।

बामोर विकास खण्ड में सर्वाधिक 35 परिवार ऐसे थे जिनमें पाँच सदस्य थे । छः सदस्यों वाले परिवार दूसरे क्रम पर थे । ऐसे यहाँ 29 परिवार थे । 27 परिवारों में चार सदस्य थे । इस विकासखण्ड में दो परिवार 10 से अधिक सदस्यों वाले परिवार थे, न्यूनतम सदस्य संख्या वाले चार ऐसे परिवार थे जहाँ लाभार्थी परिवार का अकेला सदस्य था ।

शिक्षा का स्तर :-

आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक कार्य तथा व्यवसाय के सम्पादन हेतु शिक्षित होना आवश्यक है । आज जहाँ शिक्षा के अभाव में व्यापार एक कठिन कार्य वहीं वैज्ञानिक जानकारियों के बिना कृषि व्यवसाय भी पर्याप्त लाभ नहीं दे सकता है । देश में शिक्षा का स्तर अभी सन्तोषजनक नहीं है, यद्यपि शिक्षा का काफी प्रसार किया जा रहा है, परन्तु अभी सम्पूर्ण साक्षरता एक स्वप्न मात्र है ।

किसी भी योजना की पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को उसकी पूरी जानकारी हो तथा लोग शिक्षित हों । देश की ज्यादातर योजनायें शिक्षा के अभाव में अपना पूर्ण प्रतिफल नहीं दे पातीं ।

समन्वित ग्रामीण विकास की योजना है जबकि समाज के ग्रामीण वातावरण में अभी अशिक्षा साम्राज्य है । समन्वित में शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों को लाभान्वित किया गया है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार

पर हमने लाभान्वित लोगों का शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण किया -

सारणी क्रमांक 4.14

क्र0	शिक्षा का स्तर कक्षा	गुरसराँय संख्या	गुरसराँय प्रतिशत	बामौर संख्या	बामौर प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
1.	1-4	17	11.0	6	4.22	23	8.04
2.	5-8	18	12.5	29	20.42	47	16.43
3.	9-10	9	6.25	23	16.20	32	11.19
4.	11-12	1	0.69	4	2.83	5	1.75
5.	10 से ऊपर	-	-	1	0.70	1	0.35
6.	अशिक्षित	99	68.76	79	55.63	178	62.24
	योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

वर्ष 1989-90 में जिले में संग्रामिका के अन्तर्ग सहायता प्राप्त करने वालों में 286 न्यादर्शों में 178 लाभार्थी अशिक्षित थे । गुरसराँय तथा बामौर विकास खण्ड में क्रमशः इनकी संख्या 99 तथा 79 थी । सहायता प्राप्त करने वालों में बामौर विकास खण्ड में एक लाभार्थी स्नातक स्तर का था । शिक्षित व्यक्तियों में सर्वाधिक 47 व्यक्ति कक्षा 5 से 8 तक के बीच की श्रेणी के थे ।

कार्य का समय :-

संग्रामिका के अन्तर्गत चुने गये लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त करने के बाद पूर जोर शोर से अपना कार्य आरम्भ किया । यद्यपि कुछ लाभार्थी ने व्यवसाय आरम्भ नहीं किया परन्तु अधिकांश लाभार्थियों ने अपना व्यवसाय अथवा परियोजना से संबंधित कार्य किया है । परियोजना हेतु सहायता प्राप्त होने से सभी को कुछ न कुछ समय इस पर काम करना होता है परन्तु कौन व्यक्ति इस पर कितना समय देता है यह बात परियोजना के स्वरूप व व्यक्ति के व्यवसाय पर निर्भर है । जैसे दुकानदारी वाली लाभार्थी परियोजना पर 6 से 8 घण्टे तक व्यतीत करता है । जबकि कृषि कार्य वाला व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता कि सहायता के रूप में प्राप्त बैलगाड़ी पर वह कितना समय खर्च करता है । इसी प्रकार भैंस पालने वाला व्यक्ति परियोजना पर 2 से 4 घण्टे तक व्यय करता है ।

लाभार्थियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर परियोजना पर

प्रतिदिन काम करने की स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट होती है ।

सारणी क्रमांक 4.15

क्र0	घण्टे	गुरसरॉय संख्या	गुरसरॉय प्रतिशत	बामौरा संख्या	बामौरा प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
1.	2	6	11.11	6	4.23	12	4.20
2.	3	6	4.17	6	4.23	12	4.20
3.	4	36	25.00	38	26.76	74	25.87
4.	5	13	9.03	8	5.63	21	7.34
5.	6	34	23.61	33	23.24	67	23.42
6.	7	1	0.69	1	0.70	2	0.70
7.	8	13	9.03	29	20.42	42	14.69
8.	10	1	0.69	3	2.11	4	1.40
9.	ज्ञात नहीं	14	9.72	9	6.34	23	8.04
10.	काम नहीं किया	20	13.88	9	6.34	29	10.14
	योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

परियोजना से सबसे अधिक संख्या उन लोगों की ज्ञात हुई जो 4 घण्टे परियोजना में लगाते हैं । इस वर्ग में प्रमुख रूप से पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय वाले व्यक्ति आते हैं । दूसरे स्थान पर वे व्यक्ति आते हैं जो 6 घण्टे का समय प्रतिदिन परियोजना पर लगाते हैं । इस वर्ग में प्रमुख रूप से व्यापारी हैं । व्यापारियों का एक वर्ग परियोजना पर 8 घण्टे तक का समय लगाता है । परियोजना पर क्रमशः 2 से लेकर 10 घण्टे में भी सभी वर्ग के व्यक्ति आते हैं । सर्वेक्षण में एक वर्ग ऐसा भी मिला जिन्होंने यह बताया कि वे निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते हैं कि प्रतिदिन कितना समय परियोजना में लगाते हैं । इनकी संख्या कुल न्यादर्श में 23 थी । दूसरी तरफ 29 लाभार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने परियोजना से सहायता लेकर भी कोई कार्य नहीं किया । अतः परियोजना में इनके द्वारा समय लगाने की बात ही नहीं आती ।

परियोजना में समय :- संग्राहिका के अन्तर्गत कुछ साधारण प्रक्रियायें पूरी की जाती हैं, इस कारण लाभार्थी को सहायता प्राप्त हो पाने में समय लग जाता है

परन्तु इन सभी कार्यों में बहुत थोड़ा समय लगता है । अतः लाभार्थी को शीघ्र सहायता प्राप्त हो जाती है । कभी-कभी लाभार्थी द्वारा सही जानकारियाँ न देने के कारण अथवा प्रशासकीय रुचि में दिखाने के कारण कुछ लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने में काफी समय लग जाता है ।

कुछ चुने गये लाभार्थी का सर्वेक्षण करने के बाद यह ज्ञात होता है कि साधारणतया लाभार्थी के चुनाव के बाद उसे सहायता प्राप्त होने में कितना समय लगता है । इस कार्य हेतु गुरसरॉय तथा बामौर विकासखण्ड के 286 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के बाद निम्नलिखित प्राप्त हुये ।

सारणी क्रमांक 4.16

समय विवरण

क्र० समय	गुरसरॉय संख्या	गुरसरॉय प्रतिशत	बामौर संख्या	बामौर प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
1. लगभग 15 दिन	3	2.08	4	2.82	7	2.45
2. " " 1 माह	13	9.03	5	3.52	18	6.29
3. " " 2 माह	41	28.47	56	39.44	97	33.92
4. " " 3 माह	35	24.31	58	40.85	93	32.52
5. " " 4 माह	35	24.31	16	11.27	51	17.83
6. " " 5 माह	3	2.08	-	-	3	1.05
7. " " 6 माह	5	3.47	3	2.10	8	2.80
8. 6 माह से 1 वर्ष	9	6.25	-	-	9	3.14
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

सर्वेक्षण से एक बात ज्ञात हुई कि सर्वाधिक लोगों को सहायता प्राप्त होने में लगभग 2 माह का समय लगा । लगभग 84.27 प्रतिशत लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने में 2 से 4 माह का समय लगा । कुल लाभार्थियों में 2.45 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे भी मिले जिन्हें सहायता प्राप्त करने में 6 माह से 1 वर्ष तक का समय लग गया था ।

इस प्रकार साधारणतया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने में समय लगभग 2 से 4 माह का लग जाता है । कुछ लाभार्थियों को

सहायता प्राप्त होने में समय इससे कम या ज्यादा भी लग सकता है ।

इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी नियमों में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत साधारणतया एक परिवार के एक ही सदस्य को सहायता प्रदान की जाती है । कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक परिवार के एक ही सदस्य को सहायता प्राप्त हो, परन्तु कभी-कभी जाने अनजाने में एक परिवार के दो सदस्यों को भी सहायता मिल जाती है ।

गुरसरॉय एवं बामोर विकास खण्ड के 286 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के बाद हमने पाया कि साधारणतया एक परिवार के एक ही सदस्य को सहायता प्रदान की गई है, परन्तु कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिले जहाँ एक परिवार में दो सदस्यों को सहायता दी गई है । गुरसरॉय विकास खण्ड के ग्राम बसारी में दो परिवारों में दो भाइयों को सहावती में एक परिवार के दो भाइयों को तथा ग्राम निगान में चार परिवारों में दो - दो सदस्यों को सहायता दी गई । इनमें एक परिवार में दो भाइयों को तथा टकनेश्वर में भी एक परिवार में माँ और पुत्र को तथा दो परिवार में पिता एवं पुत्र को सहायता दी गई है ।

विकासखण्ड बामोर में ग्राम कुरेठा में एक परिवार के दो भाइयों को रिंया में दो भाइयों को अस्ता में दो परिवार के दो भाइयों को तथा टकनेश्वर में भी एक परिवार के दो भाइयों को सहायता दी गई है । इसी प्रकार सुहा में 3 परिवारों के दो परिवारों में पति पत्नी को तथा एक परिवार में माँ बेटा को सहायता दी गई है ग्राम भंडरवारा में एक परिवार में दो भाइयों को तथा एक परिवार में पिता एवं पुत्र को सहायता दी गई है ।

इस प्रकार दोनों विकासखण्ड में 286 लाभार्थी परिवार में 17 लाभार्थी परिवार ऐसे हैं, जिनमें एक परिवार में दो सदस्यों को सहायता दी गई है । 10 परिवारों में लाभार्थी के अतिरिक्त उसके भाई को सहायता दी गई है । ये सभी भाई संयुक्त रूप से परिवार के सदस्य हैं । परन्तु इनके अपने पत्नी व बच्चे हैं । अतः यदि हम इन्हें एक परिवार का सदस्य न माने तो भी सात परिवार ऐसे हैं जिसमें दो सदस्य लाभान्वित हुये हैं ।

इन 17 परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :-

		परिवार संख्या
1.	एक परिवार में दो भाइयों को	10
2.	एक परिवार में पिता एवं पुत्र को	3

3. एक परिवार में मां एवं पुत्र को 2

4. एक परिवार में पति एवं पत्नी को 2

यहां यदि हम दो भाइयों वाले प्रकरण में दो भाइयों का अलग-अलग परिवार मान लें तो भी सात परिवारों में प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को सहायता दी गई है । क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने वाले पिता एवं पुत्र अथवा माता एवं पुत्र एक ही परिवार के सदस्य होते हैं । सहायता पाने वालों में 2 परिवार तो ऐसे हैं जहां पति तथा पत्नी दोनों को ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी गई है ।

परिवार में अतिरिक्त सदस्यों को रोजगार :- परियोजना के परिणाम स्वरुप परिवार में लाभार्थी के अतिरिक्त कितने लोगों को रोजगार मिलता है । यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि परियोजना का स्वरुप क्या है । चूंकि व्यवसाय अपनाने वाले व्यक्तियों को व्यवसाय में अपने एक या दो सहायकों की निश्चित रुप से आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर चाहे वह पशुपालन हो अथवा कृषि कार्य में नयी शुरुआत हर जगह सहायकोंकी सदैव आवश्यकता पड़ी है । परियोजना के क्रियान्वयन के परिणिामस्वरुप परिवार के एक दो अथवा तीन तक सदस्य निश्चित ही सहायक के रुप में लाभार्थी का हाथ बटा रहे हैं । जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसी परियोजनायें भी चुनी गईं जिनमें सहायकों की आवश्यकता नहीं होती जैसे परियोजना में चरखे का चुनाव किया गया है तथाचरखे पर एक ही व्यक्ति जो प्रशिक्षित अथवा शिक्षित होता है, कार्य करता है ।

परिवार में अतिरिक्त सदस्यों को रोजगार प्राप्त होने की स्थिति निम्नानुसार है । सारणी क्रमांक 4.17

सदस्यों की संख्या जिन्हें अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ	विकास खण्ड					
	गुरसराय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	11	7.64	34	23.94	45	15.73
2	32	22.22	23	16.20	55	19.23
3	4	2.78	7	4.93	11	3.85

4	2	1.39	3	2.11	5	1.75
6	2	1.39	-	-	2	0.70
अतिरिक्त किसी को सदस्यों में रोजगार नहीं मिला	93	64.58	75	52.82	168	58.74
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

परियोजना न्यादर्श में सर्वाधिक 55 सदस्य ऐसे लाभार्थी हैं जिनके व्यवसाय में दो सहायकों के अतिरिक्त रोजगार मिला जबकि 45 लाभार्थियों के व्यवसाय में एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य मिला । कुल 286 में 168 लाभार्थी के कार्य में किसी अतिरिक्त व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला ।

लाभार्थी चुनाव प्रक्रिया :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की एक सरल प्रक्रिया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देने तथा प्रार्थी का चुनाव होने तक साधारणतया किसी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती । ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थी का चुनाव हो जाने के बाद ग्राम सेवक के द्वारा सभी औपचारिकतायें पूरी कराई जाती है ।

कभी-कभी कुछ कारणों से लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने में कुछ विलम्ब हो जाता है अथवा ग्राम सेवक की या किसी अन्य कर्मचारियों की लापरवाही से लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने में कुछ विलम्ब हो जाता है । जबकि लाभार्थी को सहायता तत्काल चाहिये होती है । ऐसी स्थितियों में कुछ लाभार्थी यह चाहते हैं कि उनका कार्य जल्दी हो जाये इसलिये वे सिफारिश का सहारा लेते हैं ।

लाभार्थियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने अथवा सिफारिश करवाने का विवरण निम्न प्रकार है ।

सारणी क्रमांक 4.18

	विकास खण्ड					
	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
विवरण	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सिफारिश करवाई	44	30.35	36	25.36	80	27.98

सिफारिश नहीं करवाई	100	69.45	106	74.64	206	70.02
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

कार्यक्रम के अन्तर्गत 286 लाभार्थी में 80 लाभार्थी ने दूसरों से सिफारिश करवाई जबकि 206 लाभार्थी का चयन स्वत: हुआ । गुरसरॉय एवं बामौर विकास-खण्ड में क्रमश: 100 एवं 106 व्यक्तियों ने किसी की सिफारिश की सहायता नहीं ली ।

ग्रामीण व्यक्ति की स्वाभाविक पहुँच ग्राम प्रधान तक होती है । सिफा-रिश की सहायता लेने वाले सभी 86 लाभार्थी ने सिफारिश के लिए ग्राम प्रधान का सहारा लिया है । सिफारिश के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों के प्रधानों ने ग्राम-सेवक व परियोजना अधिकारी एवं विकास खण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर लाभार्थियों का कार्य सरल बनाया है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये प्राय: सभी लाभार्थियों ने प्रार्थना पत्र स्वयं दिया था । इस कार्य में शिक्षित लाभार्थी को किसी तरह की परेशानी नहीं आई, परन्तु अशिक्षित लाभार्थी थोडी परेशानी महसूस कर रहे थे । इस कार्यक्रम हेतु अशिक्षित लाभार्थी ने प्रार्थना पत्र देते समय तथा इसकी पूर्ति समय किसी न किसी का सहारा लिया । कुछ लाभार्थी ने परिवार के सदस्यों के सहयोग से यह कार्य किया तो कुछ ने ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक या अन्य शिक्षित ग्राम वासियों की सहायता से प्रार्थना पत्र दिया ।

<u>योजना हेतु प्रेरणा :-</u> गांव की योजना सम्प्राप्तिका के अधिकांश लाभार्थी अशि-क्षित हैं । जो थोड़े बहुत लोग शिक्षित हैं, वे भी बहुत कम शिक्षा प्राप्त किये हैं । इस योजना के लाभार्थियों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो न्यूनतम शिक्षा हाई स्कूल अथवा 10 कक्षा या इससे आगे तक शिक्षित हैं ।

इस योजना के लाभों की जानकारी बहुत कम लोगों को थी । इस योजना के लाभार्थियों में ज्यादातर लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें इस योजना की जान-कारी दूसरों के द्वारा प्राप्त हुई है । वैसे तो इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार

प्रसार किया जा रहा है, परन्तु गांव में इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वे लोग काफी हद तक प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अभी इस कार्यक्रम के लिये और ज्यादा कार्य किये जाने की आवश्यकता है इस कार्यक्रम के सर्वेक्षण के दौरान एक आश्चर्य जनक बात मेरे सामने जो आई है वह यह है कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को इस योजना की जानकारी देते हैं तथा समस्त सरकारी प्रक्रियाओं से लाभार्थी को बचाते हुए उसका ऋण मंजूर करवाते हैं, बदले में वह कुल ऋण का कुछ प्रतिशत शुल्क वसूलते हैं ।

विभिन्न लाभार्थियों को विभिन्न स्रोतों से इस कार्यक्रम की प्रेरणा मिली उनका विवरण निम्न प्रकार है ।

सारणी क्रमांक 4.19 विकास खण्ड

प्रेरणा स्रोत	गुरसराँय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
गांव वाले लोग	10	6.94	9	6.33	19	6.64
ग्राम प्रधान	64	44.44	67	47.18	131	45.80
ग्राम सचिव	1	0.70	9	6.34	10	3.50
ग्राम सेवक	54	37.50	47	33.10	101	35.31
ऐजेन्ट	9	6.25	1	0.70	10	3.50
मित्र	6	6.17	6	4.23	12	4.20
स्वयं	-	-	3	2.12	3	1.05
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

न्यादर्श 286 लाभार्थी में सर्वाधिक लोगों को योजना की जानकारी ग्राम प्रधान ने दी । इसका कारण यह है कि ग्राम प्रधान ग्रामीण समुदाय का नेता होता है तथा गांवों के लोगों को उनके हितार्थ जानकारी देना उसका स्वाभाविक काम है । दूसरी बात यह एक जागरूक तथा शिक्षित व्यक्ति होता है । यह व्यक्ति विकासखण्ड तथा गांव की मीटिंग में भाग लेता जहां उसे नई योजनाओं की जानकारियां मिलती हैं, अब तो सरकार ग्रामीण विकास के कार्यक्रम ग्राम पंचायत द्वारा करवा रही है । अतः विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी

इस व्यक्ति को होना स्वाभाविक है ।

योजना की प्रेरणा देने वालों में दूसरा स्थान ग्राम सेवक का है । यह एक शिक्षित तथा ग्राम विकास हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति होता है । गांव के लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना तथा ग्रामीणों और प्रशासन के मध्य सामंजस्य उत्पन्न करने का काम इसी व्यक्ति का है । कुल 286 व्यक्तियों में 101 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें योजना की प्रेरणा व जानकारी ग्राम सेवक के माध्यम से प्राप्त हुई है ।

10 लाभार्थी ऐसे भी मिले जिन्हें यह जानकारियां ग्रामीण ऐजेन्ट के माध्यम से प्राप्त हुई तथा उन्हीं ऐजेन्टों ने उनका काम सरल बनाया, तथा उन्हें ऋण दिलवाया । ऐसे लाभार्थी को ऋण का पूरा पैसा मिला तथा लाभार्थियों से इन्होंने अपना हिस्सा लिया ।

क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में भी सहायता प्रदान की गई है ? अथवा क्या किसी परिवार के सदस्य में सहायता हेतु आवेदन किया है ।

सामान्य जानकारियों में लाभार्थी से निम्न जानकारियां प्राप्त की गई -

(1) ऋण का उद्देश्य

(2) परिवार में बालिग व नाबालिग सदस्यों की संख्या

(3) जाति (क्या लाभार्थी अनु0 जाति या जन जाति का सदस्य है ।)

(4) क्या आवेदक लघु, सीमान्त कृषक अथवा खेतिहर मजदूर है । अथवा वह ग्रामीण दस्तकार है ।

(5) क्या लाभार्थी ने अन्य किसी कार्य के लिये किसी बैंक आदि से चालू वर्ष में ऋण प्राप्त किया है, आदि ।

इस प्रकार सहायता देने से पूर्व लाभार्थी का एक सामान्य सर्वेक्षण किया गया तथा उपर्युक्त जानकारियां लाभार्थी से प्राप्त की गई हैं । इस जांच कार्य में बैंक वालों ने पूर्ण सन्तुष्ट होने के बाद तथा विकास खण्ड अधिकारी की संस्तुति के बाद लाभार्थी को सहायता दी गई ।

समग्र विकास के अन्तर्गत सहायता देने से पूर्व कुछ औपचारिकतायें पूरी की जाती हैं । इन औपचारिकताओं में गांव में आर्थिक रजिस्टर बनाना, ग्राम तथा

की खुली बैठक में लाभार्थी का चयन तथा उनकी कास्त व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना ।

वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत सम्राविका में सहायता पाने वालों के सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया कि झांसी जिले के दोनों विकासखण्ड गुरसरांय एवं बामौर में लाभार्थी की परिवार की स्थिति के सम्बन्ध में जांच कराई गई । जांच करने वालों में प्रमुख रूप से ग्राम सेवक गये, तथा इन्होंने चुने गये लाभार्थियों से उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति तथा व्यवसाय संबंधी देख-रेख की ।

यद्यपि जांच कार्य करने वालों में प्रमुख ग्राम सेवक ही थे, परन्तु कभी-कभी गांव में कार्यक्रम संचालक, विकास खण्ड अधिकारी भी आते रहे हैं । इस छानबीन के अन्तर्गत मुख्य रूप से परियोजना के चुनाव परिवार में सदस्यों की संख्या, शिक्षा स्तर तथा जमीन आदि के बारे में जानकारी ली ।

छानबीन के अन्तर्गतलाभार्थी से उसकी जमीन के क्षेत्रफल के बारे में प्रश्न किये गये जांच में यह भी पूछा गया कि जमीन कहां तथा किस प्रकार की है । सिंचित तथा असिंचित भूमि के बारे में पूछा गया । लाभार्थी में यह प्रश्न भी किये गये कि वे इस जमीन में क्या-क्या वस्तुयें पैदा करते हैं, । यह भी जानकारियां ली गईं कि क्या वे जमीन में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग भी करते हैं । वर्ष में कृषि से प्राप्त पैदावार एवं उससे प्राप्त आय के बारे में भी प्रश्न किये गये ।

उपर्युक्त प्रश्नों के अतिरिक्त लाभार्थी से यह भी पूछा गया कि उनके अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य क्या काम करते हैं, तथा उन्हें कितनी आय प्राप्त होती है । वे अपनी आय का उपयोग किस प्रकार करते हैं । तथा क्या परिवार में ऐसे भी सदस्य हैं, जो वर्तमान में कार्य में सहायक के रूप में कार्य करते हैं अथवा अपना स्वतंत्र कार्य करते हैं । एक बात और जो मुख्य रूप से पूछी गई वह यह थी कि क्या आपके परिवार में अन्य किसी सदस्य को इस कार्यक्रम में सहायता दी गई है ।

सम्राविका के अन्तर्गत साधारणतः कोई समय निश्चित नहीं है, परन्तु उच्च प्रशासन इस बात की अपेक्षा करता है कि लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने में अधिक समय न लगे । योजना को क्रियान्वित करते समय इस बात पर विशेष

ध्यान दिया जाता है, परन्तु कभी-कभी सहायता प्राप्त होने में समय लग जाता है । हमने अपने अध्ययन में पाया कि साधारणत: लाभार्थी को सहायता प्राप्त होने में 15 दिन से 6 माह तक का समय लग जाता है । सर्वाधिक 65 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होने में 2 से 3 माह तक का समय लग जाता है । इस कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को ज्यादा तथा कम समय भी लग सकता है ।

साधारणत: इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए । दूसरी ओर लाभार्थी को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, अत: वे सहायता प्राप्त करने हेतु विशेष उत्सुक रहते हैं । अत: वे बार बार विभिन्न व्यक्तियों के यहां चक्कर काटते हैं कि उनको शीघ्र सहायता प्राप्त हो जाये ।

हमारे 286 लाभार्थी भी सहायता प्राप्त करने के लिये विभिन्न व्यक्तियों के चक्कर लगाते रहे । हमने अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया कि किस लाभार्थी ने किसके यहां चक्कर लगाये अध्ययन का निष्कर्ष निम्न है ।

सारणी क्रमांक 4.20

व्यक्ति/अधिकारी का नाम	विकास खण्ड का नाम गुरसराँय	बामौर	संयुक्त
बैंक मैनेजर	36	23	59
ग्राम सेवक	24	22	46
ग्राम प्रधान	2	2	4
पंचायत सचिव	4	33	37
ऐजेण्ट	9	3	12
सचिव एवं ग्राम सेवक	-	6	6
मैनेजर-ग्राम सेवक	36	6	42
विकास खण्ड अधिकारी एवं बैंक मैनेजर	3	-	3
ऐजेण्ट बैंक मैनेजर	4	2	6
पंचायतसचिव एवं मैनेजर	5	15	20
ग्राम प्रधान,ग्राम सेवक	-	1	1

सचिव विकासखण्ड अधिकारी	1	-	01
बैंक मैनेजर ग्राम प्रधान	-	01	01
पंचायत सचिव ग्राम सेवक	-	07	07
पंचायत सचिव ऐजेण्ट	4	13	17
किसी से नहीं मिलना पड़ा	16	8	24
योग	144	142	286

सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 286 लाभार्थियों में सर्वाधिक 59 लाभार्थियों ने बैंक मैनेजर के पास चक्कर लगाये जबकि द्वितीय स्थान पर वे लाभार्थी थे जो ग्राम सेवक के यहाँ मिलने गये थे । ऐसे लाभार्थियों की संख्या 46 थी । 37 लाभार्थियों ने पंचायत सचिव से अपना ऋण करवाने के लिये बार-बार आग्रह किया । 42 लाभार्थी संयुक्त रूप से बैंक मैनेजर एवं ग्राम सेवक से मिलने गये ।

इस सर्वेक्षण में गुरसरांय विकासखण्ड में 16 एवं बामौर विकासखण्ड में 8 लाभार्थी ऐसे भी मिले जिन्होंने अपना प्रार्थना पत्र देने के बाद किसी से नहीं मिले और न ही उन्होंने किसी के चक्कर लगाये । समय के साथ उनका कार्य स्वतः होता गया । तथा उन्हें सहायता प्राप्त हुई ।

इस अध्ययन के साथ कि कितने लाभार्थियों को किस किस के चक्कर लगाने पड़े, यह जानना आवश्यक समझा गया कि लाभार्थी को सहायता पाने के लिये कितने चक्कर लगाने पड़े क्योंकि इस योजना के मूल्यांकन में यह भी जानना आवश्यक समझा गया कि लाभार्थी को सहायता मिलने में कितना समय लगता है, तथा उसे किस किस के कितने चक्कर लगाना पड़ता है ।

कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तो लाभार्थी को कहीं नहीं जाना होता है, उसका काम तो उसके गांव में ही हो जाता है, परन्तु यह देखा गया है कि बिना चक्कर लगाये तो शायद ही लोगों को सहायता प्राप्त हो पाती है । यहाँ हम यह देख रहे हैं कि कितने लाभार्थियों ने कितने चक्कर लगाये

सारणी क्रमांक 4.21

चक्कर संख्या	विकास खण्ड गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत

2	8	5.55	18	12.64	26	9.09
3	16	11.11	21	14.79	37	12.94
4	23	15.97	22	15.49	45	15.73
5	7	4.86	06	4.22	13	4.55
6	01	0.70	5	3.52	06	2.10
कई बार	70	48.61	63	44.37	133	46.50
कोई चक्कर नहीं	19	13.20	7	4.93	26	9.09
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले विभिन्न व्यक्तियों ने सहायता पाने के लिये कई चक्कर लगाये । इन व्यक्तियों ने अनगिनत व्यक्तियों के चक्कर लगाये । सर्वेक्षण में विभिन्न 286 व्यक्तियों से ज्ञात हुआ है कि 45 लाभार्थी ऐसे है जिन्होंने कम से कम चार चक्कर लगाये जबकि सहायता पाने वालों में 57 लाभार्थियों ने कम से कम 3 चक्कर लगाये ।

कुल 286 में 133 लाभार्थी ऐसे है जिन्हें स्वयं भी याद नहीं है कि उन्होंने कितने चक्कर लगाये, पर यह निश्चित है कि उन्होंने चार से अधिक ही चक्कर लगाये हैं । सर्वेक्षण में 26 लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने सहायता प्राप्त करने के लिये किसी के पास चक्कर नहीं लगाया ।

इस प्रकार कुल 286 लाभार्थियों में 270 लाभार्थियों ने विभिन्न व्यक्तियों के यहां चक्कर लगाये जबकि 26 लाभार्थियों को सहायता स्वतः ही प्राप्त हो गई है ।

भूमि का विवरण :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः वे लोग सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं, परन्तु वर्तमान में केवल वे ही व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकेते हैं, जो गरीबों में सीमान्त गरीब हैं, अर्थात जिनकी वार्षिक आय 3600 रु० से कम है ।

यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस कार्यक्रम में ग्रामीण भूमिहीन, दस्तकार, लघु एवं सीमान्त कृषक जो 3600 रु० से कम वार्षिक आय प्राप्त कर

कर पाते हैं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

गुरसरांय एवं बामौर विकासखण्ड में 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के सर्वेक्षण से विभिन्न व्यक्तियों का भूमिगत विवरण निम्नानुसार प्राप्त हुआ ।

सारणी क्रमांक 4.22

भूमि की माप	गुरसरांय संख्या	गुरसरांय प्रतिशत	बामौर संख्या	बामौर प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
असिंचित						
1 एकड़	8	5.55	21	14.80	29	10.14
2 एकड़	36	25.00	29	20.42	65	22.73
3 एकड़	13	9.03	23	16.20	36	12.58
4 एकड़	27	18.75	12	8.46	39	13.64
5 एकड़	2	1.39	01	0.70	03	1.05
6 एकड़	2	1.39	-	-	02	0.70
सिंचित						
1 एकड़	2	1.39	4	2.82	06	2.10
2 एकड़	3	2.08	8	5.63	11	3.85
3 एकड़	-	-	10	7.04	10	3.50
4 एकड़	5	3.47	3	2.11	08	2.80
5 एकड़	2	1.39	1	0.70	03	1.04
6 एकड़	-	-	1	0.70	01	0.35
भूमिहीन	44	30.56	29	20.42	73	25.52
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

प्रयोजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों में 169 लाभार्थी ऐसे थे जिनके पास 1 एकड़ तक असिंचित भूमि है, जबकि 35 लाभार्थियों के पास 1 एकड़ तक सिंचित भूमि है । दोनों विकासखण्ड के न्यादर्श लाभार्थियों में 73 लाभार्थी भूमिहीनों की श्रेणी के हैं । इस प्रकार सहायता प्राप्त करने वालों में केवल लघु सीमान्त किसान तथा भूमिहीन श्रमिक हैं । उपरोक्त में सभी लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 3000 से 3500 रु०

के बीच है ।

लाभ प्राप्त करने वाले सभी न्यादर्श लाभार्थियों ने बताया कि वर्ष 1989-90 में सग्राविका के अन्तर्गत उन्हें सहायता प्राप्ति के लिये उनका चयन ग्राम सभा की बैठक में किया गया । इन सभी लाभार्थियों को नाम ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज था, तथा प्राथमिकता के आधार पर इनका चयन किया गया तथा इनके नामों का चयन हो जाने के बाद उनके नामों की सूची सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी गई थी ।

सर्वेक्षण के अन्तर्गत हमने पाया कि वास्तव में जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है वे इसके उपर्युक्त उम्मीदवार हैं, तथा उन्हें सहायता की बहुत जरूरत थी । इस सहायता के प्राप्त हो जाने से उन्हें एक नया बल मिला है ।

इन सभी व्यक्तियों की दयनीय हालत इनकी आर्थिक आवश्यकताओं एवं आपसी समन्वय के कारण ही शायद इनके चयन के समय किसी से इनका विरोध नहीं किया । विगत दस वर्षों से ऐसे व्यक्तियों का चयन कर उन्हें सहायता दी जाती रही है, परन्तु अभी गांव में और कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी भी सहायता की आवश्यकता है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को उनके चयन की सूचना ग्राम सभा के द्वारा प्राप्त होती है । सर्वेक्षण के अन्तर्गत 286 लाभार्थियों को उनके चयन की सूचना विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुई । कुछ लाभार्थियों को उनके चयन की सूचना ग्राम सेवक द्वारा तथा कुछ लाभार्थियों को उनके चयन की सूचना विकास खण्ड में अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त हुई, परन्तु उन्हें अन्तिम रूप से तथा लिखित में यह सूचना ग्राम सभा के सूचना पट से प्राप्त हुई तथा उन्हें आगे की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये ।

xxxx

अध्याय - 5

सामान्य तथा विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आय स्तर में वृद्धि एवं स्वावलम्बता के अवसर

आर्थिक स्थिति :- व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ही उसकी सामाजिक स्थिति की निर्धारक रही है । प्रत्येक काल में प्रत्येक जगह समाज में वही व्यक्ति सम्मानित रहे हैं जो धनवान थे, तथा जिनकी आय व्यय से अधिक थी । गरीब व्यक्ति हर जगह अपमानित किया जाता रहा है, शायद इसीलिये कहा गया है कि निर्धनता ही सबसे बड़ा अभिशाप है ।

विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर इस बात पर विचार किया कि समाज में बहुसंख्यक वर्ग जो कठिन परिश्रम करता है । गरीब क्यों है जबकि अल्प-संख्यक वर्ग जो संख्या में बहुत थोड़ा हैं, परन्तु समाज में उत्पादन के सभी साधन इसी वर्ग के पास हैं ।

मार्क्स ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर समाज को दो भागों में बांटा है । प्रथम श्रमिक वर्ग, इस वर्ग के पास श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । अपने श्रम को बेचकर यह वर्ग बहुत कम आय प्राप्त कर पाता है । दूसरा वर्ग पूँजीपति वर्ग है । इस वर्ग के लोग संख्या में बहुत कम हैं परन्तु समाज के उत्पादन के सभी साधन इस वर्ग ने अपने अधीन कर रखे हैं । इस वर्ग के पास पूँजी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीं हैं ।

मार्क्स ने बताया कि पूँजीपति वर्ग अपने कारखानों में श्रमिक वर्ग से कठिन मेहनत करवा कर खूब उत्पादन करवाता है । तथा अधिक लाभ प्राप्त करता है । मार्क्स का मानना है कि वास्तव में श्रमिक जितना उत्पादन करता है वह सम्पूर्ण भाग श्रमिक का है, परन्तु वास्तव में श्रमिक को अपने श्रम के बदले में जो प्राप्त होता है वह उससे बहुत कम है, जो उसे मिलना चाहिए । मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त पूँजीपति वर्ग हड़प लेता है । तथा इसी धन के आधार पर वह श्रमिकों का शोषण करता है ।

यदि मार्क्स की विचारधारा का अध्ययन किया जाये तो कुछ बातें स्वतः स्पष्ट होती हैं । प्रथम समाज में बहुत बड़ा वर्ग निर्धन है । द्वितीय इनकी निर्धनता का कारण साधनों का अभाव है । तृतीय पूँजीपति वर्ग अपना लाभ अधिकतम करने के लिये श्रमिकों का अधिकाधिक शोषण करता है ।

मार्क्स की विचारधारा जितनी औद्योगिक देशों पर लागू होती है उतनी ही कृषि प्रधान देशों पर भी । यही कारण है कि संसार ने मार्क्स की

विचार धारा का स्वागत किया है ।

संसार भर ने मार्क्स की विचारधारा के आधार पर समाज वाद का नारा बुलन्द किया कि व्यक्ति को समाज में उत्पादन का उतना भाग मिलना ही चाहिए जितना कि वह उत्पादन करता है । यही कारण है कि मार्क्स की विचारधाराके आधार पर संसार के बहुत से देश प्रतिष्ठित पूँजीवाद के विरोधी हैं तथा साम्यवाद की स्थापना कर रहे हैं ।

भारत के सन्दर्भ में देखने पर ज्ञात होता है कि यहां पर भी बहुसंख्यक जनता गरीब है, इनके पास साधनों का अभाव है तथा उत्पादन में से उन्हें उतना भाग प्राप्त नहीं होता जितना कि उन्हें होना चाहिए ।

भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं, उनमें अधिक जनसंख्या तथा पूँजी की कमी एवं शिक्षा का अभाव सबसे प्रमुख कारण है । पूँजी की कमी शायद निर्धनता के चक्र का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पूँजी के अभाव में व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता न तो वह व्यवसाय कर पाता और न ही कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाता है ।

स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया बल्कि वे स्वयं यह चाहते थे कि यहां के गरीब, गरीब ही रहें तभी शायद उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । स्वतन्त्रता बाद भारत सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया यही कारण है कि उन्होंने पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम गरीबी पर और विशेष रुप से ग्रामीण गरीबी पर प्रहार किया ।

गरीबी और ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिये समय-समय पर विभिन्न योजनायें चलाई गई हैं । इन योजनाओं में कुछ योजनायें सामुदायिक रुप की रहीं हैं, तो कुछ योजनायें व्यक्तिगत रहीं हैं ।

ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने तथा व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने की दृष्टि से एक योजना सन् 1979 में लागू की गई तथा इसे 2 अक्टूबर 1980 को सम्पूर्ण देश में लागू किया गया एवं इसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया ।

इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले

व्यक्ति को प्रत्यक्ष सहायता देकर उन्हें इस स्तर से निकालने हेतु सहायता दी जाती है ।

उ0 प्र0 में ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से झाँसी जिले में प्रतिवर्ष बहुत से लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है । जिनका वार्षिक विवरण पीछे दिया है ।

अनुसूचित जाति में इस कार्यक्रम के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करनेके लिये हमने झाँसी जिले के दो ग्रामीण विकास खण्ड बामोर एवं गुरसराँय के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले 286 व्यक्तियों का अध्ययन किरने के बाद सहायता प्राप्त करने वालों की वार्षिक आय के आधार पर निम्न विवरण प्राप्त किये । सारणी क्रमांक 5.1

लाभार्थियों का वार्षिक आय के आधार पर विवरण

सारणी क्रमांक -

लाभार्थियों की संख्या

वार्षिक आय	गुरसराँय		बामोर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2500	-	-	4	2.82	4	1.40
2600	-	-	1	0.70	1	0.35
2700 -	-	-	9	6.34	9	3.14
2800	-	-	5	3.52	5	1.75
3000	-	-	15	10.56	15	5.24
3100	-	-	32	22.54	32	11.19
3200	60	41.66	57	40.14	117	40.91
3300	18	12.50	18	12.68	36	12.60
3400	16	11.11	1	0.70	17	5.94
3500	50	34.72	-	-	50	17.48
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने वालों में सर्वाधिक 117 लाभार्थी 3200 रु० वार्षिक आय प्राप्त करने वाले थे, जबकि दूसरे स्थान पर वे व्यक्ति थे जिनकी वार्षिक आय 3500 रु० वार्षिक थी।

विकास खण्ड गुरसरांय में सभी 144 लाभार्थी 3200 से 3500 रु० तक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले थे, जबकि बामौर विकास खण्ड में कुछ लाभार्थी 2500 से 300 रु० तक वार्षिक आय प्राप्त कर पाते हैं।

इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सहायता प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को ऋण पुस्तिका प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को प्राप्त ऋण पुस्तिका में लाभार्थी को दिये गये ऋण की राशि, अनुदान तथा प्रोजेक्ट आदि का विवरण अंकित रहता है। जब लाभार्थी अपने ऋण की किश्त चुकाता है तब उसमें चुकाई जाने वाली राशि अंकित कर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त लाभार्थी को एक विकास पुस्तिका भी दी जाती है। जिसमें लाभार्थी का विवरण रहता है। कार्यक्रम से संबंधित जब भी कोई व्यक्ति गाँव में आता है तथा इनके प्रोजेक्ट का निरीक्षण करता है तो वह इस पुस्तिका में प्रविष्टि करता है।

इस कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु हमने 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थी का अध्ययन किया। कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये लाभार्थियों से सर्वेक्षण के समय जब ऋण पुस्तिका एवं विकास पुस्तिका की बात आई तो सभी लाभार्थियों ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई पुस्तिका नहीं है। चूंकि उन्हें सहायता प्राप्त करते समय उल्लेखित रूपयों की वस्तुयें प्रदान की गई हैं। अतः उन्हें पता है कि बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है।

ऋण दाता बैंक :- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को सहायता ऋण के रूप में अनुदान सहित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की गारण्टी पर बैंक द्वारा दिया जाता है। यद्यपि ऋण प्रदान करते समय बैंक भी पूरी छानबीन करते हैं, परन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा लाभार्थी के नाम की सिफारिश के बाद बैंक पर्याप्त कारणों के अभाव में लाभार्थी को सहायता राशि की वांछित वस्तुयें क्रय करने की अनुमति दे देते हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वय बनाये रखने के लिये विभिन्न बैंकों ने अपने

कार्य क्षेत्र विभाजित कर रखे हैं। यहाँ पर ऋण प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा दी जाने वाली सहायता के अनुसार लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है -

सारणी क्रमांक 5.2

लाभार्थियों की संख्या

ऋण दाता बैंक का नाम	विकासखण्ड गुरसराँय संख्या	प्रतिशत	बामौर संख्या	प्रतिशत	संयुक्त संख्या	प्रतिशत
पंजाब नेशनल बैंक	17	11.80	30	21.13	47	16.43
जिला सहकारी बैंक	47	32.64	112	78.87	159	55.60
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	79	54.86	-	-	79	27.62
भूमि विकास बैंक	01	0.70	-	-	01	0.35
योग	144	100.00	141	100.00	286	100.00

सर्वेक्षण में प्रयुक्त 286 लाभार्थियों में 47 लाभार्थियों को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सहायता दी गई। स्मरण रहे यह बैंक जिले का अग्रणी बैंक है। सर्वाधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने वाला बैंक, जिला सहकारी बैंक है। इस बैंक द्वारा 159 लोगों को सहायता दी गई है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 79 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। ग्रामीण बैंक भी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित एवं संचालित हो रहा है।

कुल 286 लाभार्थियों में 1 लाभार्थी को सहायता भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई है।

इस प्रकार सहायता प्रदान करने वाले बैंकों का योगदान क्रमशः 16.43 55.60, 27.72 एवं 0.35 प्रतिशत है।

<u>सहायता का स्वरूप :-</u> एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी को उसकी इच्छानुसार सहायता दी जाती है। सहायता प्रदान करने के पूर्व लाभार्थी प्रार्थना पत्र पर इस बात का उल्लेख करता है कि उसे किसप्रकार की सहायता की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में लाभार्थी को प्राप्त होने वाली सहायता विभिन्न रूपों में दी गई है । सहायता के प्रमुख क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु कृषि विकास हेतु तथा पशु पालन हेतु सहायता दी गई है ।

व्यवसाय के अन्तर्गत प्रमुख रूप से दुकान, उद्योग निर्माण वाले लाभार्थियों को रखा है । कृषि विकास में कृषि पशु, कृषि यंत्र आदि सम्मिलित हैं, जबकि पशु पालन में दुधारू पशु अथवा ऐसे पशु शामिल किये गये हैं जिनके बच्चे बेचकर आय प्राप्त की जा सकती है । अन्तिम स्थान पर सिंचाई को रखा गया है । इसका उद्देश्य खेतों को सींचने हेतु साधनों का विकास करना है ।

इस कार्यक्रम के अनुसूचित जाति पर प्रभाव जानने के लिये हमने गुरसराँय एवं बामौर विकासखण्ड के 286 लाभार्थी का अध्ययन किया । इन लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दी गई सहायता का विवरण निम्नानुसार है -

सारणी क्रमांक 5.9

सहायता का क्षेत्र	विकास खण्ड गुरसराँय संख्या	प्रतिशत	लाभार्थियों की संख्या बामौर संख्या	प्रतिशत	संयुक्त संख्या	प्रतिशत
पशु पालन	11	7.64	34	23.94	45	15.73
व्यवसाय	87	60.42	79	55.63	166	58.04
कृषि यंत्र पशु आदि	43	29.86	29	20.43	72	25.18
सिंचाई	03	2.08	-	-	03	1.05
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले दोनों विकासखण्ड के लाभार्थियों में 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि लगभग 15.73 प्रतिशत लाभार्थियों को पशुपालन हेतु सहायता दी गई, ताकि वे इन पशुओं का दूध एवं बच्चे बेच कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें । सर्वाधिक 58.04 प्रतिशत लाभार्थियों को व्यवसाय हेतु सहायता प्रदान की गई है इसमें प्रमुख रूप से दुकान हेतु सूत कातने वाले चरखे हेतु अथवा करघा व बांस डलिया बनाने हेतु सहायता दी गई है । लगभग 25.10 प्रतिशत लोगों को कृषि

विकास हेतु सहायता की गई है । इसमें प्रमुख रूप से कृषि में प्रयोग होने वाले पशु अथवा कृषि यंत्रों के रूप में सहायता दी गई है ।

कुल तीन लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में सिंचाई हेतु सहायता दी गईहै ।

ऋण राशि :-

- तदार्थिका के अन्तर्गत सहायता देते समय लाभार्थी के व्यवसाय की प्रकृति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है । कार्यक्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि लाभार्थी को आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त हो, परन्तु फिर भी सहायता की कुछ सीमायें हैं । अतः इनका ध्यान रखना भी जरूरी होता है । लाभार्थी से यह भी पूछा जाता है कि उसे कितने धन की आवश्यकता है तथा एक समन्वय द्वारा लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली राशि निर्धारित की जाती है । कुछ लाभार्थी के मामले में उनके द्वारा चुनी गई वस्तु की खरीद पर व्यय ही उसके प्रोजेक्ट की राशि होती है ।

इस अध्ययन में चुनेहुये 286 लाभार्थियों को निम्नानुसार राशि की सहायता उनके व्यवसाय हेतु प्रदान की गई ।

सारणी क्रमांक 5.4

क्र0	सहायता राशि	संख्या			प्रतिशत
		गुरसराय	बामौर	योग	
1.	2000	18	-	18	6.29
2.	2900	-	1	1	0.35
3.	3000	2	1	3	1.05
4.	3500	2	9	11	3.84
5.	4000	30	32	62	21.68
6.	4500	-	11	11	3.85
7.	4600	-	4	4	1.40
8.	4800	24	-	24	8.40
9.	5000	41	44	85	29.72
10.	5500	-	1	01	0.35
11.	6000	8	36	44	15.38
12	7000	5	-	5	1.74
13.	7500	10	-	10	3.50

14.	8000	1	3	4	1.40
15.	9000	2	-	2	0.70
16.	9500	1	-	1	0.35
	योग	144	142	286	100.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वाधिक 85 लोगों को 5000 रु० की सहायता दी गई है । इन 85 लाभार्थियों में अधिकांश लोगों ने सहायता दुकानदारी हेतु प्राप्त की है । द्वितीय स्थान पर 4000 रु० सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे । इनकी संख्या 62 थी जबकि 6000 रु० तक की सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी 44 थे । कुल 286 लाभार्थियों में 22 लाभार्थियों ने 7000 रु० अथवा इससे अधिक सहायता प्राप्त की परन्तु किसी भी लाभार्थी को 10,000 रु० से अधिक की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ।

भारी खर्च :-

इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ लाभार्थी को नहीं मिल पा रहा है ।

भ्रष्टाचार एक देश व्यापी समस्या है । आज समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यही कारण है कि आज कोई भी कार्य बिना भारी व्यय के नहीं होता है । देश में नौकरशाही के अन्तर्गत फाइल को आवश्यक टेबिलों के बीच चलाने के लिये उनमें रिश्वत के पहियों का लगाना आवश्यक है ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार की समस्या ज्यादा ही उग्र है । इसका कारण यह है कि अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या निरक्षर है तथा वे योजनाओं के लाभों से अनभिज्ञ हैं । ऐसी स्थिति में ग्रामीणजनसंख्या इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है यदि उन्हें इन योजनाओं की जानकारी हो जाती है और वे इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें जगह जगह संबंधित व्यक्तियों व अधिकारियों की खुशामदें करना पड़ती हैं तथा उन्हें खुश करना पड़ता है ।

इस अध्ययन के लिये चुने गये लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त करने के लिये विभिन्न व्यक्तियों को खुश किया है तथा उन्हें बहुत कुछ भेंट किया है । विभिन्न व्यक्तियों को सहायता प्राप्त करने के लिये निम्न अधिकारियों को खुश किया ।

सारणी क्रमांक 5.5

लाभार्थियों की संख्या

अधिकारी/अधिकारियों का नाम	विकास खण्ड					
	गुरसराँय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पंचायत सचिव	4	2.78	19	13.38	23	8.04
ग्राम सेवक	2	1.39	10	7.04	12	4.20
मैनेजर बैंक	58	40.28	53	37.32	111	73.78
पंचायत सचिव बैंक मैने.	19	13.20	19	13.38	38	13.30
ग्राम सेवक बैंक मैनेजर	14	9.72	12	8.44	36	12.70
बैंक मैनेजर, कार्ड	4	2.78	-	-	04	1.40
बैंक मैनेजर, ऐजेन्ट	11	7.64	-	-	11	3.84
ऐजेन्ट	12	8.33	6	4.23	18	6.30
ग्राम सचिव ग्राम प्र0	-	-	6	4.23	06	2.10
ग्राम सचिव, ऐजेन्ट	-	-	11	7.75	11	3.84
नहीं	20	13.88	6	4.23	26	9.10
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

प्रक्रिया के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने वालों में गुरसराँय एवं बामौर विकासखण्ड के 286 लाभार्थियों में 111 लाभार्थियों ने बैंक मैनेजर को चुन लिया तथा सहायता प्राप्त करने हेतु मैनेजर को हिस्सा दिया । दूसरे स्थान पर 38 लाभार्थियों ने बैंक मैनेजर एवं पंचायत सचिव को संयुक्त रूप से हिस्सा दिया ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नई बात देखने में आई है कि इस कार्यक्रम में ऐजेन्ट भी सक्रिय हैं । इन ऐजेन्टों का काम लाभार्थी का कार्य सुगम करवाना तथा उनसे अपना हिस्सा लेना होता है । इन ऐजेन्टों की साँठ-गाँठ बैंक तथा विकास खण्ड में रहती है । ये ऐजेन्ट बैंकों तथा विकासखण्ड में से देकर लाभार्थी का कार्य करवाते हैं । इन ऐजेन्टों में [illegible]पहाड़ी में महेन्द्र सिंह तथा ग्राम [illegible] में लल्लू कोरी आदि प्रमुख ऐजेन्ट हैं । प्रमुख रूप से ये ऐजेन्ट लाभार्थी की प्रोजेक्ट

राशि का 10 प्रतिशत भाग इस कार्य के लिये लेते हैं ।

इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने के लिए ऊपरी खर्च की राशि कुछ निश्चित नहीं है । ऊपरी खर्च की राशि इस शर्त पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितने में अपना काम करवा लेता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत ही कम लाभार्थी ऐसे हैं जो बिना ऊपरी खर्च के अपना काम करवा लेते हैं ।

साधारणतः बामौर एवं गुरसराँय विकास खण्ड के इन 286 लाभार्थी के ऊपरी खर्च का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.6

लाभार्थियों की संख्या

क्र0	सहायता हेतु ऊपरी खर्च (रुपयों में)	विकास खण्ड गुरसराँय	बामौर	संयुक्त
1.	100	2	9	11
2.	200	7	6	13
3.	300	7	7	14
4.	400	19	32	51
5.	500	44	43	87
6.	600	1	3	04
7.	700	6	1	07
8.	800	13	9	22
9.	1000	13	18	31
10.	1200 से 1800	9	-	09
11.	1800से अधिक	1	3	04
12.	नहीं	22	11	33
	योग	144	142	286

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थी ने सर्वेक्षण में विभिन्न उत्तर दिये । इस कार्यक्रम के 286 लाभार्थियों में सर्वाधिक 87 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिये

सहायता प्राप्त करने में 500 रु0 तक ऊपरी कार्यों पर खर्च किये हैं । ऊपरी खर्च से मेरा तात्पर्य उन खर्चों से है जिन्हें भ्रष्टाचार कहा जाता है । 51 लाभार्थियों ने सहायता पाने के लिये 400 रु0 तक रिश्वत पर खर्च किये हैं ।

इस कार्यक्रम में 253 लाभार्थियों ने ऊपरी खर्च के माध्यम से सहायता प्राप्त की । इन लाभार्थियों ने 100 रु0 या अधिकतम ऊपरी खर्च किये । सर्वेक्षित लाभार्थियों में 33 लाभार्थी ऐसे भी थे जिन्हें बिना किसी ऊपरी खर्च के सहायता प्राप्त हुई । ऐसे लोगों पर शायद भगवान की विशेष कृपा थी, अथवा उन्होंने असम्भव को सम्भव कर दिया है ।

सर्वेक्षण में सामान्य बातचीत से हर जगह एक बात सुनी कि सहायता प्राप्त करने में कुल प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत तक व्यय हो जाता है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने वालों में श्री गोकुल पुत्र श्री दरऊ निवासी ग्राम पंचायत भरनेह ने बताया कि उन्हें कुल 4000 रु0 की सहायता में 3200 रु0 नकद मिले इसमें ग्रामीण बैंक बंकापहाड़ी के शाखा प्रबंधक ने 500 रु0 जिमा के रूप में जमा करवा लिया, इस प्रकार लाभार्थी को कुल 2700 रु0 नकद मिले ।

इसी प्रकार श्री सुजान पुत्र श्री अल्लदी को साईकिल एवं पलटा की दुकान हेतु 5000 रु0 स्वीकृत हुए इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बंका पहाड़ी द्वारा 2300 रु0 नकद दिये गये जिसे उसने पारिवारिक कार्य पर खर्च कर दिया । शेष रुपये कहाँ गये तथा किसने थे, उन्हें नहीं पता है और नही उसने कभी जानने की कोशिश की ।

इन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जानकारी ग्राम माधौपुरा पंचायत भरनेह विकास खण्ड गुरसरांय के निवासी श्री लखन पुत्र श्री राम प्रसाद ने बताया कि उन्हें ग्रामीण बैंक बंका पहाड़ी से 4000 रुपये बैलगाड़ी हेतु स्वीकृत की गई है, परन्तु उन्हें केवल 1250 रुपये दिये गये बाकी पैसों के बारे में इन्हें नहीं मालूम और न ही उन्होंने शेष पैसा चाहा है ।

परियोजना राशि व्यय विवरण :- वर्ष 1989-90 में सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी में 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि यदि हम यह मान लें कि परियोजना का ऊपरी खर्च लाभार्थी ने अपने पास से किया है तो कुल

281 लोगों को परियोजना हेतु पूर्ण स्वीकृत राशि तथा शेष 5 लाभार्थियों को इस राशि का केवल कुछ भाग मिला तथा उन्हें यह राशि नकद प्रदान की गई है ।

सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि इन सभी पांचों लाभार्थियों का उद्देश्य सहायता प्राप्त कर अपनी आय व जीवन स्तर में वृद्धि करना नहीं बल्कि जो मिला सो ठीक है था ।

परियोजना राशि का उपयोग :- सूचिका में सहायता प्राप्त करने वालों में जहाँ एक ओर लाभार्थी ने अपनी परियोजना चलाकर उससे सम्पूर्ण लाभ प्राप्त किया है । वहीं दूसरी ओर कुछ लाभार्थी ने प्राप्त सहायता से परियोजना आरम्भ ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों ने सांठ-गांठ करके परियोजना का पैसा नकद प्राप्त कर लिया था । इनके इस कार्य मे बैंक अधिकारियों, दुकानदारों ने अपना कमीशन लेकर झूठे बिल व रसीदें रिकार्ड में लगाई । कुछ लाभार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पिरि योजना कुछ दिन तक चलाई तथा बाद में समाप्त कर दी तथा प्राप्त राशि को अनु उत्पादक कार्यों पर व्यय कर दिया ।

सारणी क्रमांक 5.7

लाभार्थियों की संख्या

विवरण	विकास खण्ड गुरसराय	बामौर	संयुक्त	प्रतिशत
पूरी राशि परियोजना पर खर्च की	116	132	248	86.72
राशि परियोजना पर खर्च नहीं की	20	7	27	9.44
सहायता राशि आंशिक रूप से परियोजना पर खर्च की	8	3	11	3.85
योग	144	142	286	100.00

इस योजना में सहायता प्राप्त करने वाले 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों में 248 लाभार्थियों ने सहायता राशि का पूर्ण उपयोग पिरियोजना पर किया तथा उनकी परियोजना आज भी फल फूल रही है । 27 लाभार्थियों ने सहायता

राशि नगद प्राप्त कर इसे पारिवारिक या अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया है। इसी प्रकार श्री मति लाडकुअर पत्नी श्री राजाराम ने परियोजना के अन्तर्गत साईकिल एवं किराना दुकान हेतु 5000 रु० की सहायता दी गई थी जिसका उपयोग इन्होंने पारिवारिक कार्यों पर किया।

परियोजना पर आंशिक राशि खर्च करने वालों में वे लोग है जिन्होंने पूरी राशि इस परियोजना पर खर्च नहीं की अथवा जिन्होंने परियोजना को चलाकर बाद में बन्द कर दिया तथा प्राप्त रकम को स्वयं के कार्यों पर खर्च कर दिया श्री कुमान पुत्र श्री बिहारी निवासी भड़ोकर पंचायत पुरेया ने 5000 रु० की सहायता साईकिल व कटपीस दुकान हेतु ली थी बाद में इन्होंने केवल साईकिल खरीदी शेष पैसे उन्होंने अपने कार्यों पर खर्च कर लिया साईकिल राशि के अतिरिक्त बैंक एवं विकासखण्ड अधिकारी ने शेष राशि का समायोजन कैसे किया इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।

श्री मुन्नी पुत्र श्री मुन्नी ग्राम कुरेठा विकास खण्ड बामौर ने कटपीस की दुकान हेतु 5000 रु० की सहायता ली थी इन्होंने परियोजना आरम्भ की तथा कुछ दिन चलाकर बन्द कर दिया है।

शेष राशि का उपयोग:- इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में तीन तरह के लाभार्थी है प्रथम वह जिन्होंने सम्पूर्ण राशि परियोजना पर खर्च की, द्वितीय लाभार्थी ऐसे है जिन्होंने प्राप्त सहायता की राशि का पूर्ण भाग अपने कार्यों पर व्यय कर दिया तृतीय वे लाभार्थी है जिन्होंने प्राप्त सहायता का कुछ भाग परियोजना पर व्यय किया तथा शेष राशि अन्य कार्यों पर व्यय कर दी।

गुरसराय एवं बामौर विकास खण्ड के 286 अनुसूचित जाति के सर्वेक्षित लाभार्थियों में 11 लाभार्थियों ने सहायता राशि आंशिक रूप से परियोजना पर खर्च की इन लाभार्थियों में से 7 लाभार्थियों ने केवल कुछ दिन कार्य किया तथा बाद में परियोजना बन्द कर दी जबकि 4 व्यक्तियों ने परियोजना पर प्राप्त सहायता राशि का कुछ भाग ही व्यय किया तथा शेष राशि पारिवारिक या अन्य कार्यों पर व्यय कर दिया श्री रमेश पुत्र श्री सुखे ग्राम बसारी पंचायत पुरेया को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक पहाड़ी द्वारा 4000 रु० की सहायता बकरी पालन हेतु दी गई थी इसमें इन्होंने 900 रु० की बकरी खरीदी शेष पैसा पारिवारिक कार्यों पर खर्च कर दिया।

परियोजना पर आंशिक रूप से सहायता राशि खर्च करने वालों का विवरण:-

तालिका क्रमांक 5.8

लाभार्थियों की संख्या

कुल सहायता राशि में से परियोजना पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत		गुरसराँय एवं बामौर विकास खण्ड में संयुक्त रूप से	प्रतिशत
1.	20	3.	75.00
2.	23	1	25.00
योग		4	100.00

आंशिक राशि परियोजना में लगाने वालों में 3 लाभार्थियों ने जिन्हें 5000 रु० की सहायता दी गई थी । केवल 1000 रु० की सामग्री खरीदी । चौथे लाभार्थी को 4000 रु० की सहायता दी गई उसने मात्र 900 रु० परियोजना पर व्यय किये। परियोजना हेतु प्राप्त सहायता की राशि 248 लाभार्थियों ने पूरी परियोजना पर ही व्यय की । अत: ऐसे लाभार्थी ने बताया कि उनके पास कुछ भी शेष नही बचा ।

27 लाभार्थियों ने अपने सहायता राशि का बिल्कुल भी पैसा परियोजना पर खर्च नहीं किया । ऐसे लोगों में पूरी राशि अन्य कार्यों पर व्यय की । किसी ने इस पैसे से अपनी लड़की की शादी की तो किसी ने जुआ खेला । वे दो लाभार्थियों ने इस राशि से घर के बीमार सदस्यों का इलाज कराया । तो एक लाभार्थी ने अपना पैसा गांव के ही एक अन्य व्यक्ति को ब्याज पर दे दिया ।

आंशिक रूप से पैसा परियोना पर खर्च करने वालों में 7 लाभार्थियों ने अपनी परियोजना आरम्भ करने के बाद कुछ दिन तक उसे चलाया और बन्द कर दिया तथा प्राप्त राशि को पारिवारिक कार्यों पर व्यय कर दिया । चार लाभार्थियों ने कुछ ही पैसा परियोजना पर लगाया तथा शेष राशि का उपयोग अन्यत्र किया । ऐसे लोगों ने 20 से 25 प्रतिशत तक ही राशि परियोजना पर व्यय की । ऐसे लाभार्थियों में ग्राम बसारी न्याय पंचायत परेथा विकास खण्ड गुरसराँय के निवासी श्री किशोरी पुत्र श्री रामाराम है । जिन्होंने सिलाई मशीन कपड़ा हेतु 5000 रु० क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहाड़ी से लिये परन्तु इन्होंने

परन्तु इन्होंने केवल एक सिलाई मशीन खरीदी । शेष रुपयों को पारिवारिक कार्य पर खर्च कर दिया ।

ऋण पुस्तिका :-

समग्रापिका के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को एक ऋण पुस्तिका दी जाती है । इस ऋण पुस्तिका में लाभार्थी को मिलने वाले ऋण अनुदान की राशि अंकित रहती है ।

सर्वेक्षण में 286 लाभार्थियों में से किसी भी लाभार्थी के पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी । ऋण पुस्तिका के अभाव में लाभार्थी के मौखिक उत्तर से ही यह जानकारी प्राप्त हुई कि कितना ऋण स्वीकृत हुआ है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिकतर लाभार्थी ने स्वयं का पैसा नहीं लगाया वे केवल उसी पैसे से अपना कार्य चला रहे हैं । जो उन्हें सहायता के रूप में प्राप्त हुआ था । कुछ लाभार्थी ने इस कार्यक्रम में प्राप्त सहायता के अतिरिक्त अपना पैसा भी लगाया उनका विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.9

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्रोजेक्ट में अपना पैसा						
लगाया	4	2.78	5	5.48	9	5.06
नहीं लगाया	140	97.22	137	94.52	277	94.94
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

इस कार्यक्रम में सहायता पाने वाले 286 व्यक्तियों में 9 व्यक्तियों ने प्रोजेक्ट में अपना पैसा भी लगाया है । शेष 277 लाभार्थी केवल सहायता के पैसों से ही अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं ।

अपना पैसा लगाने वालों ने इस प्रोजेक्ट में लगाई अपनी राशि का विवरण निम्न प्रकार दिया है -

सारणी क्रमांक 5.10

लाभार्थियों की संख्या

प्रोजेक्ट में लगाई गई राशि (रुपये में)	संख्या	प्रतिशत
500	3	33.34
600	2	22.22
800	2	22.22
1000	2	22.22
योग	9	100.00

अपने प्रोजेक्ट के पूर्ण दोहन हेतु अपना स्वयं का पैसा भी लगाने वालों में 3 व्यक्तियों ने 500 रु० तक लगाये जबकि 2 लाभार्थियों ने 1000 रु० तक सहायता राशि के अतिरिक्त अपने पास से लगाये।

सहायता राशि के अतिरिक्त अपना पैसा लगाने वाले सभी 9 लाभार्थियों ने प्रोजेक्ट में अपना अतिरिक्त पैसा अपने पास से लगाया किसी भी लाभार्थी ने यह नहीं बताया कि उसने यह अतिरिक्त पैसा कहीं और से प्राप्त किया। लाभार्थी ने बताया कि प्रोजेक्ट में लगाये गये पैसों में (सरकारी सहायता एवं स्वयं का पैसा) से केवल सरकारी सहायता में प्राप्त पैसे पर ब्याज चुका रहे हैं।

परिसम्पत्ति की स्थिति :- समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने सभी लाभार्थी को अपनी परियोजना का चयन स्वयं करना होता है। परियोजना चयन के समय लाभार्थी अपनी रुचि तथा कार्य की स्थिति का ध्यान रखता है।

वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी को विभिन्न परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान की गई। सहायता प्राप्त कर अधिकांश लाभार्थी ने अपना कार्य आरम्भ किया परन्तु कुछ लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त करके भी कार्य आरम्भ नहीं किया। जबकि कुछ लाभार्थी ने कार्य आरम्भ करने के बाद बंद कर दिया तो कुछ लाभार्थी की परिसम्पत्ति आंशिक रूप से कम हो गई।

समन्वित ग्राम्य विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रभाव जानने के लिये हमने अनुसूचित जाति वर्ग के वर्ष 1989-90 में सहायता प्राप्त 286 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया तथा उनकी परिसम्पत्ति की स्थिति निम्न प्रकार प्राप्त की -

तालिका क्रमांक 5.11

(लाभार्थियों की संख्या)

परिसम्पत्ति की स्थिति	विकास खण्ड गुरसराँय	बामौर	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
परिसम्पत्ति कार्यरत है	110	120	230	80.42
आंशिक रूप से कार्यरत है	9	8	17	5.94
कार्यरत नहीं है (परियोजना समाप्त)	25	14	39	13.64
योग	144	142	286	100.00

कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले 286 लाभार्थियों में 230 लाभार्थियों की परिसम्पत्ति सर्वेक्षण के समय तक कार्यरत थी, जबकि 39 लाभार्थी की परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई । इस वर्ग में वे लोग हैं जिन्होंने कार्य आरम्भ नहीं किया अथवा बाद में उनकी पूरी परिसम्पत्ति नष्ट हो गई । ऐसे लोगों में ग्राम सिवाँ न्याय पंचायत सेसपुरा विकासखण्ड गुरसराँय के निवासी श्री बालादीन पुत्र गुलू है । जिन्होंने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक गुरसराँय के सहयोग से दो बैल खरीदे थे । सहायता प्राप्ति के 4 माह बाद इनके दोनों बैल मर गये ।

सर्वेक्षण में 17 व्यक्ति ऐसे मिले जिनकी सहायता में प्राप्त परियोजना आंशिक रूप से कार्यरत है । इस वर्ग में ऐसे लाभार्थी रखे गये हैं जिन्हें ऐसी परिसम्पत्ति दी गई थी जो संख्या में एक से अधिक थी तथा इस संख्या में कुछ संख्या समाप्त होगई, जबकि शेष परिसम्पत्ति कार्यरत है । ऐसे लाभार्थियों में ग्राम गुरसा विकास खण्ड बामौर निवासी श्री मकुन्दी पुत्र श्री मन्नू हैं, इन्हें परियोजना में 8 बकरियाँ दी गई थीं । परियोजना आरम्भ होने के 3 माह बाद 3 बकरियाँ मर गई अब केवल 5 बकरियाँ शेष हैं । इस वर्ग के लाभार्थी शेष बची सम्पत्ति से ही अपनी परियोजना संचालित कर रहे हैं ।

[illegible] के सभी लाभार्थी ने परियोजना का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर किया था तथा वे परियोजनागत परिसम्पत्ति पाकर अत्यन्त प्रसन्न हैं । परिसम्पत्ति प्राप्त करते समय सभी लाभार्थियों को सन्तोष था कि वे अपने

प्रयत्नों द्वारा अपनी आय में सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे । आशा के अनुकूल सभी लाभार्थियों ने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया परन्तु कुछ दिन बाद कुछ लाभार्थी ने महसूस किया कि वे प्रदान की गई परिसम्पत्ति द्वारा ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं । ज्यादातर लाभार्थी के साथ उक्त स्थिति प्रशिक्षण के अभाव में उत्पन्न हुई । आज कुछ लाभार्थी यह महसूस कररहे हैं कि उन्होंने गलत परियोजना का चुनाव किया है तथा वे अब कैसे ऋण एवं ब्याज का भुगतान कर पायेंगे क्योंकि उन्हें इस परिसम्पत्ति से कुछ भी आय प्राप्त नहीं हो पारही है ।

सर्वेक्षण के समय हमने सभी 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थी से यह प्रश्न पूछा कि क्या वे परियोजना में प्राप्त परिसम्पत्ति से संतुष्ट हैं यदि नहीं तो क्यों । इस प्रश्न के उत्तर का वर्गीकरण हमने निम्न प्रकार किया कि कितने लाभार्थी संन्तुष्ट हैं तथा कितने असन्तुष्ट हैं और क्यों -

सारणी क्रमांक 5.12

विवरण	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
प्राप्त परिसम्पत्ति सन्तोष पूर्ण है	242	84.62
प्राप्त परिसम्पत्ति असन्तोष पूर्ण है	17	5.94
परिसम्पत्ति नहीं खरीदी	27	9.44
योग	286	100.00

इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने वालों में 259 लोगों ने ही परिसम्पत्ति का क्रय किया शेष 27 लोगों ने परिसम्पत्ति क्रय नहीं की ।

परिसम्पत्ति क्रय करने वालों में 242 लाभार्थी सर्वेक्षण के समय तक परिसम्पत्ति से संतुष्ट थे, जबकि 17 लाभार्थी अपनी परिसम्पत्ति से संतुष्ट नहीं थे ।

असन्तुष्ट होने वाले सभी लाभार्थियों ने परिसम्पत्ति के रूप में चरखे को क्रय किया था । क्रय करने के बाद जब चरखे को चालू करने का समय आया तब लाभार्थियों ने इसकी तकनीकी जानकारी के अभाव में इसे एक कठिन कार्य माना । जैसे तैसे चरखे चालू करने के बाद कुछ दिन तक चले परन्तु बाद में सभी के चरखे तकनीकी खराबी के कारण बन्द हैं । वास्तव में इन चरखों को प्रदान करने से पूर्व यह आवश्यक है कि लाभार्थियों को इन्हें चलाने व सुधारने का प्रशिक्षण

दिया जाना चाहिए ।

ग्राम भसनेह विकास खण्ड गुरसरांय निवासी श्री हरपोटे पति श्री मती गुलाब रानी ने बताया कि उनकी पत्नी को सहायतागत परिसम्पत्ति में चरखी दिया गया था । एक दिन चरखा चलाते समय हरपोटे की अँगुली कट गई । कटी अँगुली लिये वह विकास खण्ड एवं डाक्टर के चक्कर लगाते रहे, परन्तु उनकी किसी ने नहीं सुनी ।

परियोजनागत परिसम्पत्ति :-
------------------------- समुन्विका से लाभार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार परियोजना का चयन करना होता है । वर्ष 1989-90 में भी विभिन्न लाभार्थियों ने अपनी इच्छा से परियोजना का चयन किया । जिले में यदि कुछ लाभार्थियों ने परियोजना में पशुपालन का चयन किया तो कुछ ने व्यापार में अपनी रुचि दिखाई लाभार्थियों द्वारा चुनी गई परियोजनाओं का व्यवस्थित विवरण हमने पूर्व में प्रदर्शित किया है । यहाँ केवल यह अध्ययन करना है कि इस योजना में कितने लोगों ने पशु पालन को अपना व्यवसाय बनाया तथा उन्होंने परियोजना में कितने पशु खरीदे । पशुओं का अध्ययन करते समय हमने इस वर्ग में गाय, बकरी, भैंस, सुअर तथा बैल को शामिल किया है । यहाँ हमारा उद्देश्य केवल परिसम्पत्ति में उन लाभार्थियों का अध्ययन करना है जिन्होंने पशु पालन अपनाया है ।

जिले में गुरसरांय एवं बामौर विकासखण्ड के 286 सर्वेक्षित लाभार्थियों का परियोजना गत विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.13

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

चयनित परिसम्पत्ति का स्वरूप	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पशुगत परिसम्पत्ति	18	12.5	33	23.24	51	17.83
गैर पशुगत परिसम्पत्ति	126	87.5	109	76.76	235	82.17
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

कुल 286 लाभार्थियों में 51 लाभार्थियों ने परियोजना में पशुपालन का चुनाव किया शेष 235 लाभार्थी ने अन्य व्यवसाय को अपनी आय वृद्धि हेतु माध्यम बनाया ।

परियोजना में योजना की सहायता राशि को ध्यान में रखते हुए सभी 51 लाभार्थी ने विभिन्न संख्या में पशु खरीदे । कुछ लाभार्थियों ने इस राशि से जहाँ तक भैंस खरीदी तो वहीं कुछ लाभार्थियोंने कई कई बकरियाँ खरीदी ।

सभी 51 लाभार्थियों ने जिन्होंने पशुपालन में एक या एक से अधिक पशु खरीदा उनका पशुओं की संख्या सहित विवरण निम्न प्रकार है ।

सारणी क्रमांक 5.14

पशुओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1	29	56.86
2.	07	13.72
[illegible]	01	1.94
5	03	5.90
6	03	5.90
7	01	1.94
8	03	5.90
10	04	7.84
योग	51	100.00

कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षित 286 लाभार्थियों में 51 पशुपालन अपनाने वाले लाभार्थियों मे सर्वाधिक 23 लाभार्थियों ने पशु पालन में एक पशु खरीदा जबकि 7 लाभार्थियों ने दो पशुओं का चयन किया । एक पशु खरीदने वालों ने सर्वाधिक भैंस खरीदी । जबकि दो पशु खरीदने वालों में सर्वाधिक लोगों ने बैल जोड़ी खरीदी क्रमशः एक एक सदस्य ने बकरी तथा सुअर खरीदे ।

शेष सभी लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बकरियाँ खरीदी जो संख्या में 4 से 10 तक हैं ।

पशु का विवरण :- सारणिका के अन्तर्गत विभिन्न पशु पालन अपनाने वालों ने

अपनी पसन्द का पशु खरीदा । पशु खरीदते समय सभी लाभार्थियों ने अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया । कृषि व्यवसाय वालों ने भैंस व बैल खरीदना उपयुक्त समझा । क्योंकि इनके पालन की सारी व्यवस्थायें उनके पास उपलब्ध थीं ।

सभी लाभार्थियों द्वारा खरीदे गये पशुओं की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.15

लाभार्थियों की संख्या

पशु वर्ग	गुरसराँय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
भैंस	07	38.89	22	66.67	29	56.86
बकरी	05	27.78	10	30.30	15	29.42
बैल	06	33.33	-	-	06	11.76
सुअर	-	-	01	303	01	1.96
योग	18	100.00	33	100.00	51	100.00

सारणिका के अन्तर्गत पशुपालन का चयन करने वालों में सर्वाधिक 29 लाभार्थियों ने भैंस पालन का निर्णय लिया जबकि दूसरे स्थान पर 15 लाभार्थी ने बकरी पालन व्यवसाय को अपनाया। सर्वेक्षित लाभार्थियों में 6 लाभार्थी ने बैल जोड़ी हेतु सहायता प्राप्त की थी तो 01 लाभार्थी ने सुअर पालन हेतु सहायता प्राप्त की थी ।

दूसरी किश्त :- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लाभार्थी को प्रारम्भ में एक किश्त दी जाती है तथा बाद में यदि आवश्यक समझा जाता है, एवं लाभार्थी पहली किश्त से प्राप्त परिसम्पत्ति से सन्तोषजनक कार्य करता है । तो उसे सहायता की दूसरी किश्त दी जाती है ।

पशु पालन के क्षेत्र में अक्सर देखा होता है कि प्रारम्भ में लाभार्थी को परियोजनागत परिसम्पत्ति के रूप में एक भैंस दी जाती है तथा सन्तोष पूर्ण कार्य करने पर लगभग 6 माह के अन्तराल के बाद दूसरी भैंस हेतु सहायता दी जाती है ।

लाभार्थियों में केवल एक किश्त तथा दो किश्त पाने वाले लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.16

विवरण	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी को केवल एक किश्त दी गई	285	99.65
लाभार्थी को प्रथम तथा बाद में दूसरी किश्त दी गई ।	1	0.35
योग	286	100.00

वर्ष 1989-90 में सर्वेक्षित 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों में 285 लाभार्थी को केवल एक बार सहायता दी गई । एक लाभार्थी को कई बार/दो बार सहायता दी गई ।

ग्राम रिंया न्याय पंचायत कुरेठा विकासखण्ड बामौर निवासी श्री कल्ला पुत्र श्री दुर्जन को प्रथम बार 4 मई 1989 को तथा दूसरी बार 28.3.90 को भैंस खरीदने के लिये ऋण दिया गया ।

यद्यपि इन्हें दोनों बार भैंस खरीदने को ऋण दिया गया परन्तु इन्होंने एक बार भी भैंस नहीं खरीदी । लाभार्थियों ने केवल छूट का पैसा लेकर ऋण चुका दिया ।

<u>परिसम्पत्ति का क्रय :-</u> समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत परियोजना की सहायता राशि लाभार्थी को नकद नहीं दी जाती बल्कि उसे सहायता राशि से चुनी गई परियोजना की परिसम्पत्ति क्रय करवाई जाती है, इसके पीछे प्रशासन का उद्देश्य यह है कि लाभार्थी सहायता राशि का उपयोग केवल परिसम्पत्ति के क्रय में करे अतः परिसम्पत्ति का क्रय किसी अधिकारी के सामने करवाया जाता है ।

परिसम्पत्ति के क्रय के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर विभिन्न लाभार्थियों ने निम्न प्रकार दिया -

तालिका क्रमांक 6.17

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

परिसम्पत्ति का क्रय	गुरसराय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
परिसम्पत्ति स्वयं खरीदी	121	97.58	132	97.77	253	97.68
परिसम्पत्ति खरीद कर दी गई	3	2.42	3	2.23	6	2.32
योग	124	100.00	135	100.00	259	100.00

सर्वेक्षित लाभार्थियों में परियोजना प्राप्त होते समय कुल 259 लाभार्थी ने परिसम्पत्ति का क्रय किया था शेष 27 लाभार्थी ने परिसम्पत्ति का क्रय नहीं किया था ।

इस वर्ष 286 में 253 लाभार्थियों ने परिसम्पत्ति का क्रय स्वयं किया था परन्तु इनके साथ सम्बन्धित ग्राम सेवक अथवा बैंक अधिकारी थे । जबकि कुल 06 लोगों को परिसम्पत्ति खरीद कर दी गई है । सभी 253 लाभार्थियों को परिसम्पत्ति का क्रय ग्राम सेवक अथवा बैंक अधिकारी की देखरेख में करवाई गई । ये कर्मचारी लाभार्थी के साथ परिसम्पत्ति क्रय करने उसके बताये स्थान तक गये तथा अपनी देखरेख में परिसम्पत्ति का भुगतान विक्रेता को करवाया गया ।

कार्यक्रम में सहायता पाने वाले सभी 286 लाभार्थियों को परिसम्पत्ति क्रय करवाने से पहले अधिकारियों ने लाभार्थियों से पूछा था कि वे परिसम्पत्ति कहाँ से क्रय करना चाहते हैं । परिसम्पत्ति खरीदने से पूर्व अधिकारियों ने यह भी जानना चाहा है कि क्या वे इस परियोजना की परिसम्पत्ति से संतुष्ट हैं । सभी 286 लाभार्थियों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद ही उन्हें अन्तिम रूप से उस परियोजना का क्रय करवाने का फैसला किया गया ।

परिसम्पत्ति क्रय करवाते समय सभी 286 लाभार्थियों के साथ कोई न कोई जिम्मेदार आफीसर लाभार्थी के साथ गया परन्तु फिर भी कुल 259 लाभार्थियों न ही परिसम्पत्ति का क्रय किया । शेष लाभार्थियों ने अधिकारियों से

लाभ होते हुए भी परिसम्पत्ति क्रय नहीं की तथा किसी भी प्रकार से नकद पैसा हासिल कर लिया यह तथ्य उन अधिकारियों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो परिसम्पत्ति का क्रय करवाने साथ गये थे ।

विभिन्न लाभार्थी ने अपने अपनी इच्छा व सुविधा के अनुसार परिसम्पत्ति खरीदने के स्थान का चयन किया । कुछ लाभार्थियों ने परिसम्पत्ति अपने ही गांव से क्रय की तो कुछ लाभार्थी ने परिसम्पत्ति पास के गाँव से क्रय की । सर्वेक्षित लाभार्थियों में कुछ लाभार्थियों ने अपनी परिसम्पत्ति पास के शहर से भी क्रय की । यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि सभी लाभार्थियों ने परिसम्पत्ति का क्रय जिले के अन्दर ही किया । सहायता के रूप में जिन्हें पशुगत सम्पत्ति दी गई है उन्होंने इसे अपने ही गांव तथा पास के गांव से क्रय किया तो दुकानदारी वाले लाभार्थी ने सामान पास के शहर से क्रय की । इसी प्रकार हाथ करघा व सूत खरीदने वालों ने मऊरानीपुर से इसे क्रय किया ।

सर्वेक्षण में विभिन्न लाभार्थियों द्वारा सम्पत्ति खरीदने के स्थान का निम्न विवरण दिया गया -

सारणी क्रमांक 5.10

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

परिसम्पत्ति खरीदने का स्थान विवरण	गुरसरांय संख्या	गुरसरांय प्रतिशत	बामौर संख्या	बामौर प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
स्वयं के गांव से	21	16.94	27	20.00	48	18.53
पास के गांव से	17	13.71	14	10.37	31	11.97
पास के शहर से	67	54.03	78	57.78	145	55.98
अन्य जगह से	19	15.32	16	11.85	35	13.52
योग	124	100.00	135	100.00	259	100.00

परियोजना में कुल 259 व्यक्तियों ने परिसम्पत्ति खरीदी । इनमें सर्वाधिक 145 लाभार्थियों ने अपने निवास स्थान के पास वाले शहर से परिसम्पत्ति खरीदी । जबकि 48 लाभार्थियों ने स्वयं अपने ही गांव से इसे क्रय किया । 31

लाभार्थी ऐसे मिले जिन्होंने पास के गांव से क्रय किया । जबकि 35 लाभार्थियों ने दूर के गांव से या शहर से परिसम्पत्ति क्रय की । इसमें सर्वाधिक लोग चरखा या हाथ करघे क्रय करने वाले हैं ।

परियोजना में क्रय की गई परिसम्पत्ति से खरीद के समय सन्तुष्ट थे कि इन्हें संतोषजनक परिसम्पत्ति क्रय करवाई गई है । तथा उन्हें इसकी सही कीमत चुकानी पड़ी है सभी 259 लाभार्थी इस बात संतुष्ट हैं कि यदि वे स्वयं अकेले भी क्रय करते तो इससे कम कीमत नहीं देना पड़ती । परिसम्पत्ति के क्रय में किसी भी लाभार्थी को अतिरिक्त पैसा नहीं चुकाना पड़ा । सभी लाभार्थियों को वस्तुयें पूर्ण सौदेबाजी के बाद बाजार मूल्य पर मिली ।

परिसम्पत्ति की गुणवत्ता व कार्यक्षमता के संबंध में केवल उन लाभार्थियों को छोड़कर जिन्होंने चरखे का क्रय किया है, संतुष्ट हैं । चरखे के क्रेता मानते हैं कि उन्हें अच्छे चरखे नहीं दिये गये हैं जो चरखे उन्हें दिये गये हैं उनसे लाभार्थी कार्य में असुविधा महसूस कर रहे हैं ।

परिसम्पत्ति की जांच :- कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये यह आवश्यक है कि परिसम्पत्ति के क्रय के बाद उसकी जांच सम्बन्धित अधिकारी करे । इससे यह पता चलता है कि लाभार्थी ने खरीदी अथवा नहीं एवं क्या उसने वही परिसम्पत्ति खरीदी है जिसके लिये उसे ऋण दिया गया है । यह पूछे जाने पर कि परिसम्पत्ति खरीदने के पश्चात क्या किसी अधिकारी ने उसकी जांच की थी । लाभार्थियों द्वारा उनको दिये गये उत्तरों का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.19

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसरांय		बामौर		संपूर्ण	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
जांच की गई	78	62.90	91	67.40	169	65,25
जांच नहीं की गई	46	37.10	44	32.60	90	34.75
योग	124	100.00	135.	100,00	259	100.00

सभी 259 लाभार्थियों में 169 लाभार्थियों ने बताया कि परिसम्पत्ति क्रय करने के बाद उनकी परिसम्पत्ति की जांच की गई। जांच करने वालों में बैंक अधिकारी तथा ग्राम सेवक व परियोजना अधिकारी प्रमुख हैं। सहायता प्राप्त करने वालों में से 90 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने परिसम्पत्ति तो खरीदी परन्तु उनकी परिसम्पत्ति की जांच नहीं की गई।

इस कार्यक्रम में चयनित 286 लाभार्थियों में से 51 लाभार्थियों को पशुगत परिसम्पत्ति प्रदान की गई है। सभी लाभार्थियों द्वारा क्रय किये गये पशुओं की जांच पशु चिकित्सक द्वारा की गई तथा उन्हें प्रमाणपत्र दिया गया एवं उन्हें चिन्हित किया गया। यहाँ यह स्पष्ट करदेना आवश्यक है कि कुछ लाभार्थियों ने पशु खरीदे नहीं थे बल्कि अपने पूर्व वाले पशुओं को दिखकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। डाक्टर से प्रमाणित होने के बाद हमने इन्हें खरीदा हुआ मान कर इनका अध्ययन किया है।

इस कार्यक्रम में 93 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सहायता के द्वारा गरीबी रेखा को पार किया तथा जिनकी वार्षिक आय 4800 रु0 से ऊपर निकल गई। गुरसरांय एवं बामौर विकास खण्ड में ऐसे लाभार्थी की संख्या क्रमशः 38 एवं 65 है। वास्तव में इन्हीं लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया है।

इस अध्ययन में 24 ऐसे दुर्भाग्य शाली लाभार्थी मिले जिनकी आय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई। गरीबी रेखा को पार करने वाले सभी 93 लाभार्थी की पूर्व आय भी इन्हीं अन्य लाभार्थी के बराबर थी, परन्तु इन लाभार्थियों के स्वयं के प्रयत्न एवं सरकारी सहायता ने मिलकर यह महत्वपूर्ण कार्यकिया।

गरीबी रेखा को पार करने वाले सभी लाभार्थियों की आय सहित संख्या निम्न प्रकार थी -

सारणी क्रमांक 5.20

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

परियोजना के पूर्व की वार्षिक आय (रु0में)	गुरसरांय संख्या	गुरसरांय प्रतिशत	बामौर संख्या	बामौर प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
3000 तक	-	-	01	1.82	01	1.08

3100		-	-	09	16.36	09	9.68
3200	2	20	52.63	28	50.90	48	51.61
3300		06	15.79	13	23.64	19	20.43
3400		02	5.26	02	3.64	04	4.30
3500		10	26.32	02	3.64	12	12.90
	योग	38	100.00	55	100.00	93	100.00

गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाले लाभार्थियों में से एक लाभार्थी की पूर्व आय 3000 रु० वार्षिक थी । जबकि इस वर्ग के सर्वाधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पूर्व वार्षिक आय 3200 रु० थी । ऐसे लाभार्थियों की संख्या 48 है ।

परिसम्पत्ति का निरीक्षण :-

भारत में किसी भी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि उसका सतत निरीक्षण किया जाये । यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा हो।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये तथा लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ दिलाने के लिये इस कार्यक्रम का निरंतर निरीक्षण किया जाना चाहिए। उच्च प्रशासन ने इस कार्य हेतु अपनी अधीनस्थों का निरन्तर निरीक्षण किया तथा करने का निर्देश दिया वे कार्यक्रम के क्रियान्वयन निरीक्षण करें । इन अधीनस्थों के निरीक्षण की स्थिति का अध्ययन करने के लिये हमने जब अपने अध्ययन में यह जानना चाहा कि क्या कोई अधिकारी निरीक्षण हेतु आया तो निम्न विवरण प्राप्त हुआ -

सारणी क्रमांक 5.21

लाभार्थियों की संख्या

विवरण	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
परिसम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कोई अधिकारी आया	-	-	-	-	-	-
कोई अधिकारी नहीं आया	144	-	143	-	286	100
योग	144		142		286	100.00

वर्ष 1989-90 में सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में गुरसराँय एवं बामौर विकासखण्ड के 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है। सहायता प्राप्त होने के बाद से सर्वेक्षण के समय तक निरीक्षण हेतु कोई भी अधिकारी नहीं आया। यही कारण है कि सहायता प्राप्त करने वालों में कुछ व्यक्तियों ने परियोजना आरम्भ ही नहीं की तो कुछ लाभार्थियों ने परियोजना आरम्भ करने के कुछ दिन बाद बन्द कर दिया।

अभी तक जो लोग परियोजना चला रहे हैं उन्होंने बताया कि वे परियोजना इसलिये नहीं चला रहे हैं कि उसका सतत निरीक्षण किया जाता है बल्कि इसलिये चला रहे कि उन्हें इससे आय वृद्धि में सहायता मिली है तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो गई है।

लाभार्थी की बात की पुष्टि का एक मात्र माध्यम लाभार्थी की ऋण अथवा विकास पुस्तिका थी। सर्वेक्षण में जब ऋण पुस्तिका दिखाने की बात कही गयी तो सभी 286 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें न तो ऋण पुस्तिका प्रदान की गई है और न ही विकास पुस्तिका।

इस प्रकार लाभार्थी को सहायता में परियोजना राशि व वस्तुयें देकर उससे परियोजना आरम्भ करने का तो कहा गया परन्तु यह कभी किसी ने नहीं जानना चाहा कि परियोजना वास्तव में शुरू की गई अथवा नहीं तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। शायद यही कारण है कि ग्राम रिंया न्याय पंचायत कुरेठा विकास खण्ड बामौर निवासी श्री छन्ना पुत्र श्री दुर्जन ने एक वर्ष में दो बार चार-चार हजार रुपये भैंस खरीदने हेतु सहायता ली, परन्तु उसने एक बार भी भैंस नहीं खरीदी। बैंक में फर्जी रसीद लगाकर उसने नगद पैसा ही दोनों बार प्राप्त किया।

परिसम्पत्ति का बीमा :- आकस्मिक विपदाओं एवं चोरी दुर्घटना आदि से लाभार्थियों का काफी नुकसान होता है तथा परिसम्पत्ति का नुकसान होने से एक ओर जहाँ लाभार्थी की आय में कमी होती है वहीं दूसरी ओर आय में कमी से ऋण का भुगतान रुक जाता है एवं ब्याज अधिक चुकाना होता है।

उपर्युक्त विपदाओं से बचने का उपाय बीमा होता है। लाभार्थी अपनी परिसम्पत्ति का बीमा करवा लेते हैं। जिससे आपदाओं के समय उन्हें नुकसान का

बोझ नहीं उठाना पड़ता है नुकसान का वहन बीमा कम्पनियाँ करती है तथा इसकेबदले में वे लाभार्थी से बहुत थोड़ा प्रीमियम लेती है । इस क्षेत्र में ओरियन्टल इन्सोरेन्स तथा न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनियाँ प्रमुख हैं ।

सर्वेक्षण के समय सभी 286 लाभार्थियों से यह प्रश्न किया गया कि क्या उन्होंने अपनी परिसम्पत्ति का बीमा करवाया है, लाभार्थी द्वारा दिये गये उत्तरों का विवरण निम्न प्रकार है -

तालिका क्रमांक 5.22

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसराँय		बामौर		संयुक्त	
परिसम्पत्ति का	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बीमा करवाया है	-	-	-	-	-	-
बीमा नहीं करवाया	144	100	142	100	286	100.00
योग	144	100	142	100	286	100.00

सभी 286 लाभार्थियों ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने परिसम्पत्ति का बीमा नहीं करवाया । उन्हें नहीं मालूम की ऐसा कोई बीमा होता है, तथा इस कार्य हेतु किससे मिलना पड़ता है । सभी लाभार्थियों द्वारा बीमा न करवाने का कारण उन्हें उपर्युक्त नीति के ज्ञान का अभाव है ।

लाभार्थियों का बीमा :- भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1988 में सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है । इस नीति के अन्तर्गत सभी सहायता पाने वाले लाभार्थियों का बीमा किया जाता है तथा बीमे का प्रीमियम केन्द्र सरकार वहन करती है । लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उसे बीमे की राशि तत्काल प्रदान की जाती है ।

इस नीति के अन्तर्गत किये गये अध्ययन पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुआ -

तालिका क्रमांक 5.23

विवरण	लाभार्थियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी जिन्दा हैं	285	99.65

लाभार्थी की मृत्यु हो गई है	01	0.25
योग	286	100.00

वर्ष 1989-90 में सहायता प्राप्त करने वालों में 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के सर्वेक्षण में 285 लाभार्थी सर्वेक्षण समय तक जीवित हैं, केवल एक लाभार्थी की योजना में सहायता प्राप्त होने के बाद मृत्यु हो गई है ।

ग्राम पंचायत भस्नेह विकास खण्ड गुरसरॉय निवासी श्री कैंधू पुत्र श्री सगोले ने ग्रामीण बैंक बंकापहाड़ी से 4000 रुपये बैलगाड़ी हेतु सहायता ली थी । सहायता लेने के एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु खेत में काम करते हुये हो गई । श्री कैंधू के पुत्र ने सर्वेक्षण के समय बताया पिता की मृत्यु के बाद वे विकास खण्ड तथा बैंक में बार-बार चक्कर लगाते रहे हैं उन्होंने अपनी बात सबसे कही परन्तु उनकी बात नहीं सुनी गई अब बैंक वाले वसूली को आते हैं और कहते हैं कि पिता के कर्ज को तुम चुकाओ ।

पशु चिकित्सक की जांच एवं सहायता :- इस अध्ययन के अन्तर्गत सर्वेक्षित 286 लाभार्थियों में से 51 लाभार्थियों को परियोजना में पशुगत परिसम्पत्ति प्रदान की गई व सभी लाभार्थियों की परिसम्पत्ति (पशुगत) का पशु चिकित्सक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया एवं उन्हें चिन्हित किया गया । परन्तु यह जांच केवल पशु खरीदने के तुरन्त बाद की गई एवं इस कार्य हेतु पशु अस्पताल के डाक्टर ने अपनी फीस लाभार्थियों से वसूली गई परन्तु उसके बाद कभी किसी चिकित्सक ने जांच नहीं की ।

ग्राम लखावती न्याय पंचायत ऐरसपुरा निवासी कल्लू पुत्र सुमेर तथा कल्लू पुत्र परसादी ने बकरी पालन हेतु पंजाब नेशनल बैंक गुरसरॉय से चार-चार हजार रुपये की सहायता तथा दो माह बाद पाँच बकरियां एक-एक कर मर गई । मरी बकरियों के कान लेकर जब वे प्रमाण पत्र लेने डाक्टर के पास पहुँचे तो डाक्टर ने 150 रुपया मांगे । रुपये न देने पर डाक्टर ने प्रमाण पत्र नहीं दिया ।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सहायता प्राप्त करने के बाद ज्यादातर लाभार्थियों ने सहायता की आवश्यकता ही महसूस नहीं की, जिन

लाभार्थियों को सहायता की आवश्यकता पड़ी उन्हें सहायता उपलब्ध नहीं हुई ।

मृत या चोरी हुई परिसम्पत्ति का विवरण :- इस कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने वालों में कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी परिसम्पत्ति या तो चोरी चली गयी है अथवा मृत हो गई है ।

सर्वेक्षण में हमें कुछ लाभार्थी ऐसे मिले जिनकी परिसम्पत्ति चोरी हो गई है अथवा मृत हो गई है । ऐसे लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.24

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मृत का विवरण						
पूर्ण परिसम्पत्ति मृत	01	25.00	05	50.00	06	42.86
परिसम्पत्ति का कुछ भाग मृत	03	75.00	04	40.00	07	50.00
चोरी गई सम्पत्ति का विवरण	00	-	01	10.00	01	7.14
योग	04	100.00	10	100.00	14	100.00

(अ) पूर्ण मृत सम्पत्ति का विवरण :- सहायता प्राप्त करने वालों में 06 लाभार्थियों की पूर्ण परिसम्पत्ति मृत हो गई । गुरसरांय एवं बामौर विकास खण्ड में क्रमशः 01 एवं 05 लोगों की परिसम्पत्ति जिनमें पशु थे, सहायता प्राप्त होने के कुछ दिना बाद मृत हो गई । पूर्ण परिसम्पत्ति मृत वालों की परिसम्पत्ति की मृत्यु सहायता होने के कितने दिन बाद हुई इसका विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.25

सहायता प्राप्त होने से मृत्यु होने तक का समय	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
4 माह	02	40.00

3 माह	01	20.00
6 माह	01	20.00
1 वर्ष	01	20.00
योग	05	100.00

निम्न लाभार्थियों में से 02 लाभार्थियों की सम्पत्ति की मृत्यु सहायता के मिलने के लगभग 4 माह बाद हुआ । जबकि एक-एक लाभार्थी की परिसम्पत्ति की मृत्यु क्रमशः पाँच माह, छः माह तथा एक वर्ष पश्चात हुई ।

(ब) आंशिक मृत परिसम्पत्ति का विवरण :- अध्ययन में कुछ लाभार्थी ऐसे भी मिले जिनकी पूर्ण परिसम्पत्ति तो मृत नहीं हुई परन्तु कुछ भाग अवश्य मृ हो गया है । स्मरणीय है कि यहाँ भी पूर्व की भांति परिसम्पत्ति पशुओं के रूप में थी ।

लाभार्थी को प्राप्त परिसम्पत्ति की संख्या तथा मृत परिसम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.26

क्र0	प्राप्त परिसम्पत्ति (पशुओं) की संख्या	मृत परिसम्पत्ति (पशुओं) की संख्या	लाभार्थी की संख्या
1.	02	01	01
2.	05	02	01
3.	06	02	01
4.	08	01	01
5.	08	03	01
6.	10	02	01
7.	10	05	01
8.	10	08	01
योग	59	24	08

उपर्युक्त लाभार्थी को सहायता के रूप में पशु दियेगये थे । इनमें सभी लोगों ने बकरी पालन किया था । इनमें 3 लाभार्थियों को दो-दो तथा एक लाभार्थी

की 8 बकरियाँ मर गईं। दो लाभार्थियों की एक-एक तथा एक लाभार्थी की पाँच बकरियाँ मरी। सभी लाभार्थियों के पास सहायता में प्राप्त कुछ पशु (बकरियाँ) अभी भी शेष हैं।

सभी लाभार्थी में ये पशु परियोजना प्राप्त होने के बाद विभिन्न समयों पर मरीं। सहायता प्राप्त होने से पशु के मरने तक के बीच के समय का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.27

	परियोजना प्राप्त होने से मृत्यु के बीच का समय	लाभार्थियों की संख्या
1.	15 दिन	01
2.	2 माह	01
3.	3 माह	02
4.	4 माह	02
5.	6 माह	01
6.	8 माह	01
योग		08

विभिन्न 8 लाभार्थियों में से 2 - 2 लाभार्थियों का यह नुकसान परियोजना प्राप्त होने के 3 एवं 4 माह बाद हुआ। जबकि 4 लाभार्थियों का यह नुकसान क्रमशः 15 दिन, 2 माह, 6 माह तथा 8 माह बाद हुआ।

(स) चोरी गई परिसम्पत्ति का विवरण :- जिले में अनुसूचित जाति के 286 लाभार्थियों में से एक लाभार्थी ऐसा भी मिला जिसकी परिसम्पत्ति चोरी हो गई।

श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री पन्न्ही ग्राम अस्ता विकास खण्ड बामोर को पंजाब नैशनल बैंक गुरसराँय द्वारा 5000 रुपए का ऋण साईकिल व कटपीस की दुकान हेतु दिया गया था। सहायता प्राप्त होने के 9 माह बाद आपकी साईकिल चोरी चली गई।

श्री रमेश ने साईकिल चोरी की घटना की रिपोर्ट थाना गुरसराँय में दर्ज करा दी थी, परन्तु अभी तक चोर नहीं पकड़े और न ही साईकिल मिली है।

परिसम्पत्ति के नुकसान की पूर्ति :- सहायता प्राप्त करने वाले सभी सर्वेक्षित 286 लाभार्थियों में किसी भी लाभार्थी ने अपनी परियोजनागत परिसम्पत्ति का बीमा नहीं करवाया था, जबकि नुकसान की पूर्ति के लिये बीमा एक लाभदायक योजना है।

सभी 286 अनुसूचित जाति के लाभार्थी परियोजना का बीमा ही नहीं करवा पाये तब ऐसी स्थिति में परिसम्पत्ति के नुकसान पर भी बीमा अधिकारियों को खबर नहीं दी गई। सर्वेक्षण के समय कुल 286 लाभार्थियों में से 14 लाभार्थियों की परिसम्पत्ति को योजनाकाल में हानि हुई है। अधिकतर ऐसे लाभार्थियों ने परियोजना में पशुओं का चयन किया था। पशु की मृत्यु हो जाने पर ज्यादातर लाभार्थियों ने अज्ञानतावश कार्यवाही नहीं की। एक लाभार्थी द्वारा अपने मरे पशु की जाँच कर प्रमाण पत्र माँगने पर संबंधित डाक्टर ने उससे 150 रु० माँगे।

यद्यपि हानि उठाने वाले कुछ लाभार्थियों ने विकासखण्ड में जाकर कहा परन्तु किसी भी लाभार्थियों की बात नहीं सुनी गई और न ही किसी अधिकारी द्वारा उनके नुकसान की भरपाई की गई।

परियोजना गत माल की बिक्री :- इस अध्ययन के अन्तर्गत प्रमुख रूप से दो प्रकार के लाभार्थी हैं प्रथम वे जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, द्वितीय वे लाभार्थी हैं जो किसी वस्तु को खरीद कर पुनः बेचते हैं।

अध्ययन के लिये चुने गये सभी लाभार्थियों में 27 लाभार्थियों ने परियोजना आरम्भ नहीं की। केवल 248 लाभार्थियों ने सहायता का पैसा लेकर अपनी परियोजना आरम्भ की। उक्त 248 लाभार्थी ने स्वविवेक से ही ऐसी परियोजना का चयन किया था। जिसको वे अपने ढंग से चला सके तथा गाँव में जिसका स्कोप हो। उत्पादित माल की बिक्री के संबंध में प्रश्न पूछने पर लाभार्थियों द्वारा दिये गये उत्तरों का सारांश निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 5.28

विवरण	लाभार्थियों की संख्या		विकास खण्ड			
	गुरसराँय		बामौर		मऊरानीपुर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उत्पादित सभी माल						

आसानी से बिक जाता है	109	93.97	124	93.94	233	93.95
आसानी से सभी माल नहीं बिक पाता है	07	6.03	08	6.06	15	6.05
योग	116	100.00	132	100.00	248	100.00

गुरसरॉय विकास खण्ड में 116 लाभार्थियों ने परियोजना पर पूरी राशि खर्च की तथा वे अब इसे चला रहे हैं। इनमें 109 लाभार्थी द्वारा उत्पादित माल आसानी से बिक जाता है। इस वर्ग में कृषि विकास व्यापार तथा पशुपालन वाले प्रमुख हैं। इसके विपरीत 07 लाभार्थी ऐसे हैं, जो अपना सम्पूर्ण माल आसानी से नहीं बेच पाते परन्तु माल बिक अवश्य जाता है। इसी तरह बामौर विकास खण्ड में 124 लाभार्थी अपना सभी माल आसानी से बेच लेते हैं जबकि 08 लाभार्थी अपना माल थोड़े प्रयत्नों के बाद बेच पाते हैं।

परियोजना से लाभार्थी की सन्तुष्टि :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों ने अपनी रुचि से परियोजना का चयन किया तथा रुचि से अपनी परियोजना को चलाया। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी की आय में वृद्धि हुई है, परन्तु कुछ लाभार्थी परियोजना से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस परियोजना से वे उतना प्राप्त नहीं कर सके जितना वे करना चाहते थे।

कुछ लाभार्थी परियोजना के क्रियान्वयन से सन्तुष्ट नहीं हैं तो कुछ लाभार्थी कार्यक्रम क्रियान्वयन करने वाले लोगों से संतुष्ट नहीं हैं। यहां पर अभी केवल उन लाभार्थियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों से संतुष्ट/असंतुष्ट हैं -

सारणी क्रमांक 5.29

विवरण	लाभार्थियों की संख्या		विकास खण्ड			
	गुरसरॉय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
परियोजना के लाभों से लाभार्थी संतुष्ट हैं	111	95.69	126	95.45	237	95.56

परियोजना के लाभों से						
लाभार्थी संतुष्ट नहीं हैं	05	4.31	06	4.55	11	4.44
योग	116	100.00	132	100.00	248	100.00

सर्वेक्षित 286 लाभार्थियों में केवल 248 लाभार्थी ही अभी तक परियोजना चला रहे हैं । अतः केवल वही सही उत्तर दे सकते थे । अतः हमने 248 लाभार्थी से यह प्रश्न किया कि वे परियोजनाओं से प्राप्त लाभों से संतुष्ट हैं ।

सर्वेक्षित 237 लाभार्थी इस परियोजन के क्रियान्वयन से प्राप्त लाभों से संतुष्ट हैं जबकि 11 लाभार्थी ऐसे मिले जो इस परियोजना से प्राप्त लाभों से संतुष्ट नहीं है । संतुष्ट न होने के प्रमुख कारण उन्हें उस परियोजना से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उन्होंने अनुमानित किया था ।

आज समाज में इन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता । बल्कि इन्हें पूरा सम्मान प्राप्त है । इस बात का अध्ययन करने के लिये कि कितने लाभार्थियों ने इस योजना से लाभ उठाया है तथा इसे पसन्द किया एवं इससे लाभ उठाया । हमने लाभार्थी से योजना के बारे में पूछा कि आपको यह योजना कैसी लगी तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये ।

सारणी क्रमांक 5.30

लाभार्थियों की संख्या

विवरण		प्रतिशत
1. योजना पसन्द की गई	257	89.87
2. आंशिक रूप से पसंद की गई	18	6.29
3. योजना पसन्द नहीं आई	11	3.84
योग	286	100.00

इस योजना के लाभार्थियों में से 257 लाभार्थियों ने इस योजना को बहुत पसन्द किया । क्योंकि यह योजना उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायक हुई है । कुल 18 लाभार्थियों ने परियोजना को आंशिक रूप से पसन्द किया । इन लाभार्थियों का मानना है कि योजना उत्तम है, परन्तु इसमें सहायता

पाना कठिन कार्य है । इन लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें सहायता पाने के लिये काफी परेशान होना पड़ा । कई बार कई-कई लोगों के चक्कर लगाने पड़े जिससे उनका काफी समय व धन व्यर्थ बरबाद हुआ ।

कुल 11 लाभार्थियों ने योजना को पसन्द नहीं किया इन लाभार्थियों का मानना है कि सहायता राशि का बड़ा भाग तो बैंक कर्मचारी व विकास खण्ड कर्मचारी खा जाते हैं, उन्हें तो केवल कुछ भाग मिलता है । जबकि लाभार्थी को कई महीने इन अधिकारियों का चक्कर लगाने पड़ते हैं ।

ऋण वापिसी प्रक्रिया :-

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को अनुदान समायोजन के बाद शेष रकम को साधारणतः तीन वर्ष में चुकाना होता है । ऋण की रकम पर बैंकों द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है । लाभार्थियों को सुविधा एवं ऋण की सुगम वापिसी के लिये लाभार्थी की ऋण राशि को कई भागों में किश्त के रूप में जमा करवाया जाता है । ये किश्तें मासिक तिमाही अथवा छमाही हो सकती है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत साधारणतः ऋण वापिसी इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होने के बाद भी लाभार्थी ऋण चुकाने में सक्षम हैं, अथवा नहीं । कभी-कभी लाभार्थी इतना सक्षम हो जाता है कि वह परियोजना से प्राप्त लाभ से ऋण राशि चुका देता है जबकि कभी कभीलाभार्थी परियोजना राशि से ऋण नहीं चुका पाता है । कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जो यह राशि चुकाने में पूर्णतया अक्षम हैं । इन लाभार्थियों से ऋण वापिस लेना एक कठिन कार्य है ।

इस अध्ययन के अन्तर्गत हमने यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में कितने लाभार्थी ऋण चुकाने में सक्षम हैं, तथा चुका रहे हैं । इस अध्ययन का विवरण निम्न प्रकार प्राप्त हुआ -

सारणी क्रमांक 5.31

लाभार्थियों की संख्या

विवरण	पुरसराय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ऋण चुकाने में सक्षम लाभार्थी	117	81.25	109	76.76	226	79.02
ऋण चुकाने में अक्षम	27	18.75	33	23.23	60	20.97
लाभार्थी योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

गुरसरांय एवं बामौर विकास खण्ड के 286 लाभार्थियों में 226 लाभार्थी सहायता में प्राप्त राशि का ऋण चुकाने में सक्षम हों। जबकि 60 लाभार्थी ऋण वापिसी में सक्षम नहीं है। अक्षम वर्ग में ज्यादातर वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋण लिया परन्तु उसे परियोजना के स्थान पर गृह कार्यों पर खर्च कर लिया अथवा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परियोजना चलाने के कुछ दिन बाद बंद कर दी।

परियोजना में सहायता पाने वालों में कुछ व्यक्ति प्राप्त ऋण को वापिस कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कुछ व्यक्ति प्राप्त ऋण वापिस नहीं कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों से इकट्ठे किये गये आंकड़ों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये -

सारणी क्रमांक 5.32

लाभार्थियों की संख्या

विवरण	विकास खण्ड					
	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी ऋण चुका रहे हैं -	129	89.58	126	88.73	255	89.16
लाभार्थी ऋण नहीं चुका रहे हैं -	15	10.42	16	11.26	31	10.83
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

सहायता प्राप्त करने वालों में 255 लाभार्थी अपना ऋण ब्याज सहित चुका रहे हैं, जबकि 31 लाभार्थी ऋण नहीं चुका रहे हैं। बैंक द्वारा इन लाभार्थियों को इस संबंध में समय-समय पर नोटिस दिये जा रहे हैं। तथा ऋण वसूली के रिकवरी नोटिस दी जा रही है। श्री किशोरी पुत्र श्री राजाराम चमार ग्राम बसारी विकासखण्ड गुरसरांय से सहायता प्राप्त होने के बाद एक भी किश्त जमा नहीं की है तथा बैंक द्वारा इनके खिलाफ ऋण वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम में कुछ न कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सहायता प्राप्त होने के बाद एक भी किश्त जमा नहीं की।

गुरसरांय विकासखण्ड में संबंधित लाभार्थियों में 15 लाभार्थी तथा 16

लाभार्थी ऐसे हैं, जो ऋण नहीं चुका रहे हैं ।

सहायता पाने वालों से कुल 255 ऋण राशि चुका रहे हैं । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लाभार्थी नियमित रूप से ऋण चुका रहे हैं । परन्तु इन लाभार्थियों में कुछ लाभार्थी नियमित रूप से ऋण राशि चुका कर ब्याज सहित भुगतान कर रहे हैं । तो कुछ लाभार्थी इस मामले में अनियमित हैं, । इन लाभार्थियों में कुछ ने प्रथम व द्वितीय किश्त जमा करने के बाद फिर किश्त जमा नहीं की तो कुछ लाभार्थी बैंक का नोटिस प्राप्त होने के बाद एकाद किश्त जमा कर देते हैं । विभिन्न लाभार्थियों द्वारा नियमित रूप से व अनियमित रूप से किश्त चुकाने का विवरण निम्न प्रकार है ।

सारणी क्रमांक 5.33

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी नियमित किश्त जमा कर रहे हैं -	33	25.59	17	13.50	50	19,61
अनियमित किश्त जमा कर रहे हैं -	98	74.41	109	86.50	205	80.39
योग	129	100.00	126	100.00	255	100.00

सहायता प्राप्त करने वालों में कुल 255 लाभार्थी सहायता राशि चुका रहे हैं । इन लाभार्थियों में कुल 50 लाभार्थी नियमित रूप से ऋण चुकाने के लिये किश्त अदा कर रहे हैं । जबकि कुल 205 लाभार्थी ऋण चुकाने के मामले में अनियमित हैं सहायता प्राप्त होने के लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी इनमें से ज्यादातर लाभार्थियों ने एक चौथाई से भी कम पैसा जमा किया है ।

शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बंकापहाड़ी के अनुसार इन सभी लाभार्थियों से ऋण वसूलने की कार्यवाही चल रही है । लाभार्थी को कोई कई बार नोटिस दिये जा चुके है कि वे ऋण राशि अदा करें ।

इस बात का अध्ययन करने के लिये कि अभी तक कितने लाभार्थियों को ऋण जमा करने के लिये नोटिस दिए गये हैं, विभिन्न बैंकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये ।

तालिका क्रमांक 5.34

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसराय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी को नोटिस दिया गया	140	97.22	139	97.88	279	97.55
नहीं दिया गया	04	2.78	03	2.12	07	2.45
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

इस कार्यक्रम में सहायता पाने वाले कुल 286 लाभार्थियों में 279 लाभार्थियों ने बिना नोटिस के सहायता राशि चुकाना आरम्भ नहीं किया परन्तु इनमें से कुछ लाभार्थियों ने नोटिस मिलने पर ऋण चुकाना आरम्भ कर दिया । कुल 7 लाभार्थियों को सहायता राशि चुकाने के लिये नोटिस नहीं दिया गया, इनमें से लाभार्थी अधिक हैं, जिन्होने छूट का पता लेकर किसी प्रकार से ऋण तुरन्त चुका दिया ।

अन्य व्यवसाय :- इस कार्यक्रम में सहायता पाने वाले सभी लाभार्थियों से सर्वेक्षण के समय यह प्रश्न पूछा गया कि वे अपनी आय वृद्धि हेतु और क्या करना चाहते हैं सभी लाभार्थी ने इस प्रश्न के संबंध में अलग-अलग बातें कहीं । संबंधित लाभार्थियों द्वारा बताये गये उत्तरों का विवरण निम्न प्रकार है ।

तालिका क्रमांक 5.35 लाभार्थी की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसराय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कृषि विकास	37	25.59	41	28.87	78	27.27

व्यवसाय (व्यापार)	61	42.36	53	37.32	114	39.86
पशुपालन विकास	22	15.28	17	11.98	39	13.64
कुछ भी कार्य	14	9.72	23	16.20	37	12.94
कुछ नहीं	10	6.95	8	5.63	18	6.29
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

सहायता प्राप्त करने वाले 286 लाभार्थियों में कुल 78 इस परियोजना के अतिरिक्त अपनी आय में वृद्धि करने के लिये सहायता प्राप्त कर कृषि का विकास करना चाहते हैं। ये सभी लाभार्थी चाहते हैं कि उन्हें सहायता दी जाये ताकि वे उत्तम यंत्रों व रासायनिक खाद के द्वारा अपनी पैदावार में वृद्धि कर सके। 114 लाभार्थियों ने बताया कि वे इस हेतु अपने व्यवसाय (व्यापार) में वृद्धि करेंगे ताकि उनकी आय में और अधिक वृद्धि हो सके। 39 लाभार्थी और अधिक पशु पालन करना चाहते हैं, उनका कहना है कि यदि पुनः सहायता मिली तो वे पशु पालन करेंगे तथा पशुओं एवं पशुओं से उत्पादित माल की बिक्री कर अपनी आय बढ़ायेंगे।

संक्षेप में दोनों विकास खण्ड के 37 लाभार्थी ने अपनी आय वृद्धि हेतु कुछ भी कार्य करना स्वीकार किया है। इनका मानना है कि वे ऐसा कोई भी कार्य करना पसन्द करेंगे जो उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि कर सके। कुल 18 लाभार्थी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि अब न तो वे सहायता चाहते हैं और न ही वे इसके अतिरिक्त आगे कुछ करना चाहेंगे।

लाभार्थी की सन्तुष्टि :-

भारत सरकार की ग्रामीण विकास की यह योजना तभी सार्थक मानी जायेगी। जब लाभार्थी इस योजना से सन्तुष्ट हो तथा वह इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। इस बात का अध्ययन करने के लिये कि लाभार्थी इस योजना के लाभ से कितना सन्तुष्ट है, कई प्रश्न किये गये।

7 विभिन्न लाभार्थियों ने इस योजना के लाभों से सम्बन्धित अपने- अपने विचार बताये। इन विचारों का मूल्यांकन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ

तालिका क्रमांक 5.36

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

विवरण	गुरसरांय		बामौर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
योजना से सन्तुष्ट लाभार्थी	113	78.47	127	89.44	240	83.92
योजना से असंतुष्ट लाभार्थी	32	21.53	15	10.56	46	16.08
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

योजना से संबंधित लाभार्थियों में से 240 लाभार्थी ने बताया कि वे परियोजना के लाभों से संतुष्ट हैं । उन्होंने बताया कि यह योजना आय में वृद्धि हेतु सहायक है । ग्रामीण लाभार्थी इस योजना से सहायता पाकर अपनी आय व सामाजिक स्तर में वृद्धि कर सकता है । 286 लाभार्थियों में कुल 46 लाभार्थी इस योजना से सन्तुष्ट नहीं है । सर्वेक्षण में जब यह जानना चाहा कि वे इस योजना से सन्तुष्ट क्यों नहीं हैं, तो ज्ञात हुआ कि वे सभी लाभार्थी इस योजना के क्रियान्वयन व प्रशासनिक यंत्र से संतुष्ट नहीं हैं ।

असन्तुष्ट होने वाले लाभार्थी ने माना है कि योजना के क्रियान्वयन में व सहायता प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है । कुछ लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें सहायता में दिलायाई गई वस्तु अच्छी किस्म की नहीं है । परियोजना के कुछ लाभार्थी इसलिये सन्तुष्ट नहीं हैं कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है । ऐसे लाभार्थियों ने बताया कि अधिकारी उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि जैसे वे उन्हें धन न देकर भीख दे रहे हों ।

अध्याय - 6

सामान्य एवं विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजार्थिक स्थिति एवं सामान्य उपभोग स्तर में उन्नयन

आय वृद्धि :-

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि उत्पन्न करना है । कार्यक्रम के अन्तर्गत देश-प्रदेश व जिले में हजारों हजार परिवारों के इसमें सहायता दी जाती है, लाभार्थी इस सहायता के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करते हैं ।

यहां एक बात ध्यान रखने की है कि दो लाभार्थी जो समान राशि की सहायता प्राप्त करते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि दोनों की आय में समान वृद्धि हो । व्यक्ति की आय वृद्धि उसके द्वारा अपनाई गई परियोजना पर निर्भर करती है । कार्यक्रम में दुकान हेतु सहायता प्राप्त करने वालों की आय में वहां पशु खरीद कर दूध बेचने वालों ने स्पष्ट बताया कि उन्हें परियोजना से प्रतिदिन कितना औसत लाभ हो रहा है वहीं दूसरी ओर उन लाभार्थियों द्वारा, जिन्होंने बैलगाड़ी खरीदी है, यह बताना मुश्किल होता है कि उनकी आय में इस बैलगाड़ी के खरीदने से कितनी वृद्धि हुई है ।

इस अध्ययन के सर्वेक्षण के अन्तर्गत पूरी कोशिश की गयी है कि लाभार्थी की आय वृद्धि का अध्ययन करते समय विशेष सतर्कता रखी जाय । यह निर्विवाद सत्य है कि जिन लाभार्थियों ने इस योजना में प्राप्त सहायता का सही उपयोग किया है उनकी आय में अवश्य ही वृद्धि हुई है, परन्तु जिन्होंने सहायता पाकर भी कोई काम नहीं किया अथवा कुछ दिन बाद काम बन्द कर दिया उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है ।

इसी प्रकार उन लोगों की आय में भी अधिक वृद्धि हुई है, जो वर्ष भर कार्य कर रहे हैं । अपेक्षाकृत उनके जिन्होंने ऐसी परियोजना का चयन किया है । जिसमें केवल कुछ महीने ही कार्य प्राप्त होता है जैसे दुकान एवं भैंस पालन । दुकान-दार का व्यवसाय वर्ष भर चलता है, जबकि भैंस केवल कुछ ही महीने दूध देती है ।

सर्वेक्षण के अन्तर्गत 286 लाभार्थियों की आय में वृद्धि का निरीक्षण किया गया । सभी 286 लाभार्थियों की आय में वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी क्रमांक 6.1

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

वार्षिक आय वृद्धि	गुरसरांय		बामोर		संयुक्त	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
0.-500	4	2.78	1	0.70	5	1.74
600-1000	60	41.67	34	23.94	94	32.87
100-1500	31	21.53	31	21.83	62	21.64
1600-2000	20	13.89	28	19.72	48	16.78
2100-2500	04	2.78	04	2 .82	08	2.80
2600-3000	07	4.86	03	2.11	10	3.50
3100-3500	-	-	04	2.82	04	1.40
3600-4000	01	0.69	09	6.39	10	3.50
4100-4500	-	-	-	-	-	-
4600-5000	01	0.69	10	7.04	11	3.84
5100-5500	-	-	10	7.04	10	3.50
आय में वृद्धि नहीं	16	11.11	08	5.63	24	8.39
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

सारणी से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 32.87 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में 600 रु0 से लेकर रु0 1000 तक की वार्षिक वृद्धि हुई । तृतीय स्थान पर वे लाभार्थी हैं जिनकी आय में रु0 1600 से रु0 2000 तक की वृद्धि हुई जबकि 21.68 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में रु0 1100 से लेकर 1500 रु0 तक की वार्षिक वृद्धि हुई । ऐसे लाभार्थियों का कुल लाभार्थियों में प्रतिशत 16.78 है ।

सर्वेक्षण में 8.39 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे भी मिले जिन्होंने प्राप्त सहायता का सदुपयोग नहीं किया । इन लाभार्थियों ने सहायता राशि को पारिवारिक कार्यों पर अथवा अन्य कार्यों पर व्यय कर दिया । यही कारण है कि इन लाभार्थियों की आय में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई बल्कि वे आज भी भुगतान की चिन्ता से ग्रस्त हैं ।

कुल 286 लाभार्थियों में से 21 लाभार्थी ऐसे हैं जो सहायता प्राप्त करने

के बाद 4100 से 5500 रुपये वार्षिक आय में वृद्धि कर सके हैं । कुल लाभार्थियों में 1.74 प्रतिशत लाभार्थी मात्र ऐसे थे जिनकी आय में 600 रुपये से कम वार्षिक वृद्धि हुई है ।

लाभार्थी के आर्थिक स्तर में सुधार :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की सरकारी सहायता के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार करना है । इस कार्य के लिये भारत सरकार चुने गये व्यक्ति को सरकारी सहायता से कुछ परिसम्पत्ति उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं ।

वर्ष 1989-90 में श्री जिले में ग्रामीण विकास अभिकरण व विकासखण्ड के माध्यम से लाभार्थियों का चुनाव कर उन्हें विभिन्न परिसम्पत्तियां प्रदान की गईं । सभी लाभार्थी ने इस सहायता का पूरा लाभ उठाया परन्तु सभी की आय में वृद्धि समान रूप से नहीं हुई ।

इस कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु किये गये हमारे सर्वेक्षण में गुरसरांय व बामौर विकास खण्ड के 286 लाभार्थी का अध्ययन किया गया । ये सभी लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं अपने अध्ययन में इन लाभार्थियों की आय में वृद्धि का स्तर निम्न रहा -

तालिका क्रमांक - 6.2

लाभार्थियों की संख्या

विकास खण्ड

आय स्तर में वृद्धि (रुपयों में)	गुरसरांय संख्या	गुरसरांय प्रतिशत	बामौर संख्या	बामौर प्रतिशत	संयुक्त संख्या	संयुक्त प्रतिशत
100-1000	64	44.44	35	24.64	99	34.62
1000-1500	31	21.53	31	21.83	62	21.67
1500-से ऊपर	33	22.92	68	47.89	101	35.31
आय में वृद्धि नहीं	16	11.11	08	5.64	24	8.40
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

इसकार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों में 99 लाभार्थियों की आय में 100 रु० से लेकर 1000 रु० तक की वार्षिक वृद्धि हुई ।

62 लाभार्थियों की आय में रु० 1000 से लेकर रुपये 1500 तक की वार्षिक वृद्धि हुई । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने से पहले सभी लाभार्थी विभिन्न कार्यों में संलग्न थे, परन्तु सभी लाभार्थी अभाव की जिन्दगी व्यतीत कर रहे थे । सभी लाभार्थी कड़े परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे । इन सभी लाभार्थी की वार्षिक आय 3600 रु० वार्षिक से भी कम थी यानि सभी लाभार्थियों का परिवार औसत आय 10 रुपये प्रतिदिन तक आय प्राप्त कर पाता है ।

सर्वेक्षण में लिये गये 286 लाभार्थियों में 129 व्यक्ति कृषि पर आश्रित थे तो 113 लाभार्थी पूर्व में मजदूरी कर अपना पेट भर रहे थे ।

सर्वेक्षण में प्रयुक्त लाभार्थियों की परियोजना से पूर्व स्थिति निम्न प्रकार थी -

सारणी क्रमांक 6.3

विवरण	व्यवसाय क्षेत्र	कुल लाभार्थियों में प्रतिशत
1.	कृषि	45.10
2.	मजदूर	39.51
3.	दस्तकार	7.35
4.	व्यवसाय	6.65
5.	शिक्षा	1.39
	योग	100.00

परियोजना प्राप्त होने से पूर्व 45.10 प्रतिशत लाभार्थी कृषि कार्य में तथा 39.51 प्रतिशत लाभार्थी मजदूरी करने में लगे थे । ये दोनों ही वर्ग दिन भर कड़े परिश्रम के बाद इतना भी पैसा प्राप्त नहीं कर पाते थे कि अपने परिवार का पेट भर सकें । शेष तीन वर्गों की भी हालत अच्छी नहीं थी ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण

क्षेत्र में रहने वालों को सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने प्रयत्नों के माध्यम से अपनी गरीबी दूर कर सकें। कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 286 लाभार्थियों सरकारी सहायता से परियोजनागत परिसम्पत्ति दी गई परिसम्पत्ति प्राप्त करने के बाद इन लाभार्थियों की व्यवसायगत स्थिति निम्न प्रकार थी -

सारणी क्रमांक 6.4

व्यवसाय क्षेत्र	कुल लाभार्थियों में प्रतिशत
व्यवसाय	52.82
पशुपालन	23.94
कृषि	20.42
अन्य (दस्तकारी)	2.82
योग	100.00

परिसम्पत्ति प्राप्त होने से पूर्व व्यवसाय में मात्र 6.65 प्रतिशत लाभार्थी लगे थे जबकि परियोजना प्राप्त होने के बाद कुल लाभार्थियों में 52.82 प्रतिशत लाभार्थी व्यवसाय में लगे हैं। इसी प्रकार परियोजना से पूर्व कृषि में 45.10 प्रतिशत लगे थे। जो सहायता प्राप्त होने के बाद अन्य व्यवसायों में चले गये तथा यहां मात्र 20.42 प्रतिशत लाभार्थी रह गये। शायद यहां कृषि में अदृश्य बेरोजगारी थी। जो परियोजना प्राप्त होने के बाद कम हुई होगी।

कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होने से पूर्व 39.51 प्रतिशत लाभार्थी गांव अथवा पास के शहरों में मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे थे, परन्तु इन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होने से अब दूसरों के यहां मजदूरी नहीं करना पड़ती बल्कि वे अब अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं। इन लाभार्थियों द्वारा शायद मजदूरी करने का कारण उनके पास पूंजी का अभाव था। जिसे सरकारी सहायता द्वारा पूरा किया गया।

जिले में चुने गये सभी लाभार्थी योजनागत सहायता पाने से पूर्व न केवल गरीबी में जिन्दगी गुजार रहे थे बल्कि नारकीय जिन्दगी जी रहे थे। आय कम होने के कारण इस वर्ग की न केवल आर्थिक स्थिति खराब थी। बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति व राजनैतिक स्थिति भी दयनीय थी। क्योंकि आज के मशीनरी युग में आर्थिक स्थिति ही सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है।

परियोजना से पूर्व लाभार्थी की आय इतनी कम थी कि उसे भर पेट

भोजन उपलब्ध नहीं था । लाभार्थी की आय औसतन प्रतिदिन 8 से 10 रुपये कमा पाता था । तथा इतने पैसों में उसका व उसके परिवार का पेट भर पाना बिल्कुल भी सम्भव नहीं था ।

यही कारण है कि जैसे ही इन लाभार्थियों को सरकारी सहायता का सहारा मिला सभी लाभार्थी उठ खड़े हुये । लगभग एक तिहाई व्यक्तियों ने तो गरीबी रेखा को पार कर नरकीय जीवन से मुक्ति पा ली । जबकि एक तिहाई लाभार्थी के प्रयत्न भी कम सराहनीय नहीं रहे इन लाभार्थियों से अपनी वार्षिक आय में 1000 रु० से लेकर 1500 रु० तक की वार्षिक वृद्धि की जबकि लगभग 12 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

मासिक आय वृद्धि :- कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता देखने तथा इसका मूल्यांकन करने के लिये यह आवश्यक है कि यह देखा जाय कि सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी की आय में कितनी वृद्धि हुई है ।

इस बात का अध्ययन करना है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लाभार्थी की आय में कितनी वृद्धि हुई है, एक कठिन कार्य है क्योंकि कुछ ऐसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान की गई है जिन्हें इस परिसम्पत्ति का प्रतिफल वर्ष में एक बार तथा अन्य कार्यों के साथ सम्मिलित रूप से प्राप्त होता है । सहायता के रूप में बैलगाड़ी का चुनाव करने वाले लाभार्थी यह नहीं बता सकते हैं कि उन्हें इस बैलगाड़ी से मासिक आय वृद्धि में कितनी सहायता मिली है ।

ऐसे लाभार्थियों की मासिक आय वृद्धि का अनुमान लगाते समय हमने उनकी मासिक औसत आय का अनुमान लगाया कि तथा इस बात का अध्ययन किया है कि सहायता प्राप्त होने से पूर्व के वर्ष में उनकी आय तथा सहायता होने वाले वर्ष में उनकी आय के अन्तर को बांट कर उनकी मासिक आय का अनुमान किया गया है ।

सभी 286 लाभार्थियों की औसत मासिक वृद्धि का अध्ययन करने के बाद निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये -

सारणी क्रमांक 6.5

लाभार्थियों की संख्या

मासिक आय वृद्धि	गुरसराय	बामौर	संयुक्त

मासिक आय वृद्धि (रुपयों में)	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
0-40	04	2.78	01	0.72	05	1.75
41-90	60	41.67	34	23.94	94	32.87
91-130	31	21.53	31	21.83	62	21.68
131-170	20	13.89	28	19.72	48	16.78
171-210	04	2.78	04	2.82	08	2.80
211-250	07	4.86	03	2.10	10	3.50
251-290	-	-	04	2.82	04	1.40
291-330	01	0.69	09	6.34	10	3.50
331-370	-	-	-	-	-	-
371-410	01	0.69	10	7.04	11	3.84
411-450	-	-	10	7.04	10	3.50
आय में वृद्धि नहीं	16	11.11	08	5.63	24	8.39
योग	144	100.00	142	100.00	286	100.00

छ्राविका में सहायता पाने वाले, परियोजना आरम्भ करने के बाद सर्वाधिक 94 लाभार्थियों की आय में रुपया 41 से रुपया 90 तक की मासिक वृद्धि हुई है । दूसरे स्थान पर वे लाभार्थी हैं जिनकी आय में रुपया 91 से लेकर रुपया 130 तक मासिक वृद्धि है ऐसे लाभार्थियों की संख्या 62 है । कार्यक्रम से 48 लाभार्थियों की आय में 131 से 170 रुपये की मासिक वृद्धि सम्भव हो सकी है । कार्यक्रम के अन्तर्गत 286 में से 21 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 370 रुपये से अधिक रही है ।

सामाजिक स्थिति :- भारतीय समाज में आर्थिक स्थिति के द्वारा ही सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है । समाज में गरीब की अपेक्षा पैसे वाले को अधिक सम्मान प्राप्त होता है ।

कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होने से पूर्व सभी लाभार्थी सीमान्त गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, सभी लाभार्थियों को समाज में यथोचित सम्मान

प्राप्त नहीं था, जीवन अपना यह वर्ग मजदूरी की चिन्ता में व रोटी के लिये गुजार देता था, न तो इसके पास समाज के विषय में सोचने का समय था और न ही समाज के उच्च वर्ग ने इनकी स्थिति पर ध्यान दिया । इस वर्ग को समाज में दयनीय दृष्टि से देखा जाता था । कुल 286 लाभार्थियों में से 39.51 प्रतिशत लाभार्थियों के पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं था । सिवाए मेहनत के ।

सभी मजदूर वर्ग के व्यक्ति श्रम के द्वारा अपनी जीविका चला रहे थे । ये मजदूर या तो गांव में ही मजदूरी करने जाते थे, अथवा पास के गांव अथवा शहर में । गांव अथवा शहर में जहां भी ये मजदूरी करने जाते थे, वहीं इनका शोषण किया जाताथा । दिन भर कड़े परिश्रम के बाद भी यह वर्ग अपने परिवार चलाने लायक भोजन नहीं जुटा पाते थे ।

कुल लाभार्थियों में 45.10 प्रतिशत लाभार्थी पूर्व में कृषि करते हैं । ये सभी कृषक सीमान्त कृषक या लघु श्रेणी के कृषक थे । इनके पास इतनी भी जमीन नहीं थी कि जिससे ये अपने परिवार को पेट भर सकें । पूंजी के अभाव में इनके पास कृषि कार्य के पर्याप्त साधन नहीं थे । किसी के पास बैलगाड़ी नहीं थी, तो किसी के पास बैल नहीं था । पूंजी के अभाव में ये रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे । यह वर्ग अपने कार्यों को दूसरों के साधनों से पूरा करवाते थे, जिसके बदले में दूसरों को धन देना पड़ता था । यह धन किसान महाजन से उधार लेता था, जिसके बदले में उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ता था ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने से सभी मजदूरों ने मजदूरी व्यवसाय त्याग कर अपनी व्यवसाय परियोजना आरम्भ की । कृषकों को सहायता के रूप में सिंचाई के साधन कृषि उपकरण व दुधारू पशु प्राप्त हुये । व्यवसाय चलाने वाले जो पूंजी के अभाव में जूझ रहे थे । उन्हें पूंजी प्राप्त हुई ।

परियोजनागत सहायता प्राप्त होने से लाभार्थियों को अभाव से छुटकारा मिला सभी लाभार्थियों की आय में आशातीत वृद्धि हुई । लाभार्थियों की आय में वृद्धि होने से इन्होंने गांव के सामाजिक कार्यों में भाग लेना आरम्भ कर दिया तथा इनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई । मजदूरों का शोषण समाप्त हो गया है तथा वे अब स्वयं अपनी परियोजना संचालित कर रहे हैं ।

उपर्युक्त लाभार्थियों में से कई लाभार्थी का चयन गांव की पंचायत से हुआ है । लाभार्थियों को अपनी बिरादरी की पंचायत में सम्माननीय स्थान प्राप्त है ।

आय में वृद्धि होने से लाभार्थियों के उपभोग स्तर में वृद्धि हुई है । यह एक सर्व-मान्य सत्य है कि आय में वृद्धि होने पर व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि होती है । पूर्व में जहाँ यह लाभार्थी भूख में जिन्दा रहते हुये रूखा-सूखा भोजन खाते थे तथा सस्ते एवं फटे कपड़े पहनते थे आज वही लाभार्थी न केवल उत्तम भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं बल्कि अच्छे व साफ कपड़े स्वयं पहने रहे हैं व अपने परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं ।

पूर्व में जहाँ लाभार्थी आवश्यकता पड़ने पर महाजन से पैसा उधार लेने को मजबूर थे, आज वही लोग उत्तम जीवन यापन करते हुये न केवल ऋण का पैसा चुका रहे हैं, बल्कि आत्म निर्भर भी हैं ।

लाभार्थी के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में वृद्धि :-

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ लाभार्थियों ने परियोजना हेतु पैसा प्राप्त करके भी उसे परियोजना पर नहीं लगाया तथा अन्य कार्यों पर व्यय कर दिया । निश्चित रूप से ही ऐसे लाभार्थियों की आय में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि आज वे इस बात से चिन्तित हैं कि प्राप्त ऋण राशि व उसका ब्याज कैसे चुकाया जाये ।

परन्तु इतना अवश्य है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में जिन्होंने प्राप्त सहायता को वास्तव में परियोजना पर व्यय किया है उनकी आय में एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में अवश्य ही वृद्धि हुई है ।

जैसे ही गुरसराय एवं बामौर विकास खण्ड में दो लाभार्थियों का गहन अध्ययन किया गया । इन दोनों लाभार्थियों द्वारा प्राप्त विवरण इस प्रकार है -

सारणी क्रमांक 6.6

विवरण	गुरसराय विकास खण्ड		बामौर विकास खण्ड	
विवरण एवं आय	परियोजना से पूर्व की स्थिति	परियोजना के उपरांत स्थिति	परियोजना के पूर्व की स्थिति	परियोजना के उपरांत स्थिति
अ- आय विवरण				
वार्षिक आय	3200	4500	3200	4500
वार्षिक आय में वृद्धि	-	1300	-	1300

ब- व्यय विवरण - भोजन	2400	2900	2400	3000
कपड़ा	300	700	250	600
मकान ईंधन आदि	100	150	100	150
बीमारी दवा आदि	60	100	50	150
सामाजिक कार्यों पर व्यय	-	- 50	25	100
ऋण का ब्याज	100	-	150	-
शिक्षा (पारिवारिक)	100	200	100	175
अन्य व्यय	140	250	125	250
बचत	-	140	-	175
योग	3200	4500	3200	4500

सर्वेक्षण के समय अशिक्षित या अल्प शिक्षित व्यक्ति से यह ज्ञात करना एक कठिन कार्य होता है कि वह निश्चित रूप से बता सके कि वह भोजन अथवा कपड़े पर वर्ष में कितनी राशि व्यय करता है । परन्तु यह पूछ कर कि उसे वर्ष कितना गेहूँ चावल दाल आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है । उसके भोजन व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है ।सर्वेक्षण के इस भाग में प्राप्त आँकड़े पूर्णतः इसी प्रकार के अनुमानों पर आधारित हैं ।

सर्वेक्षण में से हम गुरसराँय विकास खण्ड में ग्राम बसारी पंचायत पुरैया निवासी श्रीमती धनवंती पत्नी बैजनाथ का एवं बामौर विकास खण्ड में श्री लखन लाल पुत्र श्री मंगी ग्राम अस्ता का विशेष अध्ययन किया । इन दोनों लाभार्थियों ने बताया कि पूर्व में वे भोजन पर 2400 रु0 वार्षिक व्यय करते थे, परन्तु अब से क्रमशः 2900 रु0 एवं 3000 रु0 वार्षिक व्यय कर रहे हैं ।

परियोजना प्राप्त होने से पूर्व यह दोनों लाभार्थी जहाँ क्रमशः 100 रु0 150 रु0 ऋण पर ब्याज चुकाते थे, अब वहीं वे लाभार्थी क्रमशः 140 रु0 तथा 175 रु0 बचत भी कर पा रहे हैं । यह पूर्णतः एक अनुमान है कि इस योजना से जिन लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है, निश्चित ही उनके उपभोग स्तर में भी वृद्धि हुई होगी । इन लाभार्थियों ने बताया कि पूर्व में वे सामाजिक कार्यों पर क्रमशः शून्य व 25 रु0 वार्षिक व्यय कर पाते थे, परन्तु परियोजना प्राप्त होने के बाद

अब वे क्रमशः 50 रु० व 100 रु० सामाजिक कार्यों व उत्सवों पर व्यय करते हैं ।

यद्यपि सभी लाभार्थियों में आय वृद्धि का प्रतिशत ऐसा ही नहीं रहा है । परन्तु आकस्मिक निदर्शन के आधार पर चुने गये इन दोनों लाभार्थियों की तरह उन सभी लाभार्थियों की आय में व व्यय में निश्चित वृद्धि हुई होगी । जिन्होंने प्राप्त सहायता का सदुपयोग किया है । हाँ इतना अवश्य है कि यह प्रतिशत कुछ कम व अधिक हो सकता है ।

अध्याय - 7

सारांश निष्कर्ष
एवं
सुझाव

सारांश :-

भारतीय सामाजिक ,धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि वैदिक काल में एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य अपनी रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य करने को स्वतंत्र थे जो वे करना चाहें । ऋग्वेद के अनुसार व्यक्ति उस समय किसी भी प्रकार से छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था । सभी व्यक्ति समान रूप से पृथ्वी को अपनी माता मानते थे और सम्पूर्ण समुदाय के सामूहिक कल्याण के लिए अपनी योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार कार्य करते थे ।

तत्पश्चात भारतीय समाज में इन कार्यों के आधार पर व्यक्ति का व्यावसायिक वर्गीकरण होता गया तथा व्यक्ति की पहचान उसकी जाति के आधार पर होने लगी । ब्रिटिश शासन काल में 1901 में तत्कालीन जनगणना आयुक्त रिसले ने हिन्दू जाति को सात श्रेणियों में विभाजित किया । 1935 में साईमन कमीशन द्वारा अछूत व दलित अथवा बाहरी जाति के व्यक्तियों को अनु0 जाति का नाम दिया गया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संविधान की धारा 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने संविधान अनु0 जाति आदेश 1950 के अन्तर्गत । 1935की अनुसूची को पुर्ननिरीक्षत किया । 1950 के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म का अनुयायी है अनु0 जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा ।

1981 की जनगणना के अनुसार देश में 15.75 प्रतिशत व्यक्ति अनु0 जाति के थे । अनु0 जाति के अन्तर्गत की गई जनगणनाके अनुसार 21 राज्यों व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में 1086 अनु0 जातियों की गणना की गई । कुल अनु0 जाती जनसंख्या की 16 प्रति शत जनसंख्या शहरों में तथा शेष गांवों में निवास करती है । कुल अनु0 जाति की जनसंख्या मे 21.37 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी । देश में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 935 स्त्रियां थीं । जबकि अनु0 जाति वर्ग में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 932 स्त्रियां थीं । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार अनु0 जाति वर्ग की 39.58 प्रतिशत जनसंख्या श्रम कार्य में लगी थी । अनु0 जाति वर्ग की श्रमिक जनसंख्या में 53.67 प्रतिशत जनसंख्या पुरुष वर्ग की तथा 24.47 प्रती शत जनसंख्या स्त्री वर्ग की थी ।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार 38 वें चक्र की गणना (1983-84) में भारत में कुल 27.10 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा केनीचे थे । कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 37.4 था । 43 वें चक्र (1987-88) की गणना के अनुसार 1973-74 की कीमतों के आधार पर भारत में 257697 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे । इनमें ग्रामीण क्षेत्र में 19.597 करोड़ व्यक्ति इस स्तर से नीचे थे ।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की 38 वीं चक्र की गणना के अनुसार । मार्च 1984 को अनु0 जाति वर्ग की ग्रामीण क्षेत्र में 53.10 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 40.40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी ।

भारत में ग्रामीण जन संख्या विशेषकर अनु0 जाति की जनसंख्या सदैव से ही गरीबी का शिकार रही है । भारत में ग्रामीण गरीबी के कारणों के बारे में कई विद्वानों ने लिखा है । एक अर्थशास्त्री ने लिखा है कि - "ग्रामीण इसलिये गरीब हैं कि वह गरीब हैं ।" ग्रामीण जनसंख्या के पास आर्थिक साधनों का अभाव है जिससे वे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं । रोजगार के अभाव में यह वर्ग या तो शहरों की ओर पलायन करता है अथवा ग्रामीण अकुशलता में जन्म लेकर इसी में मर जाता है ।

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है । देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम 1979 में लागू किया गया । इस कार्यक्रम के द्वारा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन गरीबों को जो गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे हैं तथा जिनकी वार्षिक आय रु0 3600 वार्षिक से कम है सरकारी सहायता के माध्यम से कुछ परिसम्पत्तियाँ प्रदान करती है । जिससे वे अपने प्रयत्नों से अपनी परियोजना चला सकें । इस सहायता में लाभार्थी को सहायता राशि के एक भाग के रूप में अनुदान दिया जाता है । शेष राशि लाभार्थी को 3 वर्ष में ब्याज सहित आसान किश्तों में चुकाना होती है । इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में 50 प्रतिशत लाभार्थी अनु0 जाति के होना अनिवार्य है । अनु0 जाति के लाभार्थियों को सहायता राशि का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3000) तक का अनुदान दिया जाता है ।

ग्रामीण विकास की द्वितीय योजना जवाहर रोजगार योजना है । यह

योजना सन् 1989 में लागू की गई तथा पूर्व में प्रचलित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। जवाहर रोजगारयोजना के वित्तीय साधनों में केन्द्र तथा राज्य का अंश क्रमश: 80 और 20 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी सहायता सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के वित्तीय साधनों का 6 प्रतिशत अंश इंदिरा आवास योजना पर व्यय किया जाता है।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में ट्राइसेम एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं को कुछ व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे लाभार्थी प्रशिक्षण पाकर गांव में ही अपना रोजगार आरंभ कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आवश्यक वृत्तिका दी जाती है। तथा प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी के रूप में सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण पाने वालों में 30 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी अनु0 जाति के होना अनिवार्य है।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गांवों में छोटे-छोटे समूहों में मकान बनाकर उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनु0 जाति /जन जाति के लाभार्थियों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस मकान में 2 कमरे किचिन शौचालय, व एक बरामदा होता है।

जवाहर रोजगार योजना में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों का कम से कम 50 प्रतिशत भाग श्रम कार्यों पर खर्च किया जाये तथा अधिकाधिक रोजगार अनु0 जाति /जन जाति को उपलब्ध कराया जाये।

इस कार्यक्रम के अतिरिक्त ग्रामीण विकास की एक 10 लाख कुआँ की योजना चलाई जा रही है। इस योजना में ग्रामीण अनु0 जाति/जन जाति के कृषकों को उनके खेत पर सिंचाई के लिए मुफ्त कुंये उपलब्ध कराये जा रहे है।

ग्रामीण जनसंख्या के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ शौचालय भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को सुलभ शौचालय 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण विकास के ये सभी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राज्यों की सहायता से ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। जिले में यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं विकास खण्डों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त उ0 प्र0 व झाँसी जिले में कुछ कार्यक्रम उ0 प्र0 अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं। जिनमें अनु0 जाति के लाभार्थियों को कुछ व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह निगम दुकानों का निर्माण करवा कर उन्हें अनु0 जाति के सदस्यों को प्रदान करता है।

वर्ष 1981 में झाँसी जिला झाँसी संभाग का एक अंग था यह 25^0 6" से $25^0$56" उत्तरी अक्षांश तथा $78^0$18" से $79^0$25" पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0मी0 है। इसके दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं ललितपुर पूर्व में जिला हमीरपुर एवं उत्तर में जिला जालौन स्थित है।

जिले की कुल जनसंख्या 1137031 तथा प्रति वर्ग कि0मी0 जन संख्या घनत्व 226 व्यक्ति है। राज्य की कुल 1.03 प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है।

जिले में चार तहसीलें (मोठ, गरौठा, मऊरानीपुर एवं झाँसी) हैं। जिले में कुल 840 ग्राम तथा 16 नगर हैं।

जिले की कुल जनसंख्या में 28.7 प्रतिशत जनसंख्या अनु0 जाति की है। तथा 0.001 प्रतिशत जनसंख्या अनु0 जन जाति की है। झाँसी जिले में कुल साक्षरता 35.1 प्रतिशत है। यह पुरुषों के बीच 50.7 तथा महिलाओं के बीच 21.4 प्रतिशत है। ग्रामीण साक्षरता 28.7 प्रतिशत एवं नगरीय साक्षरता 50.7 प्रतिशत है। जिले में कुल 325912 व्यक्ति अनु0 जाति वर्ग के हैं इनमें 176861 पुरुष तथा 149051 स्त्रियाँ हैं। इनमें 70.03 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में तथा 30 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास कर रही है। 1981 की जनगणना के ही अनुसार झाँसी जिले में 39483 व्यक्ति इस वर्ग के काश्तकार 23056 व्यक्ति खेतिहर मजदूर तथा 8307 व्यक्ति पारिवारिक उद्योग उत्पादन, संसाधन, सर्विसिंग व मरम्मत में लगे थे। इस वर्ग की कुल जनसंख्या की 67.04 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है।

इस वर्ग की जनसंख्या में 24.98 प्रतिशत साक्षर है। पुरुषों के मध्य 39.43 प्रतिशत तथा महिलाओं के मध्य 8.33 प्रतिशत साक्षरता है।

ग्रामीण विकास की ये सभी योजनायें जो केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के माध्यम एवं सहयोग से चलाई जा रही हैं, झाँसी जिले में भी लागू हैं।

प्रमुख योजनाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ट्राइसेम, इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना प्रमुख है। इन सभी कार्यक्रमों का पूर्ण विवरण पूर्व में दिया गया है।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिले में अनु० जाति के विकास हेतु उत्तर-प्रदेश अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु चलाई जा रही है। इन योजनाओं में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्रोग्राम, स्वतः रोजगार योजना, लघु सिंचाई योजना तथा विभिन्न व्यवसायों की प्रशिक्षण योजना प्रमुख रूप से चलाई जा रही है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 50 प्रतिशत लाभार्थी अनु० जाति वर्ग के लिये जाते हैं जबकि ट्राइसेम में 30 प्रतिशत स्थान इस वर्ग हेतु आरक्षित हैं। इंदिरा आवास योजना में इस वर्ग को शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर निर्मित भवन उपलब्ध कराये जाते हैं।

उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें केवल अनु० जाति वर्ग के विकास हेतु ही हैं।

झाँसी जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अनु० जाति पर प्रभाव ज्ञात करने के लिये इन सभी कार्यक्रमों का सर्वेक्षण आवश्यक था। जिले में 64268 परिवार 3500 रु० से नीचे 22103 परिवार 4000 रु० से नीचे तथा 26161 परिवार 6400 रु० वार्षिक आय से नीचे के परिवार निवास कर रहे हैं। परन्तु अभी केवल उन्हीं परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है जो परिवार 3600 रु० से नीचे वार्षिक आय प्राप्त कर पाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं।

जिले में 1979 से दिसम्बर 1989 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 63500 लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया इसमें 50481 लाभार्थी अनुसूचित जाति के थे।

जिले में इन कार्यक्रमों का प्रभाव ज्ञात करने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में जिले के सभी लाभार्थियों का अध्ययन, समय व साधनों की अपर्याप्तता के कारण सम्भव नहीं था। अतः दो ऐसे विकास खण्ड जो मुख्य रूप

से दूरस्थ थे तथा जिनकी अनु० जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या में उस प्रतिशत से कम नहीं है जो जिले में कुल जनसंख्या में अनु० जाति जनसंख्या का है ।

सर्वेक्षण में गुरसराँय विकास खण्ड से 144 तथा बामौर विकासखण्ड से 142 अनु० जाति के लाभार्थी सम्मिलित किये गये ।

एग्राफिका में सर्वेक्षण हेतु चुने गये 286 न्यादर्शों में 57 प्रतिशत लोगों ने व्यापार हेतु 25.17 लाभार्थियों ने कृषि एवं 17.83 प्रतिशत लाभार्थियों पशुपालन हेतु सहायता दी गई है । कार्यक्रम में गुरसराँय विकासखण्ड में 34.42 प्रतिशत लाभार्थियों ने तथा बामौर विकासखण्ड में पूर्व व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय अपनाया है ।

एग्राफिका से 4.2 प्रतिशत लोगों को 2 घन्टे औसत रूप से प्रतिदिन काम मिला । जबकि 25.87 लोगों को औसत 4 घन्टे प्रतिदिन काम मिला है । कार्यक्रम से 15.73 प्रतिशत लाभार्थियों के परिवार में एक और व्यक्ति को अतिरिक्त काम मिला है जबकि अधिकतम 19.23 प्रतिशत लाभार्थियों के परिवार में दो अतिरिक्त सदस्यों को रोजगार मिला है । 58.74 प्रतिशत लोगों के परिवार में किसी अतिरिक्त व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला । इस कार्यक्रम में सहायता पाने के लिये सर्वाधिक लोगों को 2 से 3 माह तक का समय लगा है । सहायता पाने के लिये लाभार्थियों को समय-समय पर कई लोगों के यहाँ चक्कर लगाने पड़े हैं । सर्वाधिक लाभार्थियों ने बैंक मैनेजर के चक्कर लगाने पड़े हैं । जबकि दूसरे नम्बर पर वे लाभार्थी जिन्होंने ग्राम सेवक के चक्कर लगाये । लाभार्थियों ने प्रमुख रूप से ग्राम सेवक बैंक मैनेजर पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान के चक्कर लगाये ।

कार्यक्रम में सहायता पाने वालों में पूर्व में 45.10 प्रतिशत व्यक्ति कृषि, 39.51 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी, 7.35 प्रतिशत व्यक्ति दस्तकारी, 6.65 प्रतिशत व्यक्ति व्यवसाय तथा, 1.39 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ।

कार्यक्रम में 16.43 प्रतिशत लाभार्थियों को राष्ट्रीय बैंक से 55.60 प्रतिशत व्यक्तियों को जिला सहकारी बैंक से 27.62 प्रतिशत लाभार्थियों को ग्रामीण बैंक तथा 0.35 प्रतिशत लाभार्थियों को भूमि विकास बैंक द्वारा सहायता दी गई है ।

सहायता पाने वाले लाभार्थियों की आय रु0 2500 से लेकर रु0 3000 वार्षिक तक थी । इसमें सर्वाधिक लाभार्थियों की वार्षिक आय 3200 रु0 थी । कार्यक्रम में लाभार्थियों को रु0 2000 से लेकर रु0 9500 तक की सहायता दी गई । सर्वाधिक 29.72 प्रतिशत लोगों को 5000 रु0 तथा दूसरे स्थान पर 21.68 प्रतिशत लोगों को रु0 4000 की सहायता दी गई है ।

कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने के बाद 86.71 प्रतिशत लाभार्थियों ने पूरी राशि परियोजना पर खर्च की है । जबकि 9.44 प्रतिशत लोगों ने सहायता राशि परियोजना पर खर्च न करके अन्य जगह खर्च की कुल 3.85 प्रतिशत लोगों ने यह राशि आंशिक रूप से परियोजना पर खर्च की है ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों ने न केवल संबंधित व्यक्तियों के चक्कर लगाये बल्कि इस कार्य के लिए उन्होंने ऊपरी खर्च भी किया तथा संबंधित अधिकारी को खुश किया । सर्वाधिक 73.78 प्रतिशत लोगों ने यह राशि बैंक मैनेजर पर खर्च की । सर्वाधिक 87 लाभार्थियों ने सहायता पाने के लिए 500 रु0 तक ऊपरी खर्च किये । जबकि 51 लाभार्थियों ने इस कार्य हेतु रु0 400 ऊपरी खर्च किये । एक अनुमान के अनुसार सहायता पाने में 10 से लेकर 20 प्रतिशत तक सहायता राशि सेवा शुल्क के रूप में ले ली गई है । 286 में कुल 9 लाभार्थियों ने परियोजना में अपना भी पैसा लगाया ।

सर्वेक्षण के समय 80.42 प्रतिशत लाभार्थियों की परिसम्पत्तियाँ कार्यरत थी । जबकि 5.94 प्रतिशत लाभार्थियों की परिसम्पत्ति आंशिक रूप से कार्यरत है । 13.64 प्रतिशत लोगों की परिसम्पत्तियाँ समाप्त हो गई हैं ।

सहायता प्राप्त होने के बाद 100 प्रतिशत लाभार्थियों के यहाँ कोई अधिकारी निरीक्षण हेतु नहीं आया । 100 प्रतिशत लाभार्थियों के यहाँ न तो रूप पुस्तिका मिली और न ही विकास पुस्तिका । परिसम्पत्ति खरीदने के बाद किसी भी लाभार्थी ने परिसम्पत्ति का बीमा नहीं करवाया तथा समय-समय पर जोखिम वहन किया । सामूहिक जीवन बीमा के अन्तर्गत एक लाभार्थी की मृत्यु होगई । परन्तु अभी तक उसे बीमा की राशि नहीं मिली जबकि बैंक द्वारा पूर्ण रिकवरी का नोटिस मिल रहा है ।

कार्यक्रम के 93.95 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा उत्पादित माल आसानी से बिक जाता है जबकि 6.05 प्रतिशत लाभार्थियों का उत्पादित माल आसानी

से नहीं मिल पाता है ।

कार्यक्रम में सहायता पाने एवं परियोजना प्रारम्भ करने के उपरान्त 32.87 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में 600 से 1000 रु० तक वार्षिक वृद्धि हुई । दूसरे स्थान पर 21.68 प्रतिशत वे लाभार्थी हैं जिनकी आय में 1100 रु० से 1500 रु० वार्षिक वृद्धि हुई है । ऐसे लाभार्थियों की संख्या 21.68 प्रतिशत है । तीसरे स्थान पर 16.68 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में 1600 से 2000 रु० की वृद्धि हुई है । 8.39 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है ।

कार्यक्रम में सहायता पाने वालों में 95.56 प्रतिशत लाभार्थी अपनी परियोजना सेसन्तुष्ट हैं । 4.44 प्रतिशत लाभार्थी अपनी परियोजना के लाभों से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

कार्यक्रम में सहायता पाने वाले 286 लाभार्थियों में से 93 लाभार्थी ने परियोजना संचालन कर स्वयं को गरीबी रेखा के ऊपर लाये । कार्यक्रम से आय में वृद्धि होने से इन लाभार्थियों की सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में सुधार हुआ

परियोजना संचालन के उपरांत 79.02 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता राशि चुकाने में सक्षम हैं जबकि 89.16 प्रतिशत लाभार्थी यह राशि चुका रहे हैं । कुल 19.61 प्रतिशत लाभार्थी नियमितकिस्त जमा कर रहे हैं । ऋण वसूली हेतु 97.55 प्रतिशत लाभार्थियों को ऋण जमा करने हेतु प्रोत्साहित दिया गया है । सभी वह व्यक्ति कभी कभी ऋण की किस्त जमा कर जाते हैं ।

सर्वेक्षण के समय जब यह प्रश्न किया गया कि यदि आपको पुनः सहायता दी जाये तो आप क्या करना चाहेंगे । 39.86 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि वे व्यवसाय विकास करना चाहेंगे । जबकि 27.27 प्रतिशत लाभार्थी कृषि विकास करना चाहेंगे । 13.64 प्रतिशत लाभार्थी पशुपालन करना चाहेंगे । जबकि 12.94 प्रतिशत लाभार्थी कुछ भी कार्य करने को तैयार हैं । कुल 6.29 प्रतिशत लाभार्थी अब कुछ नहीं करना चाहते हैं ।

जिले में 83.92 प्रतिशत लाभार्थी सहायिका के लाभों से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं । जबकि कुल 16.08 प्रतिशत लाभार्थी मात्र इस योजना के लाभों से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

निष्कर्ष ::-

ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि समय-समय पर इन कार्यक्रमों का सर्वेक्षण किया जाये । प्रस्तुत अध्ययन के लिये सम्पूर्ण जिले के सभी लाभार्थियों का सर्वेक्षण करना समय एवं साधनों की सीमितता से सम्भव नहीं था । अतः जिले के दो विकास खण्डों का सर्वेक्षण किया गया । इन विकास खण्डों में 286 न्यादर्श लाभार्थियों का चयन करके उनका सम्पूर्ण अध्ययन किया गया । यह बात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि इस सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्ष ही सम्पूर्ण जिले के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष समान होंगे ।

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार बताये जा रहे हैं -

1. ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर्याप्त है ।
2. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निहित विशिष्ट प्रावधान तथा वित्तीय हिस्सा पर्याप्त है ।
3. योजनाओं के क्रियान्वयन में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है । भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों में प्रमुख रूप से ग्राम सेवक, परियोजना अधिकारी, संबंधित क्लर्क, विकास खण्ड अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव तथा बैंक कर्मचारी हैं ।
4. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को प्राप्त सहायता में से 10 से 20 प्रतिशत भाग सेवा शुल्क लिया जाता है ।
5. कार्यक्रमों पर प्रभावशाली नियंत्रण का अभाव है । सहायता प्रदान करने के बाद यह नहीं देखा जाता है कि लाभार्थी प्राप्त सहायता का उपयोग कहाँ और कैसे कर रहे हैं । यही कारण है कि प्राप्त सहायता का उपयोग अनुत्पादक कार्यों पर किया जाता है ।
6. ग्रामीण जनता में शिक्षा व जागरूकता का अभाव है जिससे वे योजना के सम्पूर्ण लाभ उठा नहीं पाते हैं । अशिक्षा के कारण कार्यक्रम के लाभों व विशिष्ट रास्तों का लाभ वे नहीं उठा पाते हैं । तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है ।
7. जवाहर रोजगार योजना में सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय साधन अपर्याप्त हैं

प्राप्त धन राशि से ग्रामीण गरीब परिवार बहुत थोड़ा रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। सामान्यत: प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार प्राप्त होना चाहिए परन्तु इस राशि से केवल कुछ परिवारों के सदस्य को बहुत थोड़े दिन रोजगार मिल पाता है।

8. इस कार्यक्रम में सामुदायिक लाभ के कार्यों की अपेक्षा ग्राम प्रधान के व्यक्तिगत लाभों के कार्यक्रमों को ज्यादा अपनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो ग्राम प्रधान के कृपा पात्र हैं।

9. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में प्राप्त सहायता का सही उपयोग करने वाले लाभार्थियों की आय में काफी वृद्धि हुई है तथा इनमें से बहुत से लाभार्थियों ने गरीबी रेखा को पार कर लिया है।

10. जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव का अभाव है। रखरखाव के अभाव में ये परिसम्पत्तियाँ नष्ट हो रही हैं।

11. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के बाद लाभार्थियों को समय-समय पर परियोजना सम्बन्धी जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं। और न ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यही कारण है कि लाभार्थी अपनी परिसम्पत्ति का बीमा नहीं करवाते हैं।

12. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को ऋण पुस्तिका व विकास पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

13. इंदिरा आवास योजना द्वारा ग्रामीण अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना एक दूरदर्शी कदम है।

14. इंदिरा आवास योजना हेतु प्राप्त वित्तीय साधन पर्याप्त नहीं हैं।

15. ट्राइसेम कार्यक्रम का क्षेत्र व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

16. इंदिरा आवास योजना में आवास आवंटन के समय निश्चित मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है। तथा ग्राम प्रधान के चहेते लोग ही आवास प्राप्त कर पाते हैं।

17. प्रशिक्षित लाभार्थी को सम्बन्धित परियोजना स्थापित करने के लिये और अधिक

सहायता तथा सुविधायें उपलब्ध करायाई जानी चाहिए ।

18. इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से गाँव में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है । तथा ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन कम हुआ है ।

19. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लाभार्थी के चयन के बाद सहायता प्राप्त होने में काफी समय लग जाता है तथा इस बीच लाभार्थी को संबंधित अधिकारियों व बैंकों में काफी चक्कर लगाना पड़ते हैं ।

20. जिन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही उनमें लक्ष्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये । इस प्रकार इन कार्यक्रमों के संचालन में कुछ दोष अवश्य है परन्तु यह सभी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों में रोजगार, आय स्तर तथा उपभोग स्तर में वृद्धि करने में सफल हुये हैं ।

ग्रामीण विकास के सामान्य कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उपलब्ध विशिष्ट प्रावधान एवं इस वर्ग हेतु विशिष्ट कार्य योजनायें इस वर्ग के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने एवं भविष्य में उन्हें स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से सफल हैं ।

सुझाव :-

ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम तभी सफल माने जायेंगे जबकि इनका उचित तरीके से क्रियान्वयन किया जाये । तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों का पूरा पूरा भान मिले । कार्यक्रमों की सफलता के लिए इनमें जन सामान्य की भागीदारी आवश्यक है । परन्तु दुर्भाग्य वश इन सभी कार्यक्रमों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार मौजूद है । कार्यक्रम के सभी उद्देश्यों को पूरा करने तथा इनसे अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम की कमियों को दूर किया जाये । तथा वित्तीय साधनों का सही प्रकार से उपयोग हो ।

कार्यक्रमों के सफलता पूर्वक संचालन एवं आर्थिक साधनों के सही उपयोग के बारे मे समय-समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं व राष्ट्रीय स्तर के इन कार्यक्रमों की कुछ क्षेत्रीय कमियाँ हैं । जिन्हें भी दूर किया जाना आवश्यक है । झाँसी जिले में यदि निम्न सुझावों पर अमल किया जाये तो कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक संचालन कर अनु0 जाति वर्ग के हित में अधिकतम सही उपयोग हो सकता है :

1. कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार के द्वारा ग्रामीण जनता को इनके बारे में परिचित किया जाना चाहिए। तथा कार्यक्रमों के लाभों व विशेष राहतों का विवरण भी जनता तक पहुँचाया जाना चाहिए।
2. उच्च प्रशासन द्वारा समय-समय पर योजनाओं का निरीक्षण करना चाहिए तथा लाभार्थियों से मिलते रहना चाहिए।
3. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की परियोजना व परिसम्पत्ति का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, इससे एक ओर तो सभी लाभार्थी अपनी परियोजना चालू रखेंगे दूसरी ओर प्रशासन भी उनकी कठिनाइयों का निराकरण कर सकेगा।
4. बैंक अधिकारियों द्वारा भी लाभार्थी की परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर उनकी कठिनायाँ दूर करना चाहिए।
5. कार्यक्रमों से संबंधित उच्चाधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी वित्तीय साधन यथास्थान प्रयोग किये जायें। तथा इन साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।
6. कार्यक्रम के संचालन में इस ओर नजर रखी जानी चाहिए कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग उन्हीं जगहों पर हो जहाँ सामुदायिक लाभ हो व्यक्तिगत नहीं।
7. इस बात पर प्रशासनिक ध्यान रहना चाहिए कि इंदिरा आवास योजना में आवास आवंटन के समय उचित मानदंडों को आधार बनाया जाये।
8. जवाहर रोजगार योजना में इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि सभी वित्तीय साधन ईमानदारी से प्रयोग किये जायें। तथा सर्वप्रथम उन्हें रोजगार मिले जिन्हें इसकी वास्तव में सर्वाधिक आवश्यकता है।
   योजना में उन्हीं परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाय जो सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से अनिवार्य हों।
9. इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना चाहिए जो दीर्घ काल तक रोजगार प्रदान कर सकें।
10. योजनाओं में सृजित परिसम्पत्तियों का ईमानदारी से रखरखाव किया जाना चाहिए।
11. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखी

जानी चाहिए, तथा यदि आवश्यक हो तो इनकी सेवायें समाप्त कर इन्हें उचित दण्ड दिया जाना चाहिए ।

12. स्वयं सेवी संगठनों को चाहिए कि वे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखें तथा इनके क्रियान्वयन की कमियों से प्रशासन को अवगत कराना चाहिए । प्रशासन को इन संगठनों की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए ।

13. उच्च प्रशासन को चाहिए कि वह ग्रामीण जनता से सीधा सम्पर्क कायम करे एवं उनकी शिकायतें सुनकर उनका निराकरण करे ।

14. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की परियोजना गत परिसम्पत्ति का अनिवार्य रूप से बीमा करवाया जाना चाहिए । इससे एक ओर तो लाभार्थी को अनिवार्य रूप से परिसम्पत्ति खरीदना होगी तथा दूसरी ओर ईमानदार लाभार्थी को चोरी, बीमारी, दुर्घटना आदि से जोखिम से मुक्ति मिलेगी ।

15. पशुगत परिसम्पत्ति खरीदने वालों के पशुओं की जाँच अनिवार्य की जानी चाहिए उन्हें अनिवार्य रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए तथा गाँवों में इनके पशुओं की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए । एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरन्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

16. कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन व निरीक्षण हेतु निचले स्तर पर कुछ ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए । तथा उच्च प्रशासन द्वारा इन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए ।

17. कार्यक्रमों की क्रियान्वयन विधि को और सरल बनाया जाना चाहिए । ताकि ग्रामीण उन्हें आसानी से समझ सकें । तथा इन योजनाओं का लाभ उठा सकें ।

18. सभी ग्राम सेवकों का गाँव में ही रहना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण लाभार्थी किसी भी समय अपनी समस्या उन्हें बता सकें । तथा सुझाव ले सकें । ऐसा होने से ग्रामीण विकास अधिकारी भी लाभार्थियों पर नजर रख सकेंगे ।

19. इस बात पर विशेष ध्यान दिया जानाचाहिए कि जवाहर रोजगार योजना में मजदूरों को मजदूरी निर्धारित दरों पर ही प्राप्त हो एवं

एवं मजदूरों को मजदूरी के एक भाग के रूप में खाद्यान्न उचित दर पर प्राप्त होना चाहिए ।

20. सरकार को विभिन्न संगठनों के माध्यम से समय-समय पर कार्यक्रमों का मूल्यांकन व सर्वेक्षण करवाना चाहिए ताकि सरकार वास्तविक स्थिति से परिचित रहे ।

21. ट्रायसेम योजना का क्षेत्र व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ।

22. ट्राइसेम का प्रशिक्षण लाभार्थी को गाँव में या गाँव के पास ही दिया जाना चाहिए । बहुत दूर मुख्यालय पर नहीं ।

23. इंदिरा आवास योजना हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिए ।

इंदिरा आवास योजनाहेतु एक विशेष सुझाव :- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गाँव में 17-20 वर्ग मीटर में पक्की छत वाला मकान बनाया जाता है । यद्यपि इस मकान रसोई तथा शौचालय होते हैं परन्तु यह मकान ग्रामीण परिवेश के नहीं होते । इन मकानों में ग्रामीणों के पशु बांधने हेतु कोई व्यवस्था नहीं होती और इनका स्वरूप भी गाँव के मकान से भिन्न होता है तथा अधिकतर मकान गाँव से बाहर बनाये जाते हैं । अतः आवंटित होने पर भी अधिकांश मकान खाली रहते हैं । यदि इन मकानों में थोड़ा सुधार किया जाये तो यह मकान और भी उपयुक्त बन सकते हैं । सर्वप्रथम इन मकानों का क्षेत्रफल 35-40 वर्ग मी0 किया जाये । इन मकानों की दीवारें पक्की परन्तु छत खपरैल की बनाई जाये । ताकि ये मकान अन्य ग्रामीण मकानों से भिन्न न लगें । इन मकानों में एक बड़ा कमरा 8-10 वर्ग मी0 का पशुओं हेतु बनाया जाये ताकि इनमें रहने वाले अपने पशु घर के अन्दर बांध सकें । क्योंकि घर के बाहर पशु चोरी का डर रहता है । झाँसी जिले में पत्थर भी बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं दीवार बनाने हेतु इन पत्थरों व गारे का प्रयोग किया जा सकता है । इस योजना में मकान जहाँ तक संभव हो गाँव के बीच तथा देशी पद्धति से बनाये जाने चाहिए । ताकि ये ग्रामीण मकान लगें न कि सरकारी इमारतें ।

ग्रामीण विकास की उपर्युक्त सभी योजनायें अनु0 जाति के लाभार्थियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर में वृद्धि करने में सक्षम हैं । रोजगार सृजन की दृष्टि से ये योजनायें भरपूर लाभ दे रहीं हैं परन्तु सभी योजनाओं का स्वरूप अल्पकालीन है । आज आवश्यकता इस बात की है कि गांव में ऐसी उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाये जो टिकाऊ हों । तथा ग्रामीणों को निरंतर व दीर्घ समय तक रोजगार उपलब्ध करा सकें । यदि ऐसा संभव होता है तो निश्चय ही ग्रामीणों की और विशेष कर अनु0 जाति के ग्रामीणों आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा ।

इस जनपद की कुल जनसंख्या में 22.64 प्रतिशत जनसंख्या अनु0 जाति की ही है । अतः यह स्पष्ट है कि इस जनपद के सर्वांगीण विकास में ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण विकास में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन बेरोजगार युवकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे अपने साधनों के द्वारा अपनी सामाजार्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे । अतः इन कार्यक्रमों के विशेष प्रावधानों को ईमानदारी से लागू कर इस वर्ग को लाभान्वित किया जाना चाहिए ।

परिशिष्ट

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

"झाँसी जनपद में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन"

(अ) व्यक्तिगत विवरण :-

(1) लाभार्थी का नाम :

(2) पिता का नाम :

(3) ग्राम :

पंचायत, विकासखण्ड: जिला -

(4) परिवार की श्रेणी: लघुकृषक/सीमांत कृषक/कृषक मजदूर/अकृषक मजदूर/ग्रामीण दस्तकार।

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(5) परिवार में सदस्यों की संख्या: 5 वर्ष से कम----- 5 से 13 वर्ष--- 15 से 25 वर्ष---------25 से 50 वर्ष---------50 से ऊपर ।

(6) लाभार्थी शिक्षा स्तर: शिक्षित/अशिक्षित ------------

(7) परिवार के अन्य रोजगारयुक्त सदस्य (लाभार्थी के चुने जाते समय)

रोजगार वार्षिक आय

(8) क्या लाभार्थी को चुने जाते समय समस्त परिवार की आय सम्मिलित की गयी है । हाँ/नहीं

(9) लाभार्थी के लिये चुनी गयी परियोजना में परिवार के कितने सदस्य सम्मिलित है । ----------

(10) लाभार्थी की वार्षिक आय (चुने जाते समय) ----------

(ब) (1) क्या लाभार्थी के पास ऋण पुस्तिका/विकास पुस्तिका उपलब्ध है । हाँ/नहीं, क्रमांक

(2) अंकित ऋण की राशि --------

(3) अंकित ऋण किस रूप में दिया गया नकद/पशु/अन्य सामान

(4) ऋण अदायगी की स्थिति	नियमित/अनियमित
(5) ऋण का उद्देश्य/योजना	----------------
(6) विकास पुस्तिका पर अंतिम निरीक्षण तिथि एवं अधिकारी.	----------------
(7) ग्रामीण विकास अधिकारी ने कितनी बार निरीक्षण किया तिथियों सहित.	----------------
(8) ऋणदाता बैंक का नाम	----------------

(स) **लाभार्थी चुनाव प्रक्रिया :-**

1. क्या प्रार्थना-पत्र लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी ने स्वयं दिया था.	हां/नहीं
2. प्रार्थना-पत्र देने हेतु उसे किसी ने प्रेरित किया था किसने .	मित्र/ग्रामसेवक/अन्य
3. क्या लाभ दिये जाने से पूर्व उसकी परिवार की स्थिति के संबंध में छानबीन करने कोई सरकारी कर्मचारी आया था	हां/नहीं कौन
4. छानबीन के समय लाभार्थी को केवल उसकी जमीन काश्त के बारे में पूछा गया था.	हां/नहीं
5. परिवार के अन्य सदस्यों के काम व आय के बारे में भी पूछा गया था.	हां/नहीं
6. लाभ प्राप्त करने के पहले वह और क्या कार्य करता था . क्या उससे आय के बारे में पूछा था.	---------------- हां/नहीं
7. क्या लाभ प्राप्त करने के लिये किसी की सिफारिश करवानी पड़ी	हां/नहीं अधिकारी की/राजनीतिक नेता की
8. क्या उसका चयन गांव की खुली बैठक में हुआ और क्या किसी ने उसके चुनाव का विरोध किया ।	हां/नहीं

(4) ऋण अदायगी की स्थिति	नियमित/अनियमित
(5) ऋण का उद्देश्य/योजना	--------------
(6) विकास पुस्तिका पर अंतिम निरीक्षण तिथि एवं अधिकारी.	--------------
(7) ग्रामीण विकास अधिकारी ने कितनी बार निरीक्षण किया तिथियों सहित.	--------------
(8) ऋणदाता बैंक का नाम	--------------

(स) **लाभार्थी चुनाव प्रक्रिया :-**

1. क्या प्रार्थना-पत्र लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी ने स्वयं दिया था.	हां/नहीं
2. प्रार्थना-पत्र देने हेतु उसे किसी ने प्रेरित किया था किसने .	मित्र/ग्रामसेवक/अन्य
3. क्या लाभ दिये जाने से पूर्व उसकी परिवार की स्थिति के संबंध में छानबीन करने कोई सरकारी कर्मचारी आया था	हां/नहीं कौन
4. छानबीन के समय लाभार्थी को केवल उसकी जमीन काश्त के बारे में पूछा गया था.	हां/नहीं
5. परिवार के अन्य सदस्यों के काम व आय के बारे में भी पूछा गया था.	हां/नहीं
6. लाभ प्राप्त करने के पहले वह और क्या कार्य करता था . क्या उससे आय के बारे में पूछा था.	----------- हां/नहीं
7. क्या लाभ प्राप्त करने के लिये किसी की सिफारिश करवानी पड़ी	हां/नहीं अधिकारीकी/राजनीतिक नेता की
8. क्या उसका चयन गांव की खुली बैठक में हुआ और क्या किसी ने उसके चुनाव का विरोध किया ।	हां/नहीं

9. लाभ हेतु चुनाव के पूर्व परिवार में --------------
सिंचित भूमि असिंचित भूमि .

10. क्या चुने जाने की सूचना गांव सभा में हां/नहीं
लगे कागज़(सूची) से मालूम हुयी.

(द) ऋण प्रक्रिया :-

1. आपके परिवार में और कितने सदस्यों को हां/नहीं
इस सहायता के लिये चुना गया. --------------

2. प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात् ऋण मिलने --------------
में कितने दिन का समय लगा.

3. ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से
मिलने कितनी बार जाना पड़ा। --------------

नेताओं से	--------------
ग्रामसेवक से	--------------
अधिकारियों से	--------------
बैंक मैनेजर से	--------------

4. क्या ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ ऊपरीखर्च हां/नहीं
भी करना पड़ा है ।

5. यदि हां तो लगभग कितना और किस-किस --------------
को देना पड़ा.

6. जितना ऋण, ऋणपुस्तिका में दिखाया गया --------------
है क्या पूरा मिला या कुछ कटौती की
गयी, कितनी

7. जिस कार्य के लिये ऋण मिला क्या उसमें हां/नहीं
अपना भी पैसा लगाना पड़ा. कितना --------------

8. यदि हां तो घर से पैसा लगाया या
महाजन से उधार लेकर लगाया घर से/महाजन से

9. बाद में जो अनुदान राशि(जमाराशि) --------------
सरकार से मिलनी थी वह मिली या नहीं
ऋण पुस्तिका में चढ़ी या नहीं ।

10• ऋण के रूप में जो राशि मिली वह पूरी परियोजना पर खर्च हुई या नहीं	---------------
11• यदि नहीं तो शेष बची राशि का क्या हुआ	हां/नहीं
12• क्या बैंक ने 5000 रू• तक की राशि के लिये परिसम्पत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य जामिन जमानत मांगी गई, यदि हां तो किस रूप में दी गयी	हां/नहीं ---------------

§य§ परिसम्पत्ति:-

1• योजना के अंतर्गत क्या परिसम्पत्ति दी गयी•	---------------
2•परिसम्पत्ति की वर्तमान स्थिति यदि पशु है तो स्वस्थ/अस्वस्थ यदि अन्य वस्तु है तो संतोषपूर्ण/असंतोषपूर्ण	---------------
3•वर्तमान में परिसम्पत्ति कार्यरत है	एक/दो
4•यदि दुधारू पशु/खेती पशु के रूप में परिसम्पत्ति दी गयी है तो संख्या	
5•दूसरा पशु प्रारंभ में ही दिया गया। बाद में सहायक किश्त के रूप में दिया गया•	---------------
6•परिसम्पत्ति का निरीक्षण करने इस माह/वर्ष कोई अधिकारी आया या नहीं•	हां/नहीं
7•कब आये, कौन अधिकारी आये §ऋण पुस्तिका से भी देखें§	---------------
8•परिसम्पत्ति यदि पशु है तो क्या पशुधन अधिकारी, पशु चिकित्सक द्वारा उपयुक्त जांच चिकित्सा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करायी गयी ।	हां/नहीं
9• क्या परिसम्पत्ति का बीमा कराया गया है	हां/नहीं

10• यदि परिसम्पत्ति चोरी चली गयी या मृत हो गयी तो क्या पुलिस में रिपोर्ट करायी • — हाँ/नहीं

11• क्या बीमा अधिकारियों को खबर दी — हाँ/नहीं

12• ऐसा कब तथा परिसम्पत्ति मिलने में कितने दिन पश्चात् हुआ• — ------------

13• क्या बीमा कंपनी/सरकारी अधिकारी ने नुकसान पूरा किया — हाँ/नहीं

---

(२) परिसम्पत्ति का क्रय:-

1• क्या परिसम्पत्ति आपने स्वयं खरीदी — हाँ/नहीं

2• यदि हाँ तो कहाँ से — ------------

3• क्या इसकी खरीद किसी समिति/अधिकारियों की देखरेख में की गयी — हाँ/नहीं

4• क्या अधिकारियों द्वारा खरीद कर दीगयी। — हाँ/नहीं

5• क्या अधिकारियों ने खरीद से पहले आपसे पुछा या आपको साथ लिया है । — हाँ/नहीं

6• क्या आप संतुष्ट है कि जितने में खरीदी गई है वह उससे कम की नहीं मिल सकती• — हाँ/नहीं

7• यदि आप स्वयं खरीदते तो क्या कम की खरीद सकते थे । — हाँ/नहीं

8• परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा कार्यक्षमता के बारे में लाभार्थी संतुष्ट हैं । — हाँ/नहीं

9• क्या खरीद के पश्चात् उपयोग में लाने के पूर्व संबधित अधिकारियों ने उसकी जाँच की थी• — हाँ/नहीं

10• पशुओं की स्वीकृति में पशु चिकित्सक द्वारा जाँच की गयी है । — हाँ/नहीं

11• पशु के दुग्ध की जाँच की गयी — हाँ/नहीं

12· क्या समय-समय पर परिसम्पत्ति की जांच करने हेतु अधिकारीगण आते है कब-कब — हां/नहीं

13· यदि हां तो कब-कब और कौन-कौन (पिछले लगभग 6 माह का संक्षिप्त में नोट करलें) — ---------------

(ल) परियोजना एवं प्रशिक्षण:-

1· क्या लाभार्थी के चुने जाने के उपरांत परियोजना के चुनाव के बारे में लाभार्थी से पूछा गया है । — हां/नहीं

2· परियोजना तैयार करने के पहले किस अधिकारी ने विवरण तैयार किया· — परियोजना अधिकारी/ ग्रामसेवक

3· क्या लाभार्थी को इस संबंध में बैंक अधिकारियों से भी परियोजना तथा ऋण के संबंध में पूर्ण जानकारी दी· — हां/नहीं

4· इस परियोजना की पूरी जानकारी मिलने पर ही इस हेतु लाभार्थी ने अपनी सहमति दी — हां/नहीं

5· यदि नहीं, तो क्या जो परियोजना उसे बताई गयी बिना पूर्ण जानकारी की उसने उसे स्वीकार कर लिया। — हां/नहीं

6· जो परियोजना उसे दी गयी है वह गांव में और कितने लोगों को दी गयी है । — हां/नहीं ------------

7· क्या जो योजना उसे दी गयी है उसकी तकनीकी जानकारी उसे पहले से थी· — हां/नहीं

8· यदि नहीं तो क्या उसे कोई प्रशिक्षण दिया गया है । — हां/नहीं

9· यदि हां तो
- कहां — ---------------
- किसके द्वारा — ---------------
- कितने समय का — ---------------
- किस प्रकार से — केवल [illegible]

10• परियोजना मिलने के पश्चात् कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। — घन्टे

11• परियोजना में परिवार के कितने और सदस्यों को कार्य मिला हैं।

बेकार सदस्यों को ---------------

पहले से कार्यरत सदस्य को ---------------

12• क्या लाभार्थी के द्वारा उत्पादित माल बिक जाता हैं। — हाँ/नहीं

(क) लाभानुमान:-

1• परियोजना से पूर्व लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय ---------------

2• परियोजना लागू होने के बाद की आय ---------------

3• अनुमानित वार्षिक वृद्धि ---------------

4• प्रतिमाह परियोजना से कितना अतिरिक्त लाभ/आय मिल रही हैं। ---------------

5• दुधारू पशु कितना दूध प्रतिदिन देता है ---------------

ग्रीष्मकाल में ---------------

सामान्य दिनों में ---------------

6• अनुमानित बिक्री मूल्य औसतन प्रतिमाह ---------------

7• चारे/क्री पर औसतन व्यय प्रतिमाह ---------------

8• क्या लाभार्थी परियोजना से मिलने वाले लाभों के प्रति संतुष्ट हैं। — हाँ/नहीं

9• क्या लाभार्थी अपनी आय और बढ़ाने के लिये स्वयं कुछ और कार्य करने हेतु प्रयासरत है क्या करना चाहता हैं। — हाँ/नहीं ---------------

10• क्या और अधिक आय बढ़ाने हेतु उसे सरकार बैंक से पर्याप्त सहायता व/ज्ञानकारी दी जा रही हैं? ---------------- हाँ/नहीं

11• क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन में उसे कोई परेशानी अनुभव हो रही है• हाँ/नहीं

12•यदि हाँ तो क्या उन परेशानियों का निवारण हेतु उसने संबंधित अधिकारियों से परामर्श किया। सम्पर्क किया/नहीं

13•उक्त परेशानी दूर करने के प्रयास किया गया हाँ/नहीं

(ख) लाभार्थी द्वारा इस संबंध में अन्य कोई जानकारी या सुझाव

(ग) मूल्यांकन कर्ता की टिप्पणी यदि कोई हो(इस लाभार्थी के संदर्भ में)

BIBLIOGRAPHY

(A) BOOK

Adisheshias : Economic problems of Scheduled caste, ICSSR, New Delhi 1972.

Agrawal, P.C. : Caste, Religion and Power, An Indian case study. S.R. Centre for Industrial Relations, New Delhi. 1972.

Arora, R.C. : Integreted Rural Development. : S.Chand, New Delhi, 1979.

Atal Yogesh : The changing frontiers of castes, National, New Delhi 1978.

Baden Powell B.H. : Origin and growth of village communication in India.,London 1899.

Bepeolle, Andre : Studies of Agrarian Social Structure, O.U.P. Delhi 1969. Caste class and power, O.U.P. Bombay 1969.

Bhatt, Anil : Caste class and politics, An empirial profil of social stratification in Modern India, Manohar, New Delhi, 1975.

Chakravarty, T.K. : Development of Small and marginal farmers on agricultural labourers, N.I.R.D.Hyd, 1980.

Chattopadyay B.C. : Rural Development planning in India, S. Chand, New Delhi, 1985.

Desai A.R. : Rural Sociology of India, popular, Bomby, 1969.

Dandekar & Rath : Poverty in India, Gokhale Insti; Poona 1971.

Dutt, R.C. : Early Hindu Civilization B.C.2000 to 320 Pustak,Calcutta, 1968.

Dubey S.C. : India Since Independence- Social Report on India, Vikas, New Delhi, 1977.

Emsminger, D. : Rural Development about is it paper presented at East west centre's conference on Integrated communication for rural Development,Honolulu 1974.

I.C.S.S.R. : I.C.S.S.R.. series & studies of educational problems of scheduled caste/scheduled tribe for secondary school student and college student in different states, conducted by several scholars mostly during 1972 - 1975.

ISSAC, H.R. : India's Exuntouchables, Asia Bombay 1965.

I.S.A.E. : Seminar on rural development for weaker section Bombay, 1974.

JOSHI P.C. : Methodologies of village survey in India A.E.R.C. Dehli1961.

Kamble J.R. : Rest and awakening of depressed classes in India, National Dehli, 1979.

Kamble N.D. : The scheduled caste, Asian, New Behli, 1982.

Liptan, M. : Why poor peaple stay poor, Temple smith London, 1977.

Lynch, Owen M. : The politics of untouchability columbia Univ. Press NY 1969.

Mnihas, B.S. : Planning and the poor, S. Chand, New Dehli 1977.

Miller, D.B. : From Heirarchy to stratification changing pattern of social inequality in a north India village Oxford, 1975.

Pande, S.N. : Scheduled cast than and now, Asia, Bombay 1975.

Padhy K.C. : Rural development in India B.R. Pub, Bombay, 1986.

Patwardhana, S. : Change among indian Harijans, orient, longman, Dehli 1973.

Ragnekar : Economic profiles of scheduled caste in M.P., I.C.S.S.R. New Dehli 1973.

Rajgopalan, C. : Social mobility among scheduled caste, I.C.S.S,R. New Dehli 1973.

Ramaswamy, U. : Socio Economic change among the scheduled caste of A.P. During 1951 - 81, I.C.S.S.R. New Dehli 1975.

Singh Baljit : Study & economic profiles of the scheduled caste in U.P., I.C.S.S.R. New Dehli 1972.

Silvesr berg I. : Social mobility in the caste system in India, paris monton, Hague 1968.

(B) Magagines and Journals

1. Co-operator
2. Economic and Political weekly
3. Gramin Vikas Newsletter.
4. Harijan.
5. Indian economic - Review.

6. Indian Economic Journal.

7. Indian Journal of Agricuttural Economics.

8. Khadi Gramodyog.

9. Kurukshetra.

10. Social Action.

11. Socialogical Bulletin.

12. The India Economic and social History Review.

13. The News-letter of commission for sc/st.

14. Indian Journals of social works.

15. Voluntary Actions.

16. Yojana.

(C) Govtt./Publication/Reports

GOI. Controller of Publication New Dehli : Census of India 1981.

: Series I part ii.B. (ii)

: Primary census abstracts S/c.

GOI. Ministary of Agriculture and rural Development : Various Annual of rural Development 1980-81 To 1990-91.

GOI. Ministary of Home Affairs : Report of the commission for scheduled caste and scheduled tribe (1978-79) first report.

: Annual report of P.C.R. Act. 1955 for the year 1981-82. P.C.R. Cell.

	: Report of the working group on the development of scheduled cast during VIth & VIIth five year plan.
GOI, N.S.S.	: N.S.S. Report
GOI. PLG Comm.	: Various five year plan.
GOI. Deptt. of publication	: Census of India 1961, 1971, 1981, 1991.